

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. एफ. 12-20-2012-सात-शा.2ए.—मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियम, 2013 है.

(2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(3) ये "राजपत्र" में इनका प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013);
- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत अधिकारी;
- (ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (घ) "नियम" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;
- (ङ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

3. **सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति.**—राज्य सरकार या निगम द्वारा अधिनियम के अधीन भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने हेतु निजी भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करना प्रस्तावित किए जाने पर, राज्य सरकार, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, डिप्टी कलक्टर से अनिम्न स्तर के एक या अधिक सेवारत अधिकारियों को अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन "सक्षम प्राधिकारी" नियुक्त कर सकेगी।

4. **आवेदन किया जाना.**—यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने हेतु निजी भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने के लिए आवेदन पत्र प्ररूप-"क" के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा. आवेदन-पत्र में संबंधित ग्रामों के नाम, भूमि स्वामी/अधिभोगी का नाम तथा पिता / पति का नाम, खसरा क्रमांक, भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल तथा अवधि जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने का कार्य किया जाएगा, की जानकारी अंतर्विष्ट की जाएगी तथा पांच साला खसरा एवं नक्शे में अंकित किए गए क्षेत्र भी संलग्न किए जाएंगे।

5. **अधिसूचना का प्रकाशन तथा स्वामी को सूचना.**—(1) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, आवेदक से प्राथमिक रूप से अनुमानित प्रतिकर की अस्सी प्रतिशत राशि जमा करने की मांग करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन मांगी गई राशि जमा कर दिए जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी अपने इस आशय की घोषणा, राजपत्र में, प्ररूप-ख में, अधिसूचना द्वारा करेगा कि भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए जनहित में, भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किया जाना आवश्यक है. यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ-साथ निम्नलिखित स्थानों पर भी चस्पा कराई जाएगी :—

- (क) कलक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर;
- (ख) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर;
- (ग) तहसीलदार के कार्यालय के सूचना पटल पर;
- (घ) संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर;
- (ङ) संबंधित ग्राम के आम तौर पर होने वाले लोक समागम स्थल पर; और
- (च) उस क्षेत्र में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से एक हिन्दी में होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, भूमिस्वामी/अधिभोगी को निजी भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने के संबंध में सूचना देगा. 'प्ररूप-ग' में दी जाने वाली सूचना :—

- (क) भूमिस्वामी/अधिभोगी को व्यक्तिगत रूप से;
- (ख) भूमिस्वामी/अधिभोगी के परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को;
- (ग) भूमिस्वामी/अधिभोगी को रजिस्टर्ड डाक से; या
- (घ) भूमिस्वामी/अधिभोगी के निवास में अथवा उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर चस्पा करके, दी जा सकेगी।

6. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषणा का प्रकाशन.**—धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित घोषणा में विहित कालावधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, घोषणा "प्ररूप-घ" में प्रकाशित कराएगा. धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से उसमें उल्लिखित भूमि के उपयोग के अधिकार समस्त विल्लंगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।

7. **प्रतिकर का निर्धारण.**—(1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्रकाशित होने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित भूमि से होने वाली फसल से आय की क्षति, वृक्षों का प्रतिकर एवं अन्य हानि का विनिश्चय निम्नलिखित रीति में करेगा :—

(क) किसी असिंचित भूमि को एक फसली तथा सिंचित भूमि को दो फसली माना जाएगा. यदि भूमि में विगत तीन वर्षों में कोई फसल नहीं ली गई हो तो उस भूमि को “पड़त भूमि” माना जाएगा तथा ऐसी भूमि के लिए फसल से आय की क्षति की गणना नहीं की जाएगी. फसल से आय की क्षति की गणना निम्नानुसार की जाएगी :—

$$\text{फसल से आय की गणना} = \text{फसल की प्रमाणिक पैदावार} \times \text{फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य} \times 2$$

(ख) वृक्षों का प्रतिकर वन विभाग / उद्यानिकी विभाग के मत पर संगणित किया जाएगा.

(ग) चल-अचल सम्पत्ति की अन्य हानि, संबंधित विभाग के मत पर संगणित की जाएगी.

(2) उपनियम (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन के दिनांक को उस भूमि के बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत की दर से देय होगा.

(3) यदि यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम द्वारा अधिकथित कालावधि के भीतर भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने का कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो वह अधिकथित की गई कालावधि के परे ली गई अतिरिक्त कालावधि के लिए हानि का संदाय करने का दायी होगा और उस भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान का भी दायी होगा.

8. **प्रतिकर की राशि की संगणना.**—(1) राज्य सरकार या निगम, प्रतिकर की ऐसी राशि को मुजरा करने के पश्चात्, जो कि नियम 5 के उपनियम (1) के अनुसार पूर्व में ही जमा कर दी गई है, धारा 7 के अधीन निर्धारित प्रतिकर की राशि, सक्षम प्राधिकारी को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर बैंक द्वारा जमा करेंगे.

(2) यदि प्रतिकर की राशि तीस दिन के भीतर जमा नहीं की जाती है तो यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम उस पर, उस तारीख से, जिसको कि प्रतिकर जमा किया जाना था, उसे वास्तविक रूप से जमा करने की तारीख तक, नौ प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा :

परन्तु एक सौ बीस दिन के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर की संगणना पुनरीक्षित की जा सकेगी, जो पूर्व में विनिश्चित किए गए प्रतिकर की राशि से कम नहीं होगी.

9. **अधिकार के अर्जन पर कब्जा हटाना.**—सक्षम प्राधिकारी, धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी/अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करते समय भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने हेतु विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करने के लिए “प्ररूप-ड” में भूमिस्वामी/अधिभोगी से आधिपत्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा.

10. **कब्जे का वापस दिलाया जाना.**—यथास्थिति राज्य सरकार या निगम द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के पश्चात् भूमि समतल की जाएगी और अपने मूल रूप में लाई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमिस्वामी/अधिभोगी को भूमि का कब्जा वापस दिया जाएगा. इस संबंध में, भूमिस्वामी/अधिभोगी से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जा वापसी प्रमाण-पत्र “प्ररूप-च” में लिया जाएगा.

11. **निरीक्षण आदि हेतु प्रवेश का अधिकार.**—भूमिस्वामी/अधिभोगी को भूमि का कब्जा वापस देने के पश्चात्, भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने वाली निगम या निगम द्वारा अधिकृत व्यक्तियों का भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट के निरीक्षण, संधारण, सुधार उन्हें बदलने या हटाने के लिये जब आवश्यकता हो, भूमि में प्रवेश करने एवं कार्य करने की शक्ति होगी.

12. **न्यायालयीन प्रकरणों का व्यय राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा वहन किया जाएगा.**—अधिनियम के अधीन भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन से अथवा प्रतिकर के भुगतान से उद्भूत न्यायालयीन प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री/विनिश्चय के अधीन समस्त भुगतान/व्यय तथा देय राशि को यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा वहन किया जाएगा.

13. **करार का निष्पादन.**—राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी कार्यालय के स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय के भुगतान के संबंध में, निगम के साथ करार निष्पादित कर सकेगी.

14. **अनुदेश जारी किया जाना.**—राज्य सरकार के समय-समय पर, बनाए गए अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में किन्हीं कठिनाईयों के निराकरण के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी.

प्ररूप-क
(नियम-4 देखिए)

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी,

.....
.....

विषय:- अधिनियम के अधीन निजी भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जन के लिए आवेदन पत्र।

..... परियोजना के लिए तहसीलजिला..... से तहसील..... जिला तक परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है। उक्त परियोजना के लिए भूमि का विवरण तथा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए प्रस्तावित भूमि अर्जित करने हेतु नक्शा इसके साथ संलग्न है।

अतएव अधिनियम के अधीन निजी भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जन के लिए की जाने वाली कार्रवाई संलग्न ब्यौरे में वर्णित है -

संलग्न : ब्यौरे

आवेदक

ब्यौरे

अनु क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप—ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि
परिवहन हेतु ग्राम तहसील जिला.....
से तहसील जिला तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स
द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5

सक्षम प्राधिकारी,

प्ररूप—ग
(नियम 5 (3) देखिए)

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत परियोजना हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए आपके स्वामित्व/अधिभोग की निम्नलिखित भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने संबंधी राज्य सरकार के आशय की घोषणा अधिसूचना कमांकदिनांक राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5

अतएव अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम 5 (2) के अधीन एतद्वारा आपको सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा आपके स्वामित्व/अधिभोग की भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

सक्षम प्राधिकारी

दिनांक

स्थान

प्ररूप—घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए से ग्राम तहसील जिला से ग्राम तहसील जिला के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)

सक्षम प्राधिकारी

दिनांक

स्थान

प्ररूप—ड
(नियम—9 देखिए)

कब्जा प्रमाण पत्र

1. मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी घोषणा दिनांक के अनुसार परियोजना हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए आपके स्वामित्व/अधिभोग की निम्नलिखित भूमि के द्वारा उपयोग में लाई जाएगी।

अनु. कमांक	ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का कमांक	भू-स्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा कमांक	भूमि पाइप लाइन, एवं डक्ट के लिए उपयोक्ता के अधिकार के अधीन अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. अधिनियम की धारा 9 के अधीन फसल आय की क्षति, पेड़ों एवं अन्य क्षति का मुआवजा अवधारित किया गया है।

मद	प्रतिकर का प्रकार						
	अनुकमांक	फसल आय की क्षति का प्रतिकर	पेड़ों का मुआवजा	अन्य आस्तियों की क्षति का प्रतिकर	भूमि का अतिरिक्त प्रतिकर	प्रतिकर की कुल देय राशि	प्रतिकर प्राप्ति का दिनांक

3. भूमि में उपयोक्ता के अधिकार अर्जित किए जाने के संबंध में दिनांक.....को प्रतिकर एवं अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान किए जाने पर उपरोक्त उल्लिखित भूमि की उपयोक्ता के अधिकार आज दिनांक.....से.....तक उपयोग में लाए जाएंगे। भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने का कार्य विनिर्दिष्ट अवधि में पूर्ण नहीं होने पर कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। बढ़ाई गई अवधि में फसल आय की क्षति यदि कोई हो, तो उसका भुगतान पृथक से किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी

भू-स्वामी/अधिभोगी के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

(1).....नाम, एवं पता

(2).....नाम, एवं पता

प्ररूप—च
(नियम-10 देखिए)

कब्जा वापसी प्रमाण-पत्र

1. मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी घोषणा दिनांक.....के द्वारा.....परियोजना हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने हेतु आपके स्वामित्व/अधिभोग की निम्नलिखित भूमि दिनांक.....से.....तक.....अर्जित की गई है।

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक	भू-स्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि के उपयोग के अधिकार के तहत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने हेतु आवश्यक भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. अधिनियम की धारा 9 के अधीन उक्त भूमि में उपयोक्ता के अधिकार अर्जन हेतु सम्पूर्ण मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। इस विषय में कोई भी देय राशि शेष नहीं है।
3. उक्त समतलीकृत भूमि का कब्जा आज दिनांक को आपको हस्तांतरित किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी

भू-स्वामी/अधिभोगी के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

1.....नाम एवं पता

2.....नाम एवं पता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. एफ 12-20-2012-सात-शा.2 ए.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 12-20-2012-सात-शा.2 ए, दिनांक 29 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th August 2013

No. F. 12-20/2012/Seven/Sec.2a- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct (Bhumi Ki Upyokta Ke Adhikaron Ka Arjan) Adhiniyam, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, makes the following rules, namely :-

RULES

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct (Bhumi Ki Upyokta Ke Adhikaraon Ka Arjan) Niyam, 2013.

(2) They extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct (Bhumi Ki Upyokta Ke Adhikaron Ka Arjan) Adhiniyam, 2012 (No. 5 of 2013),
- (b) "Competent Authority" means the officer authorized as Competent Authority under section 2 of the Act;
- (c) "Form" means form appended to these rules;
- (d) "Rules" means rules made under the Act;
- (e) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them in the Act;

3. Appointment of competent authority.- On being proposed the acquisition of right of user in private land to lay the underground pipeline, cable or duct under the Act by the State Government or the Corporation, the State Government may appoint one or more working officers not below the rank of Deputy Collectors as the competent authority for the specified area under clause (a) of section 2 of the Act.

4. Filing of Application.- The application for the acquisition of right of user to lay the underground pipeline, cable or duct in Form A shall be submitted to the competent authority by the State Government or the Corporation, as the case may be. The application shall contain the information of the names of concerned villages, land owner/occupier of the land and name of father/husband, Khasra number and area proposed for acquisition of right of user and the period in which the laying of underground pipeline, cable or duct and shall also contain copies of Panchsala Khasra and the area marked on the map also to be enclosed.

5. Publication of notification and notice to the owner.-

(1) After the receipt of application, the competent authority shall ask the applicant to deposit eighty percent amount of preliminary estimated compensation.

(2) After payment of such amount as demanded under sub-rule (1), the competent authority shall declare his intention by notification in the official gazette in Form B that in the public interest the acquisition of right of user is necessary to lay the underground pipeline, cable or duct. This notification shall be published and affixed in the following places as well as in the official Gazette-

- (a) on the notice board of the office of the Collector;
- (b) on the notice board of the office of the Competent Authority;
- (c) on the notice board of the office of the Tehsildar;

- (d) on the notice board of the office of the concerned Gram Panchayat;
- (e) on the place of usual public gathering of concerned village; and
- (f) in the daily news papers circulated in that locality from which one shall be in Hindi.

(3) The Competent Authority shall serve the notice to the land owner/occupier regarding the acquisition of right of user in private land. The notice in Form-C may be served :-

- (a) in person to the land owner/occupier;
- (b) to any adult person of family of land owner/occupier;
- (c) by registered post to land owners/occupier; and
- (d) by pasting notice on the house or his last known residence of the land owner/occupier.

6. Publication of declaration by competent authority.- After the disposal of objections received within the prescribed period of the publication under sub-section (1) of section 3, the Competent Authority shall publish the declaration in Form 'D' by notification in official Gazette under sub-section (1) of section 4. The right of user in the land mentioned therein shall be vested in the State Government free from all the encumbrances from the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section 4.

7. Assessment of compensation.- (1) After the publication of declaration under sub-section (1) of section 4, the competent authority shall decide the loss of crop income, compensation of trees and other losses from the land mentioned therein for the period of laying of underground pipeline, cable or duct, in the following manner :-

- (a) Any unirrigated land shall be considered as single cropped and irrigated land shall be considered as double cropped. If no crops are taken in last three years, the land shall be deemed as "fallow land" and the loss of crop income shall not be calculated for such land. In other cases, the loss of crop income shall be calculated as follows :-

Calculation of crop income	=	Standard outcome of crop	x	Minimum support price of crop	x	2
----------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------	---	---

- (b) The compensation of trees shall be calculated based on the opinion of Forest/Horticulture Department.
- (c) The calculation of other losses of movable/immovable property shall be based on the opinion of the concerned Department.

(2) In addition to the compensation as referred under rule (1), if any the compensation shall be payable at the rate of fifteen percent of the market value of that land on the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section 4.

(3) If the laying of underground pipeline, cable or duct is not completed within the stipulated period by the State Government or the Corporation, as the case may be, it shall be liable to pay the loss for such additional period which was taken beyond the stipulated period and also be liable for additional payment at the rate of five percent of the market value of that land.

8. Computation of compensation amount. (1) The State Government or the Corporation shall, after setting off the amount which has been already deposited in accordance with sub-rule (1) of rule 5, deposit the compensation amount determined under section 7 to the Competent Authority by cheque within the period of thirty days from the date of declaration under sub-section (1) of section 4.

(2) If the amount of compensation is not deposited within thirty days, the State Government or the Corporation, as the case may be, shall be liable to pay interest thereon at the rate of nine percent from the date on which the compensation had to be deposited till the date of the actual deposit:

Provided that after one hundred twenty days, due to change of time of acquisition of right of use, the Competent Authority may revise the computation of compensation which shall not be less than the amount of computation already decided.

9. Taking of possession on acquisition of right.- The Competent Authority shall obtain the possession certificate in Form 'E' for acquisition of right of user to lay underground pipeline, cable or duct for the specified period from the land owner/occupier at the time of payment of compensation to the land owner/occupier under sub-section (3) of section 11.

10. Restoration of possession.- After laying the underground pipeline, cable or duct, the land shall be levelled and restored as good as before, by the State Government, or the Corporation, as the case may be, and the possession of land shall be handed over the land/occupier by the Competent Authority. In this regard, the Competent Authority shall obtain the possession handing over certificate in Form 'F' from the land owner/occupier.

11. Right of entering for inspection etc.,- After handing over the possession of land to the land owner/occupier, the Corporation who laid the underground pipeline, cable or duct or the persons authorized by the Corporation shall have the power to enter in the land and to the work as found necessary for inspection, maintenance, repair, replacement or removal the underground pipeline, cable or duct.

12. Cost of court case shall be borne by the State Government or Corporation.- All payment/cost and payable amount under the

decree/decision passed by the Court in the court case arising out of acquisition of right of user in land or payment of compensation under the Act shall be borne by the State Government or the Corporation, as the case may be.

13. Execution of agreement.- The State Government may execute an agreement with the Corporation regarding the payment of establishment expenditure, office expenditure and other expenditures of the office of the Competent Authority.

14. Issue of instruction.- The State Government may issue instructions for removal of any difficulties regarding implementation of the provisions of the Act and the Rules framed thereunder from time to time.

Form-A
(see rule 4)

To,

The Competent Authority,
.....
.....

Subject: Application for Acquisition of Right of User in Private land under the Act.

There is proposal to lay Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct from..... Tehsil.....District to Tehsil.....District for transportation offor.....Project. The land details and map of proposed land for acquisition to lay Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct for the said project is enclosed herewith.

Therefore, an action to be taken for acquisition of right of user in private land described in the enclosed details under the Act.

Enclosure:- Details

.....
Applicant

Details

S.No.	Name of Village/Patwari Circle Number	Name of land owner/occupier	Khasra No.	total area (in hectare)	Land required for Right of User for laying Bhumigat Pipeline Cable (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Form-B

[Sec sub-rule (2) of rule 5]

No.....,Whereas, it appears to the State government that it is necessary in the public interest that for the transportation offrom village Tehsil,District to.....Tehsil,.....District in Madhya Pradesh State, a Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct should be laid by the M/s.....

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said underground pipeline, cable and duct, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said underground pipeline, cable and duct is proposed to be laid which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct (Bhui Ki Upyokta Ke Adhikaron Ka Arjan) Adhiniyam, 2012 (No. 5 of 2013). The State Government, hereby, declare its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days the date on which the publication of notification in the official Gazette under sub-section (1) of section 3 of the Act, object in writing to the laying of Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct under the land to the Competent Authority.....Madhya Pradesh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/Patwari Circle Number	Khasra No.	Land to be acquired for Right of User (in hectare)

Competent Authority

Form-C
[see rule 5 (3)]

A Notification No.....dated.....has been published in the Gazette regarding declaration of the intention of the State Government to acquire the right of user in the following land of your ownership/occupancy to lay Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct for theproject under sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Avam Duct (Bhumi Ki Upyokta Adhikaraon Ka Arjan) Adhiniyam, 2012 (No. 5 of 2013).

District	Tehsil	Village/Patwari Circle Number	Khasra No.	Land to be acquired for Right of User (in hectare)

Therefore, you are hereby informed under rule 5(2) framed under the Act, that is proposed to acquired the right of user in the land of your ownership/occupancy, by the State Government.

Date.....
Place.....

Competent Authority

Form-D
(see rule 6)

Whereas by notification of the Competent Authority No.....Date.....issued under sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct (Bhumi Ki Upyokta Ke Adhikaron Ka Arjan) Adhiniyam, 2012 (No. 5 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to the notification for the purpose of laying the Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct for transportation of.....from villageTehsil.....District tovillage.....Tehsil,.....District for..... Project by.....

And that notification published in the official Gazette on.....and with publishing the notification on the notice board of the office of the Collector, Competent Authority, Tashildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/Patwari Circle Number	Khasra No.	Land to be acquired for Right of User (in hectare)

Competent Authority

Form-E
(see rule 9)

Possession Certificate

1. As per declaration dated.....issued under sub-section (1) of section 4 of the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct (Bhumi Ki Upyokta Ke Adhikaraon Ka Arjan) Adhiniyam, 2012 (No. 5 of 2013) the following land of your ownership/occupancy shall be used by.....for the laying of Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct for.....project.

S.No	Name of Village/Patwari Circle Number	Name of land owner/occupier	Kharsa No.	Land to be acquired Right of User for Bhumigat Pipeline Cable Avam Duct (in hectare)
(10)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. The compensation determined loss of income of crops, trees and other losses under section 9 of the Act.

S.No.	Type of compensation				Total payable amount of compensation	Date of receipt of compensation
	Compensation of loss income of crops	Compensation of trees	Compensation of loss of other assets	Additional compensation of land		

3. The Right of User in land shall be utilized from today dated.....upto.....for which the payment of compensation and additional compensation has been paid to you on dated.....for acquisition of right of user in above mentioned land. If the work of laying Bhumigat Pipeline, Cable

Avam Duct should not be completed in specified period, the working period can be extended. In the extended period the compensation of loss of income of crops if any, shall be paid separately.

Signature of land owner/occupier
Signature of two witness.

Competent Authority

1.....Name & address
2..... Name & Address

Form-F
(see rule 10)

Possession Return Certificate

- As per declaration datedissued under sub-section (1) of section 4 of the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct (Bhumi Ki Upyokta Ke Adhikaraon Ka Arjan) Adhiniyam, 2012 (No. 5 of 2013), the following land of your ownership/occupancy has been acquired from the dateto dated.....for the laying of Bhumigat Pipeline, Cable Avam Duct for.....project.

S.No.	Name of Village/Patwari Circle Number	Name of land owner/occupier	Kharsa No.	Land to be acquired Right of User for Bhumigat Pipeline Cable Avam Duct (in hectare)
(10)	(2)	(3)	(4)	(5)

- Under section 9 of the Act, the total compensation payment has been paid for acquisition of right of User in the above land. There is no any balance of payable amount in this regard.
- The possession of above levelled land is handed over to you today dated.....

Signature of land owner/occupier
Signature of two witness.

Competent Authority

1.....Name & address
2..... Name & Address

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

भाग ४ (ग) अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल
पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, विट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013

मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013

क्रमांक-2164-म.प्र.वि.नि.आ-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (2) (टी) सहपठित धारा 43 (1), धारा 181 (2 एक्स) सहपठित धारा 44, धारा 48 (बी) तथा धारा 50 एवं धारा 56 तथा मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (जे) के अन्तर्गत प्रदत्त किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2004 को दिनांक 16-4-2004 को अधिसूचित किया गया था, जिसे तत्पश्चात् समय-समय पर संशोधित किया गया। आयोग ने अब उपरोक्त संहिता की पुनर्संरचना करने का निर्णय लिया है। अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्न विद्युत् प्रदाय संहिता बनाता है, जिसे “मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013” के नाम से जाना जाएगा।

अध्याय—1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा तथा प्रारंभ (Short Title, Extent and Commencement)

- 1.1 यह संहिता “मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 [क्रमांक आरजी—I (i), वर्ष 2013]” कहलायेगी।
- 1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।
- 1.3 यह संहिता सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगी।
- 1.4 यह संहिता ऐसे समस्त व्यक्ति, जो विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 14 के अन्तर्गत विद्युत् पारेषण तथा प्रदाय के व्यवसाय में संलग्न है, के साथ-साथ विद्युत् उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी।

अध्याय – 2 परिभाषाएँ (Definitions)

- 2.1 इस संहिता में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो :
- (ए) "अधिनियम(Act)" से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) जैसा कि इसे समय-समय पर प्रवृत्त किया जाए;
- (बी) "अनुबंध (Agreement)" से तात्पर्य अपने व्याकरणिक विभेदों और समीपी अभिव्यक्तियों के साथ इस संहिता के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य किये गये अनुबंध से है;
- (सी) "उपकरण (Apparatus)" से तात्पर्य विद्युत उपकरण से है और इसमें सभी यंत्र, आवश्यक यंत्र, उपसाधन और उपकरण सम्मिलित हैं जिनमें विद्युत चालकों (Conductors) का प्रयोग किया जाता है ;
- (डी) "विद्युत प्रदाय का क्षेत्र (Area of Supply)" का तात्पर्य उक्त भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये प्राधिकृत किया गया है;
- (ई) "प्राधिकृत भार (Authorised Load)" का तात्पर्य किसी निम्नदाब उपभोक्ता के संबंध में अनुमानित भार (estimated load) से है जिसका उपयोग किसी उपभोक्ता द्वारा किसी माह के दौरान उपभोक्ता परिसर में विद्युत संयोजन से किया जा सकता है। इसे 0.5 किलोवाट के गुणज (multiple) में अभिव्यक्त किया जाएगा तथा 75 यूनिट प्रति आधा किलोवाट प्रतिमाह खपत पर आधारित होगा। प्राधिकृत भार उपभोक्ता परिसर में स्वीकृत भार (sanctioned load) से कम अथवा इससे अधिक हो सकता है तथा इस पर निम्नदाब परिसर के अन्तर्गत कुल संयोजित भार को प्राक्कलित करने के प्रयोजन से विचार नहीं किया जाएगा;
- (एफ) "प्राधिकृत अधिकारी (Authorised Officer)" से तात्पर्य है राज्य सरकार/आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (जी) "बिलिंग मांग (Billing demand)" किसी श्रेणी के लिये इसकी गणना मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत-दर आदेश (Tariff order) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;
- (एच) "बिलिंग माह (Billing month)" से तात्पर्य दो मापयन्त्र (मीटर) वाचनों के मध्य तिथियों के अंतर्गत दिवस संख्या की अवधि से है जिसे उपभोक्ता को बिलिंग के प्रयोजन से एक माह की अवधि पर विचार करते हुए माना गया है;
- (आई) "व्यवधान (Breakdown)" से तात्पर्य है विद्युत तन्तुपथ (लाइन) सहित विद्युत प्रदाय प्रणाली के उपकरण से संबंधित कोई घटना जो इसकी सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती हो ;
- (जे) "संहिता (Code)" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, जैसा कि वह समय-समय पर प्रवृत्त हो ;
- (के) "आयोग (Commission)" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission);
- (एल) "चालक (Conductor)" से तात्पर्य है ऐसा कोई तार/तन्तु (wire), केबल (cable), छड़ (bar), नलिका (tube), पट्टी (rail) या पट्टी (plate) जिसे विद्युत ऊर्जा के चालन में प्रयुक्त किया जाता हो तथा जिसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता हो कि उसे वैद्युतिक रूप से प्रणाली से संयोजित किया जा सके ;
- (एम) "संयोजित भार (Connected Load)" का तात्पर्य उपभोक्ता के परिसर में निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुसार स्थापित ऊर्जा खपत के उन सभी विद्युत उपकरणों के विद्युत भार के कुल योग से है जिन्हे एक साथ उपयोग

किया जा सकता हो। इसकी अभिव्यक्ति किलोवॉट (KW), किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA) या अश्वशक्ति (HP) इकाईयों में की जायेगी और इसका निर्धारण संहिता की 'स्थापनाओं की विद्युत क्षमता का निर्धारण' संबंधी खण्ड में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

- (एन) "उपभोक्ता (Consumer)" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय किया गया हो एवम् इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसके परिसर को अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से तात्कालिक रूप से संयोजित किया गया हो या ऐसा व्यक्ति जिसने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया हो या ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विद्युत प्रदाय की सुविधा उपलब्धता की विधिवत सूचना के उपरान्त भी विद्युत प्रदाय की सुविधा प्राप्त न की गई हो, या जिसका विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया गया हो। कोई भी उपभोक्ता -
- (i) 'निम्नदाब उपभोक्ता (L.T.Consumer)' होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से निम्न वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो,
 - (ii) 'उच्चदाब उपभोक्ता (H.T.Consumer)' होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो,
 - (iii) 'अति उच्चदाब उपभोक्ता (E.H.T.Consumer)' होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;
- (ओ) "उपभोक्ता की स्थापना (Consumer's installation)" से तात्पर्य है कोई भी संयुक्त विद्युत इकाई जिसमें विद्युत तन्तु/तार, फिटिंग, मोटरें, उपकरण, चलित या स्थायी रूप से शामिल है जिसे उपभोक्ता या उसके लिये उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली के माध्यम से स्थापित किया गया हो ;
- (पी) "संविदा मांग(Contract demand)" से तात्पर्य है यथास्थिति किलोवॉट या किलोवोल्ट एम्पीयर या अश्वशक्ति में अधिकतम भार (maximum load) जिसे प्रदाय किए जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत हुआ हो और जिसके लिये उपभोक्ता ने अनुबंध निष्पादित किया हो एवम् जैसा कि वह अनुबंध में उल्लेखित हो ;
- (क्यू) "कट-आउट(Cut-out)" से तात्पर्य है कोई उपकरण/साधन जो विद्युत तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत-प्रवाह (current) की पूर्व निर्धारित मात्रा से अधिक होने की दशा में स्वचालित रूप से विद्युत प्रदाय को अवरुद्ध करता है एवम् इसमें गलने वाले तार का कट-आउट (fusible cut-out) भी सम्मिलित होगा;
- (आर) "विद्युत प्रदाय प्रारम्भ करने की तिथि (Date of commencement of supply)" से तात्पर्य उस तिथि से है जो इच्छुक उपभोक्ता को दी गई विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के बारे में सूचना-पत्र में सूचित की गई अन्तिम तिथि के उपरान्त पड़ने वाली प्रथम तिथि अथवा विद्युत प्रदाय की वास्तविक तिथि, इन में से जो भी पहले घटित हो;
- (एस) "वितरण प्रसंवाही (Distribution main)" से तात्पर्य है विद्युत वितरण प्रणाली का वह भाग जिससे सेवा-तन्तुपथ (service line)" को जोड़ा गया है या जोड़ा जाना प्रस्तावित है;
- (टी) "वितरण प्रणाली(Distribution system)" से तात्पर्य पारेषण प्रणाली या विद्युत उत्पादक स्टेशन संयोजन (connection) के वितरण बिन्दुओं (delivery points) तथा उपभोक्ताओं के संयोजन बिन्दु के बीच तन्तुपथ प्रणाली (system of wires) तथा संबद्ध सुविधाओं से है;
- (यू) "भू-योजित या भूमि से संयोजित (Earthed or Connected with earth)" से तात्पर्य है विद्युत प्रणाली को सामान्य भूमि के द्रव्यमान (mass) से इस प्रकार संयोजित करना कि विद्युत प्रवाह की उन्मुक्ति (discharge) तत्काल एवं प्रभावी रूप से बगैर किसी संकट के हो सके ;

- (व्ही) "विद्युत तन्तुपथ (Electric line)" से तात्पर्य ऐसे तन्तुपथ (line)/केबल से है जिसका उपयोग विद्युत-प्रवाह के लिये किया जाता है एवं इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-
- ऐसे तन्तुपथ हेतु कोई भी आलम्ब (support) जैसे कोई संरचना, स्तंभ (tower), खंभा (pole) या कोई अन्य वस्तु, जिस पर, जिसके द्वारा या जिससे ऐसे तन्तुपथ (लाईन) को आधार प्रदान किया गया हो या ले जाया गया हो या लटकाया गया हो, और
 - कोई उपकरण (apparatus) जिसे ऐसी लाईन से विद्युत प्रवाह के वहन हेतु संयोजित किया गया हो;
- (डब्ल्यू) "विद्युत निरीक्षक (Electrical Inspector) अथवा निरीक्षक (Inspector)" से तात्पर्य है विद्युत निरीक्षक जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 2(21) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया हो ;
- (एक्स) "ऊर्जा(Energy)" से तात्पर्य है ऐसी विद्युत ऊर्जा-
- जो किसी भी प्रयोजन के लिए उत्पादित, पारेषित अथवा प्रदाय की जा रही हो, अथवा
 - जो किसी संदेश के संप्रेषण को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही हो ;
- (वाय) "ऊर्जा प्रभार(Energy charge)" का तात्पर्य उस प्रभार से है जिसे उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा {विद्युत-दर के अनुसार किलोवॉट घंटा (kWh) या किलोवोल्ट एम्पीयर घंटा (kVAh)} के आधार पर आरोपित किया जा रहा हो;
- (जेड) "अति उच्च वोल्टेज(Extra High Voltage)" का तात्पर्य उस वोल्टेज से है जो 33,000 वोल्ट से अधिक है, जो तथापि, इस संहिता में अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगा;
- (एए) वित्तीय संस्था (Financial Institution) का तात्पर्य निम्न से है :
- "बैंकिंग कम्पनी (Banking Company)" का तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10, वर्ष 1949) की धारा 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत इस हेतु निर्धारित अभिप्राय से है ;
 - कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था जो कम्पनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1, वर्ष 1956) की धारा 4ए के अभिप्राय के अन्तर्गत आती हो ;
 - बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (क्रमांक 51, वर्ष 1993) की धारा 2 के खण्ड (एच) के उपखण्ड (ii) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई संस्था ;
 - अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्त तथा विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (क्रमांक 42, वर्ष 1958) के अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ; तथा
 - अन्य कोई संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी जैसा कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (क्रमांक 2, वर्ष 1934) की धारा 45-I के खण्ड (एफ) में परिभाषित किया गया है, जैसा कि इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजन से निर्दिष्ट किया जाए।
- (बीबी) "स्थाई प्रभार (Fixed Charge)" किसी बिलिंग अवधि के संदर्भ में तात्पर्य संविदा मांग (contract demand) या अधिकतम मांग (maximum demand) पर उपभोक्ता आधारित आरोपित प्रभारों से है तथा इसकी गणना आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत-दर आदेश (Tariff Order) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

- (सीसी) "समूह प्रयोक्ता (Group user)" का तात्पर्य म.प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समूह गृह निर्माण संस्था या उसके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति से है;
- (डीडी) "हारमोनिक्स (Harmonics)" से तात्पर्य किसी आवर्ती तरंग (periodic wave) के घटक से है जिसकी आवृत्ति (frequency) 50 हर्ट्ज आवृत्ति आधारभूत विद्युत प्रदाय तन्तुपथ का समाकलन गुणज (integral multiple) है जो वोल्टेज या विद्युत-प्रवाह के पूर्ण शिरानालाभ तरंग आकार (pure sinusoidal wave form) में विकृति निमित्त करती है तथा इसे आईईईई एसटीडी 519-1992, नामतः "IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems" जो विद्युत ऊर्जा प्रणाली में हार्मोनिक नियन्त्रण के अनुशंसित संव्यवहार तथा अर्हताओं से संबद्ध है, के तत्संबंधी मानकों से है जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 185 की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है;
- (ईई) "उच्च वोल्टेज(High Voltage-HV)" से तात्पर्य सामान्य परिस्थितियों में 50 चक्रों (cycles) पर 650 वोल्ट से अधिक तथा 33,000 वोल्ट तक के वोल्टेज से है जो, तथापि, इस संहिता में अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगा;
- (एफएफ) "अनुबंध की प्रारंभिक अवधि (Initial period of agreement)" का तात्पर्य विद्युत प्रदाय प्रारम्भ करने की तिथि से माह के अन्त तक की अवधि से है जिस हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है ;
- (जीजी) "स्थापना (Installation)" से तात्पर्य ऐसी संयुक्त विद्युत इकाई से है जिसे विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपांतरण, पारेषण, परिवर्तन अथवा उपभोग के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाता हो;
- (एचएच) "अनुज्ञप्तिप्राप्त विद्युत ठेकेदार (Licensed Electrical Contractor)" से तात्पर्य उस ठेकेदार से है जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ;
- (आईआई) "निम्नदाब वोल्टेज (Low Voltage-LV)" से तात्पर्य उस वोल्टेज से है जो सामान्य परिस्थितियों में 50 साईकल्स प्रति सेकण्ड के अन्तर्गत 650 वोल्ट से अधिक न हो जो, तथापि, इस संहिता में अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगा ;
- (जेजे) "अधिकतम मांग (Maximum Demand)" की गणना किसी उपभोक्ता श्रेणी के संबंध में वितरण तथा खुदरा विद्युत-दर आदेश (Tariff Order) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;
- (केके) "मापयन्त्र (Meter)" से तात्पर्य है वह उपकरण, जिसे विद्युत मात्राओं जैसे कि ऊर्जा को किलोवाट घंटे (kWh) या किलोवोल्ट एम्पीयर घंटे (kVAh) में, उच्चतम मांग को किलोवाट या किलोवोल्ट एम्पीयर में, प्रतिक्रिय ऊर्जा (reactive energy) को रियेक्टिव किलोवोल्ट एम्पीयर घंटे (kVAR hours) इत्यादि के मापन के लिये उपयोग किया जाता है एवं जहां इन्हें करन्ट ट्रांसफार्मर (CT), पोर्टेशियल ट्रांसफार्मर (PT) जैसे सहायक उपकरण, केबल तथा मापयन्त्र (मीटर) के साथ प्रयुक्त किया गया हो, शामिल होंगे जहां इसका उपयोग मापयन्त्र को रखने के लिये या स्थापित करने के लिये प्रयुक्त बॉक्स या इससे संबंधित सहायक उपकरण जैसे कि स्विच, एमसीबी/भार नियन्त्रक (load limiter) या सुरक्षा एवं परीक्षण हेतु लगाये गये अन्य उपकरण या द्राव्य (फ्यूज) इत्यादि के साथ प्रयोग किया गया हो;

- (एलएल) "अधिभोगी (Occupier)" का तात्पर्य किसी परिसर के स्वामी या उसके अधिभोगी या उस व्यक्ति से है जिसके परिसर में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा हो या उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो ;
- (एमएम) "शिरोपरि तन्तुपथ (Overhead line)" से तात्पर्य है विद्युत प्रदाय का ऐसा तन्तुपथ (line) जिसे भूमि से ऊपर तथा खुले वायुमण्डल में स्थापित किया गया है लेकिन रेलवे कर्षण प्रणाली (rail traction system) की विद्युन्मय रेलें इसमें शामिल नहीं होंगी ;
- (एनएन) "व्यक्ति(Person)" से तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा किसी परिसर अथवा स्थान के अधिवासी अथवा धारक से है जो उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है तथा इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे कोई कंपनी अथवा निगमित निकाय अथवा संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय जो निगमित अथवा अनिगमित हो अथवा विधिसम्मत विधिक व्यक्ति हो;
- (ओओ) "ऊर्जा-कारक (Power Factor)" का तात्पर्य औसत मासिक ऊर्जा-कारक (Power Factor) से है तथा इसे माह के दौरान प्रदाय किये गये कुल किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर घंटे के अनुपात में प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा ; इस प्रतिशत को दशमलव के दो पूर्णांकों में व्यक्त किया जाएगा जिसके अनुसार दशमलव के तीसरे स्थान पर 5 या इससे अधिक की संख्या होने पर इसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक अधिक कर पूर्णांक किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में जहां किलोवाट घंटे या किलोवाट एम्पीयर घंटे का वाचन उपलब्ध न हो तो किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव घंटे के वाचन के आधार पर ऊर्जा कारक की गणना की जाएगी, यदि मापयंत्र (मीटर) में किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव घंटे अभिलेखित करने की सुविधा उपलब्ध हो;
- (पीपी) "सेवा-तन्तुपथ (Service-line)" का तात्पर्य ऐसे विद्युत प्रदाय तन्तुपथ (electric supply-line) से है, जिससे विद्युत प्रदाय निम्नलिखित को किया जा रहा हो या किया जाना प्रस्तावित हो :-
- विद्युत प्रदायकर्ता के परिसर से सीधे या वितरण प्रसंवाही (distribution main) से किसी एकल उपभोक्ता को, या
 - एक ही परिसर में स्थित उपभोक्ताओं के समूह को किसी वितरण प्रसंवाही (distribution main) से या वितरण प्रसंवाही के एक ही बिन्दु से सटे हुए परिसरों को;
- (क्यूक्यू) "प्रणाली(System)" का तात्पर्य ऐसी विद्युत प्रणाली से है, जिसमें समस्त संवाहक (conductors) और उपकरण (apparatus) एक विद्युत प्रदाय के सांझे स्रोत से वैद्युतिक तौर पर संयोजित किये गये हों;
- (आरआर) "विद्युत की चोरी(Theft of Electricity)" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत नियत किया गया हो।
- 2.2 उपर्युक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त जो भी परिभाषिक एवं अन्य शब्द इस संहिता में प्रयुक्त किये हैं, परन्तु इस संहिता में परिभाषित नहीं किये गये हैं, का तात्पर्य अधिनियम में इनसे संबंधित दी गई परिभाषा से होगा। अन्य परिभाषिक शब्द जो इस संहिता में उपयोग किये गये हैं, परन्तु इस संहिता या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किये गये हैं, परन्तु यदि उन्हें संसद द्वारा किसी अन्य विधि में परिभाषित किया गया हो, जो राज्य में विद्युत उद्योग को लागू हो एवं टैरिफ आदेश में वर्णित हो, का तात्पर्य ऐसी विधि में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

अध्याय-3 :विद्युत प्रदाय प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण (System of Supply and Classification of Consumers)

विद्युत प्रदाय प्रणाली (System of Supply)

- 3.1 प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह(Alternating Current-AC) की घोषित आवृत्ति (Frequency) 50 साईकल प्रति सेकण्ड होगी ।
- 3.2 प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह प्रदाय की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार होगी :
- (अ) निम्नदाब(Low Tension-LT)
- (i) एकल फेज(Single Phase) : फेज और अनाविष्ट(neutral) के मध्य 230 वोल्ट
- (ii) तीन फेज(Three Phase) : फेजों के मध्य 400 वोल्ट
- (ब) उच्चदाब(High Tension-HT)-तीन फेज(Three Phase): फेजों के मध्य 11किलोवोल्ट या 33 किलोवोल्ट.
- (स) अति उच्चदाब(Extra High Tension-EHT)-तीन फेज (Three Phase): फेजों के मध्य 33 किलोवोल्ट से अधिक ।

रेलवे कर्षण (Railway Traction) के लिए दो फेज पर विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा ।

- 3.3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण प्रणाली का रूपांकन तथा संचालन पारेषण प्रणाली के सहयोजन अनुसार किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिन्दु पर वोल्टेज की घोषित मात्रा को निम्नानुसार दी गई सीमा से अनाधिक तक का अंतर अनुज्ञेय नहीं करेगा, अर्थात:
- (अ) निम्नदाब वोल्टेज के प्रकरण में-दोनों पक्षों की ओर 6 प्रतिशत से अनाधिक तक
- (ब) उच्चदाब वोल्टेज के प्रकरण में 33 किलोवोल्ट तक- उच्च पक्षीय तौर पर 6 प्रतिशत से अनाधिक तक एवं निम्न पक्षीय तौर पर 9 प्रतिशत से अनाधिक तक
- (स) अति उच्चदाब वोल्टेज के प्रकरण में -उच्च पक्षीय तौर पर 10 प्रतिशत से अनाधिक तक तथा निम्नपक्षीय तौर पर 12.5 प्रतिशत से अनाधिक तक

उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की वोल्टेज(Voltage of Supply to Consumers)

- 3.4 विभिन्न संविदा मांगों के लिए विद्युत प्रदाय की वोल्टेज सामान्यतः निम्नानुसार होगी:

विद्युत प्रदाय वोल्टेज (Supply Voltage)	न्यूनतम संयोजित भार (Minimum Connected Load)	उच्चतम संयोजित भार अथवा संविदा मांग (Maximum Connected Load or Contract Demand)
230 वोल्ट	-	3 किलोवाट

विद्युत प्रदाय वोल्टेज(Supply Voltage)	न्यूनतम संयोजित भार (Minimum Connected Load)	उच्चतम संयोजित भार अथवा संविदा मांग(Maximum Connected Load or Contract Demand)
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	(i) माँग आधारित टैरिफ* : 150 अश्वशक्ति (HP) (112 किलोवाट) संविदा मांग संयोजित भार की बिना किसी उच्चतम सीमा के, जो संयोजित भार पर आधारित विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार के भुगतान के अध्याधीन होगा (ii) संयोजित भार आधारित टैरिफ: 150 अश्वशक्ति (HP) संयोजित भार

* नोट : 150 अश्वशक्ति तक की संविदामांग में वृद्धि करने पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे, जो उस संयोजित भार तक सीमित होंगे जिसके लिये विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो।

विद्युत प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
11 किलोवोल्ट	50 किलोवोल्ट एम्पीअर	300 किलोवोल्ट एम्पीअर
33 किलोवोल्ट	100 किलोवोल्ट एम्पीअर	10,000 किलोवोल्ट एम्पीअर
132 किलोवोल्ट	5000 किलोवोल्ट एम्पीअर	50000 किलोवोल्ट एम्पीअर
220 किलोवोल्ट या इससे अधिक	40000 किलोवोल्ट एम्पीअर	—

परन्तु, यदि अनुज्ञप्तिधारी सन्तुष्ट हो कि उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों से विचलन के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है तथा इस प्रकार किया गया विचलन तकनीकी तौर पर साध्य है तो वह इसके लिये कारणों को लिखित में अभिलेखित करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

उपभोक्ताओं का वर्गीकरण (Classification of Consumers)

- 3.5 प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, विद्युत-दर (टैरिफ) तथा विद्युत प्रदाय की शर्तें, आयोग द्वारा समय-समय पर विद्युत-दर आदेश में अथवा अन्यथा निर्धारित किये जाएंगे।

अध्याय-4 नवीन विद्युत प्रदाय (New Power Supply)

अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय संबंधी दायित्व (Licensee's Obligation to Supply)

- 4.1 अनुज्ञप्तिधारी उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी (Owner) अथवा अधिभोगी (Occupier) से आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे परिसर को इस संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय करेगा, जबकि
- (अ) विद्युत प्रदाय तकनीकी रूप से साध्य हो,
- (ब) उपभोक्ता द्वारा इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का परिपालन किया गया हो, तथा
- (स) उपभोक्ता द्वारा इस संहिता में विनिर्दिष्ट किये गये विद्युत प्रदाय तथा सेवाओं का मूल्य वहन करने के लिए सहमत व्यक्ति की गई हो।

अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत वितरण प्रणाली के विस्तार का दायित्व तथा उपभोक्ता का लागत में अंशदान (Licensee's obligation to extend the Distribution System and Consumers Share in the Cost)

- 4.2 अनुज्ञप्तिधारी सामान्यतः अपने वार्षिक राजस्वों अथवा उसके द्वारा व्यवस्था की गई निधि के माध्यम से वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए प्रणाली के सशक्तीकरण/उन्नयन की लागत को वहन करेगा और इस लागत की वसूली उपभोक्ताओं से विद्युत-दर (टैरिफ) के माध्यम से की जाएगी।
- 4.3 नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए वितरण प्रसंवाही (distribution main) के विस्तार और/या तथा प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत का उपभोक्ता द्वारा भुगतान मय विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) आदि के मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में किये गये उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।
- 4.4 उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय के बिन्दु तक स्थापित की गई अधोसंरचना जो मापयन्त्र बिन्दु (metering point) तक उपभोक्ता के परिसर के बाहर या अन्दर स्थित हो, भले ही इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया गया हो, समस्त प्रयोजनों के लिये अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी। अनुज्ञप्तिधारी इसका संधारण (रख-रखाव) अपने स्वयं के व्यय पर करेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह इस सेवा संयोजन (service connection) का उपयोग इसके विस्तार (extension) द्वारा या निकासी (tapping) द्वारा इनकी क्षमता में आवर्धन (augmentation) द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से करे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार किया गया विस्तार या निकासी या आवर्धन विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता या सेवा की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करता हो।
- 4.5 जब अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रसंवाही (distribution main) का विस्तार कार्य पूर्ण करता है और विद्युत प्रदाय के लिए तैयार हो, तो वह अनुबन्ध में किये गये उल्लेखानुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति की प्राप्ति हेतु उसे एक सूचना-पत्र तामील करेगा। यदि उपभोक्ता सूचना-पत्र की अवधि के भीतर

विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में चूक करता है तो सूचना-अवधि की समाप्ति की तिथि के दूसरे दिन से अनुबंध प्रभावशील हो जायेगा तथा तत्पश्चात उपभोक्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार समस्त प्रभारों के भुगतान का देनदार होगा।

उपभोक्ताओं द्वारा निष्पादित कराया गया सेवा संयोजन/विस्तार कार्य (Service Connection/Extension Work got done by Consumers)

- 4.6 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से अपने परिसर तक सेवाप्रदाय तन्तुपथ (service line) स्थापित करने का कार्य "सी" श्रेणी या इससे उच्च श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा उच्च वोल्टेज तन्तुपथ, वितरण या उच्चदाब उपकेन्द्र और निम्नदाब सेवा तन्तुपथ के विस्तार का कार्य "ए" श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा अनुमोदित नक्शे के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत करवा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपभोक्ता को स्वयं सामग्री की अधिप्राप्ति करनी होगी। सामग्री सुसबद्ध भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों या इसके समतुल्य के अनुरूप होनी चाहिए तथा, जहां लागू हो, आई.एस.आई. चिह्नित होनी चाहिए। इस के लिये अनुज्ञप्तिधारी उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए लिखित साक्ष्य की मांग भी कर सकेगा। उपभोक्ता को पर्यवेक्षण प्रभारों (supervision charges) का भुगतान मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग(विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में निर्दिष्ट अनुसार करना होगा।
- 4.7 यदि उपभोक्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने में चूक करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को 15 दिवस की सूचना देकर विद्युत आपूर्ति का आवेदन निरस्त कर सकेगा तथा ऐसा होने पर उपभोक्ता को पुनः इस हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन (Requisition for Supply)

- 4.8 विद्युत ऊर्जा के नवीन प्रदाय अथवा अतिरिक्त प्रदाय का निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप (परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2) अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे उपभोक्ता द्वारा दो प्रतियों में जमा करना होगा। उपभोक्ता द्वारा कोरे आवेदन प्ररूप की छायाप्रतियों या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट से प्राप्त किए गए आवेदन प्ररूप का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- 4.9 परिसर, जिसके लिए विद्युत की आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है, के अधिभोगी द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवेदन में उसका पूरा नाम, पता तथा दूरभाष क्रमांक (यदि उपलब्ध हो) और अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसके द्वारा विद्युत तन्तुपथ स्थापना (Wiring) की जाएगी, का नाम व पता भी दर्शाया जाएगा, किन्तु अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। आवेदन-पत्र भरने में उपभोक्ता द्वारा चाही गई आवश्यक किसी प्रकार की सहायता या जानकारी, अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

- 4.10 उपभोक्ता को अपने विद्युत प्रदाय आवेदन-पत्र के साथ वांछित अभिलेख, संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन के उद्देश्य से आवेदक से मूल अभिलेखों की भी मांग की जा सकती है। उपभोक्ता को अपने आवेदन में यह भी सूचित करना होगा कि सेवा तन्तुपथ (service line) और विस्तार कार्य यदि कोई हो, का क्रियान्वयन उपभोक्ता द्वारा स्वयं कराया जायेगा अथवा इसे अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।
- 4.11 ऐसे प्रकरणों में जहां घरेलू और एकल-फेज गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा नवीन संयोजन की स्थापना के प्रयोजन हेतु आवेदक द्वारा परिसर के विधिसम्मत अधिभोगी होने का प्रमाण दिया जाना संभव न हो तो संबंधित विद्युत वितरण वृत्त के प्रभारी द्वारा ऐसे प्रमाण की अर्हता को, इसके कारणों को लिखित में दर्ज कर, समाप्त किया जा सकता है। तथापि, ऐसे उपभोक्ताओं को ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा उनकी नब्बे (90) दिन की अनुमानित औसत खपत के आधार पर प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) की निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इस प्रकार के परिसरों में प्रदाय किये गये विद्युत संयोजनों (या इससे संबंधित अभिलेखों) को परिसर पर किसी भी प्रकार उसके कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी प्रमाण के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। भविष्य में भी, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा परिसर का अधिभोग अवैध रूप से किया जा रहा है तो विद्युत संयोजन को तुरन्त स्थाई तौर पर विच्छेदित किया जा सकेगा।
- 4.12 यदि उपभोक्ता किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो उसके नाम में या उस फर्म या कंपनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक अथवा परिसर के अधिवासी या स्वामी के रूप में संबद्ध रहा हो, पर विद्युत प्रदाय की बकाया या परिसर संबंधी अन्य कोई बकाया राशि है, जिस के लिये एक नवीन संयोजन (कनेक्शन) हेतु आवेदन किया गया हो तथा ऐसी बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय हो, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसके द्वारा बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता। तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन संयोजन का अनुमोदन निम्न प्रकरणों में अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा :
- (i) यदि राज्य शासन द्वारा किसी भी कारण से पट्टे (lease deed) को निरस्त किया जा चुका हो तथा इसे किसी नवीन पक्षकार/उपभोक्ता को आवंटित कर दिया गया हो, तो ऐसी दशा में नवीन पक्षकार/उपभोक्ता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा।
 - (ii) यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसका विक्रय आयकर विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा उसकी बकाया राशि की वसूली बाबत किया गया हो तो ऐसी दशा में नवीन क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा।
 - (iii) यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसकी बिक्री राज्य अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी बकाया राशि की वसूली बाबत की गई हो तो ऐसी दशा में क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा।

- (iv) यदि किसी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण पर रिक्त किये गये शासकीय आवास-गृह/फ्लेट के विद्युत प्रभारों की राशि बकाया छोड़ दी जाती है तो ऐसी दशा में नवीन अधिवासी को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा।
- (v) यदि न्यायालय द्वारा परिसर के संबंध में बकाया राशि की वसूली न किये जाने बाबत कोई विशिष्ट आदेश जारी किया गया हो।

- 4.13 विद्युत प्रदाय के निबन्धनों तथा शर्तों के प्रयोजन से, परिसर में कोई भी भूमि, भवन अथवा संरचना शामिल होगी जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार विद्युत प्रदाय हेतु सहमति व्यक्त की गई हो। तथापि, किसी भी परिसर को पृथक परिसर माना जाएगा तथा प्रत्येक परिसर को पृथक विद्युत प्रदाय बिन्दु प्रदान किया जाएगा, यदि
- (अ) वे सुस्पष्ट स्थापना तथा अमला धारित करते हों; अथवा
- (ब) वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व या पट्टे पर धारित किये जा रहे हों; अथवा
- (स) जो ऐसी किसी विधि के अन्तर्गत अलग-अलग अनुज्ञप्तियों या पंजीकरणों के अंतर्गत आते हों, जहां यह प्रक्रिया लागू हो अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से सुसंबद्ध अभिलेख धारित करते हों, जो उन्हें पृथक से सुस्पष्ट परिसर (घरेलू श्रेणी परिवारों हेतु) के रूप में चिन्हांकित करते हों।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय (Supply to different categories of Consumers)

किसी भी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अर्हता के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष एक आवेदन निर्दिष्ट प्ररूप में पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

(ए) निम्नदाब पर विद्युत प्रदाय (Supply at LT)

- 4.14 अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन करेगा। आवेदक को तत्काल एक लिखित अभिसिद्धि प्रदान की जाएगी। आवेदन अपूर्ण पाए जाने की स्थिति में आवेदन में पाई गई कमियों के बारे में आवेदक को लिखित रूप में तीन कार्यदिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा तथा आवेदक से पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होते ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी लिखित पावती तत्काल आवेदक को प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात्, दो दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना दी जाएगी जो शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी पांच दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी दस दिवस के भीतर होगी।
- 4.15 निरीक्षण के दौरान, आवेदक या उसका प्रतिनिधि अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार (licensed contactor) के साथ स्थल पर उपस्थित रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी :
- (i) विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने का बिन्दु तथा मापयन्त्र (मीटर) एवं कट-आऊट/एमसीबी लगाने का स्थान निर्धारित करेगा।

- (ii) विद्युत प्रदाय के बिन्दु तथा निकटतम वितरण प्रसंवाही (distribution main) जहां से विद्युत प्रदाय किया जा सके, के मध्य की दूरी का आकलन करेगा तथा प्रस्तावित तन्तुपथों (लाईनों) व उपकेन्द्रों की स्थापना का स्थान व विन्यास (layout) निर्धारित करेगा ।
- (iii) किसी स्थान पर विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत तन्तुपथ यदि किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति के ऊपर से होकर गुजरता हो तो इसकी भी जांच करेगा ।
- (iv) आवश्यकतानुसार, आवेदन-पत्र में दिये गये अन्य विवरणों का सत्यापन भी करेगा ।
- 4.16 उपभोक्ता के परिसर का अग्रभाग मार्ग पर स्थित न होने पर तथा अनुज्ञप्तिधारी के वितरण प्रसंवाही (distribution main) से स्थापित किये जाने वाले सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) के लिये या अन्य किसी प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति के लगे हुए परिसर से, उसके ऊपर या नीचे से (लगा हुआ परिसर उपभोक्ता एवं ऐसे उस व्यक्ति के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा न भी हो) उपभोक्ता अपने स्वयं के व्यय पर वितरण तन्तुपथ का निर्माण करने या सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) स्थापित करने के लिये आवश्यक पहुंच-मार्गाधिकार (way leave), अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगा। जब तक मार्गाधिकार (way leave) अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था नहीं हो जाती, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय प्रारंभ नहीं करेगा। मार्गाधिकार (way leave), अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार विद्युत प्रदाय की स्थापना में किया गया अतिरिक्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। मार्गाधिकार (way leave) अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति के निरस्त होने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में सेवा तन्तुपथ (service line) के किसी परिवर्तन अथवा नवीन सेवा तन्तुपथ के प्रावधान, जो इस परिस्थिति में अपरिहार्य हो, की व्यवस्था उपभोक्ता को अपने स्वयं के व्यय पर करनी होगी या उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में इस कार्य की पूर्ण लागत को उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
- 4.17 उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किये मार्गाधिकार (way leave), अनुज्ञप्ति या स्वीकृति के सत्यापन अथवा पर्याप्तता की पुष्टि करने का पूर्ण दायित्व स्वयं उपभोक्ता का होगा।
- 4.18 विद्यमान प्रसंवाही (mains) से विद्युत प्रदाय किया जाना संभव होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) की राशि, सेवा तन्तुपथ स्थापित करने की राशि, एवं अन्य लागू प्रभारों की राशि का एक मांग-पत्र उपभोक्ता को निरीक्षण के सात दिवस के भीतर प्रेषित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित करने की सूचना भी दी जाएगी। उपभोक्ता द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
- 4.19 यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से वितरण प्रसंवाही (distribution main) का विस्तार करना या उपकेन्द्र क्षमता का आवर्धन करना आवश्यक हो तो वितरण प्रसंवाही के विस्तार की राशि, प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit), सेवा तन्तुपथ (service line) स्थापित करने की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग-पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा एवं

उपभोक्ता को किन्हीं अन्य अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता की सूचना भी उपभोक्ता को प्रेषित करेगा। ऐसे प्रकरणों में जहां वितरण प्रसंवाही व सेवा तन्तुपथ इत्यादि के विस्तार का कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जाना अपेक्षित हो, उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क में वितरण प्रसंवाही एवं सेवा तन्तुपथ के विस्तार कार्य पर पर्यवेक्षण शुल्क एवं अन्य लागू प्रभार शामिल होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित करने की सूचना भी दी जाएगी। उपभोक्ता द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विनिर्दिष्ट प्ररूप में परीक्षण-प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करने हेतु सूचित करेगा।

4.20 उपभोक्ता द्वारा 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने में चूक किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी अगले 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु उसको सूचना देगा, जिसका परिपालन न किये जाने पर उसका विद्युत आपूर्ति का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। तत्पश्चात्, विद्युत प्रदाय अथवा अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, जैसा भी प्रकरण हो, के लिए उपभोक्ता को पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4.21 उपभोक्ता द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा यह सूचित करने के बाद कि सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) तथा विस्तार कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को तीन दिवस में स्थापना का परीक्षण करने की तिथि की सूचना देगा। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि परीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसने तन्तुपथ स्थापना (वायरिंग) का कार्य किया है, स्थल पर उपस्थित रहे।

4.22 उपभोक्ता की स्थापना का परीक्षण करने पर यदि अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के परिणामों से संतुष्ट है तो अनुज्ञप्तिधारी कट-आउट या मिनियेचर सर्किट ब्रेकर सहित मापयन्त्र (मीटर) स्थापित करने की व्यवस्था करेगा, उपभोक्ता की उपस्थिति में मापयन्त्र को सील करेगा और विद्युत प्रदाय प्रारंभ करेगा। संतुष्ट नहीं होने पर, अनुज्ञप्तिधारी तन्तुपथ स्थापना (वायरिंग) में पाई गई कमियों (short comings) की लिखित सूचना उपभोक्ता को देगा। आवेदक को त्रुटियों का सुधार कराना होगा। तत्पश्चात्, निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनः स्थापना का परीक्षण किया जाएगा।

(बी) बहु-उपभोक्ता संकुल सहित वाणिज्यिक संकुलों में निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply to Multi Consumer Complex Including Commercial Complexes)

4.23 नवीन विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से ऐसा भवन अथवा भवनों का समूह जिसमें एक से अधिक संयोजन (connection) हों एवं कुल विद्युत भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो, को बहुउपभोक्ता संकुल माना जायेगा।

4.24 किसी बहु-उपभोक्ता संकुल को विद्युत प्रदाय हेतु, वांछित विस्तार कार्य की लागत को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारी की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार

विकासक (Developer) / भवन निर्माता (Builder) / समिति (Society) / उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

- 4.25 विकासक(Developer)/भवन निर्माता (Builder)/समिति (Society)/उपभोक्ता में ऐसे अभिकरण, भले ही वे शासकीय, स्थानीय निकाय या निजी संस्थाएं हों, शामिल होंगे जो बहु-उपभोक्ता संकुलों का निर्माण करते हैं।
- 4.26 इस संहिता में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मापयन्त्र (मीटर) सामान्यतः भूतल पर ही स्थापित किये जाएंगे। वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं मापयंत्र (मीटर) स्थापना के लिए आवश्यक भूमि/कमरा विकासक/भवन निर्माता/समिति/उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी प्रकार के भाड़े या अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान नहीं किया जायेगा। ट्रांसफार्मर अधिभानतः खुले स्थानों में रखे जाने चाहिये। वैधानिक नियमों एवं विनियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय विकासक/भवन निर्माता/समिति/उपभोक्ताओं द्वारा उनके स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किये जाने चाहिये।
- 4.27 उत्थापक (lift), जल उद्वाहकों (water pumps) इत्यादि हेतु सार्वजनिक उपयोग के संयोजन (connection) विकासक/भवन निर्माता/ समिति के नाम पर प्रदान किये जायेंगे। यदि फ्लैट स्वामियों की ओर से विद्युत आपूर्ति बाबत आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो विकासक/भवन निर्माता/ समिति के नाम पर संयोजन प्रदान किये जा सकते हैं। ऐसे संयोजन बाद में, इस बारे में निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर, वैयक्तिक रूप से फ्लैट स्वामी/अधिवासी के नाम पर स्थानांतरित किये जा सकते हैं। ऐसे वैयक्तिक संयोजन का अनुबंध तदनुसार निष्पादित किया जायेगा।
- 4.28 अधोसंरचना के विकास के प्रयोजन से विद्युत वितरण प्रसंवाहियों (distribution mains) के विस्तार हेतु, बहुउपभोक्ता संकुल (Complex) के भार की गणना निम्न आधार पर की जाएगी (क्षेत्रफल वैयक्तिक इकाई का निर्मित क्षेत्रफल (built up area)दर्शाता है):

क्षेत्रफल

भार

- (ए) 500 वर्ग फीट तक 2 किलोवॉट
- (बी) प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्ग फीट या 500 वर्ग से अधिक उसके भाग के निर्मित क्षेत्रफल के लिए आधा (0.5) किलोवॉट भार जोड़ा जाएगा।

उत्थापक (lift), जल उद्वाहक (water pump),पार्किंग प्रकाश व्यवस्था, इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार विकासक/भवन निर्माता/समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के अनुसार लिया जायेगा। तत्पश्चात, यदि भवन निर्माता/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता मकानों या भवनों का निर्माण विक्रय हेतु करते हैं तो भार का पुनर्आकलन उपरोक्त उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान समय-समय पर पुनर्आकलित भार पर आधारित पूर्व

में भुगतान किये गये प्रभारों को घटा कर, यदि वे लागू हों, इस मद के अन्तर्गत किया जाएगा।

बहुउपभोक्ता संकुलों के भार निर्धारण के बारे में भार आकलन की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों की समय-समय पर वसूली में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से है। तथापि, प्रतिभूति निक्षेप की गणना वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करते समय उसके द्वारा घोषित भार एवं संलग्न परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्नवास/पुर्नव्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित बहुउपभोक्ता संकुलों को उपरोक्त प्रावधानों में भार संबंधी गणना के प्राक्कलन से छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे बहुउपभोक्ता संकुलों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाएगा।

- 4.29 भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता से बहुउपभोक्ता संकुलों अथवा वाणिज्यिक संकुलों में विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन्हें विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से संबंधित कार्यवाही उपरोक्त उल्लेखित निम्नदाब विद्युत प्रदाय हेतु निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(सी) आवासीय कालोनियों को निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply to Housing Colonies)

- 4.30 आवासीय कालोनी के भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ताओं द्वारा विस्तार कार्य की लागत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारी की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार वहन की जाएगी। विकासक/भवन निर्माता/समिति/उपभोक्ता में ऐसे अभिकरण, भले ही वे शासकीय संस्थाएं, स्थानीय निकाय या निजी संस्थाएं हों, शामिल होंगे जो भवन/कालोनी का निर्माण करते हैं।

- 4.31 अधोसंरचना के विकास के प्रयोजन से विद्युत वितरण प्रसंवाहियों (distribution mains) के विस्तार हेतु आवासीय कालोनी के भार की गणना निम्न आधार पर की जायेगी (क्षेत्रफल भूखण्ड का क्षेत्रफल दर्शाता है) :

क्षेत्रफल	भार
(ए) 500 वर्ग फीट तक	2 किलोवॉट
(बी) प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्ग फीट या 500 वर्ग फीट से अधिक उसके भाग के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल के लिये एक किलोवाट भार जोड़ा जाएगा	
(सी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के लिये प्लाट या मकान हेतु 1.0 किलोवॉट	
(डी) अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector)(आरक्षित गंदी बस्ती क्षेत्र) हेतु	0.5 किलोवॉट प्रति संयोजन

उत्थापक (lift), जल,उद्वाहक (waterpump), पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, पथ-प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार विकासक/भवन निर्माता/समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के अनुसार लिया जा सकेगा। तत्पश्चात, यदि

भवन निर्माता/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता उपरोक्त भूखण्डों के विक्रय के स्थान पर मकानों या भवनों का निर्माण विक्रय हेतु करते हैं तो भार का पुनर्आकलन उपरोक्त कण्डिका 4.28 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान समय-समय पर पुनर्आकलित भार पर आधारित पूर्व में भुगतान किये गये प्रभारों को घटा कर, यदि वे लागू हों, इस मद के अन्तर्गत किया जाएगा।

भार के आकलन की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया, वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या तथा क्षमता, वांछित उच्चदाब/निम्नदाब तन्तुपथ लाइनों की लंबाई निर्धारित करने तथा विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा समय-समय पर लागू अन्य प्रयोज्य प्रभारों की वसूली में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से है। तथापि, प्रतिभूति निक्षेप की गणना वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करते समय उसके द्वारा घोषित भार एवं परीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित भार के आधार पर की जायेगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास/पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित कालोनियों को उपरोक्त प्रावधानों में भार संबंधी गणना के प्राक्कलन से छूट प्रदान की जाएगी। ऐसी कालोनियों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाएगा।

- 4.32 भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता से आवासीय कालोनी के लिये विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाएगी।

(डी) कृषि/सिंचाई पंप सेटों को निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply for Agriculture/Irrigation Pump sets)

- 4.33 जहां वितरण प्रसंवाही (distribution mains) का विस्तार और/अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता का विस्तार आवश्यक न हो वहां निम्नदाब प्रदाय के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत प्रदाय हेतु किया जायेगा।
- 4.34 पंजीकृत सहकारी समिति अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसानों के समूह को भी कृषि/सिंचाई पम्प सेट हेतु एकल बिन्दु पर भी विद्युत प्रदाय की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
- 4.35 परिसर का निरीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि वितरण प्रसंवाही (distribution mains) का विस्तार और/अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना अपेक्षित है तो शासन या वित्तीय संस्था, जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि से उपलब्ध वित्तीय सहायता से कार्य निष्पादन की संभावना का परीक्षण किया जायेगा। लाइन का विस्तार आवश्यक न होने की दशा में, निरीक्षण से दस दिवस में तथा तन्तुपथ (लाइन) का विस्तार आवश्यक होने की दशा में निरीक्षण से 30 दिनों में उपभोक्ता को यह सूचना दी जायेगी कि अनुज्ञप्तिधारी उपलब्ध अन्य स्रोतों से कार्य का निष्पादन कर सकेगा अथवा उपभोक्ता द्वारा कार्य की लागत का पूर्ण भुगतान करने के उपरांत कार्य निष्पादन किया जा सकेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा अनुमानित व्यय के भुगतान के बाद ही कार्य किया जाना संभव हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को राशि की

जानकारी से अवगत करायेगा। यदि विद्युत प्रदाय विस्तार कार्य अपेक्षित हो तो ऐसे पम्प सेट(ों) जिसके/जिनके कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता(ओं) द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, के विद्युतीकरण का कार्य उपभोक्ता(ओं) द्वारा निर्धारित राशि जमा करने पर ही प्रारंभ किया जायेगा। संयोजन संबंधी नवीन कार्य 'प्रथम आएं प्रथम पाएं' के व्यापक सिद्धांत के आधार पर प्रारंभ किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने से 3 कार्यकारी दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को स्थापना के परीक्षण हेतु दिनांक सूचित करेगा तथा उपभोक्ता(ओं) से परीक्षण-प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करने का आग्रह करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदन एवं परिसर की वायरिंग से संतुष्ट हो तो निरीक्षण दिनांक से 3 दिवस के भीतर संयोजन प्रदान कर दिया जायेगा।

- 4.36 कृषि उपभोक्ता, यदि इच्छुक हो तो वह प्रयोज्य प्रभागों के भुगतान के उपरान्त, अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन से अपने परिसर के अन्दर अपने संयोजन का स्थान परिवर्तित कर सकेगा।

(ई) सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था को निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply to Public Street Lighting)

- 4.37 नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत प्रदाय के आवेदन निर्धारित प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगरपालिक निगम या नगरपालिका या म्यूनिसिपल बोर्ड या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन {जिसे सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में आगे "स्थानीय निकाय (local body)" कहा गया है} द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4.38 पथ-प्रकाश बत्तियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं जहां पथ-प्रकाश बत्तियों की आवश्यकता है, वहां के विद्यमान या नवीन खंभों की संख्या दर्शाते हुये मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4.39 फिटिंग्स, ब्रेकेट्स तथा विशेष फिटिंग्स भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मापदण्डों या इसके समतुल्य के अनुरूप होंगे तथा विद्यमान विनियमों/नियमों के अन्तर्गत सुरक्षात्मक दूरी पर स्थापित किये जाएंगे। समस्त फिटिंग्स व ब्रेकेट्स सहित, सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की पूर्ण लागत स्थानीय निकाय को वहन करनी होगी। किसी विशेष फिटिंग्स को स्थापित किये जाने की स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा ही इसकी व्यवस्था की जाएगी।
- 4.40 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थल निरीक्षण के 15 दिवस के भीतर शहरी क्षेत्रों में तथा 30 दिवस के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में, विस्तार कार्य की लागत की लिखित सूचना स्थानीय निकाय को दी जाएगी। स्थानीय निकाय द्वारा वांछित राशि का भुगतान एवं अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- 4.41 विद्युत मीटर एवं पथ-प्रकाश बत्ती स्विच/एमसीबी/टार्डमरों की स्थापना के लिये एक समुचित द्विखंडीय मौसम रोधी धातु का बक्सा (Double Compartment Weather Proof Metal Box) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थानीय निकाय के व्यय पर स्थापित किया जायेगा ।
- 4.42 पथ-प्रकाश बत्ती के खंभों एवं विद्युत तन्तुपथों (लाईनों) का रखरखाव अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के आधार पर किया जायेगा तथा स्थानीय सूर्यास्त के समय से 15 मिनट पूर्व चालू करने एवं स्थानीय सूर्योदय के समय से 15 मिनट पूर्व इसे बंद करने की व्यवस्था भी उसके द्वारा की जाएगी। पथ-प्रकाश बत्ती उपभोक्ताओं के निवेदन पर खंभों पर लगे फिक्सचर्स/बल्बों (वर्तमान में लगे हुए विद्युत भार के अनुरूप ही) को बदलने का कार्य भी स्थानीय निकाय से फिक्सचर्स, बल्ब इत्यादि प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। ऐसी समस्त सेवायें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारी की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 के अनुसार प्रभारणीय होंगी।

(एफ) अस्थायी विद्युत प्रदाय (Temporary Power Supply)

- 4.43 कोई व्यक्ति जिसे दो वर्षों से कम अवधि के लिये विद्युत प्रदाय की आवश्यकता हो निर्दिष्ट प्ररूप (परिशिष्ट 1 व 2) में अस्थाई विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अस्थाई संयोजन की समय-अवधि को भवन निर्माण गतिविधियों तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उनकी इकाईयों स्थापित किये जाने के प्रयोजन से उपकरणों की स्थापना के लिये पाँच वर्षों तक बढ़ाया भी जा सकता है। आवेदन पत्र सामान्यतः विद्युत प्रदाय की आवश्यकता की तिथि से सात दिवस पूर्व जहां भार 10 किलोवाट तक हो तथा उच्चतर भारों के लिये 30 दिवस पूर्व प्रस्तुत किये जाएंगे।
- 4.44 उपभोक्ता, जहां अस्थायी संयोजन की आवश्यकता है, उक्त स्थान संबंधी, अधिवास का प्रमाण अथवा स्थानीय निकाय या परिसर के स्वामी की स्वीकृति, जैसा प्रकरण में लागू हो, प्रस्तुत करेगा। यदि अस्थायी विद्युत प्रदाय की आवश्यकता ऐसे परिसर/स्थान में हो जहां 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो, वहां उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 54 में निहित प्रावधानों का परिपालन करना होगा। पूर्व-भुगतान मापयन्त्रों (Pre-paid meters) की उपलब्धता होने का दशा में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन्हे ऐसे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4.45 यदि विद्युत प्रदाय दिया जाना संभव हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विस्तार कार्य, जैसे कि सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन), मापयन्त्र (मीटर), कट-आउट/एमसीबी आदि को स्थापित करने व हटाने की लागत, प्रदाय की अवधि की आकलित खपत के प्रभारों और उपस्कर एवं सामग्री का भाड़ा सहित भुगतान किए जाने वाले प्रभारों की सूचना देगा। उपभोक्ता को ऐसे समस्त प्रभारों का भुगतान अग्रिम रूप से करना होगा।
- 4.46 विद्युत प्रदाय के विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता के लिये यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वह वापस निकाली गई सामग्री को प्राप्त करे अथवा वह सामग्री, जो अच्छी स्थिति में निकाली जाकर भण्डार में वापस की जाए, के मूल्य का

समायोजन उसके उक्त अस्थायी कनेक्शन के अंतिम देयक में प्रचलित नियमानुसार प्राप्त करे ।

- 4.47 यदि उपभोक्ता को 90 दिवस से अधिक की अवधि के लिए अस्थाई प्रदाय की आवश्यकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी 90 दिवस की आकलित खपत के प्रभारों के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा और मासिक खपत के देयकों को प्रेषित कर सकेगा। यदि उपभोक्ता विद्युत देयकों का भुगतान समय पर करने में चूक करता हो तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिया गया अग्रिम बाकी बची समयावधि के लिये अपर्याप्त हो, तो ऐसी दशा में अस्थाई विद्युत प्रदाय का विच्छेदन भी किया जा सकेगा।
- 4.48 यदि कृषि उपभोक्ता चाहे तो, कृषि उपयोग हेतु अस्थायी संयोजन के लिये आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में, उपभोक्ता को प्रस्तावित संयोजन की अवधि की भुगतानयोग्य सम्पूर्ण देयक राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा। अस्थायी संयोजनों पर लागू समस्त प्रभार तथा अन्य शर्तें प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार लागू होंगे। इस प्रावधान में निहित किसी बकाया राशि का भुगतान न करने का दोषी पाये जाने पर उपभोक्ता को पुराने बकायों का निपटान होने तक नया संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी इस प्रावधान के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय के लिये विशेष रूप से स्थापित उपकरण को प्रदाय अवधि समाप्त होने के उपरान्त, हटाये जाने हेतु पूर्णतया अधिकृत होगा।
- 4.49 उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने पर अनुज्ञप्तिधारी 10 किलोवाट भार तक तीन दिवस के अन्दर व अन्य प्रकरणों में सात दिवस में विद्युत प्रदाय प्रारंभ करेगा। उपभोक्ता द्वारा तन्तुपथ विस्तार कार्य (line extension work) उपयुक्त अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित कराया जाना अनिवार्य है।
- 4.50 यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक खपत के प्रभार अग्रिम भुगतान से अधिक न हों, अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान मापयंत्र वाचन (meter reading) किया जा सकेगा।
- 4.51 अस्थाई विद्युत प्रदाय की अवधि पूरी होने पर तथा विद्युत प्रदाय के विच्छेदन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी अन्तिम देयक तैयार करेगा तथा विद्युत प्रदाय विच्छेदन की दिनांक से 30 दिवस के भीतर इसे उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा वापसी योग्य शेष राशि, यदि कोई हो, को उपभोक्ता से मूल भुगतान रसीद प्राप्त करने अथवा उसके द्वारा क्षतिपूरक बन्धपत्र (indemnity bond) प्रस्तुत करने के 30 दिवस के अन्दर प्रत्यर्पण करेगा। इस अवधि से अधिक विलम्ब के दिनों की संख्या के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को वापसीयोग्य बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान आनुपातिक दर से, भुगतान के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि से अधिक विलंब दिवसों के लिये करना होगा। ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ता उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान देयक जारी होने से तीस दिवस के भीतर नहीं करता है तो उसे वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार अधिभार का भुगतान करना होगा।

(जे) तत्काल योजना (Tatkal Yojana) :

- 4.52 यदि तकनीकी रूप से साध्य हो, तो अनुज्ञप्तिधारी, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार उपभोक्ता के अनुरोध पर उससे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान प्राप्त कर 24 घंटे की सूचना पर अस्थायी विद्युत प्रदान कर सकेगा।

(एच) उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय (Supply at HT) :

- 4.53 उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय के संबंध में, उपभोक्ता से विनिर्दिष्ट प्ररूप में, मय वांछित अभिलेखों के, आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की साध्यता की सूचना के संबंध में निरीक्षण की तिथि की सूचना लिखित में पन्द्रह दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय की साध्यता की जांच करेगा तथा साध्य पाये जाने पर विद्युत प्रदाय का बिन्दु निर्धारित करेगा। उपभोक्ता को अपने परिसर में वांछित क्षमता का ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र स्वयं के व्यय पर स्थापित करना होगा। निम्नदाब से उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में उपभोक्ता को वांछित क्षमता का पृथक ट्रांसफार्मर उपभोक्ता परिसर के भीतर स्थापित करना होगा तथा उसे पूर्व में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मर/निम्नदाब तथा उच्चदाब तन्तुपथ (लाईन) सम्पत्ति पर दावा किये बगैर, इन्हें स्वयं के व्यय पर हटाना होगा। अनुज्ञप्तिधारी जहां उचित समझे, लाईन के अंतिम छोर पर विस्तार (span) के लिये 'एरियल बन्ड्ड केबल (Aerial Bunched Cable)' के उपयोग के लिये जोर दे सकता है, जिसका व्यय उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा।
- 4.54 सामान्यतः, उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय केवल उद्योगों के लिये प्रयोज्य, संभरकों (feeders) के माध्यम से ही किया जाएगा। सतत प्रसंस्करण उद्योग (continuous process industry) धारित करने वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों में विद्युत प्रदाय निकटतम 33/11 केवी या अति उच्चदाब उपकेन्द्र से एक पृथक संभरक के माध्यम से विद्युत प्रदाय को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4.55 नये उच्चदाब उपभोक्ताओं (दोनों 11 केवी या 33 केवी पर) को सामान्यतः ग्रामीण संभरकों से विद्युत प्रदाय नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि किसी तकनीकी कारण से ग्रामीण संभरक से विद्युत प्रदाय किया जाता है तो उपभोक्ता को इस बारे में सूचित किया जायेगा कि ग्रिड की परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण संभरकों के विद्युत प्रदाय को प्रतिबंधित एवं विनियमित किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के प्रतिबंधों के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व न होने का एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, निष्पादित अनुबंध के अंतर्गत इस स्थिति के बारे में विशेष कंडिका के अन्तर्गत इस तथ्य का उल्लेख भी किया जाएगा।
- 4.56 अनुज्ञप्तिधारी विस्तार कार्य की लागत, यदि कोई हो, प्रतिभूति निवेश की राशि के साथ-साथ भुगतान की जाने वाली अन्य राशि की सूचना निरीक्षण तिथि से

पन्द्रह दिवस के भीतर उपभोक्ता को सूचित करेगा। इसी के साथ-साथ वह अनुबंध के प्रारूप की प्रतिलिपि भी अग्रेषित करेगा।

- 4.57 प्रभारों, प्रतिभूति निक्षेप (security deposit), विस्तार कार्य की लागत के भुगतान, यदि कोई हो, तथा अनुबंध के निष्पादन के बाद अनुज्ञप्तिधारी प्रसंवाही (mains) के विस्तार का कार्य प्रारंभ करेगा। उपभोक्ता यदि इच्छुक हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान कर, स्वयं निष्पादन उपयुक्त श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से कर सकता है। कार्य को निर्धारित कार्यावधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा। मापयन्त्र (मीटर), मापयन्त्र उपस्कर की स्थापना के तुरन्त बाद, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के बारे में तीन माह की सूचना उपभोक्ता को जारी करेगा। उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत निरीक्षक से स्थापना के ऊर्जाकरण की अनुमति प्रस्तुत करेगा। खदानों के प्रकरण में, खदान निरीक्षक की अनुमति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित अनुमति(यों) के प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की उपस्थिति में यथोचित परीक्षण के उपरांत मापयन्त्र (मीटर) को सील करेगा तथा संयोजन प्रदान करेगा।

(आई) अति उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय (Supply at Extra High Tension) :

- 4.58 अति उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय के लिए निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में विद्युत प्रदाय की साध्यता की जांच करने हेतु स्थल निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर सूचना देगा। अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करेंगे। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। उपर्युक्त दोनों अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता की जांच करेंगे तथा उपभोक्ता हेतु विद्युत प्रदाय साध्य पाये जाने पर विद्युत प्रदाय का बिन्दु निर्धारित करेंगे।
- 4.59 अनुज्ञप्तिधारी विस्तार कार्य की लागत, यदि कोई हो, प्रतिभूति निक्षेप तथा अन्य प्रभारों की राशि यदि कोई हो, सहित भुगतान किये जाने वाली राशि की सूचना उपभोक्ता को देगा। उसके द्वारा, साथ ही में, अनुबंध का प्रारूप भी प्रेषित किया जाएगा।
- 4.60 उपभोक्ता द्वारा प्रभारों की राशि, मय प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान के बाद तथा अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने के लिए विस्तार कार्य करने के संबंध में अनुरोध किया जायेगा। यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान के बाद स्वयं इस कार्य का निष्पादन कर सकेगा।
- 4.61 मापयन्त्र (मीटर) तथा मापयन्त्र उपस्कर की स्थापना के तुरन्त बाद अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के बारे में तीन माह का नोटिस जारी करेगा। इसी प्रकार, उपभोक्ता द्वारा आन्तरिक विद्युत कार्य का निष्पादन किये जाने के पश्चात वह अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत निरीक्षक से स्थापना के उर्जाकरण की स्वीकृति प्रस्तुत करेगा। खदानों के प्रकरण में, खदान निरीक्षक की स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी

उपभोक्ता की उपस्थिति में, यथोचित परीक्षण के उपरान्त मापयन्त्र को सील करेगा तथा संयोजन प्रदान करेगा।

- 4.62 ऐसे प्रकरणों में, जहां विस्तार कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक माह के भीतर विद्युत प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करेगा {जो आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित शर्तों (Force Majeure Conditions) के अध्यधीन होगा} जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43(1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका क्रियान्वयन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित विनिर्दिष्ट प्ररूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के साथ आवश्यक प्रभारों के भुगतान तथा अन्य अनुपालन संबंधी अभिलेखों के प्राप्त होने पर किया जाएगा।
- 4.63 ऐसे प्रकरणों में जिनमें तन्तुपथ (line) अथवा उपकेन्द्र (Sub-station) का विस्तार अथवा संयंत्र की स्थापना अथवा ट्रांसफार्मर की स्थापना अथवा उपकेन्द्र की रूपान्तरण क्षमता (transformation capacity) में वृद्धि अथवा तन्तुपथों की क्षमता में वृद्धि किया जाना अपेक्षित हो, संयोजन को निम्न तालिका में दर्शाई गई समय सीमाओं के अन्तर्गत संयोजन प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा {जो आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित शर्तों (Force Majeure conditions) के अध्यधीन होगा} जिसका क्रियान्वयन सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति तथा आवश्यक प्रभारों के भुगतान तथा समस्त औपचारिकताएं, जैसे कि अनुबंध के निष्पादन, आदि के पूर्ण किये जाने पर किया जाएगा।

सेवा संयोजन का प्रकार	उपभोक्ता को सेवा संयोजन प्रदान करने हेतु निर्धारित समय-सीमा
निम्नदाब संयोजन (LT Connection) (अ) कृषि संयोजन को छोड़कर बाकी समस्त संयोजन (ब) कृषि संयोजन, ऐसे मौसम में जब कृषि भूमि के लिये स्पष्ट पहुंच उपलब्ध हो (स) कृषि संयोजन, ऐसे मौसम में जब कृषि भूमि के लिये स्पष्ट पहुंच उपलब्ध नहीं हो	(अ) आवेदन की प्राप्ति से 60 दिवस के भीतर (ब) आवेदन की प्राप्ति से 90 दिवस के भीतर (स) पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर, 90 दिवस के भीतर
उच्चदाब संयोजन (HT Connection)	पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर, 90 दिवस के भीतर
अति उच्चदाब संयोजन (EHT Connection)	पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर, 180 दिवस के भीतर

- 4.64 आयोग, कारणों को लिखित रूप में अभिलेखित कर, उपरोक्त निर्धारित की गई समयसीमाओं से विचलन कर सकेगा यदि आयोग के मतानुसार विचलन हेतु ऐसे परिस्थितिजन्य कारण हों। ऐसे निर्देश आयोग के समक्ष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका दायर करने पर आयोग के एक आदेश के माध्यम से जारी किये जाएंगे। यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समयसीमा के भीतर विद्युत प्रदाय करने में चूक करता हो तो उसे अधिनियम धारा 43 (3) के अन्तर्गत अर्धदण्ड का भुगतान करना होगा।

- 4.65 **समूह प्रयोक्ता को विद्युत प्रदाय संबंधी निबंधन तथा शर्तें (Terms and conditions of supply to Group user) :**
 किसी समूह प्रयोक्ता की योग्यता : समूह प्रयोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आवासीय प्रयोजन हेतु किसी एकल बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- 4.66 विद्युत आपूर्ति का उपयोग प्राथमिक तौर पर आवासीय प्रयोजन के लिये समूह प्रयोक्ता के सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं संबंधी भारों को सम्मिलित कर, जैसे कि, उत्थापक व्यवस्था (lift), जलप्रदाय की उद्वहन व्यवस्था हेतु पंपों के उपयोग एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिये किया जाएगा। समूह प्रयोक्ता संयोजित भार के साथ-साथ सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं का विवरण अनुज्ञप्तिधारी को संयोजन प्राप्ति के समय अथवा संविदा मांग (Contract Demand) में वृद्धि करते समय सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त भार का भौतिक सत्यापन कर सकेगा। यदि सत्यापन के समय गैर-आवासीय गतिविधि का उपयोग होना पाया जाता है जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में अनुज्ञेय नहीं किया गया था तो ऐसी दशा में इसे विद्युत का अनधिकृत उपयोग माना जाएगा तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत इस संबंध में उपयुक्त अधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।
- 4.67 आवेदक समूह प्रयोक्ता से मांग-पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त किये गये आवेदन तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन करेगा। किसी सहकारी समूह गृह-निर्माण समिति के प्रकरण में, आवेदक सहकारी समूह गृह-निर्माण समिति, जो एकल बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की इच्छुक हो, द्वारा पंजीयन संबंधी सत्यापित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।
- 4.68 समूह प्रयोक्ता के आवेदन बाबत एकल बिन्दु उच्चदाब प्रदाय के संबंध में अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि अन्य उच्चदाब उपभोक्ता के अनुरूप होगी।
- 4.69 **विद्युत प्रदाय तथा मापयन्त्र (मीटरिंग) प्रणाली :** प्रदाय की प्रणाली विनिर्दिष्ट संविदा मांग की सीमाओं के अनुरूप इस संहिता में विनिर्दिष्ट अनुसार उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब होगी।
- 4.70 समूह प्रयोक्ता हेतु उच्चदाब या अति उच्चदाब मापयन्त्र व्यवस्था (metering) की स्थापना प्रदाय बिन्दु पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रित यूनिटों को अभिलेखित (रिकार्ड) करने तथा समूह प्रयोक्ता को देयक प्रस्तुत करने के प्रयोजन से की जाएगी।
- (अ) वितरण उपकेन्द्र तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना, यथा, वैयक्तिक मापयन्त्रों (मीटरों) तथा सेवा तन्तुपथों (service lines) हेतु निम्नदाब तन्तुपथों (LT lines), केबल्स, संभरक स्तम्भों (feeder pillars) मापयन्त्र पैनलों (metering panels) को आवेदक समूह प्रयोक्ता द्वारा स्थापित किया जाएगा तथा वह ऐसी समस्त परिसंपत्तियों का स्वामित्व-प्राधिकार (ownership) धारित करेगा।
- (ब) समूह प्रयोक्ता विद्युत प्रदाय बिन्दु के बाद की सम्पूर्ण अधोसंरचना प्रणाली (network) के संधारण हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। समूह प्रयोक्ता

उसके द्वारा प्रतिधारित तथा निष्पादित समस्त परिसंपत्तियों एवं कार्यों संबंधी निर्माण हेतु तथा सुरक्षा मानकों को संधारित किये जाने के संबंध में भी उत्तरदायी होगा।

- 4.71 समूह प्रयोक्ता विद्युत वितरण से संबंधित विभिन्न वाणिज्यिक एवं तकनीकी गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- 4.72 समूह प्रयोक्ता के विद्युत प्रदाय बिन्दु तक के तन्तुपथों (लाईनों) के विस्तार तथा प्रणाली की उन्नयन संबंधी संपत्ति का भले ही भुगतान समूह प्रयोक्ता द्वारा किया गया हो, के बावजूद इसका स्वामित्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही धारित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही इस व्यवस्था का संधारण किया जाएगा तथा उसके पास ही इसी सेवा संयोजन के किसी अन्य व्यक्ति हेतु विद्युत प्रदाय के विस्तार द्वारा उपयोग किये जाने का अधिकार भी निहित होगा परन्तु इस प्रकार से किया गया विस्तार अथवा सेवा संयोजन समूह प्रयोक्ता को, जिसके द्वारा वितरण प्रदाय प्रणाली (नेटवर्क) के विस्तार का भुगतान किया गया था, को विद्युत प्रदाय प्रतिकूल तौर पर प्रभावित नहीं करेगा।
- 4.73 समूह प्रयोक्ता विद्युत प्रदाय बिन्दु से वैयक्तिक परिसर हेतु उसके स्वयं की वितरण व्यवस्था (नेटवर्क) के विस्तार कार्य का निष्पादन उचित श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से करा सकेगा तथा उच्चदाब तन्तुपथ (लाईन) और/अथवा उच्चदाब उपकेन्द्र एवं निम्नदाब तन्तुपथों (लाईनों) का विस्तार कार्य 'ए' श्रेणी ठेकेदार से करा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में समूह प्रयोक्ता को स्वयं सामग्री की अधिप्राप्ति व्यवस्था (procure) करनी होगी।
- 4.74 प्रदाय बिन्दु पर मापयन्त्र व्यवस्था की स्थापना (installation of metering) हेतु वांछित भूमि/व्यवस्थापन (accomodation) की व्यवस्था समूह प्रयोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को निशुल्क प्रदान की जाएगी जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भाड़े अथवा अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 4.75 समूह प्रयोक्ता द्वारा किसी मानदण्ड पर विचार-विमर्श के प्रयोजन की दृष्टि से, अधोसंरचना के विकास हेतु तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारों की वसूली हेतु भार गणनाओं के प्रयोजन हेतु, यदि कोई हों, आवासीय कालोनी/बहुप्रयोक्ता संकुल (multi user complex) के उपभोक्ता हेतु भार की गणना, उसी आधार पर की जाएगी जैसा कि इसे संहिता में आवासीय कालोनियों के बहुप्रयोक्ता संकुल हेतु निम्नदाब विद्युत प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 4.76 समूह प्रयोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा का उपयोग समूह प्रयोक्ता द्वारा ऐसी रीति से नहीं किया जाएगा जो अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा समस्त किया जा रहा उपयोग अनुबंध के उपबंधों तथा लागू अधिनियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
- 4.77 समूह प्रयोक्ता ऊर्जा के उपयोग को अनुबंध में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु व्यपवर्तित (divert) नहीं कर सकेगा। समूह प्रयोक्ता विद्युत प्रदाय को उस क्षेत्र के अतिरिक्त, जिस हेतु इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत किया गया था, उसके परिसर से परे विस्तारित नहीं कर सकेगा जब

तक ऐसे व्यपवर्तन (diversion) अथवा विस्तार (extension) हेतु इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो।

अनुबंध (Agreement) :

- 4.78 समूह प्रयोक्ता द्वारा ऐसे मानचित्र जो स्पष्ट रूप से प्लाट/भवन तथा विद्युत वितरण व्यवस्था (नेटवर्क) के साथ-साथ प्रत्येक खंभे (पोल) व ट्रांसफार्मर अथवा अन्य कोई उपकरण का सूचीकरण दर्शाते हों तथा जिन पर प्रयोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की गई हो तथा हस्ताक्षरित कर लिये गये हों, अनुबंध का भाग होंगे।
- 4.79 यदि अनुज्ञप्तिधारी एवं समूह प्रयोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में किसी परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता हो तो इसे अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा।
- 4.80 इस संहिता की अन्य समस्त शर्तें समूह प्रयोक्ता को भी लागू होंगी।

प्रयोज्य विद्युत-दर (Applicable Tariff) :

- 4.81 अनुज्ञप्तिधारी, समूह प्रयोक्ता को, विक्रित यूनिटों से संबंधित विद्युत देयकों को, लागू विद्युत-दर (टैरिफ) के अनुसार प्रेषित करेगा।

सहकारी समूह गृह-निर्माण समिति द्वारा विक्रित अथवा पट्टे पर दी गई किसी आवासीय इकाई के किसी रहवासी द्वारा क्षेत्रीय अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय की मांग की जाना (**Demand of supply from the Licensee of the area by any person residing in the housing unit sold or leased by Cooperative Group Housing Society**) :

- 4.82 इस संहिता के उपबंध सहकारी समूह गृह-निर्माण समिति द्वारा रहवासी को विक्रित की गई या पट्टे पर प्रदान की गई किसी इकाई के संबंध में क्षेत्रीय वितरण अनुज्ञप्तिधारी से किसी भी प्रकार से सीधे विद्युत मांग किये जाने संबंधी अधिकार को निम्न निबंधन एवं शर्तों के अन्तर्गत वंचित नहीं कर सकेंगे :
- (i) सहकारी समूह गृह-निर्माण समिति को समिति के किसी भी व्यक्ति को सीधे वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुमति प्रदान करनी होगी। सहकारी समूह गृह-निर्माण समिति को निम्नांकित के संबंध में कोई आपत्ति न होगी :
- (अ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत वितरण प्रणाली (नेटवर्क) से की जाएगी।
- (ब) ऐसे व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पर्याप्त रूप से वितरण प्रणाली का विस्तार समूह प्रयोक्ता के स्वयं के व्यय पर किया जाएगा।
- (स) उपभोक्ता हेतु सेवा दायित्व का निर्वहन बिना किसी व्यवधान निष्पादित किये जाने के प्रयोजन से अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को समूह प्रयोक्ता के परिसर में स्थापित की गई प्रणाली तक किसी भी समय पहुंच दिये

जाने हेतु प्रवेश व्यवस्था के साथ-साथ प्रदाय बिन्दु पर भी इसे सुलभ कराना होगा।

- (ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना ऐसे उपभोक्ता के परिसर में एक उपयुक्त स्थान पर की जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के मापयन्त्र का वाचन तथा विद्युत प्रदाय के देयक की वितरण व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित की जाएगी।
- (iii) ऐसे व्यक्ति से विद्युत खपत के प्रभारों की वसूली अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्रयोज्य घरेलू दरों पर की जाएगी।

* * * * *

अध्याय – 5

विद्युत प्रदाय बिन्दु एवं परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण (Point of Supply and Licensee's equipment in Premises)

विद्युत प्रदाय बिन्दु (Point of Supply)

- 5.1 जब तक किसी अन्य प्रकार से सहमति न हो विद्युत प्रदाय का प्रारंभिक बिन्दु अनुज्ञप्तिधारी के बहिर्गामी टर्मिनल (outgoing Terminal) पर निम्नानुसार अवस्थित होगा :
- (अ) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट (cut out) पर, तथा
(ब) उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्विचगियर पर जिसकी स्थापना अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी परस्पर सहमति से की जा सकेगी।
- 5.2 उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के कट-आउट/एमसीबी/कंट्रोल स्विचगियर से पूर्वप्रवेशी टर्मिनल (Incoming Terminal) पर एकल बिन्दु पर किया जाएगा। भिन्न-भिन्न परिसरों में भिन्न-भिन्न संयोजन प्रदान किये जायेंगे। कोयला खदानों के प्रकरण में विशेष तौर पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक अभिन्यास (physical lay out) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक बिन्दुओं पर भी विद्युत प्रदाय कर सकेगा।
- 5.3 उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, विद्युत प्रदाय का बिन्दु इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि वह मार्ग से दृष्टिगोचर हो तथा वहां आसानी से भी पहुंचा जा सके।

समर्पित संभरक (Dedicated Feeder)

- 5.4 यदि किसी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक सामान्य संभरक (feeder) के अतिरिक्त उसके अनुरोध किये जाने पर पृथक संभरक से भी विद्युत प्रदाय किया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त पृथक संभरक को "समर्पित संभरक" कहा जाएगा। इस प्रकार के अनुरोध संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता परिसर में समर्पित संभरक को स्थापना हेतु गुण-दोष (merit) के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा। यदि साध्य हो तो उपभोक्ता को समर्पित संभरक प्रदाय किया जाएगा एवं उपभोक्ता को इसके लिये म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में निर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। समर्पित संभरक का विस्तार विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के प्रारम्भिक बिन्दु तक किया जाएगा।

उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण की स्थापना (Licensee's Equipment in Consumer's Premises)

- 5.5 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के स्वामित्व की आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा उपभोक्ता के लिये सेवाप्रदाय हेतु न केवल अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सीधे केबल (Direct Cable) या शिरोपरि तन्तुपथ (overhead lines) को लाने के लिये उचित सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायेगा वरन् इसके अलावा भी उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को अन्य उपभोक्ताओं के लिये भी आवश्यक स्विचगियर एवं संयोजनों की स्थापना हेतु भी अपने परिसर में अनुमति प्रदान करेगा, जिससे यदि आवश्यक हो तो अन्य उपभोक्ताओं को भी उपभोक्ता परिसर में स्थित केबल तथा टर्मिनलों से विद्युत प्रदाय किया जा सके, परन्तु इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके (अनुज्ञप्तिधारी) मतानुसार कथित उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय अनुचित रूप से प्रभावित न होगा।
- 5.6 अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाले मापयन्त्र (मीटर)/कटआउट(cutout)/एमसीबी (MCB), सेवा प्रसंवाही (service mains) तथा अन्य उपकरणों के हस्तांतरण अथवा हटाये जाने संबंधी कार्यवाही केवल अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि द्वारा ही की जा सकेगी। सील जो मापयन्त्र (मीटर) मापयन्त्र उपकरणों (metering equipments), भार-नियन्त्रकों (load limiters) तथा अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपकरण पर लगी हो, की किसी भी कारण से छेड़-छाड़ (tamper), नष्ट (damage) तथा तोड़ी (break) नहीं जाएगी। उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये गये अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों तथा मापयन्त्रों/मापयन्त्र उपकरणों पर स्थापित की गई सील की सुरक्षा का दायित्व उपभोक्ता स्वयं का होगा।
- 5.7 यदि उपभोक्ता या उसके किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि की किसी क्रिया (act), उपेक्षा (neglect) अथवा त्रुटि (default) से उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित उपकरणों को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी लागत, जिस का दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाए, का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांग किये जाने पर यदि उपभोक्ता उक्त राशि का भुगतान नहीं करता है तो इसे विद्युत प्रदाय अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा उपभोक्ता को विधिवत सूचना देने के बाद उसके विद्युत प्रदाय को विच्छेदित किया जा सकेगा। तथापि, उपभोक्ता को अनुबंध की अवशेष प्रारंभिक अवधि के लिये प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

- 5.8 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मापयन्त्रों (मीटरों) तथा मापयन्त्र उपकरणों, जिनके माध्यम से उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय किया जाता है, का संधारण/रख-रखाव किया जाएगा।

द्राव्यतन्तु (फ्यूज)/विद्युत प्रदाय व्यवस्था का भंग होना (Failure of Fuse/Supply) :

- 5.9 यदि किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी को सेवा प्रदाय के तन्तुपथ (line) में स्थापित द्राव्यतन्तु (fuse/fuses) व्यवस्था भंग हो जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा त्रुटि के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिये। केवल ऐसे प्राधिकृत कर्मचारी जिनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया गया फोटो पहचान-पत्र हो, को ही अनुज्ञप्तिधारी के कट-आउट में स्थापित द्राव्यतन्तु (फ्यूज) को बदलने की अनुमति होगी। उपभोक्ताओं को इन द्राव्यतन्तुओं (फ्यूज) को बदलने की अनुमति नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने कर्मचारियों को उपभोक्ता की निजी स्थापना में सुधार कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
- 5.10 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को ऊर्जा की निरन्तर आपूर्ति लिये सभी युक्तियुक्त सावधानियाँ बरतेगा लेकिन वह विशेष आकस्मिक परिस्थितियों (Force Majeure Conditions) के कारण हुये विद्युत प्रदाय में व्यवधानों से उपभोक्ता या उसके संयन्त्र व यंत्रों (Plant and Machinery) को पहुंची क्षति के लिये उत्तरदायी न होगा।
- 5.11 अनुज्ञप्तिधारी सदैव उसकी विद्युत प्रणाली के संधारण/रखरखाव से संबद्ध उद्देश्यों या अन्य कारणों से भी विद्युत प्रदाय में ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक हो, को अस्थायी रूप से विच्छेदित करने हेतु अधिकृत होगा, जिसके लिये उसके द्वारा उपभोक्ता को पूर्व सूचना दी जाएगी तथा ऐसा उपभोक्ता को न्यूनतम असुविधा निमित्त होने के उद्देश्य से किया जाएगा।

अध्याय -6

उपभोक्ता परिसर में तन्तुपथ प्रणाली तथा उपकरण की स्थापना
(Wiring and Apparatus in Consumer Premises)

उपभोक्ता परिसर में तन्तुपथ प्रणाली की स्थापना (Wiring in Consumer's Premises)

- 6.1 उपभोक्ता तथा सामान्य रूप से आम जनता की सुरक्षा के लिये भी यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली की स्थापना (वायरिंग कार्य) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 तथा समय-समय पर यथासंशोधित एवं अन्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप हो तथा तन्तुपथ स्थापना प्रणाली संबंधी कार्य को अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित किया जाए। तन्तुपथ स्थापना में उपयोग की गई सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्डों या इसके समतुल्य के अनुसार होगी। तन्तुपथ प्रणाली में उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्री, जहां लागू हो, आईएसआई चिह्नित होगी। जैसे ही उपभोक्ता की विद्युत स्थापना का कार्य सभी प्रकार से पूर्ण हो जाता है तथा उपभोक्ता के ठेकेदार द्वारा इसका परीक्षण कर लिया जाता है, उपभोक्ता को उसके ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गया परीक्षण-प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करना होगा। इस उद्देश्य हेतु उपभोक्ता द्वारा परीक्षण-प्रतिवेदन प्ररूप अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6.2 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में की गई अर्हताओं के अनुसार बत्ती (लैम्प), पंखे, द्राव्यतन्तुयों (फ्यूज), स्विचों, तथा स्थापनाओं के अन्य संघटक भागों को बदले जाने को छोड़कर, विद्यमान विद्युत स्थापना का कार्य जिसमें परिवर्धन, परिवर्तन और मरम्मत कार्य तथा विद्यमान स्थापना में समायोजन निहित हो, जो स्थापना की क्षमता अथवा स्वरूप को किसी भी प्रकार से परिवर्तित न करता हो, किसी उपभोक्ता द्वारा परिसर में नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यह कार्य केवल राज्य शासन द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र धारक व्यक्ति या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अनुज्ञा-पत्र (परमिट) धारी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाएगा।
- 6.3 उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में निहित उपबन्धों का परिपालन किया जाएगा। संयोजित स्विच (linked switch) जो भू-योजित एवं विद्युन्मय संवाहकों (Live conductors) का संचालन एक साथ करें, के अतिरिक्त ऐसे कट-आउट, संयोजन या स्विच को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के अनाविष्ट संवाहक (Neutral Conductor) से जोड़ने के लिये अन्तर्स्थापित नहीं किया जाएगा।

तन्तुपथ प्रणाली स्थापना की सामान्य शर्तें (General Wiring Conditions)

प्रसंवाही (Mains)

- 6.4 सभी प्रकरणों में, उपभोक्ता के प्रसंवाही (मेन्स) को अनुज्ञापिधारी के प्रदाय बिन्दु तक वापस लाया जायेगा तथा इसे अनुज्ञापिधारी के उपकरण से जोड़ने के लिये पर्याप्त मात्रा में केबल उपलब्ध कराई जायेगी।

स्विच तथा द्राव्यतन्तु (फ्यूस) (Switches and Fuses)

- 6.5 उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय के प्रारंभिक बिन्दु के निकट समुचित क्षमता के संयोजित त्वरित-विच्छेद मुख्य स्विच (लिंकड क्यूईक-ब्रेक मेन स्विच) की व्यवस्था प्रत्येक संवाहक (conductor) में विद्युत धारा के प्रवाह तथा उसे विच्छेद करने हेतु की जायेगी। उपभोक्ता परिसर के स्विच विद्युन्मय तन्तुपथ (live wire) पर होंगे, तथा अनाविष्ट तन्तुपथ (neutral wire) को इस प्रकार चिन्हित किया जायेगा, जहां वह उपभोक्ता के मुख्य स्विच (main switch) से निकल कर मापयन्त्र (meter) में संयोजन के लिये जाता है। किसी भी अनाविष्ट संवाहक (neutral conductor) में एकल खंभा स्विच (Single Pole Switch) कट-आउट अन्तस्थापित नहीं किया जायेगा।

भार का सन्तुलन (Balancing of load)

- 6.6 तीन फेज विद्युत प्रदाय से संबद्ध उपभोक्ताओं को प्रत्येक फेज पर भार को सन्तुलित करना होगा।

भू-योजन (Earthing)

- 6.7 भू-योजन के प्रयोजन के लिये किसी भी स्थिति में गैस तथा जलप्रदाय संबंधी नलिकाओं (Pipes) का उपयोग नहीं किया जाएगा। यथासंभव समस्त तन्तुपथ प्रणाली (wiring) को गैस तथा जलप्रदाय नलिकाओं से दूर रखा जाएगा।

घरेलू उपकरण (Domestic Appliances)

- 6.8 उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली (वायरिंग) की सुरक्षा के लिये बत्ती तथा पंखे के भारों को छोड़कर हीटर, गीजर, वातानुकूलन यंत्रों (Air conditioners), ओवन (Oven) के लिये उपभोक्ता के मुख्य वितरण बोर्ड से पर्याप्त क्षमता (size) के तारों का पृथक सर्किट स्थापित किया जाएगा। घरेलू उपकरणों के सर्किट के लिये उपयोग किये जाने वाले दीवार-प्लग (Wall plugs) 3-पिन प्रकार (3-Pin type) के होंगे तथा तीसरे पिन को भूयोजित (earthed) किया जाएगा। दो पिन वाले प्लगों के उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आर्द्र स्थलों पर स्थापित किये जाने वाले समस्त उपकरणों को उपभोक्ता के परिसर में प्रभावी रूप से भू-योजित (earth) किया जाएगा।

प्लग (Plugs)

- 6.9 सभी प्लगों के स्विच विद्युन्मय तन्तुपथ (Live wire) से जुड़े रहेंगे न कि अनाविष्ट (neutral) तन्तुपथ प्रणाली से।

अनुज्ञापिधारी की प्रणाली से हस्तक्षेप करने वाले उपकरण (Apparatus interfering with Licensee's system)

6.10 यदि उपभोक्ता अपनी विद्युत प्रदाय व्यवस्था में कोई ऐसा यंत्र या उपकरण स्थापित करता है, जिसके कारण दूसरे उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो अनुज्ञापिधारी उसके विद्युत प्रदाय को विच्छेदित कर सकेगा। ऐसे कारणों का निराकरण अनुज्ञापिधारी की सन्तुष्टि के अनुसार होने पर उक्त उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

ए.सी.मोटर की स्थापनाएं (A.C. Motor Installation)

6.11 मोटर की स्थापना नियन्त्रण गियर (control gear) के साथ की जायेगी, ताकि उपभोक्ता की स्थापना का प्रारम्भिक विद्युत-प्रवाह (current) किसी भी स्थिति में नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक न हो :

आपूर्ति का प्रकार	स्थापना का आकार	प्रारम्भिक विद्युत प्रवाह (current) (करंट) की सीमा
एकल फेज	एक ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) तक	कुल भार के अनुरूप विद्युत प्रवाह (current) का छः गुना
तीन फेज	1 ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) से अधिक एवं 10 ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) तक	कुल भार के अनुरूप विद्युत प्रवाह (current) का तीन गुना
	10 ब्रेक अश्व शक्ति (BHP) से अधिक एवं 15 ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) तक	कुल भार के अनुरूप विद्युत प्रवाह (current) का दुगुना
	15 ब्रेक अश्व शक्ति (BHP) से अधिक	कुल भार के अनुरूप विद्युत प्रवाह (current) का डेढ़ गुना

उपरोक्त दर्शाये विनियमों का परिपालन न करने पर उपभोक्ता के संयोजन को तत्काल विच्छेदित किया जा सकेगा।

उपभोक्ता के उपकरण (Consumer's Apparatus)

6.12 उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण(Apparatus)/उपस्कर (Appliances)/छोटे यंत्र (Gadgets) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों तथा मापदण्ड या समतुल्य के अनुरूप होंगे।

उपकरणों का ऊर्जा कारक (Power Factor of Apparatus) :

वैल्डिंग ट्रांसफार्मर (Welding Transformer)

6.13 समस्त निम्नदाब स्थापनाएं जिनमें वैल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयोजित भार कुल संयोजित भार के 25 प्रतिशत से अधिक हो उनमें उचित क्षमता के संधारित्र (Capacitor) का होना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा-कारक (पावर फेक्टर) 80 प्रतिशत से कम न हो। ऊर्जा कारक संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय-समय पर निश्चित किये गये अधिभार का भुगतान करना होगा। जब तक पर्याप्त क्षमता के संधारित्र (कैपेसिटर) की स्थापना नहीं कर दी जाती है, किसी भी संयोजन को स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

निम्नदाब शन्ट संधारित्र (Low Tension Shunt Capacitor)

6.14 सिंचाई पम्प सैट वाले उपभोक्ता सहित ऐसा प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके संयोजित भार में 3 ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) अथवा इससे अधिक की क्षमता वाली इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर निम्नदाब वाले शन्ट संधारित्र (Shunt Capacitor) स्थापित करने को अपनी मोटर के टर्मिनलों के बीच नीचे दी गई सूची के अनुसार स्थापित करने की व्यवस्था करेगा। वह उपभोक्ता जिसके निम्नदाब संयोजन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये मीटर में ऊर्जा कारक अभिलेखन वैशिष्ट्य (फ्रीचर) विद्यमान नहीं है, वह निम्न क्षमता (रेटिंग) में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार संधारित्रों (Capacitors) को स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा। तथापि, निम्न तालिका में दर्शाये गये संधारित्रों की क्षमता किसी भी उपभोक्ता को 0.8 न्यूनतम औसत ऊर्जा कारक के परिपालन को सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत होने से नहीं रोकेगी :

क्रमांक	इन्डक्शन मोटर की क्षमता (रेटिंग)	निम्नदाब संधारित्र की के.व्ही.ऐ.आर. क्षमता (रेटिंग)
1	3 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	1
2	5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 7.5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	2
3	7.5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 10 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	3
4	10 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 15 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	4
5	15 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 20 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	5
6	20 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 30 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	6
7	30 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 40 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	7
8	40 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 50 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	8
9	50 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 100 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	9

वह उपभोक्ता जिसके निम्न-दाब संयोजन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये मापयन्त्र (मीटर) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फ्रीचर) विद्यमान है, वह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा स्थापित किये गये संधारित्र (कैपेसीटर) 80 प्रतिशत तथा इससे अधिक ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) संधारित रखें।

ऐसे निम्न-दाब संयोजन(ों) पर जहां 3 ब्रेक अश्वशक्ति या उससे अधिक क्षमता की इन्डक्शन मोटर/मोटरे स्थापित की गई हैं, को विद्युत प्रदाय तब तक अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के संधारित्र स्थापित न कर दिये जाएं।

- 6.15 उपरोक्त वर्णित उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे सभी निम्नदाब उपभोक्ता, जिनका भार 50 किलोवॉट या इससे अधिक है, समुचित क्षमता का संधारित्र (कैपेसिटर) स्थापित करेंगे, ताकि समय-समय पर जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा प्रदाय विद्युत-दर (टैरिफ) में किये गये उल्लेख अनुसार 80 प्रतिशत या इससे अधिक ऊर्जा कारक सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा कारक सन्तोषजनक न पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये अर्थदण्ड (Penalty) का भुगतान करना होगा।
- 6.16 कोई निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संबंध में स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) में ऊर्जा-कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है तथा जो पूर्व में निर्दिष्टानुसार निम्नदाब संधारित्र (कैपेसिटर) स्थापित नहीं करता है अथवा इन संधारित्रों (कैपेसिटरो) को चालू स्थिति में संधारित नहीं करता है, उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि इसे समय-समय पर जारी विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश में निर्दिष्ट किया जाए। कोई निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके प्रकरण में, स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) में ऊर्जा-कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य विद्यमान है, परन्तु समुचित संधारित्रों (कैपेसिटरो) के स्थापित किये जाने पर भी मापयन्त्र में किये गये अभिलेख अनुसार विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऊर्जा-कारक (पावर फेक्टर) संधारित नहीं करता है उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि मापयन्त्र (मीटर) द्वारा अभिलिखित किया गया हो तथा जैसा कि इसे समय-समय पर जारी टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया जाए।
- 6.17 यदि औसत ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) 70 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की उचित सूचना के पश्चात किसी भी विद्युत स्थापना को विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर सकेगा, तथापि, विद्युत प्रदाय के विच्छेदन की अवधि में अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता से प्रचलित मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार आरोपित करने का अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित न होगा।

उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिये अन्य शर्तें (Other Conditions for HT/EHT Consumers)

- 6.18 उच्चदाब उपभोक्ता/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के उपबन्धों के अनुसार सुरक्षात्मक उपाय (Protections) स्थापित करने होंगे।
- 6.19 उपभोक्ता की स्थापना के सभी ट्रांसफार्मर, स्विचगियर (switchgears) तथा अन्य विद्युत उपकरण तथा वे उपकरण भी, जो अनुज्ञप्तिधारी के संभरकों तथा तन्तुपथों (लाईनों) से सीधे जुड़े हों उचित रूपांकन के होंगे तथा उपभोक्ता द्वारा इनका संधारण अनुज्ञप्तिधारी की यथोचित संतुष्टि के अनुसार किया जायेगा। उपभोक्ता के नियन्त्रण गियर (control gear) के द्राव्यतन्तु (फ्यूज) तथा नियन्त्रण गियर का विन्यास (सेटिंग) तथा उसके किसी भी सर्किट ब्रेकर की विदीर्ण क्षमता (rupturing capacity) उपकरण के सुरक्षित तथा दक्ष संचालन के लिये पर्याप्त तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन के अधीन होगी।
- 6.20 इस संहिता के प्रावधानों के होते हुए भी यह आवश्यक है, कि उपभोक्ता प्रचलित विधियों/नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षात्मक उपकरणों अथवा

सर्किट ब्रेकरों की उपयुक्तता के संबंध में विद्युत निरीक्षक का अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर ले ।

- 6.21 उपभोक्ता को न्यूनतम औसत ऊर्जा कारक जैसा कि आयोग द्वारा अपने खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, संधारित करना होगा। निर्दिष्ट ऊर्जा कारक के विचलन के कारण उपभोक्ता को अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा अथवा उसे प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी, जैसा कि आयोग द्वारा इसे समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए। ऐसी किसी स्थापना, जहां औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) 70 प्रतिशत से कम हो, का विद्युत प्रदाय (रेलवे तथा कोयला खदानों से संबंधित उपभोक्ताओं को छोड़कर) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता 15 दिवस की विधिवत सूचना के उपरांत विच्छेदित किया जा सकेगा। तथापि, संयोजन की विच्छेदित अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के प्रयोज्य मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार को आरोपित करने संबंधी अधिकार प्रभावित न होंगे।

उपभोक्ता की स्थापना का निरीक्षण एवं परीक्षण (Inspection and Testing of Consumer's Installation)

- 6.22 इसके पूर्व कि निम्नदाब उपभोक्ता के संबंध में कोई तन्तुपथ प्रणाली (wiring) या उपकरण तथा उच्चदाब उपभोक्ता के संबंध में कोई ट्रांसफार्मर, स्विचगियर या अन्य विद्युत उपकरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से संयोजित किया जाये, अनुज्ञप्तिधारी का निरीक्षण अनिवार्य होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन के बिना संयोजन प्रदान नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, समस्त उच्चदाब स्थापनाओं के लिये विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन अनिवार्य होगा जबकि खदानों की विद्युत स्थापनाओं के लिये खदान निरीक्षक का अनुमोदन अनिवार्य होगा ।
- 6.23 परीक्षण-प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को स्थापना के निरीक्षण एवं परीक्षण का समय एवं तिथि सूचित करेगा। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित किया गया अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि, जो तकनीकी रूप से सुयोग्य हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गई स्थापना से संबंधित कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिये निरीक्षण के समय उपस्थित रहे । अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा स्थापना के निरीक्षण/परीक्षण के प्रतिवेदन की प्रति उपभोक्ता को प्रदान करेगा एवं उपभोक्ता से इसकी पावती प्राप्त करेगा ।
- 6.24 यदि आवश्यक समझा जाए तो समस्त उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब उपकरणों के संबंध में विनिर्माता (manufacturer) के परीक्षण प्रमाण-पत्र (test certificate) प्रस्तुत किये जाएंगे।
- 6.25 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर के संवाहकों (conductors) तथा फिटिंग्स को उसके किसी कार्य से संयोजित नहीं करेगा, जब तक वह युक्तियुक्त रूप से सन्तुष्ट नहीं हो जाए कि संयोजन करने के समय स्थापना या उपकरण से इतने परिमाण का कोई रिसाव (leakage) न हो, जो सुरक्षा की दृष्टि से संकटमय हो।
- 6.26 यदि उपभोक्ता की स्थापना संयोजन की दृष्टि से असुरक्षित पायी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को दोषों के संबंध लिखित में सुधार किये जाने के बारे

में सूचित करेगा। दोषों में सुधार होने की सूचना प्राप्त हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी स्थापना का पुनः परीक्षण करेगा।

- 6.27 अनुज्ञप्तिधारी प्रथम परीक्षण के लिये कोई शुल्क आरोपित नहीं करेगा। प्रारम्भिक परीक्षण में पाये गये दोषों के कारण वांछित अनुवर्ती परीक्षणों का शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा। उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली (वायरिंग) के संधारण अथवा परीक्षण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

विस्तार तथा परिवर्तन (Extensions and Alterations)

- 6.28 उपभोक्ता के परिसर में उपभोक्ता द्वारा विद्युत स्थापना का कोई भी कार्य, जिसमें परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत तथा समायोजन कार्य सम्मिलित हैं, केवल बल्ब, पंखे, द्राव्यतन्तुओं (फ्यूज), स्विच, निम्न दाब घरेलू उपकरण एवं ऐसी अन्य फिटिंग्स को छोड़कर जो किसी भी प्रकार से संयोजन की क्षमता या स्वरूप में बदलाव न करते हों, निष्पादित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का बदलाव केवल अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ठेकेदार एवं ऐसा व्यक्ति, जिसके पास सक्षमता प्रमाण-पत्र हो, के सीधे पर्यवेक्षण में ही किया जाएगा। उच्चदाब/अति उच्चदाब स्थापना में विस्तार या भार परिवर्तन इत्यादि का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में विस्तार अथवा परिवर्तन के प्रकरणों में खदान निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

- 6.29 यदि ऐसे प्रस्तावित विस्तार एवं परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता के संयोजित भार या संविदा मांग में स्वीकृत संयोजित भार या संविदा मांग से वृद्धि की संभावना हो तो उपभोक्ता अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने संबंधी कदम उठायेगा। संविदा मांग या संयोजित भार में वृद्धि का नियमितीकरण न कराये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार न केवल दाण्डिक उच्चतर दर पर बिलिंग की जायेगी, वरन् विधिवत सूचना देने के उपरांत संबंधित उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय को विच्छेदित भी किया जा सकेगा।

उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण के प्रयोजन से उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश सुविधा (Access to Consumer's Premises for Inspection of Consumer's Installation)

- 6.30 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी उचित समय पर तथा अधिवासी को अपने उद्देश्यों के बारे में सूचना देकर उपभोक्ता के परिसर में स्थापना के निरीक्षण, मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग), विद्युत प्रदाय के विच्छेद, अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण का परीक्षण, मरम्मत, प्रतिस्थापन व परिवर्तन हेतु निकालने एवं अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति के रखरखाव एवं फेरबदल या ऐसे सभी आवश्यक कार्य जो उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय को सुचारु रूप से जारी रखने या संधारण के लिये अनिवार्य या सुसंगत हों, के लिये उपभोक्ता के परिसर, जिसमें विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो, में प्रवेश करने की पात्रता रखते हैं। ऐसे समस्त अधिकृत व्यक्ति जो उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करेगे, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये फोटो पहचान-पत्र (Photo Identity Card) धारित करेंगे तथा उन्हें ये पहचान-पत्र उपभोक्ता/अधिवासी को परिसर में प्रवेश करने के पूर्व दिखाने होंगे। यदि उपभोक्ता को ऐसे प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर संदेह हो, तो उसे तुरन्त अनुज्ञप्तिधारी से सम्पर्क करना चाहिये।

- 6.31 अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपभोक्ता को जानकारी देने के पश्चात् उसके परिसर में अनधिकृत विद्युत उपयोग की जांच, उपकरण में अनधिकृत वृद्धि एवं फेर-बदल, विद्युत की चोरी तथा दुरुपयोग, विद्युत विचलन (power diversion), मापयन्त्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह न करते हुए बाह्य मार्ग से प्रवाहित करने (meter by-pass) या मापयन्त्र से छेड़छाड़ अथवा सामान्य निरीक्षण या परीक्षण के लिये तत्काल प्रवेश करने की पात्रता रखते हैं। ऊर्जा के अनधिकृत उपयोग, उपकरण में अनधिकृत वृद्धि एवं फेरबदल, विद्युत की चोरी तथा दुरुपयोग, विद्युत के विचलन मीटर से छेड़छाड़ या बाईपास (by-pass) मिलने पर अनुज्ञप्तिधारी प्रचलित कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।
- 6.32 यदि वांछित परिसर के अधिवासी वयस्क पुरुष उपस्थित न हों तो, किसी भी घरेलू स्थल अथवा परिसर का निरीक्षण, परीक्षण या जांच, सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्यकाल के दौरान नहीं किया जाएगा।
- 6.33 यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त उल्लेखित कारणों से परिसर में प्रवेश करने के लिये युक्तियुक्त सुविधा प्रदान नहीं करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने के लिये परिसर में प्रवेश करने के उद्देश्य से उपभोक्ता को 24 घंटे की लिखित सूचना देगा। इसके बावजूद भी यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी प्रतिनिधि को प्रवेश करने की सुविधा प्रदान नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करने हेतु प्राधिकृत होगा।
- 6.34 यदि उपभोक्ता की स्थापना का विसंवहन प्रतिरोध (insulation resistance) इतना न्यून पाया जाता हो, जिससे ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग प्रभावित होता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति 48 घंटे की सूचना देने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय), विनियम, 2010 के अनुसार तथा विधि के अनुसार भी, अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना, दोषों के निराकरण होने तक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने हेतु प्राधिकृत होगा।

स्थापनाओं की विद्युत क्षमता का निर्धारण (Rating of Installations) --

- 6.35 घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजित भार का निर्धारण उपकरणों के भार विवरणों के आधार पर किया जायेगा। तथापि, यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हों कि कोई विशेष घरेलू संयोजन अथवा घरेलू संयोजनों का समूह विद्युत की अनधिकृत निकासी (abstraction) में सन्निहित हैं, तो प्रभारी अधिकारी, उपभोक्ता के परिसर का सर्वेक्षण संचालित कर सकेगा।
- 6.36 अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार के परिसरों का निरीक्षण करने, भार का आकलन करने तथा तदनुसार उपभोक्ता को इस बारे में सूचित करने के लिये स्वतन्त्र होगा। संविदा मांग/संयोजित भार से वास्तविक भार अधिक पाये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी नियमों तथा विनियमों के अनुसार अनुवर्ती कदम उठायेगा।
- 6.37 उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त, अन्य सभी श्रेणियों का संयोजित भार, एक साथ उपयोग किये जा सकने वाले सभी ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों

के विनिर्माता द्वारा निर्धारित क्षमता (रेटिंग) का योग होगा। इसे किलोवाट (kW), केवीए (kVA) या अश्वशक्ति (HP) में व्यक्त किया जायेगा। संयोजित भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान यदि निर्माता द्वारा दी गई क्षमता (रेटिंग) उपलब्ध न हो तो अनुज्ञप्तिधारी उक्त उपकरण के भार का निर्धारण करने के लिये उपयुक्त जांच-उपकरण का उपयोग कर सकेगा। यदि वातानुकूलन संयंत्र (Air Conditioner) तथा कमरा गर्म रखने वाला यन्त्र (room heater) दोनों एक ही परिसर में पाये जाते हैं तो दोनों में से अधिक क्षमता (रेटिंग) वाले उपकरण के भार को ही गणना के लिये मान्य किया जाएगा। ऐसे उपकरण जो विक्रय/सुधार या वास्तव में अतिरिक्त रूप से किसी विद्यमान संयोजित उपकरण के त्रुटियुक्त होने की दशा में उसके बदले में उपयोग करने के लिये भंडारित किये गये हों, के विद्युत भार की गणना, संयोजित भार का निर्धारण करने के लिये नहीं की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी पथ-प्रकाश व्यवस्था का समय-समय पर सर्वेक्षण करायेगा तथा उपयोग की जा रही बत्तियों के प्रकार तथा उनके भार का अभिलेखन करेगा।

6.38 घरेलू श्रेणी के अलावा सभी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं की स्थापनाएं अनुज्ञप्तिधारी के क्षमता निर्धारण (Rating)/पुनः क्षमता निर्धारण (Rerating) की पात्रता रखेंगी। यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित क्षमता-निर्धारण (Rating) से संतुष्ट न हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपकरण का भार निर्धारित करने हेतु अनुमोदित किये गये शासकीय अभियांत्रिकी संस्थानों में से किसी एक से अपने उपकरण का क्षमता-निर्धारण (रेटिंग) करा सकेगा। भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ही अपने प्रतिनिधि को संस्थान में उपस्थित रहने के लिये प्राधिकृत कर सकेंगे। संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन के साथ किये गये परीक्षण(ए) का विवरण संलग्न किया जाएगा। संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता (रेटिंग) अंतिमतः मान्य होगी तथा उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी दोनों को स्वीकार करनी होगी।

6.39 यदि किसी कारण से किसी स्थापना के संबंध में उसकी अधिकतम मांग, ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) या कोई अन्य विद्युत मात्रा का निर्धारण संभव न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर इनकी मात्राओं के बारे में क्षमता निर्धारण (Rating)/पुनःक्षमता निर्धारण (rerating) कर सकेगा, जो उपभोक्ता के लिये बन्धनकारी होगा।

उपभोक्ता की स्थापना में विद्युत उत्पादक संयंत्र (जनरेटर) का होना तथा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय प्रणाली के साथ उसका समानान्तर संचालन किया जाना (Generation in the Consumer's Installation and Parallel Operation with the Supply System of the Licensee)

6.40 उपभोक्ता द्वारा स्वयं स्थापित किये गये विद्युत उत्पादक संयंत्र (जनरेटर) के अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के साथ समानान्तर संचालन की अनुमति केवल अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमति से प्रदान की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर समानान्तर संचालन प्रभारों को आरोपित कर सकेगा।

6.41 जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी कोई सहमति प्रदान न की गई हो वहां उपभोक्ता स्वयं की उत्पादन इकाईयों के संयंत्र, मशीन तथा उपकरण जिनमें उनका परिवर्तन या विस्तार शामिल हो, पृथक विधि द्वारा (isolated mode) संचालित

करेगा तथा विद्युत उत्पादक संयन्त्र को किसी भी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से संयोजित नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को सूचित कर परिसर में प्रवेश द्वारा उपभोक्ता व्यवस्था का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जा सकता है कि उपभोक्ता का विद्युत उत्पादक संयन्त्र अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से किसी समय संयोजित तो नहीं किया जा रहा है।

- 6.42 जहां समानान्तर संचालन के लिये सहमति प्रदान कर दी गई हो, वहां उपभोक्ता अपनी स्थापना को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के विक्षेभों (डिस्टर्बेंसेस) से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगा। उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी विद्युत प्रदाय व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी की चालू प्रणाली से त्रुटिपूर्ण प्रकार से संबद्ध न की जाए। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी समानान्तर संचालन अथवा उसके कारण हुए किसी प्रतिकूल परिणाम के लिये उपभोक्ता के संयन्त्र, मशीन व उपकरण को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। ग्रिड के साथ समानान्तर संचालन के लिये उपभोक्ता को मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा अन्य सुरसंबद्ध विनियमों में निहित प्रावधानों का पालन करना होगा। वास्तविक प्रचालन राज्य पारेषण इकाई तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों के समन्वयन से किया जाएगा।
- 6.43 ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन के बिना ही उपभोक्ता के किसी विद्युत उत्पादक संयन्त्र (जनरेटर), इन्वर्टर या किसी अन्य स्रोत से अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से संयोजित हो जाती हो जिसके कारण अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को क्षति पहुंचे अथवा जनहानि में निमित्त हो, तो उपभोक्ता ही इसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा उसे अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपभोक्ताओं को हुई हानि की विधिवत क्षतिपूर्ति करनी होगी।

हारमोनिक्स (Harmonics)

- 6.44 यदि अनुज्ञप्तिधारी को यह पता चलता है तथा उपभोक्ता को यह प्रमाणित करता है कि उपभोक्ता की प्रणाली से हारमोनिक्स उत्पादित हो रहे हैं तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उचित क्षमता के हारमोनिक छानक (फिल्टर) लगाने हेतु निर्देश देगा। उपभोक्ता को ऐसे छानक (फिल्टर) छः माह की अवधि में स्थापित करने होंगे, जिसका परिपालन न किये जाने पर संयोजन के विच्छेदन के साथ-साथ आयोग के निर्णयानुसार अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता पर अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा।

अध्याय – 7

**संविदा मांग तथा अनुबन्ध
(Contract Demand and Agreement)**

संविदा मांग (Contract Demand)

उच्चतम मांग आधारित (द्वि-भाग) विद्युत-दर (टैरिफ) रहित निम्नदाब उपभोक्ता
{LT consumers without Maximum Demand (MD) based (two part) tariff}

7.1 उच्चतम मांग आधारित (द्वि-भाग) विद्युत-दर रहित निम्नदाब उपभोक्ताओं (टैरिफ) की संविदा मांग उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार परिसर के कुल संयोजित भार के अनुरूप होगी।

उच्चतम मांग आधारित विद्युत-दर (टैरिफ) वाले निम्नदाब उपभोक्ता एवं समस्त उच्चदाब एवं अति उच्चदाब उपभोक्ता (LT consumers with MD based tariff and all HT and EHT consumers)

7.2 ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुरूप होगी। तथापि, निम्नदाब संयोजन जो मांग आधारित विद्युत-दर (टैरिफ) से युक्त हों, के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी को दोनों संयोजित भार तथा संविदा मांग का उल्लेख अनुबंध में करना अनिवार्य होगा।

संविदा मांग/संयोजित भार में वृद्धि के संबंध में प्रक्रिया (Procedure for Enhancement of Contract Demand/Connected Load)

7.3 विद्युत भार में वृद्धि के लिये आवेदन दो प्रतियों में तथा निर्धारित प्ररूप में (परिशिष्ट 1 तथा 2) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क की राशि के साथ जमा किये जाएंगे।

7.4 तीस दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी बड़े हुए भार के लिये विद्युत प्रदाय की साध्यता का परीक्षण करेगा एवम् उपभोक्ता को निम्नानुसार सूचित करेगा :

- (अ) कि क्या अतिरिक्त विद्युत मात्रा की मांग विद्यमान वोल्टेज स्तर पर या फिर इससे अधिक वोल्टेज स्तर पर प्रदाय की जा सकती है ?
- (ब) प्रणाली में परिवर्धन या परिवर्तन, यदि कोई हो, जिनका क्रियान्वयन आवश्यक हो तो उपभोक्ता द्वारा इसके लिये वहन की जाने वाली राशि की जानकारी।
- (स) अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त अधोसंरचना की लागत तथा प्रणाली सुदृढीकरण प्रभार (System Strengthening Charges) या क्षमता निर्माण प्रभार (Capacity Building Charges) की राशि यदि कोई हों, जिन्हें उसे जमा करना होगा।
- (द) उपभोक्ता के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो।

- 7.5 यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। तथापि, यदि किसी न्यायालय द्वारा उपभोक्ता पर बकाया राशि के भुगतान पर स्थगन आदेश जारी किया गया हो, तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।
- 7.6 यदि बढ़े हुए भार का विद्युत प्रदाय किया जाना साध्य पाया जाता है तो उपभोक्ता :
- (अ) जहां स्थापना में परिवर्तन किया जाना सन्निहित हो, वहां वह अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र (completion certificate) तथा परीक्षण प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करेगा।
- (ब) यदि आवश्यक हो तो वह उच्चदाब/अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में विद्युत स्थापना हेतु विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन-पत्र (letter of approval) प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (स) अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप, प्रणाली में आवश्यक परिवर्धन तथा परिवर्तन (addition and alteration) की लागत, यदि लागू हो, तथा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करेगा।
- (द) एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) निष्पादित करेगा।
- (ई) ऐसे प्रकरणों में जहां निम्नदाब मांग आधारित विद्युत-दर (टैरिफ) प्रयोज्य हो तथा उपभोक्ता उसके संयोजित भार में संविदा मांग में बिना किसी परिवर्तन के अभिवृद्धि करना चाहे, वहां वह अनुज्ञप्तिधारी को विद्यमान उपकरणों तथा संयोजित किये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों का विवरण दर्शाते हुए एक आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करेगा तथा संयोजित भार को 15 दिवस के भीतर सत्यापित करेगा तथा उपभोक्ता को सूचित करेगा कि क्या संयोजित भार उपभोक्ता को प्रयोज्य विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अंतर्गत है। यदि टैरिफ की प्रयोज्यता के बारे में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को लिखित में सूचित करेगा। यदि अनुबंध मांग तथा प्रयोज्य विद्युत-दर (टैरिफ) में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता संयोजित भार में अभिवृद्धि के संबंध में एक अनुबंध निष्पादित करेंगे तथा उपकरणों की सूची, संयोजित भार का विवरण दर्शाते हुए, अनुबंध का एक भाग होगी। ऐसे प्रकरण में, उपभोक्ता को किसी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नहीं करना होगा। तथापि, उपभोक्ता को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार विद्युत प्रदाय उपलब्धता (supply affording charges) के आवश्यक प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- 7.7 नवीन/वैकल्पिक मापयन्त्र व्यवस्था सहित यदि प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाना आवश्यक न हो तो बढ़ा हुआ भार, आवश्यक

औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के बाद तत्काल स्वीकार किया जायेगा। यदि प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता हो तो नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

- 7.8 ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता इस संहिता में विनिर्दिष्ट की गई अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से भी अधिक संविदा मांग में वृद्धि करने का इच्छुक हो तो उसे उच्चतर वोल्टेज स्तर के लिये अन्तरण करना होगा या फिर यदि वह उच्चतर वोल्टेज में अन्तरण विद्यमान संविदा मांग के अन्तर्गत जो उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं की अर्हता रखता हो, की प्राप्ति का इच्छुक हो तो उसे मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये सयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में निर्दिष्ट उक्त उच्चतर वोल्टेज के अन्तर्गत, उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- 7.9 'रेलवे कर्षण' के प्रकरण में, यदि उपभोक्ता द्वारा छः सप्ताह पूर्व, संविदा मांग में परिवर्तन हेतु लिखित में सूचना दी गई हो तो उपभोक्ता को उसकी अनुबंधित संविदा मांग से अतिरिक्त विद्युत प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता की सहमति अनुसार की जा सकती है। तथापि, संविदा मांग में अभिवृद्धि के संबंध में प्रभावी तिथि, रेलवे विभाग द्वारा पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताएं, जैसे कि अनुबन्ध के निष्पादन, आवश्यक प्रभारों के भुगतान, आदि से पूर्व न होगी।

संविदा मांग में कमी किये जाने के संबंध में प्रक्रिया (Procedure for Reduction of Contract Demand)

- 7.10 यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के दौरान संविदा मांग में एक ही बार कमी को अनुज्ञेय किया जा सकेगा। संविदा मांग में कमी, संविदा मांग, जो आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदित की गई हो, के 50% (पचास प्रतिशत) तक ही सीमित की जा सकेगी, परन्तु कम की गई संविदा मांग इस संहिता के अध्याय-3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत न्यूनतम संविदा मांग से कम न होगी। एक बार भुगतान किये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (supply affording charges) तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार लौटाये नहीं जाएंगे।
- 7.11 उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी आवेदन निर्दिष्ट प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी की जाना अनुज्ञेय किया गया हो, वहां उपभोक्ता को एक सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) भी प्रस्तुत करना होगा।
- 7.12 संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न कदम उठाये जाएंगे :
- (अ) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन में उल्लेख किये गये कारणों पर विचार करेगा तथा आवेदन को स्वीकृति प्रदान करेगा अन्यथा आवेदन पर विचार न किये जाने पर आवेदक को तदनुसार आवेदन पर विचार न किये जाने संबंधी कारण दर्शाते हुए 15 पूर्ण दिवस की अवधि के भीतर लिखित में उसे सूचित करेगा।

- (ब) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लेखित 15 पूर्ण दिवस के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को लिखित नोटिस देकर उसका ध्यान आकृष्ट कर सकेगा तथा तदोपरांत भी यदि उपभोक्ता को निर्णय की सूचना 15 पूर्ण दिवस के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तो संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी, जो ऐसे नोटिस अवधि की समाप्ति के उपरान्त आगामी दिवस से प्रारंभ होगी।
- (स) ऐसे प्रकरण में जहां संविदा मांग में कमी किये जाने को अनुज्ञेय किया जा चुका हो, वहां संविदा मांग में कमी की जाना उक्त माह के उपरान्त माह की प्रथम तिथि से प्रभावशील हो जाएगी जब संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी निर्णय आवेदक को सूचित किया गया हो।
- 7.13 प्रारंभिक अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता अपने स्वयं के संयोजन की संविदा मांग इस संहिता में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु न्यूनतम संविदा मांग तक कम किये जाने बाबत अधिकृत होगा तथा इस प्रकार किया गया अनुरोध समस्त औपचारिकताएं जैसे कि अनुबंध का निष्पादन, आदि पूर्ण किये जाने की तिथि से प्रभावशील हो जाएगा। संविदा मांग में कमी किये जाने हेतु कोई अनुवर्ती मांग की जा सकती है जो ऐसी कमी की जाने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के प्रभावशील होने के उपरान्त ही अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 7.14 जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने को स्वीकृति प्रदाय कर दी जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) का निष्पादन किया जाएगा। संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी प्रभाव को अनुबंध को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात उपभोक्ता को अन्तरित कर दिया जाएगा।
- 7.15 उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुरोध को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उक्त संयोजन के विरुद्ध बकाया राशि का भुगतान किया जाना लंबित है।
- 7.16 उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किये जाने के कारण उसे नवीन संयोजन प्रभारों (new connection charges)/विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) का प्रत्यर्पण (refund) प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किये जाने के पश्चात अनुवर्ती तौर पर पुनः संविदा मांग में वृद्धि का इच्छुक हो, तो ऐसी दशा में उसे विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जैसा कि वे ऐसा अनुरोध करते समय प्रयोज्य थे।

अनुबंध (Agreement)

- 7.17 आवेदक द्वारा एक मानक प्ररूप (standard format) में निर्दिष्ट मूल्य के स्टाम्प-पत्र (stamp paper) पर नवीन संयोजन की प्राप्ति हेतु तथा संविदा मांग में परिवर्तन या मानदण्डों (parameters) के संबंध में अन्य किसी सहमत किये गये परिवर्तन के लिये अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबंध में कुछ विशिष्ट खण्डों (clauses) को जोड़ा जा सकेगा यदि उक्त खण्ड विद्युत

अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) एवं प्रभावशील अन्य नियम व शर्तों के प्रतिकूल न हों। ये विशिष्ट खण्ड अनुबन्ध का भाग होंगे। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के पश्चात् निष्पादित किये गये अनुबन्ध की एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान की जायेगी। उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय आवेदन के साथ जमा किया गया ले-आऊट या विन्यास (मानचित्र) जिस पर उपभोक्ता एवम् अनुज्ञप्तिधारी की सहमति एवं हस्ताक्षर हो, अनुबन्ध का भाग होगा।

- 7.18 अनुबंध के मानक प्रपत्र, इस संहिता के साथ संलग्न निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु परिशिष्ट-3 तथा उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु परिशिष्ट-4 के अनुसार होंगे। निम्नदाब घरेलू व निम्नदाब एकल फेस गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर जिनके लिये अनुबन्ध की कोई प्रारंभिक अवधि नहीं होगी, अन्य समस्त उच्चदाब तथा निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु अनुबंध की प्रारंभिक अवधि दो वर्ष होगी।
- 7.19 कोई भी उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसको प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा।
- 7.20 यदि अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय प्रणाली में व्यवधान आता है तो परिस्थितियों के औचित्य के अनुसार विद्युत प्रदाय में कटौती (curtail) की जा सकेगी, या पृथक-पृथक कालखण्डों में व्यवधान के साथ (stagger) प्रदाय की जा सकेगी या बंद भी की जा सकेगी। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय प्रणाली के नियतकालिक रखरखाव हेतु भी उपभोक्ताओं को उचित सूचना देने के पश्चात् उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की कटौती, पृथक-पृथक कालखण्डों में व्यवधान के साथ प्रदाय या पूर्णतया अवरुद्ध करके भी कर सकेगा।
- 7.21 उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा का उपभोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार से अनुज्ञप्तिधारी के हितों के विपरीत दुरुपयोग नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उपयोग लागू विद्युत अधिनियम, 2003 तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 7.22 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा का उपयोग किसी भी उपभोक्ता द्वारा केवल स्वयं के उपयोग के लिये अनुबंध में निहित प्रावधानों तथा प्रयोजन के अनुसार ही किया जाएगा तथा इसका किसी भी प्रकार से विपथन (diversion) नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विस्तार/विपथन के लिये अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।
- 7.23 अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य विद्यमान अनुबन्ध को यदि संशोधित/परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो ऐसा एक अनुपूरक अनुबन्ध (supplementary agreement) के माध्यम से किया जा सकेगा।
- 7.24 जब किसी उपभोक्ता की स्थापना को शासन अथवा विद्युत निरीक्षक के निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से विच्छेदित किया जाता है, तो विद्युत प्रदाय का पुनर्संयोजन शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य किसी उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन, जैसा आवश्यक हो, के उपरांत तथा उपभोक्ता द्वारा पुनर्संयोजन शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जा सकेगा। उपभोक्ता के अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को स्थाई/न्यूनतम प्रभारों का

भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा, सिवाय ऐसी परिस्थितियों में जब यह विच्छेदन जिला कलेक्टर के आदेशों के अन्तर्गत हुआ हो ।

- 7.25 नाम परिवर्तन, परिसर के स्थानांतरण, संयोजित भार में परिवर्तन या टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन के उद्देश्य से किये जाने वाले संशोधन उसी परिस्थिति में सम्पादित किये जायेंगे, जब उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों, ऐसे संशोधनों के लिये सहमत हों तथा इन संशोधनों को अनुबन्ध में समाहित करने के लिये अनुपूरक अनुबन्ध का निष्पादन किया जायेगा । अनुपूरक अनुबन्ध के निष्पादन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।
- 7.26 यदि उपभोक्ता को स्वीकृत तथा संयोजित भार से अधिक विद्युत की खपत करते हुए पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता से विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग द्वारा वसूली की जाएगी ।

अनुबन्ध का समापन (Termination of Agreement)

- 7.27 यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबन्ध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा । यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत, अनुज्ञप्तिधारी का अनुबन्ध समाप्त हो जाएगा बशर्ते अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हो । संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किये बगैर, उक्त विशिष्ट त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन की विद्युत प्रणाली (नेटवर्क) से हटा लिया जाएगा । अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के अन्तर्गत प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार स्थाई प्रभार अथवा न्यूनतम प्रभार का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा । ऐसे प्रकरणों में, संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अनुबन्ध का समापन अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के पश्चात किया जा सकेगा ।
- 7.28 घरेलू या एकल फेज़ गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 15 दिवस का नोटिस दे कर अनुबन्ध का समापन कर सकते हैं । उपरोक्त दर्शाई गई श्रेणियों के अलावा अन्य उपभोक्ता अनुबन्ध की दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने का नोटिस दे कर अनुबन्ध का समापन कर सकते हैं । अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अन्तिम बिल को बनाने में सुविधा हेतु आपसी सहमति से निश्चित की गई तिथि को विशेष मापयन्त्र (मीटर) वाचन लेने की व्यवस्था करेगा । अनुबन्ध का समापन बिलिंग माह की अन्तिम तिथि को किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार अन्तिम देयक भुगतान हेतु तैयार करेगा ।
- 7.29 अनुबन्ध के समापन के बाद, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर से विद्युत प्रदाय हेतु लगाये गये उपकरण तथा सेवा तन्तुपथ (service line) हटाने के लिये अधिकृत होगा । स्थाई विच्छेदन के बाद यदि उपभोक्ता संयोजन को पुनः चालू करने का इच्छुक हो, तो इसे नवीन संयोजन के आवेदन की ही भांति माना

जायेगा तथा इसे उसी दशा में स्वीकार किया जायेगा जब आवेदक द्वारा समस्त बकाया देय राशि का भुगतान कर दिया गया हो ।

संविदा मांग को पुनः चरणबद्ध/अनुसूचीबद्ध करना (Rephasing/Rescheduling of Contract Demand)

7.30 यदि उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग के बारे में अनुबन्ध का निष्पादन चरणबद्ध रूप से किया गया हो तथा संविदा मांग को पुनः चरणबद्ध/अनुसूचीबद्ध करने का इच्छुक हो, तो इसके लिये उपभोक्ता को अनुमति प्रदान की जा सकती है परन्तु संविदा मांग के इस प्रकार के पुनः चरणबद्ध/अनुसूचीबद्ध किये जाने के फलस्वरूप संविदा मांग में कमी नहीं की जा सकेगी।

7.31 उपभोक्ता को पुनरीक्षित वांछित संविदा मांग की प्रस्तावित प्रारंभिक तिथि से कम से कम एक माह पूर्व इस प्रकार की पुनः चरणबद्धता/अनुसूचीबद्धता के लिये आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7.32 उपभोक्ता को उपरोक्त सुविधा अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के दौरान केवल एक बार ही अनुज्ञेय की जाएगी।

संयोजनों का संविलियन/एकीकरण (Merger/Amalgamation of Connections)

7.33 ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ता संस्पर्शी भूमि (contiguous land) पर विद्यमान पृथक संयोजनों के संविलियन के लिये विकल्प प्रस्तुत करता हो तथा निम्न निबन्धनों तथा शर्तों की भी तुष्टि करता हो, तो उसे वांछित अभिलेखों के प्रस्तुत करने के उपरांत इस संबंध में नवीन अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के बाद ऐसा किये जाने की अनुमति इस शर्त के अन्तर्गत प्रदान की जा सकेगी कि संविदा मांग खण्ड 3.4 के अन्तर्गत दर्शाई गई एक विशिष्ट वोल्टेज के अध्यधीन निर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक न होगी :

- (अ) जो एक ही स्थापना तथा पदाधिकारी (staff) धारित करते हों ;
- (ब) जो एक ही व्यक्ति/कम्पनी के स्वामित्व अथवा पट्टे पर स्थित हों ;
- (स) किसी प्रयोज्य कानून/संविधि के अन्तर्गत एकल अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के अन्तर्गत आते हों ;
- (द) जिनका संविलियन के बाद विद्युत प्रदाय का एक सांझा बिन्दु हो जो एक ही स्थान पर स्थित हों ; तथा
- (ई) इनमें से किसी भी विद्यमान संयोजन के विरुद्ध बकाया राशि का भुगतान लंबित न हो।

7.34 ऐसे प्रकरणों में, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges), जैसा कि इन्हें मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये सयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, विद्यमान संयोजनों के अनुबन्धों के अनुसार, कुल संविदा मांग के लिये फिर से इन प्रभारों को भुगतान करने की आवश्यकता न होगी।

अध्याय-8

विद्युत मापन तथा बिलिंग (Metering & Billing)

मापयन्त्रों की आवश्यकता (Requirement of Meters) :

- 8.1 कोई भी नवीन संयोजन मापयन्त्र (meter) एवं सुसंगत मानकों के अनुसार उचित मापदण्ड के कट-आउट (cut-out) या मिनीएचर सर्किट ब्रेकर (Miniature Circuit Breaker-MCB) अथवा सर्किट ब्रेकर (Circuit Breaker-CB) के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन सेवा संयोजनों, अमीटरीकृत संयोजनों के प्रावधान तथा रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मापयन्त्रों/विद्युत मापन उपकरणों को बदले जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में उचित मापयन्त्रों (मीटरों)/विद्युत-मापन उपकरणों (metering equipments) की अधिप्राप्ति की व्यवस्था की जाएगी।
- 8.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पर्क किये जाने पर समस्त उपभोक्ताओं को उपयुक्त विद्युत मापन उपकरण (metering device), भार-नियन्त्रक (Load Limiter), छेड़-छाड़ रोधी बक्से (tamper proof boxes) या अन्य उपकरणों को स्थापित करना स्वीकार करना होगा एवं उपभोक्ता को मापयन्त्र और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त स्थान भी उपलब्ध कराना होगा।
- 8.3 उच्चदाब (HT) विद्युत प्रदाय के प्रकरण में यदि उच्चदाब विद्युत मापन प्रणाली तत्काल स्थापित नहीं की जा सकती हो तो उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब पक्ष की ओर निम्नदाब (LT) विद्युत मापन व्यवस्था की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में बिलिंग के प्रयोजन हेतु विद्युत मात्राओं की गणना, रूपान्तरण हानि (transformation loss) हेतु, निम्नदाब मापयन्त्र में दर्ज खपत में उसका 3 प्रतिशत जोड़कर की जाएगी। यह व्यवस्था तीन माह से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं रखी जाएगी तथा अनुज्ञप्तिधारी को तीन माह के भीतर ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर मापयन्त्र प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करनी होगी।
- 8.4 यदि उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय व्यवस्था एक पृथक स्वतंत्र संभरक (फीडर) पर पूर्णतया उसके उपयोग के लिये की जाती हो तो विद्युत मापन की व्यवस्था उपभोक्ता के परिसर में की जायेगी अथवा यदि इस बारे में परस्पर सहमति हो तो यह व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर भी की जा सकती है।
- 8.5 अनुज्ञप्तिधारी, समुन्नत प्रौद्योगिकी के मापयन्त्रों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान मापयन्त्रों तथा उपभोक्ता के परिसर में मापयन्त्रों को स्थापित करने के स्थान की उपयुक्तता की समीक्षा अधिकारिक तौर पर कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में सुदूर विद्युत मापन यन्त्र (remote metering device) इस यन्त्र की तकनीकी अर्हताओं के अनुसार स्थापित कर सकेगा तथा ऐसी दशा में उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को उसके स्वयं के दूरभाष के माध्यम से इस प्रणाली के वाचन हेतु आवश्यक पहुंच की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उच्चतम मांग मापयन्त्र (maximum demand meter) जिसमें उच्चतम मांग अभिलेख

संबंधी विशिष्टताएं या अन्य अतिरिक्त विशिष्टताएं उपलब्ध हों, स्थापित कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी एक उपभोक्ता के संयोजन अथवा उपभोक्ताओं के संयोजनों के समूह के लिये प्रति-परीक्षण मापयन्त्र (check meter) की स्थापना हेतु भी अधिकृत होगा। यदि प्रति-परीक्षण मापयन्त्र व बिलिंग मापयन्त्र में दर्ज खपत में अंतर स्वीकृत सीमाओं से अधिक हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विधिवत लिखित सूचना देने के उपरान्त, बिलिंग मापयन्त्रों की स्थापना खम्भे (पोल) पर या खम्भे पर स्थापित स्तम्भ बक्सों (pillar boxes) पर कर सकेगा।

मापयन्त्र तथा कट-आऊट/एमसीबी/सीबी का प्रदाय और स्थापना (Supply and Installation of Meters and Cut-outs/MCBs/CBs) :

- 8.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नवीन विद्युत संयोजन प्रदान करते समय अथवा आवश्यकतानुसार किसी अन्य समय पर भी मापयन्त्र (मीटर), मापयन्त्र उपकरण (metering equipments) एवं कट-आऊट/एमसीबी/सीबी/भार-नियन्त्रक (load-limiter) उपलब्ध कराये जायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापयन्त्र तथा मापयन्त्र उपकरणों को सही कार्यस्थिति में रखा जाएगा और उपभोक्ता द्वारा इनके मासिक किराये का भुगतान मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।
- 8.7 मापयन्त्र (मीटर) सामान्यतः परिसर में सीमा-दीवार (बाउंड्रीवाल) के अन्दर भवन की बाहरी दीवार पर इस प्रकार स्थापित किया जाएगा ताकि यह मौसम संबंधी प्राकृतिक कारकों जैसे कि हवा, पानी, धूप इत्यादि से सुरक्षित रहे तथा मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) द्वारा इसका वाचन (रीडिंग) बाहर से ही किया जा सके तथा मापयन्त्र वाचन के लिये परिसर, यदि वह विद्यमान है तो उसे ऐसे प्रयोजन हेतु उसका ताला खोलने की आवश्यकता न हो। विशेष परिस्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र को उपरोक्त वर्णित स्थान से भिन्न स्थान पर स्थापित कर सकता है तथापि इसकी अनुमति लिखित रूप से सहायक यंत्री या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता, विद्युत प्रदाय के निर्धारित बिन्दु से अपनी आंतरिक तन्तुपथ प्रणाली (wiring) की स्थापना करेगा। मापयन्त्र बक्से (meter box) को सामान्यतः ऐसी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा ताकि मापयन्त्र वाचन फलक/प्रदर्शन वातायन (meter reading/counter display window) को मापयन्त्र वाचक द्वारा खड़े रहकर आसानी से पढ़ा जा सके। निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में मापयन्त्र तथा कट-आऊट/एमसीबी और उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मापयन्त्र, सर्किट ब्रेकर तथा केबल सहित अन्य सहयोगी उपकरण की स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय बिन्दु पर की जाएगी।
- 8.8 सभी नवीन मापयन्त्रों (meters) की स्थापना छेड़-छाड़ रोधी मापयन्त्र बक्से (tamper proof meter box) में की जाएगी।
- 8.9 अर्द्ध-स्थायी प्रकार के कच्चे मकानों में अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मापयन्त्र (मीटर) को दीवार पर सुचारु रूप से स्थापित किया जा सके और मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) की मापयन्त्र तक की पहुंच सुगम हो। यदि उपभोक्ता मापयन्त्र स्थापित करने के लिये अच्छी गुणवत्ता की दीवार उपलब्ध

नहीं करा पाता हो तो अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र को खंभे (पोल) पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये स्तम्भ-बक्से (pillar box) में स्थापित कर सकेगा जिसका व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी स्थापना का उचित रूप से भू-योजन (अर्थिंग) किया जाना भी सुनिश्चित करेगा।

- 8.10 ऐसे प्रकरणों में, जहां मापयन्त्र परिसर के भीतर स्थापित किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी के मापयन्त्र तथा अन्य उपकरण, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने हेतु स्थापित किये गये तन्तुपथ (लाईन) के परिसर में प्रवेश बिन्दु के निकट स्थापित किये जाएंगे ताकि विद्युत मापन इकाई (Metering unit) परिसर के बाहर से दृष्टव्य हो एवं मापयन्त्र तथा विद्युत मापन कक्ष (Metering Cubical) के लिये स्वतंत्र एवं निर्बाध प्रवेश उपलब्ध कराया जा सके। जहां कहीं आवश्यक हो वहां उपभोक्ता अपने स्वयं के व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदित किये गये रूपांकन अनुसार उसके (अनुज्ञप्तिधारी के) टर्मिनल उच्चदाब स्विच गियर तथा उपकरणों को स्थापित करने के लिये मौसम रोधी एवं तालायुक्त कमरा/अहाता उपलब्ध करायेगा एवं इसका रखरखाव भी करेगा।
- 8.11 जब कभी भी कोई नया मापयन्त्र (मीटर)/मापयन्त्र उपकरण (metering equipment) (इसे बदलने या फिर नए संयोजन के प्रयोजन से) स्थापित किया जाए तो दोनों पक्षों, यथा अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता की ओर से उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मापयन्त्र को ठीक प्रकार से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपना पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। इस मापयन्त्र या मापयन्त्र उपकरण की सील, नाम पट्टिकाओं और उनमें खुदे हुए विशिष्ट अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों।
- 8.12 मापयन्त्र (मीटर), कट-आउट, एमसीबी/सीबी आदि, जो अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में स्थापित किये गये हों, को छोड़कर, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये गये मापयन्त्रों, कट-आउटों, एमसीबी/सीबी आदि की सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं उपभोक्ता का होगा।
- 8.13 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके प्रचालन क्षेत्र में स्थापित किये गये मापयन्त्रों (मीटरों) के समस्त प्रकारों की सूची वर्ष में एक बार आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। इस जानकारी में प्रत्येक प्रकार के मापयन्त्र के मापदण्ड का विशेष विवरण और कौन से प्रकार के मापयन्त्र कितनी संख्या में उपयोग में लाये जा रहे हैं तथा कितने मापयन्त्र भंडार में विद्यमान हैं, का विवरण भी शामिल किया जाएगा।

मापयन्त्रों का परीक्षण (Testing of Meters) :

- 8.14 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पूर्व इसकी परिशुद्धता से अपने को संतुष्ट कर ले और इस प्रयोजन हेतु वह मापयन्त्र का परीक्षण भी कर सकेगा।

8.15 अनुज्ञप्तिधारी निम्न अनुसूची के अनुसार मापयन्त्रों का नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण भी करेगा:

(अ) एकल फेज/तीन फेज मापयन्त्रों (Single Phase/Three Phase Meters) का पांच वर्ष में कम से कम एक बार।

(ब) उच्चदाब मापयन्त्रों (H.T. Meters) का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार।

जहां कहीं सीटी एवं पीटी स्थापित किये गये हों, का परीक्षण भी मापयन्त्रों के साथ ही किया जाएगा।

यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्यमान मापयन्त्र को परीक्षण हेतु हटाया भी जा सकेगा। तथापि, ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को इस आशय की उपभोक्ता को प्रामाणिक सूचना प्रस्तुत करनी होगी और अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा मापयन्त्र निकालने के पूर्व अपना नाम व पद सहित हस्ताक्षर कर उपभोक्ता को पावती देनी होगी। उपभोक्ता, इस प्रकार मापयन्त्र को हटाने पर अपनी आपत्ति प्रकट नहीं करेगा।

दोषपूर्ण मापयन्त्र (Defective Meters) :

8.16 किसी मापयन्त्र (मीटर) एवं संबंधित उपकरण की परिशुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को उनके परीक्षण करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में वांछित सहायता भी उपलब्ध करायेगा। मापयन्त्र परीक्षण के दौरान उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति भी दी जाएगी।

8.17 कोई भी उपभोक्ता मापयन्त्र (मीटर) की परिशुद्धता के बारे में शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को मापयन्त्र का परीक्षण करने के लिए आवश्यक परीक्षण शुल्क के भुगतान द्वारा अनुरोध कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र के परीक्षण की व्यवस्था करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मापयन्त्रों की प्राथमिक जांच उपभोक्ताओं के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण के माध्यम से की जा सकती।

8.18 मापयन्त्र (मीटर) के प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने वाले सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को परीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी ताकि उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि परीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सके। यदि परीक्षण के समय उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं तो परीक्षण परिणाम-पत्रक (test result sheet) पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जाएंगे।

8.19 यदि कोई उपभोक्ता अपने मापयन्त्र (मीटर) का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला के बजाय किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में उसके स्वयं के व्यय पर कराने का इच्छुक हो तो वह ऐसा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में आवश्यक प्रभारों के भुगतान द्वारा कर सकेगा।

मापयन्त्र (अधिकतम मांग संसूचक सहित) जो वाचन दर्ज न कर रहा हो {Meter (Including Maximum Demand Indicator) Not Recording} :

- 8.20 उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही उसे मापयन्त्र (मीटर) के रूकने/वाचन दर्ज न करने का पता लगे वह अनुज्ञप्तिधारी को इसकी लिखित सूचना दे। उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत सूचना की अभिरवीकृति उसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- 8.21 समयकालिक या अन्य निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई मापयन्त्र (मीटर) यदि चालू अवस्था में नहीं पाया जाता है या उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में अपनी शिकायत प्रस्तुत की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र का परीक्षण 7 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था करेगा। निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मापयन्त्र को शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस के भीतर सुधार करना/नया मापयन्त्र स्थापित करना होगा जबकि ग्रामीण क्षेत्र में उक्त कार्यवाही उसे 30 दिन के भीतर करनी होगी। उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मापयन्त्र को सात दिवस के भीतर सुधार करना/बदलना होगा।
- 8.22 उक्त माह के दौरान, जब मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरण (Meter/Metering Equipment) शहरी क्षेत्र में 15 दिवस से अधिक अवधि तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस से अधिक की अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण अवस्था में रहते हों, तो मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरणों के प्रति कोई भी मापयन्त्र प्रभार (metering charges) देय न होंगे।

मापयन्त्रों की स्थापना (Installation of Meters) :

- 8.23 उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित किये जाने वाले मापयन्त्र, संयोजन की अनुबंध मांग के अनुरूप उपयुक्त क्षमता के तथा भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मानकों के अनुरूप होंगे। मापयन्त्रों की परिशुद्धता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मापयन्त्रों की स्थापना तथा संचालन से संबंधित विनियम, यथा Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 जैसा कि इसे समय-समय पर संशोधित किया गया हो, के अनुसार जारी मानदण्डों के अनुरूप होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्रों को अनुज्ञप्तिधारी के भण्डार को प्रदाय करने से पूर्व सुसंगत भारतीय मानक मानदण्डों (आईएसएस) के अनुसार इनका परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ता परिसर में मापयन्त्रों की स्थापना से पूर्व, वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त मापयन्त्रों का नियत सामान्य परीक्षण सुसंगत भारतीय मानकों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार मापन की परिशुद्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में भी करेगा।

मापयन्त्र वाचन, विद्युत देयक तैयार करना एवं देयकों का वितरण करना (Meter Reading, Bill Generation and Bill Distribution) :

- 8.24 घरेलू उपभोक्ताओं के मापयन्त्रों का वाचन केवल दिन के प्रकाश के समय ही किया जाएगा। विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के लिये मापयन्त्र वाचन की समयावधि निम्नानुसार दी गई है। तथापि, यदि अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक एवं उपयोगी समझे तो वह इस समयावधि में सुधार भी कर सकेगा।

उपभोक्ता श्रेणी (Consumer Category)	मापयन्त्र वाचन का अन्तराल (Meter Reading)
घरेलू – ग्रामीण	तीन माह में एक बार
घरेलू – शहरी (नगरपालिक निगम शहर, प्रचलित जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाएं एवं जिला मुख्यालय नगर)	प्रति माह
अन्य घरेलू-शहरी	दो माह में एक बार
गैर-घरेलू < 10 किलोवाट – ग्रामीण	तीन माह में एक बार
गैर-घरेलू – अन्य (शहरी एवं ग्रामीण)	प्रति माह
निम्नदाब औद्योगिक	प्रति माह
कृषि – ग्रामीण	तीन माह में एक बार
कृषि – शहरी	दो माह में एक बार
पथ-प्रकाश व्यवस्था, जलप्रदाय कार्य, क्ष-किरण (एक्स-रे) संयन्त्र, विद्युत शवदाह गृह	प्रति माह
उच्चदाब	प्रति माह

- 8.25 मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग) के दौरान मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र (Photo Identity Card) जो उनकी वर्दी पर इस प्रकार नत्थी (पिन) किये जाएंगे ताकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके, अपने साथ धारित करेंगे।
- 8.26 अनुज्ञप्तिधारी हस्तधारित उपकरणों (hand held instruments), मापयन्त्र वाचन उपकरण (Meter Reading Instruments-MRI) अथवा बेतार उपकरण (Wireless equipment) का उपयोग मापयन्त्र वाचन और तत्काल देयक (बिल) जारी करने (Spot Billing) हेतु कर सकेगा। यदि देयक मापयन्त्र वाचन उपकरण (एम.आर.आई.) डाउनलोड प्रक्रिया का उपयोग कर अथवा सुदूर मापयन्त्र वाचन (Remote Meter Reading) व्यवस्था के आधार पर बनाये जाते हैं तथा यदि उपभोक्ता इस प्रकार किये गये वाचन का अभिलेख प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह अधिकारी/कर्मी जो मापयन्त्र वाचन ले रहा है, इसे उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा।
- 8.27 तत्काल देयक तैयार करने (spot billing) संबंधी प्रक्रिया के दौरान यदि अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधि उपभोक्ता की अनुपस्थिति अथवा परिसर के बन्द होने की दशा में मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग) लेने में असमर्थ रहता हो तो वह उपभोक्ता परिसर में इस आशय का रूकका/पत्रक (note) छोड़ सकेगा कि उपभोक्ता अपना चालू मापयन्त्र वाचन दूरभाष के माध्यम से देयक तैयार करने के प्रयोजन हेतु कार्यालय में सूचित कर सकता है। तत्पश्चात्, उपभोक्ता किसी भी सुविधाजनक तिथि पर अपने देयक की प्रति कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। तथापि, दूरभाष पर मापयन्त्र वाचन प्राप्त कर देयक प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया की सुविधा एक अन्तराल के दौरान एक देयक-प्रदाय चक्र (billing cycle) से अधिक अवधि के लिये प्रदान नहीं की जाएगी।

- 8.28 अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक विशिष्ट उपभोक्ता क्रमांक (unique consumer number) आवंटित करे तथा इसे संबंधित उपभोक्ता को संसूचित करे।
- 8.29 अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह विकल्प होगा कि वह ऊर्जा के प्रभारों की अग्रिम भुगतान योजना (pre-payment scheme) ऐसे उपभोक्ताओं के लिये लागू करे जो अमीटरीकृत विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे हैं। इस अग्रिम भुगतान योजना का विवरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से अनुमोदित कराना होगा तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के बाद इसे क्रियान्वित करना होगा।
- 8.30 प्रत्येक श्रेणी के विद्युत देयक प्रचलित विद्युत-दर आदेश (tariff order) में प्रसारित जानकारी के आधार पर तैयार किये जायेंगे।
- 8.31 यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत संयोजन किसी माह के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता हो तो प्रथम देयक माह के अन्तर्गत स्थाई प्रभार (Fixed Charges) वास्तविक आधार पर प्रभारित किये जाएंगे। तथापि, अन्य प्रभार, जैसे कि न्यूनतम प्रभार आदि की राशि की गणना माह के दौरान विद्युत प्रदाय की गई वास्तविक दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक दर पर की जाएगी। दर्ज की गई विद्युत खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में, आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा। इस कण्डिका के प्रयोजन से माह की अवधि की गणना 30 दिवस के रूप में की जाएगी।
- 8.32 अनुज्ञप्तिधारी देयक पर देयक के वितरक का नाम, रबर मोहर लगाकर दर्शायेगा तथा देयक वितरक उपभोक्ता को देयक जारी करने से पूर्व देयक पर इसके वितरण की दिनांक भी अंकित करेगा।
- 8.33 अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (audit) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता। जहां कहीं मापयन्त्र वाचन उपकरण (Meter Reading Instruments-MRI) डाउनलोड सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समस्त संयोजनों के मापयन्त्र वाचन उपकरण के माध्यम से मासिक मापयन्त्र वाचन प्राप्त करने के सभी संभव प्रयास किये जाएंगे।
- 8.34 यदि किसी कारणवश वाचन के लिये मापयन्त्र (मीटर) तक पहुंच संभव न हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को मापयन्त्र वाचन के लिये उपलब्ध कराने हेतु लिखित में नोटिस, जिसमें समय एवं दिनांक का उल्लेख होगा, भेजेगा। उपरोक्तानुसार नोटिस दिये जाने के बावजूद यदि वाचन के लिये उपभोक्ता मापयन्त्र उपलब्ध नहीं कराता है तो अनुज्ञप्तिधारी अधिभार सहित अनन्तिम विद्युत देयक (provisional bill) उपभोक्ता को प्रेषण हेतु स्वतंत्र होगा। अधिभार की राशि प्रचलित विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार होगी। अनन्तिम देयक पूर्व वित्तीय वर्ष की औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तैयार किया जायेगा।

इस प्रकार अनन्तिम तैयार किये गये देयक की राशि का समायोजन बाद में अनुवर्ती देयक-चक्र (billing cycle) में वास्तविक मापयन्त्र वाचन (meter reading) के आधार पर बनाये जाने वाले देयक में किया जायेगा। ऐसी अनन्तिम देयक प्रक्रिया को एक बार में दो से अधिक मापयन्त्र वाचन चक्रों के लिये जारी नहीं रखा जाएगा। आगामी मापयन्त्र वाचन चक्र के समय भी यदि मापयन्त्र वाचन हेतु उपलब्ध नहीं रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित समय एवं दिनांक पर, मापयन्त्र वाचन हेतु अपना परिसर खुला रखने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में निर्धारित किये गये समय पर भी यदि उपभोक्ता द्वारा मापयन्त्र वाचन हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163(3) के अन्तर्गत 24 घण्टों की सूचना देकर संबंधित उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया जा सकेगा।

8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा :

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा।

8.36 अनुज्ञप्तिधारी, दोषपूर्ण मापयन्त्रों (मीटरों) के प्रतिस्थापन (replacement) के बारे में पद्धति, प्रक्रिया और उत्तरदायित्व का एक विस्तृत अभिलेख तैयार करेगा।

- 8.37 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं को देयक दस्ती से (by hand) अथवा डाक से प्रेषित किये जाएंगे। उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर पंजीकृत डाक से भी देयक प्रेषित किये जा सकेंगे, तथापि इस प्रकार के देयक प्रेषण पर होने वाला व्यय उपभोक्ता से वसूली-योग्य होगा।
- 8.38 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय देयकों का वितरण, इनकी नगद भुगतान की नियत तिथि से कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व सुनिश्चित करेगा।

घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अधिवास में परिवर्तन/परिसर को खाली करने पर मापयन्त्रों की विशेष वाचन व्यवस्था : (Special Reading of Meters in cases of Change of Occupancy/Vacation of Premises for Domestic Consumers)

- 8.39 विद्युत संयोजन के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह अपने अधिवास में परिवर्तन अथवा परिसर को खाली किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी से संपर्क कर मापयन्त्र का विशेष वाचन किया जाना सुनिश्चित करे।
- 8.40 संयोजन के वर्तमान स्वामी (owner)/प्रयोक्ता (user) को परिसर के खाली किये जाने या अधिवास के परिवर्तित होने की स्थिति में, जैसा प्रकरण में लागू हो, अनुज्ञप्तिधारी को मापयन्त्र के विशेष वाचन (special meter reading) हेतु कम से कम 15 (पन्द्रह) दिवस पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 8.41 उपभोक्ता के उपरोक्त आवेदन पर, अनुज्ञप्तिधारी विशेष मापयन्त्र वाचन करवाने की व्यवस्था करेगा एवं परिसर के रिक्त होने के कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व, देयक की दिनांक तक की सभी पूर्व बकाया राशियों को सम्मिलित कर देयक को अद्यतन करते हुए, उसे अन्तिम देयक प्रदान करेगा। इस अन्तिम देयक में मापयन्त्र के विशेष वाचन की तिथि से परिसर के रिक्त होने की तिथि तक के प्रभारों को आनुपातिक आधार पर भी सम्मिलित किया जाएगा। मापयन्त्र के विशेष वाचन के प्रभारों की वसूली मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।
- 8.42 मापयन्त्रयुक्त संयोजनों (metered connections) के देयक में उपभोक्ता के विवरण, मापयन्त्र वाचन, विद्युत खपत, बकाया राशि (यदि कोई हो), देयक तिथि, देयक भुगतान की अन्तिम तिथि संबंधी जानकारी, आदि समाहित की जाएगी। देयक में आयोग के निर्देशानुसार अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, भी शामिल की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वांछित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय - 9

भुगतान एवं संयोजन विच्छेद (Payment & Disconnection)

भुगतान (Payment) :

- 9.1 उपभोक्ताओं से उन्हें जारी किये गये विद्युत आपूर्ति के देयकों का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित तिथि तक किये जाने की अपेक्षा की जाती है।
- 9.2 अनुज्ञप्तिधारी, भुगतान संग्रहण केन्द्रों के पते/स्थान तथा कार्यकारी घंटे, जिनमें उन बैंको को भी शामिल किया जायेगा जहां उपभोक्ता भुगतान कर सकता है, का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी भुगतान की अधिकतम वैकल्पिक विधियों, जैसे कि नगद भुगतान, स्थानीय चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इलेक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति (Electronic Clearing System-ECS), क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्ट-बॉक्स आदि उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायेगा।
- 9.3 ऐसे दिवसों के दौरान जब संग्रहण केन्द्रों पर अधिक भीड़ हो तो अनुज्ञप्तिधारी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिये अलग पंक्ति की व्यवस्था द्वारा भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान करेगा तथा देयक राशि संग्रहण के दौरान इन्हें प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये।
- 9.4 समस्त उपभोक्ताओं के लिये भुगतान की अंतिम तिथि, देयक जारी किये जाने की दिनांक से सामान्यतः 15 (पन्द्रह) दिनों तक की होगी। यदि देयक में वर्णित भुगतान की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो आगामी कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा।
- 9.5 देयक से संबंधित चेक राशि की वसूली न होने पर, अनुज्ञप्तिधारी को विधि के अनुसार कथित उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने के अलावा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार अनादरित चेक (dishonoured cheque) से संबंधित प्रभारों की वसूली का भी अधिकार होगा।
- 9.6 देयक प्राप्त होने की निर्धारित समयावधि तक देयक प्राप्त न होने की दशा में उपभोक्ता देयक जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क कर देयक की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकता है और इसका भुगतान करने की व्यवस्था कर सकता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को देयक की द्वितीय प्रति प्रदान करने की स्थिति में न हो तो उपभोक्ता पूर्व में जारी देयकों की औसत राशि के आधार पर भुगतान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देयक प्राप्त न होने के कारणों की जांच कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ताकि तदोपरान्त उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय देयक तत्परता से निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त हों।
- 9.7 भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक पावती प्रत्येक उपभोक्ता को जारी की जाएगी।
- 9.8 उपभोक्ता भविष्यगामी देयकों के भुगतान के लिए अग्रिम राशि भी जमा कर सकेगा जो आगामी महीनों के देयकों में समायोजित की जाएगी। तथापि, अग्रिम

भुगतान में से केवल नियमित देयकों की राशि का ही समायोजन किया जाएगा। किन्हीं अन्य प्रभारों की राशि का समायोजन किये जाने से पूर्व उपभोक्ता की सहमति प्राप्त की जाएगी।

9.9 जारी किये गये देयकों की राशि के भुगतान में चूक करने वाले समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को, खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार प्रयोज्य दर पर, बकाया राशि पर विलम्बित भुगतान अधिभार का भुगतान करना होगा।

9.10 उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई समस्त राशियों का समायोजन प्राथमिकता के निम्नांकित क्रम में किया जाएगा :

- (क) चालू खपत पर विद्युत शुल्क (Electricity Duty) और उपकर (Cess)
- (ख) विद्युत शुल्क (Electricity Duty) और उपकर (Cess) की बकाया राशि
- (ग) विलम्बित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge)
- (घ) बकाया देय राशि का शेष (Balance of arrears)
- (ङ) चालू देयक राशि का शेष (Balance of current bill amount)

9.11 **विवादित/त्रुटिपूर्ण देयक : (Disputed/Erroneous Bills)**

(अ) जारी किये गये देयक की राशि पर किसी आपत्ति के संबंध में उपभोक्ता, विद्युत देयक में दर्शाये गये संबंधित अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन (representation) प्रस्तुत कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति सविरोध (under protest) भुगतान करता है तो उपभोक्ता द्वारा निम्नानुसार राशि जमा किये जाने पर उसका विद्युत प्रदाय के संयोजन को विच्छेदित नहीं किया जायेगा –

- (i) उससे मांगी गई राशि के बराबर राशि, अथवा
- (ii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये पूर्व के 6 माह के औसत प्रभार के आधार पर गणना किये गये प्रत्येक माह के विद्युत प्रभार की राशि इनमें से जो भी कम हो, जब तक अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के बीच विचाराधीन विवाद का निपटान नहीं हो जाता।

(ब) आवेदक द्वारा अपना अभ्यावेदन सादे कागज पर निम्न विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है : --

- (i) उपभोक्ता का नाम और पता, दूरभाष क्रमांक दर्शाते हुए, यदि कोई हो
- (ii) सेवा संयोजन क्रमांक (Service connection number)
- (iii) संयोजन की श्रेणी (Category of connection)

(iv) प्रकरण की तथ्यात्मक जानकारी एवं चाही गई राहत (relief)

नामोद्दिष्ट अधिकारी विवाद का निपटान लिखित शिकायत की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 7 (सात) दिवस की कालावधि के भीतर करेगा।

- (स) शिकायत की जांच करने पर यदि देयक त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को देयक भुगतान करने की पुनरीक्षित अंतिम तिथि दर्शाते हुए, जो पुनरीक्षित देयक जारी करने के न्यूनतम 7 (सात) दिवसों से कम न होगी, सही किया गया पुनरीक्षित देयक जारी करेगा। उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई अधिक राशि, यदि कोई हो, का समायोजन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुवर्ती देयकों में किया जाएगा।
- (द) ऐसे प्रकरण में, जहां यह सिद्ध हो जाने पर कि मूल देयक सही था, वहां उपभोक्ता को अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान मूल देयक राशि पर प्रयोज्य अधिभार के साथ 7 (सात) दिवस के भीतर करने हेतु तदनुसार उपभोक्ता का सूचित किया जाएगा।
- (ई) विवाद पर दिये गये निर्णय से यदि उपभोक्ता संतुष्ट न हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकता है।

9.12 उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उपभोक्ता का विधिमान्य उत्तराधिकारी, (legal heir) ऐसे उपभोक्ता पर बकाया राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। विधिमान्य उत्तराधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर संयोजन को अपने नाम पर परिवर्तित कराने हेतु भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

संयोजन विच्छेद (Disconnection) :

- 9.13 उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता के संयोजन को अस्थायी विच्छेदन के बगैर, अधिकतम 3 (तीन) माह की युक्तियुक्त अवधि के अध्यक्षीन जारी न रखा जाना सुनिश्चित करे। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों का नियमित रूप से अनुवीक्षण (मानीटर) किया जाना सुनिश्चित करे तथा अस्थायी या स्थायी रूप से संयोजन के विच्छेद हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से समयबद्ध कार्यवाही की पहल करे।
- 9.14 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, निर्धारित तिथि तक किसी देयक का पूर्ण भुगतान करने में चूक करता है तो उपभोक्ता का सेवा नियोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकेगा जिसके लिये उपभोक्ता के सेवा नियोजन का विच्छेद करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे पूर्ण 15 (पंद्रह) दिवस की लिखित सूचना दी जाएगी। घरेलू संयोजन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के किसी वयस्क सदस्य को इस बारे में सूचित किया जाए। यदि संयोजन विच्छेद किये जाने के कारण को दूर करने के प्रमाण के प्रस्तुतिकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विच्छेदन के प्रयोजन

के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं किया जायेगा।

- 9.15 अस्थाई संयोजन विच्छेद के पश्चात्, विद्युत प्रदाय उसी दशा में पुनर्स्थापित किया जाएगा जब उपभोक्ता बकाया प्रभारों/देय राशि/निर्धारित की गई किश्त की राशि मय संयोजन विच्छेद तथा उसे जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।
- 9.16 यदि उपभोक्ता अपने संयोजन को अस्थाई रूप से छः माह तक की अवधि हेतु विच्छेदित कराना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों, जैसे कि स्थायी प्रभार (fixed charge), न्यूनतम प्रभार (minimum charge), मापयन्त्र प्रभार (metering charges) इत्यादि के अग्रिम भुगतान करने होंगे। अस्थाई विच्छेदन की सुविधा की प्राप्ति हेतु उपभोक्ता को विच्छेदन (disconnection)/संयोजन (connection) प्रभारों के भुगतान भी करने होंगे। 'अनुरोध पर अस्थाई विच्छेदन (disconnection on request)' की अवधि, उपभोक्ता से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर एवं आवश्यक प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने पर बढ़ाई भी जा सकती है।

अध्याय 10—विद्युत की चोरी (Theft of Electricity)

10.1 प्रस्तावना (Introduction) :

10 1.1 भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने का.आ. 790 (ई) दिनांक 8 जून, 2005 के माध्यम से शीर्षक "विद्युत (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2005" द्वारा आयोग को विद्युत प्रदाय संहिता में निम्न दर्शाये विवरण के अनुसार विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने के लिये उपायों को शामिल किये जाने बाबत निर्देशित किया है :

(1) अधिनियम की धारा 50 के अधीन राज्य आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विद्युत प्रदाय संहिता में निम्नलिखित भी शामिल होंगे, नामतः —

(i) उपयुक्त न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय होने की प्रत्याशा में विद्युत की चोरी के मामले में देय विद्युत प्रभारों के आकलन की विधि;

(ii) विद्युत की चोरी अथवा इसके अनधिकृत उपयोग के मामले में विद्युत प्रदाय को विच्छेदित करना और मापयन्त्र (meter), विद्युत तन्तुपथ (electric line), विद्युत संयंत्र और अन्य उपकरणों को हटाना; और

(iii) विद्युत के विपथन (diversion), चोरी तथा विद्युत के अनधिकृत प्रयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत तन्तुपथ अथवा मापयन्त्र से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के लिये उपाय करना।

(2) विद्युत प्रदाय संहिता में उपर्युक्त उपबंध अधिनियम अथवा अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना अनुज्ञप्तिधारी की परिसंपत्तियों अथवा हितों के संरक्षण के लिये तथा उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि वसूली योग्य होंगे।

10 1.2 विद्युत की चोरी पर नियन्त्रण हेतु अनुसरण किये जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-

10.2 अति उच्चदाब/उच्चदाब तथा निम्नदाब, उपभोक्ताओं के प्रकरणों में विद्युत चोरी के विद्युत प्रभारों के आकलन की विधि (Method of assessment of charges in case of theft of electricity by EHT/HT and LT consumers)

10 2.1 विद्युत चोरी के प्रकरण में विद्युत प्रभारों के आकलन की विधि (Issue of Assessment order for theft of electricity)

10 2.2 विद्युत चोरी के किसी प्रकरण के पता लगने पर प्राधिकृत अधिकारी, एतद् पश्चात् इस अध्याय में निर्दिष्ट किये गये सूत्रों/प्रक्रिया के अनुसार या तो वह सम्पूर्ण अवधि जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई चोरी होना पाया गया है अथवा निरीक्षण तिथि से ठीक 12 (बारह) माह पूर्व की अवधि हेतु, इनमें जो भी कम

हो, के अनुसार ऊर्जा की खपत का निर्धारण करेगा। प्राधिकृत अधिकारी निर्धारण आदेश लागू विद्युत-दर से दुगुनी दर पर तैयार करेगा (जिसमें स्थाई प्रभार, ऊर्जा प्रभार तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार शामिल होंगे) तथा इसे उक्त व्यक्ति को तामील कर, उससे उचित अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

किसी नियमित मीटरीकृत संयोजन के प्रकरण में, जहां विद्युत की चोरी होने का प्रकरण पाया गया हो, विद्युत की चोरी का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा :

- (i) ऐसे प्रकरण में जहां श्रेणी/प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना न पाया गया हो तथा आकलित खपत न्यूनतम खपत/वास्तविक अभिलेखित खपत से अधिक हो, पूर्व में बिल की गई खपत को विधिवत समायोजित करते हुए, अवशेष खपत का देयक विद्युत-दर (टैरिफ) से दुगुनी दर पर तैयार किया जाएगा।
- (ii) ऐसे प्रकरण में जहां श्रेणी/प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना पाया गया हो तथा आकलित खपत न्यूनतम खपत/वास्तविक अभिलेखित खपत से अधिक हो, वहां प्रथमतः सामान्य विद्युत-दर से दुगुनी दर पर देयक तैयार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् पूर्व में भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा।
- (iii) शासन द्वारा अधिरोपित शुल्क (duty) तथा उपकर (cess) या अन्य किसी प्रयोज्य प्रभारों/करों का देयक सामान्य दर पर समस्त आकलित यूनिटों पर इस मद के अन्तर्गत पूर्व में बिल की गई राशि का यथोचित समायोजन करते हुए तैयार किया जाएगा।
- (iv) विद्युत चोरी के आकलन के बारे में उपरोक्त किये गये प्रावधान के अलावा, टैरिफ आदेश में प्रावधान किये गये अर्थदण्ड जो ऐसे आकलन के बारे में देय हों, को भी अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, चोरी के संबंध में आकलित खपत पर प्रोत्साहन के कारण किसी वृद्धि को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

10 2.3 विद्युत की चोरी के कारण खपत की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :-

10 2.3.1 निर्धारित किये गये यूनिटों की संख्या = $L \times D \times H \times F$, जहां

L - भार (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता परिसर में पाया गया संयोजित भार) किलोवाट में

D - प्रतिमाह कार्य दिवसों की संख्या तथा भिन्न-भिन्न श्रेणियों हेतु इसका उपयोग, दिवस संख्या के रूप में निम्नानुसार लिया जाएगा :

(ए) सतत प्रसंस्करण उद्योग - 30 दिवस

(Continuous Process Industry)

(बी) असतत प्रसंस्करण उद्योग - 25 दिवस

(Non-Continuous Process Industry)

(सी) घरेलू उपयोग - 30 दिवस

(डी) कृषि - 30 दिवस

(ई) गैर-घरेलू (निरंतर चलने वाले), जैसे कि अस्पताल, होटल तथा रेस्टॉरेंट, अतिथि-गृह (गेस्ट हाउस), पेट्रोल पंप, आदि

- 30 दिवस

(एफ) गैर-घरेलू (सामान्य), अर्थात्, (ई) से अन्य	- 25 दिवस
(जी) जलप्रदाय कार्य तथा पथ-प्रकाश व्यवस्था	- 30 दिवस

H – प्रति दिवस विद्युत प्रदाय घंटों का उपयोग जिसका

विभिन्न श्रेणियों हेतु उपयोग निम्नानुसार लिया जाएगा :

(ए) एकल-पाली कार्यरत उद्योग (Single Shift Working Industry)	- 8 घंटे
(बी) द्वि-पाली कार्यरत उद्योग (Two Shifts Working Industry)	- 16 घंटे
(सी) सतत प्रसंस्करण उद्योग	- 24 घंटे
(डी) (i) गैर-घरेलू रेस्टॉरेंट सम्मिलित करते हुए	- 12 घंटे
(ii) होटल, अस्पताल, अतिथि-गृह, पेट्रोल पंप, आदि	- 20 घंटे
(ई) घरेलू	- 8 घंटे
(एफ) कृषि	- 6 घंटे
(जी) जलप्रदाय कार्य	- 8 घंटे
(एच) पथ-प्रकाश	- 12 घंटे

F – भार कारक (लोड फेक्टर) है जिसका विभिन्न श्रेणियों हेतु उपयोग निम्नानुसार लिया जाएगा :

(ए) औद्योगिक	- 60 प्रतिशत
(बी) गैर-घरेलू	- 60 प्रतिशत
(सी) घरेलू	- 40 प्रतिशत
(डी) कृषि	- 100 प्रतिशत
(ई) जलप्रदाय कार्य	- 100 प्रतिशत
(एफ) पथ-प्रकाश	- 100 प्रतिशत
(जी) प्रत्यक्ष चोरी (i) घरेलू श्रेणी	- 50 प्रतिशत
(ii) घरेलू श्रेणी को छोड़कर, अन्य उपभोक्ता	- 100 प्रतिशत

10 2.3.2

ऐसे प्रकरणों में, जहां मापयन्त्र (मीटर) से छेड़-छाड़ (tamper) किया जाना पाया गया हो तथा प्रयोगशाला में विधिवत परीक्षण उपरान्त मापयन्त्र कार्य प्रणाली का धीमा होना पाया जाए, ऐसे प्रकरणों में यूनितों की संख्या का निर्धारण, इसके परीक्षण परिणामों के अनुसार उक्त मात्रा के आधार के अनुसार जिस सीमा तक मापयन्त्र को धीमा लेख्यांकित किया जाना पाया गया हो, इस शर्त के अध्वधीन होगा कि इस प्रकार का आकलन निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार आकलित की गई यूनित संख्या के डेढ़ गुना से अधिक न होगा। ऐसे प्रकरणों में, जहां मापयन्त्र (मीटर) से छेड़-छाड़ किया जाना पाया गया हो, परन्तु जहां यह संस्थापित नहीं किया जाना संभव न हो पाये, कि मापयन्त्र की गति धीमी है अथवा वह ठीक प्रतिशत जिसके द्वारा वह कम खपत को लेख्यांकित कर रहा हो, परन्तु साथ ही मापयन्त्र के पुर्जो/तन्तुपथ व्यवस्था (wiring) में बाह्य यन्त्रों का अन्तरस्थापित किया जाना पाया गया हो, तो ऐसी दशा में खपत का आकलन निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार आकलित की गई यूनित संख्या की डेढ़ गुना मात्रा पर किया जाएगा।

10.2.3.3 यूनितों के आकलन के प्रयोजन से घरेलू जलपम्प, माइक्रोवेव ओवन, धुलाई मशीन, मिक्सर, विद्युत-प्रेस, लघु घरेलू आटा-चक्की, वेक्यूम-क्लीनर, टोस्टर, जल-शोधक (वाटर प्यूरीफायर) तथा लघु घरेलू उपकरण, केवल बत्ती, पंखे, टेलीविजन, रेफ्रिरेजरेटर आदि को छोड़कर के प्रचालन में, वास्तविक घरेलू प्रयोग के प्रयोजन से विद्युत चोरी के प्रकरणों हेतु खपत की गई यूनितों की संख्या के कार्यकारी घंटे (अवधि), शत-प्रतिशत भार-कारक (लोड फेक्टर) पर कार्यशील घंटे एक घंटा प्रति दिवस से अधिक नहीं माने जाएंगे। समस्त प्रयोक्ता श्रेणियों हेतु, वातानुकूल संयंत्रों (Air Conditioners), कूलरों तथा गीजरो के प्रकरणों में वर्ष के दौरान प्रयोग की अवधि 6 माह उक्त श्रेणी हेतु निर्दिष्ट भार कारक अनुसार, कार्यशील घंटे प्रति दिवस के अनुसार ली जाएगी।

10 2.3.4 अस्थाई संयोजनों हेतु, विद्युत चोरी के प्रकरणों में ऊर्जा का आकलन (Assesment of Energy in case of theft of electricity for temporary connections) :

किसी अस्थाई संयोजन के प्रकरण में, विद्युत की चोरी हेतु खपत किये गये यूनितों की संख्या का आकलन निम्न सूत्र के अनुसार किया जाएगा :

निर्धारित किये गये यूनितों की संख्या = $L \times D \times H$. जहां

L = भार (निरीक्षण के समय संयोजित पाया गया भार) किलोवाट में,

D = दिवसों की संख्या, जिन हेतु विद्युत प्रदाय का उपयोग किया गया हो, तथा

H = कृषि संयोजनों हेतु 6 घंटे तथा अन्य उपयोग हेतु 12 घंटे लिया जाएगा

10 2.4 विद्युत चोरी के पता लगने पर, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, जैसा कि यह लागू हो, का प्राधिकृत अधिकारी ऐसे परिसर के विद्युत प्रदाय को तुरन्त प्रभाव से विच्छेदित कर सकेगा।

10 2.5 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस संहिता के विनियमों के उपबंध के अनुसार, आकलित राशि अथवा विद्युत प्रभारों की राशि का भुगतान किये जाने पर बिना किसी भेदभाव के दोषी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के दायित्व के अध्यक्षीन ऐसी राशि का भुगतान किये जाने के अड़तालीस (48) घंटे के भीतर, विद्युत प्रदाय लाईन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करेगा।

10 2.6 यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित समय अवधि के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता ऐसे निर्धारण आदेश के अनुसार अपनी बकाया राशि की वसूली के संबंध में ऐसी कोई आगामी कार्यवाही कर सकेगा, जैसी कि वह सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञापित की गई हो।

10 2.7 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी विद्युत की चोरी संबंधी प्रभारों के आकलन आदेश का क्रियान्वयन किसी समुचित न्यायालय में किसी अधिनिर्णय पर्यन्त विचाराधीन

रहेगा। ऐसे समस्त प्रकरणों में, जहां विद्युत की चोरी का पता लगा हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता प्रकरण को किसी समुचित न्यायालय में निर्णयार्थ दायर करेगा, बशर्ते अपराध के संबंध में अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत कोई समझौता (compounded) न कर लिया गया हो।

10 2.8 विलंबित भुगतान किये जाने पर ब्याज को अधिरोपित किया जाना : कथित व्यक्ति के द्वारा, आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर, आकलन आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसे आकलित राशि के भुगतान के अलावा ब्याज की राशि, जिसकी दर प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी, समुचित न्यायालय में किसी अधिनिर्णय के अध्यक्षीन, भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

10 2.9 ऐसे परिसर में जहां विद्युत चोरी होना पाया गया हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा विद्युत चोरी के निमित्त (cause) का तत्काल निराकरण किया जाएगा, जिसके अनुसार उसके द्वारा वितरण प्रसंवाही (distribution mains) तक तन्तुपथ, केबल/संयंत्र अथवा अन्य कोई वस्तु/उपकरण, मापयन्त्र जिन्हें विद्युत की चोरी के प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा है अथवा उपयोग किये जाने की शंका हो, को जब्त कर लिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा तत्पश्चात् विद्युत की और आगे चोरी की संभावना को रोके जाने हेतु उसका तन्तुपथ केबल अथवा विद्युत संयंत्र अथवा यन्त्रों को हटाया जा सकेगा अथवा व्यपवर्तित किया जा सकेगा या परिवर्तित किया जा सकेगा बशर्ते इस प्रकार की गई कार्यवाही अन्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय दे पाने में अथवा विद्युत प्रदाय में रूकावट के कारण उन्हें किसी असुविधा में परिणत न हो।

10 3 विद्युत के विपथन, चोरी अथवा विद्युत के अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत तन्तुपथों अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपाय (Measures to prevent diversion of electricity theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter)

विद्युत की चोरी अथवा इसके अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत तन्तुपथों अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, उसे खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने की त्रासदी को कम करने तथा रोकथाम किये जाने की दृष्टि से इस हेतु निम्नानुसार प्रतिरोधक उपायों की पहल किया जाना अत्यावश्यक है :

10 3.1 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, मापयंत्रों (मीटरों) के नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण की व्यवस्था करेगा।

10 3.2 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, मापयंत्रों (मीटरों) पर चोरी-अवरोधक मापयंत्र बक्से (टेम्पर प्रूफ मीटर बॉक्स) लगाये जाने की व्यवस्था करेगा ताकि समस्त व्यक्तियों के परिसरों में चोरी अवरोधक बक्से संस्थापित किया जाना सुनिश्चित हो सके। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता इसके साथ-साथ ही सेवा लाईनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा, यह सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से भी करेगा कि यह अच्छे प्रकार से चालू हालत में तथा विसंविहित

(insulated) है। जहां-जहां आवश्यक हो, सेवा लाइनों को चोरी रोके जाने की दृष्टि से बदला भी जाएगा।

- 10 3.3 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, उपभोक्ताओं अथवा अन्य व्यक्तियों के परिसरों के नियमित निरीक्षण हेतु प्रयासों में वृद्धि करेगा ताकि विद्युत की चोरी अथवा इसके अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत तन्तुपथों (लाइनों) अथवा मापयंत्र (मीटर) से छेड़छाड़ करने, इन्हें खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोका जाना सुनिश्चित किया जा सके। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता के सतर्कता दलों द्वारा प्रत्यक्ष विद्युत चोरी के प्रकरणों को, विशेषकर चोरी उन्मुख क्षेत्रों (theft prone areas) में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- 10 3.4 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, उच्च मूल्यांकित उपभोक्ताओं की विद्युत खपत के नियमित मासिक अनुवीक्षण (मानिट्रिंग) हेतु एक पद्धति को विकसित करेगा जिनमें समस्त उच्चदाब तथा निम्नदाब संयोजन, जिनकी संविदा मांग 50 अश्वशक्ति तथा इससे अधिक हो, को शामिल किया जाएगा। विद्युत खपत में किसी असामान्य प्रकार के उतार-चढ़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा संदिग्ध प्रकरणों के तत्काल निरीक्षण किये जाने की भी व्यवस्था की जाएगी।
- 10 3.5 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, 33 केवी तथा 11 केवी संभरक संभरकबार (feederwise) तथा 33/11 केवी उपकेन्द्रवार विद्युत हानियों की गणना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा उपरोक्त रीति द्वारा, चिन्हित किये गये क्षेत्रों में हानियां कम किये जाने की दिशा में उचित कदम उठाये जाएंगे।
- 10 3.6 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयंत्र (मीटर) स्थापित करेगा तथा स्थानीयकृत उच्च हानि क्षेत्रों को चिन्हित किये की दृष्टि से ऊर्जा अंकेक्षण करेगा तथा ऐसे क्षेत्रों में हानियां कम किये जाने हेतु अनुवर्ती उचित कार्यवाही करेगा।
- 10 3.7 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, खपत के अनुवीक्षण तथा विद्युत की चोरी को नियंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर समस्त उच्च-दाब संयोजनों पर सुदूर मापयंत्र (रीमोट मीटरिंग) जैसे साधन स्थापित किये जाने के प्रयास करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता तत्पश्चात् समस्त उच्च मूल्यांकित निम्न-दाब संयोजनों पर भी सुदूर मापयंत्र जैसे साधन स्थापित किये जाने के प्रयास करेगा।
- 10 3.8 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, प्रचार-प्रसार माध्यमों (media), टेलीविजन तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से वाणिज्यिक हानियों के स्तर तथा इसके ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में जागरूकता लाये जाने की दृष्टि से यथोचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेगा तथा विद्युत चोरी की रोकथाम अथवा विद्युत के अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, इन्हें खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपायों हेतु सहयोग प्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, अपने कार्यालयों पर उपरोक्त से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने वाले फलक भी स्थापित करेगा।

- 10 3.9 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु अपेक्षित सुरक्षा बल प्रदान किये जाने संबंधी व्यवस्था की जाएगी तथा इस उद्देश्य से किये गये व्ययों को उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement) को अन्तरित किया जाएगा। ऐसे सुरक्षा दल सदैव प्राधिकृत अधिकारियों के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से उनके साथ चलेंगे।
- 10 3.10 जहां-जहां भी आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, चोरी उन्मुख क्षेत्रों में शिरोपरि अनावृत्त संवाहकों को केबलों द्वारा बदल सकेंगे, ताकि अनुज्ञप्तिधारी की लाइनों से सीधे कांटा (हुक) लगाकर चोरी को प्रतिबंधित किया जा सके तथा इस उद्देश्य से किये गये व्ययों को उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जाएगा।
- 10 3.11 जहां-जहां भी आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, चोरी उन्मुख क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (निम्न-दाब रहित प्रणाली) प्रदान कर सकेगा जिसमें लघु क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाएगा जिससे सीधे कांटा (हुक) लगाकर चोरी को प्रतिबंधित किया जा सके तथा ऐसे उद्देश्य से किये गये व्यय को उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जाएगा।
- 10 3.12 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, विद्यमान उपभोक्ताओं के मापयंत्रों (मीटरों) की पुनर्स्थापना परिसर की सीमा-दीवार के भीतर किसी उपयुक्त स्थल पर किये जाने हेतु प्राधिकृत होगा ताकि इसका स्पष्टतः अवलोकन किया जा सके तथा इसका वाचन परिसर में बाहर से परन्तु अहाते के अन्दर से पढ़ा जा सके तथा इस स्थान पर वाचन, परीक्षण/जांच तथा संबंधित कार्य हेतु आसानी से पहुंचा जा सके। ऐसे संदिग्ध प्रकरणों में जहां निरन्तर सतर्कता किया जाना संभव न हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता अपने खंभों (पोल), संभरक स्तंभों (feeder pillars) पर जांच मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित कर सकेगा। विद्युत की चोरी का पता लगने पर चोरी के बाद उपाय किये जाने के बावजूद जहां अनुवर्ती चोरी की रोकथाम संभव न हो पाई हो अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता अपने खंभों/संभरक स्तंभों पर ऐसे संयोजनों हेतु देयक-मापयंत्र (billing meters) स्थापित कर सकेंगे।
- 10 3.13 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता उनके विद्युत प्रदाय तन्तुपथों (electric line), संयंत्रों, मापयंत्रों अथवा ऐसे अन्य उपकरणों की क्षति अथवा आपदा-ग्रस्त होने की रोकथाम हेतु पर्याप्त संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान कर समस्त सावधानियां बरतेंगे। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अन्तर्गत उनके अनेक तन्तुपथों/संयंत्रों अथवा मापयंत्रों अथवा ऐसे अन्य उपकरणों के क्षतिग्रस्त अथवा आपदाग्रस्त पाये जाने पर त्वरित समुचित कार्यवाही करेंगे, ताकि इस प्रकार की प्रवृत्तियों का निराकरण/रोकथाम की जा सके।

अध्याय--11--विविध मामले (Miscellaneous)

आकस्मिक विशेष परिस्थितियाँ (Force Majeure)

- 11.1 विद्युत प्रदाय व्यवस्था के विफल हो जाने पर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, अथवा क्षतिपूर्ति के लिये किये गये दावे के प्रति अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं होगा यदि विद्युत प्रदाय व्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकाण्ड, हड़ताल, तालाबंदी, तूफान, झंझावत (tempest), तड़ित, भूकंप या दैवीय प्रकोप या केन्द्र/राज्य सरकार की किसी कार्यवाही के कारण घटित हुई हो।
- 11.2 यदि अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य किये गये किसी अनुबंध के चालू रहते किसी भी समय, उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग, किसी भी समय विशेष आकस्मिक परिस्थितियों, जैसे कि युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकाण्ड, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यक्षीन), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यक्षीन), तूफान, झंझावत, तड़ित, भूकंप या दैवीय प्रकोप, केन्द्र/राज्य सरकार की कतिपय कार्यवाही, आदि जो उपभोक्ताओं के नियंत्रण में नहीं है, के कारण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संभव न हो पाये तो उपभोक्ता ऐसी परिस्थिति के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को 7 पूर्ण दिवस की लिखित सूचना देकर, सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर संविदा मांग की आवश्यक एवं शक्य अनुमत सीमा में घटाई गयी मात्रा में विद्युत प्रदाय प्राप्त कर सकेगा। ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां उपभोक्ता विशेष आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित कोई दावा करता हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत प्रतिनिधि इसका सत्यापन करेगा। उपभोक्ता को इस प्रकार की सुविधा केवल उसी दशा में उपलब्ध होगी यदि घटाई गई विद्युत प्रदाय की मात्रा न्यूनतम दस निरन्तर दिवस तथा अधिकतम छः माह के लिये हो। उपरोक्त घटायी गई विद्युत प्रदाय की अवधि को किसी अनुबंध हेतु उपभोक्ता के प्रारंभिक अनुबंधकाल में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि अनुबंध को इस कम मात्रा की कालावधि की बराबर अवधि के लिये आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार की सुविधा के बारे में जिसका उपभोक्ता द्वारा लाभ उठाया जाएगा, की संख्या के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु इसकी कालावधि ऐसे समस्त अवसरों के लिये अधिकतम कुल छः माह के अध्यक्षीन होगी।
- 11.3 ऐसा उपभोक्ता, जो एक कैलेण्डर माह के दौरान दस दिवस की निरन्तर अवधि के लिये (जिसमें विद्युत प्रदाय में 00 से 2400 बजे तक की कटौती की गई हो) या इससे अधिक अवधि हेतु किसी अनुबंध के अन्तर्गत, अन्यथा, चूककर्ता न हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से निम्नानुसार विद्युत प्रभार वसूल करेगा :-
- (अ) ऊर्जा प्रभारों की वसूली मापयन्त्र (मीटर) में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर की जाएगी।
- (ब) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकरण को छोड़कर) की वसूली उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक दर के अनुसार की जाएगी।
- यह सुविधा केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी जिनके संयोजन मापयन्त्रों से युक्त (metered connections) हैं।

विद्युत संयंत्र, तन्तुपथ अथवा मापयन्त्र से छेड़-छाड़ करना, उसे क्षति पहुँचाना या उसका क्षतिग्रस्त होना पाया जाना (**Tampering, distress of damage to electrical plant, lines or meter**)

11.4 ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये गये विद्युत संयंत्र, तन्तुपथ (लाईन) या मापयन्त्र (मीटर) या अन्य किसी उपकरण से छेड़-छाड़ किया जाना पाया जाता है, उन्हें क्षति पहुँचाई जाती है या क्षतिग्रस्त होने से खराब होना पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपकरण, तन्तुपथ, मापयन्त्र, संयंत्र या उपकरण को सुधार कर चालू करने या बदलकर चालू करने में आई लागत की वसूली उपभोक्ता से करने हेतु अधिकृत होगा जो अनुज्ञप्तिधारी के अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले होंगे, जिनमें सुधार कार्य एवं उपकरण बदलने की लागत को उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में विद्युत प्रदाय के विच्छेदन का अधिकार, विद्युत चोरी की दशा में कार्यवाही तथा अनधिकृत उपयोग पाये जाने की दशा में आकलन का अधिकार, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, भी सम्मिलित होगा। कृत्रिम साधनों (जैसे कि फेज स्प्लिटर) का उपयोग जिसके द्वारा विद्युत प्रदाय को तीन फेज में परिवर्तित किया जा सकता है, के उपयोग को ऊर्जा का अनधिकृत उपयोग माना जाएगा।

फ्रेंचायज़ी की प्राधिकृति (Authorisation of Franchisees)

11.5 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, अनुज्ञप्तिधारी अपने विद्युत प्रदाय के क्षेत्र के किसी भी भाग में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विद्युत वितरण के कार्य के लिए किसी व्यावसायिक प्रतिनिधि (फ्रेंचायज़ी) को प्राधिकृत कर सकेगा। तथापि, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय देयक, केवल अनुज्ञप्तिधारी के नाम से तथा स्वत्वाधिकार (title) के अन्तर्गत जारी किये जाएंगे।

अन्य संहिताएं और विनियम (Other Codes and Regulations)

11.6 उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि नवीन भवनों, संरचनाओं, तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य, सुधार कार्य और अन्य निर्माण परियोजनाओं की, अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान विद्युत प्रदाय तन्तुपथों (supply lines) से न्यूनतम दूरी बनायी रखी जाय। इन न्यूनतम दूरियों के मानदण्ड केन्द्रीय प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत प्रदाय संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

नोटिस की तामील (Service of Notice)

11.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को संबोधित कोई भी पत्र, आदेश अथवा अभिलेख यथोचित दिया गया मान लिया जायेगा यदि इसे लिखित में उपभोक्ता के पते पर प्रेषित किया जाता है या दस्ती से (by hand) सौंपा जाता है अथवा डाक/कोरियर द्वारा उस पते पर प्रेषित किया जाता है जो उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय की मांग के समय आवेदन पत्र या अनुबंध (यदि निष्पादित किया गया हो), में दर्शाया गया हो या उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को इसे बाद में संसूचित किया गया हो। यदि परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जिसे युक्तियुक्त तत्परता से उपरोक्त पत्र सौंपा जा सके तब इसे उपभोक्ता के परिसर में सुगमता से दृष्टव्य भाग पर चस्पा दिया जाएगा।

- 11.8 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत-भार विनियमन, उपायों, नवीन विद्युत-दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता अथवा देयक भुगतान की तिथि में परिवर्तन जैसी सामान्य सूचनाओं, आदि को बहुप्रसारित दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकेगा।
- 11.9 अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्र-व्यवहार को निम्नांकित पते पर प्रेषित किया जाएगा :
- (अ) उच्चदाब तथा अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय के सचिव अथवा इस हेतु प्राधिकृत या नामोद्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को।
- (ब) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी के कार्यपालन यंत्री अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत या नामोद्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को।

अप्रत्याशित परिस्थितियां (Unforeseen Circumstances)

- 11.10 विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त अप्रत्याशित रूप से कोई स्थिति निर्मित होने पर, अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत प्रभावित होने वाले समस्त पक्षकारों से सद्भावनापूर्वक व्यावहारिक आधार पर परामर्श कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में किसी समझौते के द्वारा यथोचित निर्णय लेना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित पक्षकारों के मध्य उपलब्ध समय-सीमा में समझौता नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य के अनुसार प्रकरण में निर्णय लेगा।
- 11.11 जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी किसी निर्णय पर पहुंचता है वहां उसे यह भी ध्यान में रखना होगा कि प्रभावित होने वाले पक्षकारों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है और किसी भी परिस्थिति में समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही युक्तियुक्तपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पक्षकार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिये गये निर्णय को मान्य करते हुए उन्हें दिये गये निर्देशों का परिपालन करना होगा, बशर्ते लिया गया निर्णय प्रचलित संहिताओं और विनियमों तथा अधिनियम के अनुरूप हो। अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां एवम् इस बाबत किये गये सभी निर्णयों को अनुज्ञप्तिधारी तत्परतापूर्वक आयोग को विचारार्थ प्रेषित करेगा।

व्याख्या (Interpretation)

- 11.12 इस संहिता में निहित शर्तों को, वर्तमान में प्रचलित एवं समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) तथा इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ा एवं समझा जाएगा। इस संहिता में निहित कोई शर्त अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के, केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को कम या प्रभावित नहीं करेगी।

- 11.13 इस संहिता की व्याख्या में या अर्थ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, आयोग की व्याख्या अंतिम होगी एवं सभी संबंधितों के लिये बाध्यकारी होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति (Power to remove difficulties)

- 11.14 इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई के उत्पन्न होने पर मामला आयोग को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रभावित पक्षों से विचार-विमर्श करके कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन सामान्य अथवा विशेष आदेश पारित करेगा, और यह आदेश अधिनियम या तत्समय में प्रचलित विद्युत प्रदाय से संबंधित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं होगा।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction of Court)

- 11.15 इस संहिता के क्रियान्वयन और तदनुसार निष्पादित किये अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को केवल उसी न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में अनुबंध निष्पादित किया गया है जो समग्र रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति (Repeal and Savings)

- 11.16 संहिता नामत "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (जी-1, वर्ष 2004)" जो मप्र राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 16.4.2004 द्वारा संशोधनों के साथ सहपटित है, जैसा कि वह संहिता की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- 11.17 इस संहिता की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।
- 11.18 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग, को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में, मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेंगे, जो यद्यपि इस संहिता के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।
- 11.19 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेंगे, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गयी हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

परिशिष्ट-1

आवेदन प्ररूप - घरेलू/गैर घरेलू निम्न दाब विद्युत सेवा संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का स्थानान्तरण/संविदा मांग में परिवर्तन/ टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन (नामान्तरण)

(जो सुसंबद्ध न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

पासपोर्ट आकार
का फोटो यहां
चिपकाएं

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।
आवश्यक जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1. उपभोक्ता

(अ) आवेदक/संस्था का नाम :-----

(ब) पिता/पति/संचालक/ :-----
भागीदार/न्यासी का नाम

(स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए)
जहां नवीन :-----
विद्युत संयोजन के लिए :-----
आवेदन किया जा रहा है/ :-----
जहां विद्यमान संयोजन का :-----
स्थानान्तरण किया जाना :-----
प्रस्तावित है। :-----

दूरभाष क्रमांक :-----

(i) कारखाना/परिसर :-----

(ii) पंजीकृत कार्यालय :-----
(डाक पता सहित)

(iii) निवास (डाक पता) :-----

ई-मेल पता :-----

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का :-----
नाम (ऐच्छिक)

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा
मांग, यदि कोई हो : -----

सेवा संयोजन क्रमांक
(विद्यमान संयोजन हेतु) : -----

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/
भूखण्ड (प्लॉट) का क्षेत्रफल :-----

3. विद्युत प्रदाय की श्रेणी :-----

4. विद्युत प्रदाय का उद्देश्य :-----

5. विद्युत प्रदाय का प्रकार : स्थाई/अस्थाई
(जो लागू हो उस पर कृपया सही (✓) चिन्ह लगायें और जो लागू न हो उसे काट दें)
यदि अस्थाई हो तो अवधि का उल्लेख करें :-दिनांक ----- से ----- तक

6. संयोजन हेतु प्रस्तावित भार

(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए-----वॉट
(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्ररूप में जानकारी भरकर संलग्न करें)

(ब) गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता कृपया निम्न तालिका में विवरण भरें
(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित सूची पृथक से संलग्न करें)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण (वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

(स) यदि द्विभाग विद्युत-दर (two part tariff) का विकल्प चुना गया हो तो संविदा
मांग की आवश्यकता ----- के.व्ही.ए. होगी (जानकारी भरें)

यदि विद्युत प्रदाय की चरणबद्ध आवश्यकता हो तो प्रभावशील तिथि का उल्लेख
करें - दिनांक ----- से प्रभावशील किया जाए (दिनांक भरें)

7. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर
कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं

8. जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया गया है, उसके
संबंध में क्या इस परिसर के विरुद्ध कोई विद्युत बकाया
राशि देय है : हां/नहीं

9. कोई संस्था/कंपनी, जिसके साथ आवेदक स्वामी, भागीदार संचालक या प्रबन्ध संचालक के रूप में संबद्ध है, के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत क्या कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं
(क्रमांक 7, 8 एवं 9 के लिए यदि उत्तर "हां" में हो तो कृपया विवरण दें)
10. क्या परिसर के नक्शे (मानचित्र) में विद्युत की खपत के संबंध में परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है : हां/नहीं
11. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :
- (अ) उपरोक्त प्ररूप में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की विषयवस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- (स) मैं/हम प्रयोज्य विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभारों के आधार पर विद्युत देयकों की राशि का भुगतान प्रति माह करूंगा/करेंगे।
- (द) मैं/हम मापयन्त्र (मीटर), कट-आउट एवं संलग्न स्थापना की सुरक्षा एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व लेता हूँ/लेते हैं।
- (ई) मैं/हम ने आवेदन प्ररूप के साथ सूची के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर दिये हैं। (यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो कृपया कारण सहित विवरण संलग्न करें)

दिनांक : -----

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : -----

नोट :- आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाएं :

शहरी क्षेत्र में घरेलू तथा गैर-घरेलू संयोजन हेतु :

1. आवेदन पंजीयन शुल्क
2. आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
3. आवास/परिसर संबंधी अभिलेख की छायाप्रति (किरायेदार होने पर किरायेदारी संबंधी अनुबंध पत्र/किराए की रसीद/आवेदक का किराएदार होने संबंधी शपथ-पत्र संलग्न करें)

4. मकान का नक्शा (आवेदक द्वारा यथाप्रमाणित)
5. स्थानीय सांविधिक निकाय/प्राधिकरण, आदि (सचिव, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका का प्राधिकृत अधिकारी) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
6. घरेलू संयोजन हेतु गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) राशन कार्ड/बी.पी.एल. (Below Poverty line) सूची का पंजीयन प्रमाण-पत्र (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो और संयोजन प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)
7. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने संबंधी प्रमाण-पत्र (ऐसे प्रकरण में जहां आवेदक ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)

ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू तथा गैर-घरेलू संयोजन हेतु :

1. आवेदन पंजीयन शुल्क
2. आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
3. सरपंच/पंचायत सचिव का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल गैर-घरेलू संयोजन के लिये)
4. घरेलू संयोजन हेतु गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) राशन कार्ड/बी.पी.एल. (Below Poverty line) सूची का पंजीयन प्रमाण-पत्र (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता हो और संयोजन प्रभार के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)
5. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने संबंधी प्रमाण-पत्र (ऐसे प्रकरण में जहां आवेदक ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)

परिशिष्ट-2

आवेदन प्ररूप-अति उच्चदाब/उच्चदाब/अन्य निम्नदाब विद्युत सेवा संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का स्थानान्तरण/संविदा मांग में परिवर्तन/ टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन (नामान्तरण)

(जो सुसंबद्ध न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

पासपोर्ट आकार
का फोटो यहां
चिपकाएं

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।
आवश्यक जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1. उपभोक्ता

(अ) आवेदक/संस्था का नाम :-----

(ब) पिता/पति/संचालक/
भागीदार/न्यासी का नाम :-----

(स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए)
जहां नवीन :-----
विद्युत संयोजन के लिए :-----
आवेदन किया जा रहा है/ :-----
जहां विद्यमान संयोजन का :-----
स्थानान्तरण किया जाना :-----
प्रस्तावित है। :-----

दूरभाष क्रमांक :-----

(i) कारखाना/परिसर :-----

(ii) पंजीकृत कार्यालय
(डाक पता सहित) :-----

(iii) निवास (डाक पता) :-----

ई-मेल पता :-----

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का
नाम (ऐच्छिक) :-----

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा :----- (उच्चदाब/निम्नदाब)
मांग, यदि कोई हो

सेवा संयोजन क्रमांक
(विद्यमान संयोजन हेतु) : -----

निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply)

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/
भूखण्ड (प्लॉट) का क्षेत्रफल : -----

3. विद्युत प्रदाय की श्रेणी : -----

4. विद्युत प्रदाय का उद्देश्य : -----

5. विद्युत प्रदाय का प्रकार : स्थाई : अस्थायी
(जो लागू हो उस पर कृपया सही (✓) चिन्ह लगायें और जो लागू न हो उसे काट दें)
यदि अस्थायी हो तो अवधि का उल्लेख करें :--दिनांक ----- से ----- तक

6. संयोजन हेतु प्रस्तावित भार (निम्न तालिका में विवरण भरें)

(अ) (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित सूची पृथक से संलग्न करें)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण (वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

(ब) यदि द्विभाग विद्युत-दर (two part tariff) का विकल्प चुना गया हो तो संविदा मांग
की आवश्यकता ----- के.व्ही.ए. होगी (जानकारी भरें)

यदि विद्युत प्रदाय की चरणबद्ध आवश्यकता हो तो प्रभावशील तिथि का उल्लेख करें -
दिनांक ----- से प्रभावशील किया जाए (दिनांक भरें)

उच्चदाब विद्युत प्रदाय (HT Supply) :

7. वोल्टेज जिस पर विद्युत प्रदाय की आवश्यकता है : ----- के.व्ही.ए.

11 के.व्ही.	33 के.व्ही.	132 के.व्ही.	220 के.व्ही.
-------------	-------------	--------------	--------------

8. विद्युत प्रदाय का प्रकार : अस्थायी/स्थायी/वैकल्पिक (स्टैंडबाय)/ कैप्टिव
विद्युत उत्पादक अथवा जनरेटर के ग्रिड से समकालन (synchronization) हेतु
{ जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें और जो लागू हो उस पर सही चिन्ह (✓)
लगायें }

स्थाई विद्युत-प्रदाय से अतिरिक्त के लिए अवधि निर्दिष्ट करे : दिनांकसे तक

9. आवेदक द्वारा संस्थापना (Installation) के स्थापन के लिए अब तक उठाये गये कदम :
 (अ)
 (ब)
 (स)
 (द)
10. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार
 (अ) माना गया विविधता कारक (Diversity Factor) -----
 (ब) कुल संयोजित भार
 मशीनों की सूची संलग्न करें -----
11. क्या संयोजन की प्राप्ति विभिन्न -----
 चरणों में वांछित है
12. संविदा मांग (Contract Demand) की चरणबद्धता

क्रमांक	वांछित संविदा मांग (के.व्ही.ए. में)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है	अभ्युक्ति

टीप :- संविदा मांग के चरणों की संभावित तिथियां अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने की दिनांक के उपरांत नहीं होनी चाहिए

13. स्थापना (Installation) का प्रयोजन :- -----
14. टैरिफ की चयनित श्रेणी :- -----
 (टैरिफ आदेश के अनुसार)
15. उत्पादन प्रारंभ होने की संभावित तिथि :- -----
16. उद्योग की श्रेणी : लघु/मध्यम/वृहद् (SSI/MSI/LSI) { जो लागू
 न हो उसे काट दें और जो लागू हो उस पर सही चिन्ह (✓) लगायें }
17. भूमि के अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति :- -----
 (स्वामित्व तथा वैधानिक स्वीकृतियों) :- -----

का प्रमाण प्रस्तुत करें) :-----

18. वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होने की संभावित तिथि :- -----
19. क्या म.प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मंडल से वैधानिक अर्हताओं के अनुसार आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (जहां लागू हो) प्राप्त कर लिया गया है ? यदि उत्तर हां में हो, तो प्रतिलिपि संलग्न करें) -----

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञापतिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं
21. जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया गया है उसके संबंध में क्या इस परिसर के विरुद्ध कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं
22. कोई संस्था/कंपनी, जिसके साथ आवेदक स्वामी, भागीदार संचालक या प्रबन्ध संचालक के रूप में संबद्ध है, के विरुद्ध अनुज्ञापतिधारी के क्षेत्रान्तर्गत क्या कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं

(क्रमांक 20, 21, एवं 22 के लिए यदि उत्तर "हां" में हो तो कृपया विवरण संलग्न करें)

23. क्या परिसर के नक्शे (मानचित्र) में, विद्युत की खपत के संबंध में परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है : हां/नहीं
24. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि
(अ) उपरोक्त प्ररूप में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की विषयवस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।
(स) मैं/हम प्रयोज्य विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभारों के आधार पर विद्युत देयकों की राशि का भुगतान प्रति माह करूंगा/करेंगे।
(द) मैं/हम मापयन्त्र (मीटर), कट आउट एवं संलग्न स्थापना की सुरक्षा एवं संरक्षण उत्तरदायित्व लेता हूं/लेते हैं।
(ई) मैं/हम ने आवेदन प्ररूप के साथ सूची के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर दिये हैं : हां/नहीं
(यदि ऐसा नहीं किया गया है तो कृपया कारण सहित विवरण संलग्न करें)

दिनांक : ----- आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
स्थान : -----

टीप :- आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें :-

1. परिसर के स्वामित्व/कानूनी अधिभोग (occupancy) संबंधी प्रमाण।
2. संयंत्र (प्लांट)/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ मानचित्र। उच्चदाब संयोजन हेतु मानचित्र का माप सामान्यतः 1 से.मी. =1200 से.मी. के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से अनुज्ञप्ति (लायसेंस)/अनापत्ति प्रमाण-पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके संयोजन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता हो तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उक्त संस्था का वह स्वयं स्वामी है।
5. भागीदारी संस्था के मामले में भागीदारी संबंधी अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में संस्था की ज्ञापन-पत्र आदि नियमावली एवं स्थापना प्रमाण-पत्र की प्रति (Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation)
7. कृषि उपभोक्ताओं के मामले में खसरा/बही की नकल संलग्न की जाए।
8. आवेदक/उपभोक्ता के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक/उपभोक्ता का आयकर विभाग का स्थायी लेखा क्रमांक (पैन), यदि कोई हो। भविष्य में स्थायी निवास के पते में परिवर्तन होने पर आवेदक/उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल इसके बारे में सूचना देनी होगी।
9. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन/उत्पादन में वृद्धि के लिए आशय-पत्र (Letter of Intent)।
10. प्रस्तावित उपकरणों की सूची, अपेक्षित भार दर्शाते हुए।
11. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से चाहा गया हो, के प्राधिकार के संबंध में संकल्प पत्र (रेसोल्यूशन)
12. उद्योग विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जहां यह लागू हो।
13. परियोजना प्रतिवेदन का वह भाग, जो उद्योग की विद्युत आवश्यकताओं तथा प्रसंस्करण की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में)।
14. चालू टैरिफ आदेश के सुसंबद्ध उद्धरण की प्रतिलिपि जो उपभोक्ता द्वारा चयनित विद्युत-दर श्रेणी का विवरण दर्शाती हो, को यथाहस्ताक्षरित संलग्न किया जाए। औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इसे अनुबंध का भाग मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।

परिशिष्ट – 3**निम्नदाब के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु मानक अनुबंध प्ररूप**

यह अनुबंध आज दिनांक माह सन् दो हजार
 को किया गया जिसमें एक ओर
 (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) जिसे एतद् पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" कहा जाएगा, जो
 अभिव्यक्ति जब तक कि वह विषय अथवा संदर्भ से विपरीत न होने की स्थिति
 में उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्ताकिती सम्मिलित होंगे तथा दूसरी ओर

..... (उपभोक्ता
 का नाम तथा विस्तृत पते का उल्लेख किया जाए । एक पंजीकृत भागीदार
 संस्था के प्रकरण में संस्था के प्रबंधक भागीदार अथवा भागीदार, जो अनुबंध का
 निष्पादन कर रहा हो, का नाम तथा उसके पते का उल्लेख किया जाए । एक
 कंपनी के प्रकरण में, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत
 निगमित की गई है, कंपनी का पंजीकृत पता तथा प्रबंध संचालक का नाम
 अथवा उस अधिकारी का नाम, जिसे अनुबंध के निष्पादन हेतु सम्यक रूप से
 प्राधिकृत किया गया है, उल्लेखित किया जाए) (जिसे एतद् पश्चात् "उपभोक्ता"
 कहा जाएगा जो विषय या संदर्भ विपरीत न होने की परिस्थिति में, उसके
 वारिस, निष्पादन-कर्ता, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी तथा
 अभिहस्ताकिती सम्मिलित होंगे) ।

जैसा कि उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के शहर/ग्राम
 जिला स्थित परिसर में (नक्शा संलग्न है) विद्युत
 ऊर्जा प्रदाय हेतु अनुरोध किया गया है तथा इस परिसर को संलग्न नक्शे में
 अधिक सुस्पष्ट रूप से दर्शायेनुसार चिन्हित कर रंग से अंकित किया गया है
 तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे विद्युत प्रदाय हेतु एतद् द्वारा निम्न दर्शाये अनुसार
 निर्धारित निम्न निबंधन तथा शर्तों के अधीन सहमति दी है ।

सभी उपस्थित इसके साक्षी हैं कि उपभोक्ता द्वारा एतद् पश्चात् यथावर्णित किये
 जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में, एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों के संबंध में
 सहमति हुई है कि :

1. **अनुबंध की अवधि** : यह अनुबंध विद्युत प्रदाय की दिनांक से या
 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को अनुबंध के अधीन विद्युत ऊर्जा के प्रदाय
 उपलब्ध होने संबंधी दी गई सूचना, के 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के
 तत्काल पश्चात् की दिनांक से इनमें जो भी पहले हो, से प्रारंभ होगा । यह
 अनुबंध, अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति तक लागू रहेगा
 तथा तत्पश्चात् वर्ष-प्रति-वर्ष तब तक चालू माना जाएगा, जब तक इस अनुबंध
 की कण्डिका 4 के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त नहीं कर दिया जाता है ।
 घरेलू तथा एकल फेस गैर-घरेलू उपभोक्ता हेतु, अनुबंध की कोई प्रारंभिक
 अवधि नहीं होगी ।

2. **विद्युत प्रदाय संहिता** : उपभोक्ता द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता,
 2013 तथा इसके संशोधनों की एक प्रति प्राप्त कर ली गई है तथा इसका
 अवलोकन कर इसकी विषयवस्तु को समझ लिया गया है तथा इसमें विनिर्दिष्ट
 समस्त निबंधनों एवं शर्तों को, उस सीमा तक, जो उस पर लागू होती है, का

अनुसरण तथा पालन करने का वचन देता है । कथित संहिता के निर्बन्धन, जैसे कि वे, समय-समय पर संशोधित किये जाएं तथा उस सीमा तक जहां तक कि वे लागू हों, इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे । आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय से संबंधित संरचित कोई विनियम इस अनुबंध का भाग माना जाएगा ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात् आयोग कहा जावेगा) द्वारा निर्धारित अन्य प्रयोज्य विनियमों के प्रावधानों तथा कोई संशोधन जैसे कि वे समय-समय पर प्रयोज्य हों, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय कर दिया गया है तथा उपभोक्ता द्वारा इसको समझ लिया गया है तथा ऐसे सभी निबंधनों एवं शर्तों के पालन की सहमति दे दी है ।

3. विद्युत प्रदाय की मात्रा : एतद् पश्चात् वर्णित प्रावधानों के अध्यक्षीन तथा अनुबंध के चालू रहने की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करेगा तथा उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी से, अन्य किसी प्रकार से जैसा कि उसे विधि के अनुसार अनुज्ञेय किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी से संविदा मांग केवीए/..... किलोवॉट (केडब्लू)/..... अश्व शक्ति (हार्स पावर) से तथा से केवीए/..... .. किलोवाट (के.डब्लू) अश्वशक्ति तक तथा इससे अधिक न हो, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगा ।

4. विद्युत प्रदाय का प्रकार : उपरोक्त विद्युत प्रदाय, 50 हर्ट्ज आल्टरनेटिंग करंट प्रणाली सेवोल्टेज के सामान्य दबाव तथा फेज पर होगी । प्रदाय के बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) एवं दबाव (प्रेसर) उन उतार-चढ़ावों के अध्यक्षीन होंगे जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं पारेषण के आनुषंगिक हैं। लेकिन ऐसे उतार-चढ़ाव, अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे कारणों को छोड़कर, भारतीय विद्युत नियम, 1956 में अथवा अन्य कोई प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों में उपबंधित सीमाओं से अधिक न होंगे ।

5. प्रतिभूति निक्षेप : उपभोक्ता आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित 'प्रतिभूति' निक्षेप का भुगतान करेगा। उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी विनियमों के अन्तर्गत, जैसे तथा जब भी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग की जाती है, भुगतान करने का वचन देता है । प्रतिभूति निक्षेप की शेष अतिरिक्त राशि जमा न किये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता को शेष अतिरिक्त राशि को जमा किये जाने के परिपालन हेतु पूरे 15 दिवसों की सूचना देकर, विद्युत प्रदाय विच्छेद करने का अधिकार होगा ।

6. मीटरिंग : उपभोक्ता द्वारा इस अनुबंध के अधीन प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा के पंजीकरण के उद्देश्य से, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयुक्त मीटर (मापयंत्र) तथा मीटरिंग (मापयंत्रों) उपकरण प्रदाय तथा संधारित किये जाएंगे ।

7. उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार : उपभोक्ता को इस अनुबंध के अधीन मांग की गई ऊर्जा एवं प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा के लिये सेवा की श्रेणी पर लागू विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसार प्रभार अन्य निबंधनों तथा शर्तों सहित एवं समय-समय पर लागू की गई 'विविध प्रभारों की अनुसूची' के अनुसार भी उसे अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान करना होगा।

। अनुबंध के प्रारंभ हो जाने के पश्चात्, समय-समय पर आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट विकल्प के अतिरिक्त, प्रारंभिक अनुबंध की 2 वर्ष की समयावधि में केवल एक बार को छोड़कर वैकल्पिक टैरिफ के चयन के विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013, टैरिफ, विविध प्रभारों की अनुसूची तथा अन्य प्रभार, जैसा कि वे आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये जाएं, के अतिरिक्त विद्युत शुल्क, उपकर के अतिरिक्त, अन्य किसी विधि के अधीन निर्धारित किये गये अन्य कोई लेव्ही, कर अथवा शुल्क का भुगतान भी करना होगा ।

8. विच्छेदन : उपभोक्ता द्वारा इस अनुबंध की शर्तों या किसी भी शर्त के पालन न करने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत, उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने बाबत् स्वतंत्र होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को इस प्रकार हुई किसी हानि तथा क्षति के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने हेतु बाध्य न होगा, तथापि इससे अनुज्ञप्तिधारी के बकाया राशि या ऐसी विच्छेदन अवधि के दौरान लागू मांग/न्यूनतम प्रभारों की वसूली के अधिकार प्रभावित न होंगे ।

9. अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता में से किसी के द्वारा अनुबंध का समापन: घरेलू एवं एकल फेज के गैर-घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के उपभोक्ता अनुबंध को 15 दिवस की सूचना पश्चात् समाप्त कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, एक माह की सूचना देकर अनुबंध का समापन कर सकते हैं । अनुज्ञप्तिधारी भी इसी प्रकार की सूचना देकर, लिखित कारण दर्शाते हुए, अनुबंध का समापन कर सकता है । परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बकाया राशि के भुगतान न होने के कारण या मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अधीन जारी निर्देशों के गैर-अनुपालन के कारण, 60 दिवस की अवधि के लिये विच्छेदित रहती है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई कारण बताओ सूचना के बाद भी, उपभोक्ता द्वारा विच्छेदन के निमित्तों को दूर करने हेतु और सूचना की विनिर्दिष्ट अवधि में विद्युत प्रदाय बहाल करने हेतु उपभोक्ता द्वारा कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जाता है, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से किया गया अनुबंध सूचना में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के समापन उपरान्त, स्वयं समाप्त हो गया, समझा जाएगा । 'कारण बताओ सूचना' की अवधि सात दिवस होगी ।

तथापि, घरेलू तथा एकल फेज गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के अनुबंध की प्रारंभिक अवधि से पूर्व अनुबंध को समाप्त किया जाना हो, तो उपभोक्ता को अनुबंध की शेष अवधि हेतु टैरिफ अनुसार प्रभारों के भुगतान का देनदार होगा ।

10. विशेष शर्तें : (प्रपत्र के अन्त में टीप देखें)

11. पत्र व्यवहार :

(क) उपभोक्ता को सम्बोधित किये गये किसी पत्र, आदेश या अभिलेख की तामीली, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 171 में निर्धारित की गई रीति अनुसार इस अनुबंध में प्रस्तावना में दर्शाये गये पते पर डाक द्वारा या उसे सुपुर्द कर की जाएगी ।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी को समस्त पत्र व्यवहार
..... को अथवा इस संबंध में प्राधिकृत अथवा नामांकित किये गये कार्यालय को, संबोधित किये जाएंगे ।

12. **मुद्रांक शुल्क** : उपभोक्ता मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) की लागत तथा इस अनुबंध के पूर्ण निष्पादन से संबंधित समस्त आनुषंगिक व्ययों को वहन करने की सहमति देता है ।
13. **विवाद** : यह अनुबंध अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय पंजीकृत कार्यालय में किया गया माना जाएगा तथा इस अनुबंध से संबंधित समस्त विवाद तथा दावे, यदि कोई हों, तो इनका निराकरण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे स्थानीय कार्यालय जो उपभोक्ता की शिकायत निवारण प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित है, में निराकृत किया जाएगा अथवा अनुज्ञप्तिधारी के प्रचालन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी सक्षम न्यायालय में परीक्षणीय होगा ।

उभय पक्षकारों द्वारा निम्न साक्षियों के समक्ष दिनांक
....., माह सन् दो हजार को
हस्ताक्षर किये गये तथा मुद्रांकित की गई ।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पता	अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पता

उपभोक्ता द्वारा किये गये निष्पादन के साक्षीगणों के हस्ताक्षर एवं पते	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये निष्पादन के साक्षीगणों के हस्ताक्षर एवं पते।
1.	1.
2.	2.

सामान्य मुद्रा (कॉमन सील) निम्न साक्षियों के समक्ष मुद्रांकित की गई (केवल लिमिटेड कंपनियों के प्रकरणों में)

- 1.
- 2.

सामान्य मुद्रा

टीप :

- आवेदन के साथ उपभोक्ता द्वारा संलग्न किया गया नक्शा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित किया गया हो तथा जिस पर विद्युत प्रदाय बिन्दु चिह्नांकित किया गया हो, इस अनुबंध का भाग माना जाएगा व उभय पक्षों द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया जाएगा ।
- ऐसी अन्य या विशेष शर्तें जिन पर अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के बीच सहमति हो और जो विद्यमान नियमों/विनियमों के अनुरूप हो ।
- इस निम्नदाब विद्युत प्रदाय के अनुबंध पत्र के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास या भ्रांति होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा ।

परिशिष्ट-4

मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,

अति उच्चदाब/उच्च दाब विद्युत प्रदाय का अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक, माह, वर्ष 20 को एक ओर मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा के अन्तर्गत एक निगमित कंपनी है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तात्पर्य के अन्तर्गत एक शासकीय कंपनी है (वह अभिव्यक्ति, जहां संदर्भ इसे अनुज्ञेय करता है, में सम्मिलित होंगे कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती) तथा दूसरी ओर

(जिसे एतद् पश्चात् उपभोक्ता कहा जाएगा, वह अभिव्यक्ति जहां संदर्भ इसे जहां तक अनुज्ञेय करता हो में सम्मिलित होंगे इसके वारिस, निष्पादनकर्ता, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, व्यवसाय में उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित किया जाता है ।

जैसा कि उपभोक्ता ने मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, (जिसे इसके बाद क्षेत्र वितरण कंपनी कहा जाएगा) को स्थित परिसर में थोक (बल्क) विद्युत ऊर्जा प्रदाय हेतु अनुरोध किया है तथा जिसे संलग्न नक्शे में अधिक सुस्पष्ट रूप से दर्शायेनुसार चिन्हित कर रंग से अंकित किया गया है तथा क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को ऐसी विद्युत ऊर्जा प्रदाय हेतु एतद् पश्चात् लिखित निबंधन तथा शर्तों के अधीन स्वीकृति दी है ।

एतद् द्वारा निम्नानुसार घोषणा तथा सहमति दी जाती है कि :-

1. (क) एतद् पश्चात् वर्णित प्रावधानों के अधधीन तथा अनुबंध के चालू रहने की अवधि के दौरान, क्षेत्र वितरण कंपनी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करेगी तथा उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी से ऐसी समस्त विद्युत ऊर्जा स्वयं के परिसर में प्राप्त करेगा जिसे उपभोक्ता को स्वयं के उपयोग उपरोक्त दर्शाये प्रयोजन हेतु आवश्यकता होगी, जिसकी उच्चतम सीमा निम्न दर्शायेनुसार होगी :-

..... से केवीए
..... से केवीए
..... से केवीए

(जिसे एतद् पश्चात् संविदा मांग कहा जाएगा) तथा एतदनुसार कण्डिका 13 के प्रावधानों के अधधीन होगी ।

(ख) उपभोक्ता उप-कण्डिका (क) के अन्तर्गत प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा का विक्रय अथवा अन्तरण अथवा पुनर्वितरण, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे इसके बाद मप्रविनिआ, कहा गया है) की लिखित अभिस्वीकृति के बगैर नहीं करेगा ।

2. (क) इस अनुबंध के अन्तर्गत इस अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि या तो उपभोक्ता द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्राप्त किये जाने की वास्तविक तिथि से लागू होगी अथवा प्रयोज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 तथा जिसे समय-समय पर संशोधित अनुसार विनिर्दिष्ट दिवस की सूचना अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात् की सूचना की तिथि से क्षेत्र वितरण कंपनी के कार्यपालन

यंत्रों द्वारा उपभोक्ता को इस आशय से दी गयी हो कि इस अनुबंध के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा उपलब्ध है, जो भी पहले हो, के अन्तर्गत होगी ।

(ख) उपरोक्त उप-कण्डिका (क) के अध्यक्षीन, उपभोक्ता इस अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत उपरोक्त उप कण्डिका (क) में उल्लेखित विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति प्रारंभ कर देगा; तथा यह भी कि वह उसके परिसर में विद्युतीकरण कार्य युक्तियुक्त समय में पूर्ण करेगा । उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त दर्शायी गई शर्तों के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय का उपभोग न करने की दशा में उसे समय-समय पर प्रचलित टैरिफ में विनिर्दिष्ट किये गये न्यूनतम प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

3 (क) क्षेत्र वितरण कंपनी आवश्यकवोल्ट लाईन प्रदाय किये जाने हेतु अपनी सहमति देती है; यह प्रदाय इस अनुबंध के अन्तर्गत क्षेत्र वितरण कंपनी के प्रसंवाही (मैस) से उपभोक्ता के परिसर में उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु प्रदाय बिन्दु तक मय फ्यूजों, आईसोलेटरों अथवा आईल-सर्किट ब्रेकरों जैसा कि वे क्षेत्र वितरण कंपनी की मानक कार्य प्रणालियों के अंतर्गत प्रदाय बिन्दु पर आवश्यक हों, किया जाएगा तथा उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी को प्रदाय लाईन तथा संयंत्र(ी) की लागत जैसी कि वह मप्रविनिआ द्वारा अधिसूचित सुसंगत विनियमों के अंतर्गत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित की गई हो । क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा स्थापित किया गया मापयंत्र उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) और/या उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थापित किये गये अन्य किसी उपकरण का किराया मप्रविनिआ द्वारा जारी विनियमों/आदेशों तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार वसूल किया जाएगा ।

(ख) भले ही प्रदाय लाईन तथा संयंत्र(ी) की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की गई हो, सम्पूर्ण प्रदाय लाईन तथा संयंत्र(ी), जिनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो, का स्वामित्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में वेष्टित होगा तथा इसका संधारण क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उसके स्वयं के व्यय पर किया जाएगा ।

4. क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को ऊर्जा का प्रदाय 3 फेज, 50 चक्र (साईकल), आल्टरनेटिंग करंट प्रणाली पर वोल्ट के सामान्य दबाव पर किया जाएगा । उपभोक्ता के संभरक (फीडरों) के प्रदाय बिन्दु पर विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) तथा दबाव (प्रेसर) उन उतारों-चढ़ावों (फ्लकचुऐशंस) के अध्यक्षीन होंगे जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन तथा पारेषण के अन्तर्गत साधारण, सामान्य तथा आनुषंगिक हैं, परन्तु ऐसे उतार-चढ़ाव वितरण कंपनी के नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों की दशा के अलावा, आवृत्ति पर 3 प्रतिशत से अधिक तथा (i) उच्च वोल्टेज के प्रकरण उच्च पक्ष में 6 प्रतिशत या निम्न पक्ष में 9 प्रतिशत, तथा (ii) अतिरिक्त उच्च वोल्टेज प्रकरण में, उच्च पक्ष में 10 प्रतिशत अथवा निम्न पक्ष में 12.5 प्रतिशत होंगे । उपभोक्ता यह सुनिश्चित किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता है कि उसके समस्त वोल्ट के स्टेप-डाऊन ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पक्ष पर डेल्टा संयोजित रहेंगे, परन्तु क्षेत्र वितरण कंपनी के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण होने वाले कोई भी विचलन (डेविएशन) से किसी प्रकार की क्षति होने पर उपभोक्ता किसी प्रकार की हानि की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा ।

5 (क) उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी के टर्मिनल उच्च दाब स्विचगियर तथा उपकरणों को स्थापित किये जाने के प्रयोजन से अपने स्वयं के व्यय पर क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा अनुमोदित रूपांकन के अनुसार एक तालायुक्त (लाकड), मौसम-अवरोधक (वेदर पुफ) सुरक्षित परिसर प्रदान करेगा तथा उसका संधारण करेगा ।

(ख) इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी को उपभोक्ता के स्वामित्व वाली आवश्यक भूमि निशुल्क प्रदान करेगा तथा वह क्षेत्र वितरण कंपनी की प्रणाली से न केवल उपभोक्ता सेवा हेतु वे समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं सीधे केबलें अथवा शिरोपरि लाईनें वरन् क्षेत्र वितरण कंपनी के अन्य उपभोक्ताओं को संयोजित किये जाने हेतु केबलें तथा शिरोपरि लाईनें लाये जाने के संबंध में भी उपलब्ध करायेगा तथा वह क्षेत्र वितरण कंपनी को उपरोक्त परिसर में उनसे संबंधित अपेक्षित स्विचगियर तथा संयोजन प्रदान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करेगा जिससे उपभोक्ता परिसर स्थित केबलों तथा टर्मिनलों के माध्यम से उन्हें विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जा सके परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र वितरण कंपनी के मतानुसार उपभोक्ता को इस व्यवस्था के अनुसार विद्युत प्रदाय अनुचित रूप से प्रभावित न करता हो ।

(ग) उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी की लिखित अनुमति से इस अनुबंध के अन्तर्गत उसके स्वयं के स्वामित्व का उच्चदाब स्विचगियर तथा अन्य उपकरण जो उसके द्वारा विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से अत्यावश्यक रूप से संयोजित किये जाने हैं, स्थापित करेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके द्वारा यह सुरक्षित परिसर किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा ।

(घ) वितरण कंपनी के प्रतिनिधि, सेवक, अधीनस्थ पदाधिकारी तथा कामगार, अपने औजारों एवम् उपकरणों के साथ अथवा उनके बगैर भी उक्त कथित सुरक्षित परिसर में अथवा परिसर में तथा आगमित अथवा निगमित केबलें अथवा शिरोपरि लाईनें जो उसकी भूमि के अन्दर, ऊपर अथवा क्षेत्र से उपरोक्त उप-प्रावधान (ख) के अन्तर्गत गुजरती हों, उनकी सम्पत्ति के निरीक्षण, जांच, सुधार तथा संधारण के प्रयोजन से, समस्त समयों पर पहुंच कर सकेंगे ।

6. विद्युत प्रदाय का बिन्दु क्षेत्र वितरण कंपनी के **कट-आऊट** के बहिर्गामी टर्मिनल पर होगा जो कण्डिका 3 के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा अथवा कण्डिका 5 के अन्तर्गत परिसर के अन्दर प्रदान किया जाएगा तथा विद्युत प्रदाय को निर्दिष्ट बिन्दु तक लाया जाएगा ।

7 (क) उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा का मापन किये जाने के प्रयोजन से, उपभोक्ता के संभरक (फीडर) पर एक वोल्ट मापयंत्र (मीटरिंग) उपकरण (जिसे एतद् पश्चात् मुख्य मापयन्त्र कहा जाएगा) प्रदान किया जाएगा जो क्षेत्र वितरण कंपनी की सम्पत्ति होगी तथा उसी के द्वारा इसे अच्छी हालत में रखा जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी तथा अंशांकित (केलीब्रेट) किया जाएगा ।

(ख) जहां पर मापयंत्र व्यवस्था (मीटरिंग) विद्युत प्रदाय के निम्न-वोल्टेज पक्ष की ओर या तो मितव्ययिता के आधार पर अथवा उच्च वोल्टेज मापयंत्रण (मीटरिंग) उपकरण के उपलब्ध न होने अथवा अन्य किसी कारण से किया जाएगा, ऐसे प्रकरणों में किसी भी माह में उच्च वोल्टेज पर बिलिंग के प्रयोजन से किये गये विद्युत उपभोग की मात्रा मापयन्त्र द्वारा निम्न-वोल्टेज स्तर में दर्ज

से किये गये विद्युत उपभोग की मात्रा मापयन्त्र द्वारा निम्न-वोल्टेज स्तर में दर्ज की गई मासिक मात्रा में इसका 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) उच्चदाब से निम्नदाब में परिवर्तन के कारण हुई हानि के एवज में जोड़कर, जैसा कि वह विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 अथवा प्रचलित टैरिफ के अनुसार समय-समय पर प्रयोज्य हो, की जाएगी ।

8. उपभोक्ता, उसके स्वयं के व्यय पर, उसके परिसर में संभरकों (फीडरो) पर जांच मापयन्त्र (चेक-मीटर) स्थापित कर सकेगा । तथापि, विद्युत ऊर्जा की मात्रा तथा मांग जैसी कि वे कण्डिका 7 के अन्तर्गतक्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा स्थापित मुख्य मापयन्त्र में अभिलिखित की गई हो को सदैव क्षेत्र वितरण कंपनी की प्रणाली से (तदनुसार कण्डिका 14 के उपबंधों के अध्यक्षीन) वास्तविक रूप से प्रदाय की गई तथा मांग की गई विद्युत ऊर्जा माना जाएगा ।

9. मापयन्त्रों (मीटरों) को दोनों पक्षकारों की ओर से उचित रूप से मुद्रांकित (सील) किया जाएगा तथा इन दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जब तक वहां पर उनका अन्य विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हो।

10. उपभोक्ता परिसर में स्थापित किये गये समस्त ट्रांसफार्मर, स्विचगियर तथा अन्य विद्युत उपकरण जो क्षेत्र वितरण कंपनी के संभरकों (फीडरो) अथवा लाईनों से सीधे संयोजित हैं, उचित गुणवत्ता तथा क्षमता के होंगे तथा वे क्षेत्र वितरण कंपनी की तुष्टि अनुसार युक्तियुक्त रूप से संघारित किये जाएंगे । उपभोक्ता के नियंत्रण-गियर पर फ्यूज तथा रिले की स्थापना तथा उसके किसी भी सर्किट ब्रेकर की विदीर्ण (स्पॉरिंग) क्षमता क्षेत्र वितरण कंपनी के अनुमोदन के अध्यक्षीन होगी । मोटरों का प्रारंभिक विद्युत प्रवाह, (कुरंट) मप्रविनिआ के "विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 जैसी कि वह समय-समय पर लागू होगी" में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से अधिक न होगा ।

11. जैसा कि यहां प्रावधान किया गया है, उपभोक्ता को, विद्युत प्रदाय निरंतर उपलब्ध कराया जाएगा सिवाय उन विशेष आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर जैसी कि वे प्रचलित विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में विनिर्दिष्ट की गई हों अथवा अन्य कोई ऐसा कारण जिस पर क्षेत्र वितरण कंपनी का नियंत्रण नहीं है तथा ऐसे किसी भी प्रकरण में क्षेत्र वितरण कंपनी विद्युत-प्रवाह के विच्छेद हो जाने पर किसी हानि तथा क्षति हेतु उत्तरदायी न होगी परन्तु विद्युत प्रदाय को शीघ्र अति शीघ्र, जितना कि वह युक्तियुक्त ढंग से कर सके, इसे पुनः प्रारंभ करेगी ।

12. (क) उपभोक्ता इस अनुबंध के अन्तर्गत उसे प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा की खपत को शीर्ष घंटों (पीक आवर्स) में तथा ऐसे अन्य किसी समय पर भी परिसीमित अथवा विनियमित किये जाने हेतु अपनी सहमति देता है जैसा कि उसे क्षेत्र वितरण कंपनी के क्षेत्रीय अभियंता द्वारा लिखित में निर्देशित किया जाए यदि विद्युत प्रदाय की स्थिति अथवा विद्युत प्रणाली में अन्य कोई आकस्मिक परिस्थिति के अन्तर्गत ऐसा किया जाना अनिवार्य हो ।

(ख) उपभोक्ता इस अनुबंध के अन्तर्गत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय में कटौती किये जाने, इसकी अवधि को पुनर्व्यवस्थित करने अथवा

पूर्ण रूप से अवरुद्ध किये जाने हेतु अपनी सहमति देता है यदि विद्युत प्रदाय की स्थिति अथवा विद्युत प्रणाली में अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति के कारण ऐसा किया जाना अनिवार्य हो ।

13. (क) उपभोक्ता द्वारा लिखित रूप से इस संबंध में अनुबंध मांग परिवर्तित किये जाने हेतु विधिवत सूचना दिये जाने पर, उपभोक्ता को ऐसी अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, **इसके उपलब्ध होने की परिस्थिति में**, इसकी मांग अनुबंध मांग से अधिक होने पर, ऐसे अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु अनुज्ञेय **किया जा सकेगा** जिसके लिये क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा उपभोक्ता द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की जाए ।

(ख) क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा ऐसी अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु सहमति दिये जाने पर, उपभोक्ता को ऐसा अंशदान ऐसी अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराये जाने पर इसकी लागत का भुगतान करेगा, जैसा कि क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उसे सूचित किया जाए ।

(ग) यदि ऐसा अतिरिक्त विद्युत प्रदाय क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उसे उपलब्ध करा दिया जाता है तो इस संबंध में क्षेत्र वितरण कंपनी कण्डिका 1 (क) में विनिर्दिष्ट अनुबंध मांग में उसी समान मात्रा की सीमा तक इसमें अभिवृद्धि करेगी ।

(घ) अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के समापन पर उपभोक्ता अनुबंधित मांग को जैसा कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013, जैसी कि वह समय-समय पर लागू हो, में निहित उपबंधों के अनुसार घटाने के लिये अधिकृत होगा। अनुबंध मांग में इस प्रकार की गई कमी, इसके बारे में कण्डिका 21 (ए) में उल्लेखित उक्त सीमा तक उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूति राशि का भुगतान किये जाने संबंधी दायित्व को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी ।

14. मापयन्त्र/मापयन्त्र वाचन उपकरण (एमआरआई) का वाचन, जैसा कि कण्डिका 7 में इसका उल्लेख किया गया है, उपभोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा, जैसा कि इसे समय-समय पर लागू की गई विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में निर्धारित किया गया हो तथा इस प्रकार किया गया वाचन उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा के बारे में उपभोक्ता तथा क्षेत्र वितरण कंपनी के मध्य बाध्यकारी तथा अन्तिम होगा । मुख्य मापयन्त्र अथवा उसका सहायक उपकरण, जो उसका एक अंगभूत हो, दोषयुक्त पाये जाने की दशा में, प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का अवधारण क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा स्थापित किये गये जांच मापयन्त्र (चेक मीटर) में किये गये वाचन के अनुसार किया जाएगा । तथापि, यदि ऐसी अवधि में जब मुख्य मीटर (मापयंत्र) त्रुटियुक्त हो तथा जांच मीटर को स्थापित न किया गया हो अथवा इसे भी त्रुटियुक्त पाया गया हो, तो ऐसी दशा में प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का अवधारण पिछले तीन माह की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा या अन्यथा जैसा कि इसके बारे में मप्रविनिआ द्वारा युक्तियुक्त विनियम में उपबंधित किया गया हो; परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्र वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री के मत में, माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना की परिस्थितियां उपभोक्ता अथवा क्षेत्र वितरण के प्रति न्यायसम्मत न थीं, ऐसी अवधि में, प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का अवधारण अधीक्षण यंत्री द्वारा किया जाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार किये गये अवधारण से संतुष्ट न होने की दशा में वह क्षेत्र वितरण

कंपनी के संबंधित मुख्य अभियंता को अपील कर सकेगा जिसका इस विषय पर निर्णय अन्तिम होगा ।

15 इस अनुबंध के अन्तर्गत, उपभोक्ता को सदैव क्षेत्र वितरण कंपनी के किसी भी पदाधिकारी अथवा उसके किसी कर्मचारी को जिसे मुख्य अभियंता द्वारा सामान्य रूप से अथवा विशेष रूप से इस संबंध में उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा प्रदाय किये जाने के प्रयोजन से उपभोक्ता के विद्युत उपकरण का निरीक्षण करने हेतु समस्त अथवा इनमें से किसी भी एक प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाए, अनुमति प्रदान करनी होगी।

16. दोनों पक्षकारों द्वारा चाहे जाने पर, मीटरों (मापयंत्रों) का पुनः-अंशांकन (रिकैलीब्रेशन) तथा मानकीकरण क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा मानक उपकरणों की सहायता से, उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा; बशर्ते, तथापि यह भी कि क्षेत्र वितरण कंपनी मापयंत्र उपकरणों की परीक्षण जांच छः माह के अन्तराल से अथवा ऐसी अन्य अवधि जैसा कि इसे समय-समय पर लागू की गई विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में निर्दिष्ट किया जाए, संचालित कर सकेगी ।

17. उपभोक्ता द्वारा क्षेत्र वितरण कंपनी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, वह मापयंत्रों (मीटरों) का विशेष परीक्षण कराने हेतु प्राधिकृत होगा तथा इस प्रकार किये गये परीक्षण का व्यय ऐसे परीक्षण के परिणामस्वरूप इसके त्रुटियुक्त अथवा शुद्ध पाये जाने के अनुसार क्रमशः क्षेत्र वितरण कंपनी अथवा उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा । ऐसे मापयंत्र सही माने जाएंगे, यदि इनमें पाई गई अशुद्धि की परिस्तीमाएं, भारतीय विद्युत नियम 1956, जैसा कि इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया हो, में निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक न हों ।

18. इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ, उपभोक्ता के ऐसे प्रदाय बिन्दु पर उपभोक्ता को प्रतिमाह प्रदाय की अधिकतम मांग परिसर में, प्रदाय किलोवॉट ऑवर (केडब्लूएच)/किलोवोल्ट एम्पीअर ऑवर (केवीएएच) में की गई मांग का मापन, विसर्पी-वातायन (स्लाईडिंग विण्डो) सिद्धान्त के आधार पर उक्त माह में किन्हीं निरन्तर पंद्रह मिनटों के दौरान, चार गुना के बराबर के आधार पर किया जाएगा ।

19. उपभोक्ता प्रतिमाह क्षेत्र वितरण कंपनी को, पिछले माह में उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा के प्रभारों का भुगतान समय-समय पर उक्त प्रदाय सेवा की श्रेणी को लागू की गई प्रयोज्य विद्युत-दर (टैरिफ) के अनुसार वितरण कंपनी को करेगा । उपभोक्ता को लागू मप्रविनिआ द्वारा जारी चालू उच्च-दाब टैरिफ आदेश क्र..... दिनांक की प्रतिलिपि, यथासंशोधित, इस अनुबंध के साथ अनुसूची अनुसार संलग्न की जा रही है ।

20. (क) विद्युत-दर (टैरिफ), परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार (वेरिबेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज), यदि वह लागू हो, के अध्यक्षीन होगी।

(ख) परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार कण्डिका 19 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये न्यूनतम प्रभारों अथवा कण्डिका 21 में संलग्न विशेष प्रतिभूति की वसूली किसी न्यूनतम अधिरोपित राशि के अतिरिक्त भारित किया जाएगा।

21. विशेष शर्तें और/या प्रभार

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

आदि

22. (क) यदि अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के मध्य किये गये चालू अनुबंध के अन्तर्गत किसी भी समय, विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 जैसी कि वह समय-समय पर लागू की गई हो, में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण, उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपभोग आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संभव न हो, उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी को ऐसी परिस्थिति के संबंध में लिखित में, 7 दिवसों की सूचना देकर, **मय तत्संबंधी अपेक्षित आवश्यकता दर्शाई जाकर** कर ऐसा सकेगा तथा उसे घटी हुई विद्युत प्रदाय की मात्रा अनुज्ञेय की जाएगी जितनी कि वह अत्यावश्यक तथा संभव हो पायेगी । ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां कि उपभोक्ता विशेष आकस्मिक परिस्थितियों संबंधी दावे प्रस्तुत करता हो, क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि इसका सत्यापन करेगा । उपभोक्ता को ऐसी कोई सुविधा केवल उसी दशा में उपलब्ध होगी, यदि घटाई गई विद्युत प्रदाय की अवधि, न्यूनतम 30 दिवस तथा अधिकतम छः माह हो, जैसी कि वह विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में विनिर्दिष्ट की गई है । उपरोक्त उल्लेखित विद्युत प्रदाय की घटाई गई अवधि की गणना अनुबंध में निर्धारित की गई प्रारंभिक अवधि के अन्तर्गत नहीं की जाएगी तथा अनुबंध की अवधि में उक्त घटाई गई विद्युत प्रदाय की **अवधि के बराबर** और वृद्धि हो जाएगी ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, तथापि इस अनुबंध की कण्डिका 27 के संदर्भ अनुसार, यह अनुबंध अवधि की समाप्ति के बावजूद भी आगे समकक्ष अवधि हेतु निरंतर लागू रहेगा जैसा कि वह इस कण्डिका के अन्तर्गत घटी हुई विद्युत प्रदाय अवधि हेतु जारी रहता तथा प्रतिबन्ध यह भी है कि उपभोक्ता कथित घटाई गई विद्युत प्रदाय हेतु ऐसी दर पर भुगतान करेगा जैसा कि वह क्षेत्र हेतु क्षेत्र वितरण कंपनी विद्युत-दर (टैरिफ) पर, उपभोक्ता को लागू हो ।

(ख) क्षेत्र वितरण कंपनी अथवा उपभोक्ता किसी भी प्रकार से वहन की गई हानि, क्षति अथवा मुआवजे के भुगतान हेतु बाध्य न होंगे जो विद्युत प्रदाय के अवरुद्ध हो जाने के कारण हो तथा जब ऐसा अवरोध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगों, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्नि, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यक्षीन), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यक्षीन), चक्रवात, आंधी-तूफान, तड़ित, भूकम्प अथवा दैवीय घटना के कारण निहित हो । परन्तु ऐसी किसी परिस्थिति के अन्तर्गत, उपभोक्ता ऐसी किसी विद्युत ऊर्जा के भुगतान हेतु बाध्य न होगा जो क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा वास्तविक प्रदाय न की गई हो तथा न ही विद्युत अवरोध अवधि को कथित अनुबंध अवधि में इसे किसी भी प्रकार से जोड़ा जाएगा ।

23. उपभोक्ता की स्थापना में औसत मासिक ऊर्जा-कारक (पॉवर-फैक्टर) 90 प्रतिशत से कम न होगा । तथापि, यदि किसी भी प्रकार गिरकर यह 90 प्रतिशत से कम हो जाए अथवा जैसा इसे विद्युत-दर (टैरिफ) में निर्धारित किया

जाए, उपभोक्ता को इस बाबत ऐसे अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करना होगा, जैसा कि इसे विद्युत-दर में निर्धारित किया जाए। यदि औसत ऊर्जा-कारक (पॉवर फेक्टर) 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो क्षेत्र वितरण कंपनी, इस अनुबंध के अन्तर्गत, उसके न्यूनतम प्रभारों की वसूली किये जाने के अधिकारों को प्रभावित किये बिना, उपभोक्ता की स्थापना का विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर सकेगी जब तक कि इसमें वृद्धि 90 प्रतिशत अथवा इससे अधिक स्तर पर न कर दी जाए। तथापि, ऐसे विच्छेदन से निम्न ऊर्जा कारक हेतु अतिरिक्त प्रभार लागू करना प्रभावित नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में जहां ऊर्जा कारक 70 प्रतिशत या इससे कम स्तर तक गिर जाए, तो उपभोक्ता को क्षेत्र वितरण कंपनी को उसकी स्थापना के विद्युत प्रदाय को विच्छेदित किये जाने बाबत कहे जाने का विकल्प होगा तथा क्षेत्र वितरण कंपनी, उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार आवश्यक होने पर, उपभोक्ता की स्थापना को विच्छेदित कर सकेगी। इस अनुबंध के अन्तर्गत, इस प्रकार किया गया कोई भी विच्छेदन, उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम प्रभारों का भुगतान किये जाने के दायित्व से उसे मुक्त नहीं करेगा।

24 (क) क्षेत्र वितरण कंपनी, यथासंभव, प्रत्येक कलेण्डर माह की समाप्ति पश्चात्, 15 दिवस के अन्दर अथवा उपभोक्ता के मीटर वाचन (रीडिंग) के पश्चात्, प्रभारों का एक देयक (बिल), कथित मीटरों द्वारा दर्शाये गये वाचन के अनुसार, उपभोक्ता को प्रदाय किये गये यूनिटों की संख्या दर्शाते हुए तथा तदनुसार उपभोक्ता को क्षेत्र वितरण कंपनी की प्रयोज्य विद्युत-दर (टैरिफ) के अनुसार देय राशि तथा अन्य प्रभार दर्शाते हुए उसे प्रेषित करेगी तथा उपभोक्ता को देयक जारी किये जाने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर इसका भुगतान करना होगा। ईंधन लागत समायोजन प्रभार, जैसा कि वे विद्युत-दर के अन्तर्गत प्रयोज्य हैं एवं जैसा कि वे मप्रविनिआ द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये हों, के अनुसार इनकी गणना की जाएगी तथा इन्हें देयक के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक माह हेतु, बिल की गई राशि, या तो उपरोक्त कण्डिका 24 (क) के अन्तर्गत प्रगणित किया गया प्रभार अथवा कण्डिका 21 के अधीन प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम राशि का एक बटा बारहवां (1/12) भाग इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, जो मासिक आवश्यक समायोजन के अध्यधीन होगा तथा इससे कण्डिका 20 के प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे।

25. (क) किसी विवाद होने की दशा में अथवा किसी देयक या देयकों (बिल या बिलों) के एतद् निर्धारित निबंधनों के अनुसार सही होने संबंधी मतभेद होने के बावजूद भी उपभोक्ता को इन निबंधनों में निर्धारित प्रक्रियानुसार ऐसे देयक/देयकों (बिल/बिलों) की राशि के एवज में विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में निर्दिष्ट अनुसार एक राशि जो पिछले छः माह के औसत देयकों की राशि के औसत के बराबर होगी, का भुगतान उपरोक्त दर्शाई 15 दिवस की अवधि के भीतर करना होगा। ऐसे किसी देयक अथवा किन्हीं देयकों के शुद्ध न पाये जाने पर ऐसे देयक/देयकों (बिल/बिलों) का वांछित किसी प्रकार का समायोजन क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में निर्धारित की गई समयसीमा के अनुसार, उपरोक्त कथित विवाद अथवा मतभेद के निपटान पश्चात् किया जाएगा।

(ख) यदि कोई उपभोक्ता कण्डिका 24 के उपबंधों के अनुसार किन्हीं देयकों का भुगतान करने में चूक करता हो तो उसे समय-समय पर प्रभावशील विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश द्वारा निर्धारित अधिभार देयक जारी किये जाने की तिथि से भुगतान किया जाना बाध्यकारी होगा, यदि देयक का भुगतान देयक तिथि से 15 दिवस के भीतर नहीं किया जाता है । क्षेत्र वितरण कंपनी उपभोक्ता को, विद्युत ऊर्जा प्रदाय बन्द किये जाने संबंधी आशय की पूर्ण 15 दिवस की सूचना, कि यदि पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो विद्युत प्रदाय तत्काल विच्छेदित कर दिया जाएगा, देगी तथा ऐसा किये जाने पर इसका पुनर्संयोजन उसी दशा में किया जाएगा जब उपभोक्ता बकाया राशि का समस्त भुगतान, **अधिभार को सम्मिलित करते हुए** तथा विच्छेदन तथा पुनर्संयोजन से संबंधित कार्यों के प्रभारों का भुगतान कर दे ।

26 (क) उपभोक्ता कोक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांग किये जाने पर, नगद में अथवा अन्य किसी रूप में जैसा इसे मप्रविनिआ द्वारा निर्धारित किया जाए, एक ऐसी प्रतिभूति निक्षेप के रूप में, जो डेढ़ माह की खपत के समतुल्य विद्युत बिल की राशि से कम न होगी के बराबर, एतद् पश्चात् दर्शाये प्रयोजन हेतु जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा मप्रविनिआ द्वारा अधिसूचित प्रतिभूति निक्षेप विनियम, 2009 तथा समय-समय पर इसके संशोधनों के अनुसार उसे समय-समय पर ऐसी प्रतिभूति निक्षेप राशि का पुनर्भरण, इसके समाप्त हो जाने पर अथवा इसके अपर्याप्त होने पर अथवा अन्यथा इसे कम पाये जाने पर इस हेतु इसकी भरपाई किये जाने संबंधी ऐसी किसी मांग किये जाने पर वांछित आवश्यक राशि का भुगतान करना होगा । नगद में जमा की गई इस राशि पर क्षेत्र वितरण कंपनी, मप्रविनिआ द्वारा जारी प्रतिभूति निक्षेप विनियम, 2009, जैसा कि इसे समय-समय पर लागू किया गया हो, में निर्धारित की गई दर पर ब्याज का भुगतान करेगी । क्षेत्र वितरण कंपनी किसी भी समय तथा समय-समय पर उपरोक्त दर्शायेनुसार इस प्रकार से जमा की गई किसी प्रतिभूति का उपयोग करने अथवा विनियोजित करने तथा उस राशि के भुगतान हेतु अथवा समस्त की तुष्टि हेतु, इस अनुबंध के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा प्रदाय के संबंध में अथवा अन्यथा कोई राशियां जो उपभोक्ता द्वारा क्षेत्र वितरण कंपनी को देय अथवा ऋणबद्ध हो जाएंगी, की वसूली हेतु स्वतंत्र होगा, परन्तु इस कण्डिका में निहित प्रावधान उसे अन्य कोई उपाय जो इस अनुबंध के अनुसार उसे वसूली हेतु प्रदत्त है को प्रभावित किये बिना, करने से नहीं रोकेगी जिस हेतु क्षेत्र वितरण कंपनी इस प्रकार की राशियों की वसूली हेतु अधिकृत होगी ।

(ख) यदि कोई उपभोक्ता, उसे सूचना दिये जाने पर तीस दिवस के भीतर अथवा अन्य कोई निर्दिष्ट की गई अवधि में लिखित में प्रत्येक प्रकरण में उसे प्रसारित की गई ऐसी किसी सूचना के निबंधन के परिपालन हेतु, जो उसे कोई प्रतिभूति निक्षेप, **अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप सम्मिलित करते हुए**, अथवा उपरोक्त दर्शाई गई उप-कण्डिका (क) के अनुसार उसे प्रसारित की गई कोई सूचना इसे नवीनीकरण अथवा पुनर्भरण किये जाने, उसके समाप्त हो जाने अथवा अपर्याप्त होने के कारण, अर्हता रखती हो, तो ऐसी दशा में क्षेत्र वितरण कंपनी अन्य कोई उपाय, जिस हेतु क्षेत्र वितरण कंपनी अधिकृत होगी, उसे प्रभावित किये बिना, उसे विद्युत प्रदाय हेतु मना किये जाने अथवा उसे बन्द करने हेतु अधिकृत होगी जब तक कि उसके द्वारा यह अवहेलना जारी रहे ।

27. (क) यह अनुबंध, निश्चित रूप से, उपरोक्त कण्डिका 2 के अन्तर्गत इसके प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा। इस कण्डिका के बाद दिया गया कोई भी वर्णन इस अवधि को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

(ख) उपरोक्त उप-कण्डिका में उल्लेखित की गई दो वर्षों की अवधि के उपरान्त, यह अनुबंध, जब तक कि इसे समाप्त न कर दिया गया हो, जैसा कि इसके संबंध में एतद् पश्चात् आदिष्ट किया गया हो, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों के अन्तर्गत वर्ष-प्रति-वर्ष लागू किया गया माना जाएगा, किन्तु यह कि उपरोक्त उप-कण्डिका (क) में उल्लेखित की गई अवधि के उपरान्त, उपरोक्त अनुबंध दोनों पक्षकारों द्वारा कम से कम एक माह का नोटिस, जो ऐसी अवधि (जो किसी कलेण्डर माह के अन्त में समाप्त होगी) के समाप्त होने से पूर्व लिखित में दिया जाकर, समाप्त किया जा सकेगा।

(ग) ऐसी नोटिस अवधि की समाप्ति पर, इस अनुबंध, के अन्तर्गत वे अधिकार जो दोनों पक्षकारों द्वारा उपार्जित किये जाते हैं, को प्रभावित किये बगैर, अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।

28. (क) एतद् द्वारा कण्डिका 19 में संदर्भित अनुसूची में निर्धारित की गई दर तथा अन्य प्रभार मप्रविनिआ द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये विविध प्रभार वे होंगे जो अनुबंध के निष्पादन/प्रारंभ होने के समय प्रभावशील होंगे। उपभोक्ता मप्रविनिआ द्वारा स्वीकृत की गई इन दरों में/अथवा प्रभारों में की गई किसी भी प्रकार से की गई कमी अथवा छूट की प्राप्ति हेतु अर्हता रखेगा तथा मप्रविनिआ द्वारा प्रभारित किसी भी प्रकार के अधिभार तथा उन पर की गई किसी वृद्धि से संबंधित भुगतान अथवा उसे किसी भी नई दर अथवा विद्युत-दर (टैरिफ) राशि, जो मप्रविनिआ द्वारा प्रभारित किये जाने हेतु इस अनुबंध के अन्तर्गत भुगतानयोग्य निर्धारित की गई राशि के बदले में उचित समझे, के भुगतान का देनदार होगा।

(ख) अनुसूची में निर्धारित की गई विद्युत-दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर किसी भी प्रकार के देय कर, शुल्क अथवा अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं हैं जो प्रचलित कानून के अनुसार भुगतान देय होंगे। उपभोक्ता को ऐसे प्रभारों का भुगतान विद्युत-दर प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

29. जहां पर उपभोग की गई विद्युत को प्रभारित किये जाने के संबंध में सेवा श्रेणी को प्रयोज्य टैरिफ दरों में एक से अधिक विधियां विद्यमान हों, वहां उपभोक्ता इस अनुबंध के प्रारंभ होने पर, कण्डिका 2 (क) में एतद् अनुसार परिभाषित, उनमें से स्वयं द्वारा एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा। अनुबंध के प्रारंभ हो जाने के पश्चात्, टैरिफ की वैकल्पिक दरों के विकल्प के प्रयोग को आगे किसी भी प्रकार से अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा, सिवाय अनुबंध की चालू अवधि में रहते, दो बार के। श्रेणी में किया गया स्वयं कोई परिवर्तन, जो टैरिफ अवधारण किये जाने पर लागू किया गया हो, को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प नहीं माना जाएगा।

30. क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा लिखित में दी गई किसी पूर्व सम्मति के बिना, उपभोक्ता इस अनुबंध के अन्तर्गत उसके द्वारा प्राप्त किये जा रहे किसी लाभ को, किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से अभिहस्तांकित, अंतरित अथवा विभाजित नहीं कर सकेगा।

31. उपभोक्ता द्वारा इस अनुबंध के निबंधनों अथवा इनमें से किसी भी एक के परिपालन न किये जाने की दशा में, क्षेत्र वितरण कंपनी कण्डिका 36 में एतद् द्वारा किये गये उल्लेख अनुसार, अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उचित दिवसों की सूचना लिखित में दिये जाने के पश्चात् उपभोक्ता को प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा को बन्द किया जाना विधिसम्मत होगा तथापि ऐसे प्रकरणों में जहां विधि, नियम अथवा विनियमों के तहत प्रदत्त हो, विद्युत प्रदाय तत्काल विच्छेद किया जा सकता है । क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा, तथापि उक्त कारण जिसके द्वारा वह विद्युत प्रदाय बन्द किये जाने हेतु अधिकृत थी, की समाप्ति पर तथा उपभोक्ता द्वारा अद्यतन प्रदाय की गई विद्युत मात्रा तथा अनुबंध के अन्तर्गत उसके द्वारा भुगतानयोग्य अन्य समस्त राशियों एवम् क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय के विच्छेदन तथा पुनर्संयोजन से संबंधित किये गये व्ययों सहित, प्रभारों की राशि का भुगतान किये जाने पर विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना, समस्त प्रकार से युक्तिसंगत गति से करेगा । आगे यह भी स्पष्ट रूप से सहमति की जाती है तथा यह घोषित किया जाता है कि विद्युत प्रदाय का इस प्रकार किया गया अवरोध, अनुबंध की असमापित अवधि हेतु, उस अवधि को सम्मिलित करते हुए, जिसके अन्तर्गत विद्युत प्रदाय विच्छेदित रहा हो, उपभोक्ता को निबंधन की शर्तों के अन्तर्गत उसके न्यूनतम प्रभारों का भुगतान किये जाने अथवा न्यूनतम प्रत्याभूत राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान किये जाने से मुक्त नहीं करेगा ।

32. उपभोक्ता द्वारा उसके द्वारा दायित्व के किसी किसी उल्लंघन किये जाने पर अथवा उसके दोषी पाये जाने के फलस्वरूप जो एतद् अनुसार क्षेत्र वितरण कंपनी को कण्डिका 38 में संदर्भित किये गये अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों के उपबंध उसे प्रदाय की जा रही विद्युत को बन्द किये जाने हेतु उसे अधिकृत करते हों, उसे अद्यतन रूप से प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा हेतु प्रभारों की राशि तथा उक्त समय में भुगतानयोग्य अन्य समस्त राशियां बकाया राशियां मानी जाएंगी तथा वे तत्काल रूप से वसूलीयोग्य हो जाएंगी; परन्तु प्रतिबंध यह है कि सदैव तथा एतद् द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है तथा यह घोषणा की जाती है कि इस प्रकार की अनिरंतरता अवधि में, उपभोक्ता न्यूनतम प्रभारों अथवा न्यूनतम प्रत्याभूत राशि, इनमें जो भी अधिक हो, एतद् अनुसार भुगतान करेगा । तथापि, क्षेत्र वितरण कंपनी, उक्त कार्यवाही जिसके द्वारा वह विद्युत प्रदाय बन्द किये जाने हेतु अधिकृत थी, की समाप्ति पर तथा उपभोक्ता द्वारा समस्त प्रभारों की राशि का भुगतान किये जाने पर, विद्युत प्रदाय को सभी प्रकार से युक्तिसंगत गति से पुनर्संयोजित करेगी ।

33. इस अनुबंध के जारी रहते हुए, यदि किसी समय, उपभोक्ता –
(क) एक लिमिटेड कंपनी होते हुए, इसका कार्य समापित किये जाने हेतु एक प्रस्ताव पारित करती है अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के आदेशानुसार समापित कर दी जाती है या कोई एक व्यक्ति-विशेष अथवा व्यक्ति-समूह स्वयं को दिवालिया घोषित कर दें अथवा न्यायालय-निर्णय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिये जाएं ।

(ख) किसी प्रकार का गिरवी प्रभार का निष्पादन अथवा सृजन करे, अथवा उपभोक्ता की किसी सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति पर ऋणग्रस्तता हो जिससे क्षेत्र वितरण कंपनी के अधिकार तथा हित उपरोक्त परिसर स्थित विद्युत

मापयन्त्रों (मीटरों) संयंत्र, यंत्र, उपकरण अथवा उनका कोई भाग विपरीतात्मक प्रभावित हों अथवा क्षेत्र वितरण कंपनी के कथित विद्युत संयंत्र, यंत्र तथा उपकरण से संबंधित प्रयोक्तव्य अधिकार प्रभावित हों; ऐसी दशा में क्षेत्र वितरण कंपनी उपभोक्ता को सात दिवस का नोटिस लिखित में देकर अनुबंध समाप्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगी तथा अनुबंध के समापन के पश्चात्, उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी को अविलंब उक्त समय पर इस अनुबंध के अन्तर्गत देय राशियों के साथ-साथ आगे वह असमापित विद्युत-दर (टैरिफ) न्यूनतम विद्युत प्रदाय अनुबंध की अवधि हेतु विद्युत-दर के अनुसार या न्यूनतम प्रभारों की राशि या न्यूनतम अथवा विशेष प्रत्याभूत राशि इनमें से जो भी अधिक हो, परिसमापन क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड डैमेजिज) के बतौर तथा के रूप में करेगा ।

34. विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु यह अनुबंध, परिसर को विद्युत ऊर्जा प्रदाय संबंधी पूर्व के समस्त अनुबंधों को जो क्षेत्र वितरण कंपनी तथा उपभोक्ता के मध्य, निष्पादित किये गये हों निरस्त करता है, यथा:—

(i) अनुबंध दि.....

(ii) अनुबंध दि.....

(iii) अनुबंध दि.....

इस अनुबंध के पूर्व के विवादों या/और देनदारियों का निराकरण पूर्व के तदनुसार अनुबंधों के नियमों व शर्तों के आधार पर किया जाएगा ।

35. इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता के किसी पूर्व कृत्य के अन्तर्गत किसी प्रकार के उल्लंघनों, चूकों अथवा इसी प्रकार की किन्हीं घटनाओं पर कार्यवाही न की गई हो, क्षेत्र वितरण कंपनी को इन अभिलेखों की निबंधन तथा शर्तों को, आगे किसी संभावित किसी उल्लंघन, चूक अथवा इसी प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु, के संबंध में लागू करना विधिसम्मत होगा ।

36. (क) उपभोक्ता मप्रविनिआ द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई विद्युत प्रदाय की शर्तों का अनुपालन करेगा जैसी कि वे विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों तथा इनमें किये गये कतिपय संशोधन अथवा पुर्न-अधिनियमन, जो कि विद्यमान में लागू होंगे **अथवा समय-समय पर लागू किये जाएंगे** तथा विद्यमान में लागू किये गये तत्संबंधी नियम तथा विनियम यथाक्रम पृथक-पृथक रूप से **अथवा समय-समय पर लागू किये जाएंगे**, प्रयोज्य होंगे । क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा "विद्युत प्रदाय संहिता, 2013" के विनियमन संबंधी एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान कर दी गई है तथा उपभोक्ता इसकी एक प्रति की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करता है ।

(ख) इस अनुबंध में अथवा इसमें किये गये किसी भी संशोधन में कुछ भी निहित क्षेत्र वितरण कंपनी अथवा उपभोक्ता को उनके ऐसे अधिकारों, दायित्वों अथवा स्वविवेक के अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा जो उनके द्वारा कानून के अन्तर्गत उपार्जित किये गये हों तथा क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा इस अनुबंध की अवधि के दौरान विद्युत प्रदाय तथा उपभोग के संबंध में अधिनियमित किये गये किसी विधान के द्वारा प्राप्त हों ।

37. (क) उपभोक्ता को सम्बोधित किये गये किसी पत्र, आदेश या अभिलेख की तामीली, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 में निर्धारित की गई

कार्यालय अथवा इस संबंध में अन्य किसी प्राधिकृत अथवा नामांकित कार्यालय के पक्ष में किया जाएगा ।

38. जहां इस अनुबंध में प्रयोग की गई कोई अभिव्यक्ति इसमें अथवा विद्युत अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, म प्र विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा इनके अन्तर्गत विरचित विनियमों अथवा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित न की गई हो वहां प्रयोग की गई अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जैसा कि विद्युत प्रदाय उद्योग में इन हेतु सामान्य रूप से नियत की गई हों ।

39. यह अनुबंध (स्थान का नाम) में निष्पादित किया गया माना जाएगा तथा इस अनुबंध के अन्तर्गत समस्त विवाद एवं दावे, (स्थान का नाम) पर निराकृत किये जाएंगे तथा वे स्थित सक्षम न्यायालय में ही निराकृत करने योग्य होंगे ।

टीप :

इस उच्च दाब विद्युत प्रदाय के अनुबंध पत्र के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास या भ्रांति होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा ।

इसके पक्षकारों द्वारा निम्न साक्षियों के समक्ष दिवस माह सन् को हस्ताक्षर तथा मुद्रांकित किये गये ।

मुख्य अभियंता (..... क्षेत्र/वाणिज्यिक), मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के आदेशानुसार तथा निर्देशानुसार मध्यप्रदेश क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड तथा उपभोक्ता

द्वारा प्रथम रूप से उपरोक्त लिखित अनुसार उनके हस्ताक्षर तथा सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत हस्ताक्षर किये गये ।

उपरोक्त नामांकित द्वारा निम्न की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किये गये :

(1) (नाम तथा पता) ---

(2) (नाम तथा पता) ---

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड.....

सामान्य मुद्रा निम्न की उपस्थिति में लगाई गई :

(1) (नाम तथा पता) ---

(2) (नाम तथा पता) ---

की सील

..... क्षेत्र वितरण कंपनी

उपरोक्त नामांकित द्वारा निम्न की उपस्थिति में

(2) (नाम तथा पता) — क्षेत्र वितरण कंपनी
की सील

उपरोक्त नामांकित द्वारा निम्न की उपस्थिति में
हस्ताक्षर किये गये :

(1) (नाम तथा पता) —

(2) (नाम तथा पता) —
उपभोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

सामान्य मुद्रा एतद् अनुसार निम्न की उपस्थिति में
लगाई गई

(1) (नाम तथा पता) —

(उपभोक्ता की रबर/सामान्य
मुद्रा)
(केवल लिमिटेड कम्पनी के
प्रकरण में)

(2) (नाम तथा पता) —

अनुसूची

(देखें कण्डिका 19)

नोट : अनुबन्ध के निष्पादन के समय प्रयोज्य विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के सुसंबद्ध भागों को अनुसूची का भाग माना जाना चाहिए। आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अनुसूची तथा परिसर का मानचित्र (नक्शा) तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित, परिसर तथा विद्युत प्रदाय का बिन्दु दर्शाते हुए, जिन्हें इस अनुबन्ध के साथ संलग्न किया गया है, इस अनुबन्ध का भाग होंगे।

**MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,
BHOPAL**

Dated 07th August, 2013

MADHYA PRADESH ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2013

No. 2164 /MPERC/2013. In exercise of powers conferred by Section 181(2)(t) read with Section 43 (1), Section 181(2)(x) read with Section 44, Section 48 (b), Section 50 and Section 56 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003), Section 9 (j) of Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam 2000 (No 4 of 2001) and all other powers enabling it in that behalf , the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission had notified “Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2004” on 16.04.2004 which was subsequently amended from time to time. Now, the Commission has decided to reframe the above Code. Therefore, the Commission hereby makes the following Electricity Supply Code to be known as ‘Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013’.

CHAPTER 1: SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

- 1.1 This Code may be called the “Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013 {No.RG-I(i) of 2013}”.
- 1.2 The Code shall be effective from the date of publication in M.P. Gazette.
- 1.3 It shall extend to the State of Madhya Pradesh.
- 1.4 It shall apply to all persons engaged in the business of transmission and supply of electricity as covered under Section 14 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and the consumers of electricity.

CHAPTER 2: DEFINITIONS

2.1 In this Code, unless it is repugnant to the context:

- (a) 'Act' means the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) as in force from time to time.
- (b) 'Agreement' with its grammatical variations and cognate expressions means an agreement entered between the licensee and the consumer under this Code.
- (c) 'Apparatus' means electrical apparatus and includes all machines, fittings, accessories and appliances in which conductors are used.
- (d) 'Area of Supply' means the geographic area within which a Licensee is authorized by his license to supply electricity.
- (e) "Authorized load" in respect of LT domestic consumer means estimated load that can be used by the consumer in any month from the electric connection to the consumer's premises. This shall be expressed in multiples of 0.5 KW and based on a consumption of 75 units per half Kilowatt per month. The authorized load may be more or less than the sanctioned load in the consumer's premises and shall not be taken into account for the purposes of estimating the total connected load in the premises at LT.
- (f) "Authorised Officer" means the officer authorised by the State Government/Commission under Section 135 of the Act.
- (g) 'Billing demand' for a category of consumer shall be calculated as per the procedure provided in the Tariff Order, approved by the Commission.
- (h) 'Billing month' means the period in number of days between the dates of meter readings taken for the purpose of billing to the consumer for the period under consideration as a month.
- (i) 'Breakdown' means an occurrence relating to the equipment of the electric energy supply system including electrical line that prevents its normal functioning.
- (j) 'Code' means the Madhya Pradesh Electricity Supply Code as in force from time to time.
- (k) 'Commission' means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.
- (l) 'Conductor' means any wire, cable, bar, tube, rail or plate used for conducting electrical energy and so arranged as to be electrically connected to a system.
- (m) "Connected Load," means aggregate of the manufacturer's rating of all energy consuming devices, in the consumer's premises, which can be simultaneously used. This shall be expressed in kW, kVA or HP units

and shall be determined as per the procedure laid down in relevant clauses under 'Rating of Installations' in this Code.

- (n) 'Consumer' means any person who is supplied with electricity by the licensee and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity from the licensee, persons who have applied for an electricity connection, persons whose supply is not yet connected even after due notice to avail connection or whose electricity supply has been disconnected. A consumer is -
- (i) 'Low Tension Consumer (LT Consumer)' if he obtains supply from the licensee at low voltage.
- (ii) 'High Tension Consumer (HT Consumer)' if he obtains supply from the licensee at High Voltage.
- (iii) 'Extra High Tension Consumer (EHT Consumer)' if he obtains supply from the licensee at Extra High Voltage.
- (o) 'Consumer's installation' means any composite electrical unit including electric wires, fittings, motors and apparatus, portable and stationary, erected and wired by or on behalf of the consumer at the consumer's premises.
- (p) 'Contract demand' means the maximum Load in kW, kVA or HP, as the case may be, agreed to be supplied by the licensee and contracted by the consumer and mentioned in the agreement.
- (q) 'Cut-out' means any appliance for automatically interrupting the transmission of energy through any conductor when the current rises above a predetermined quantum, and shall also include fusible cut-out.
- (r) 'Date of commencement of supply' means the day immediately following the date of expiry of period of notice of intimation to an intending consumer of the availability of power or the date of actual availing of supply by such consumer, whichever is earlier.
- (s) 'Distribution main' means the portion of any main with which a service line is, or is intended to be, connected.
- (t) 'Distribution System' means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers.
- (u) 'Earthed' or 'connected with earth' means connected with the general mass of earth in such manner as to ensure at all times an immediate discharge of energy without danger.
- (v) 'Electric line' means any line/cable which is used for carrying electricity for any purpose and includes -

- (i) any support for any such line, that is to say, any structure, tower, pole or other thing in, on, by or from which any such line is, or may be, supported, carried or suspended; and
- (ii) any apparatus connected to any such line for the purpose of carrying electricity;
- (w) 'Electrical Inspector' or 'Inspector' means an Electrical Inspector as defined under section 2 (21) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).
- (x) 'Energy' means electrical energy-
- (i) Generated, transmitted or supplied for any purpose, or
- (ii) Used for any purpose except the transmission of a message.
- (y) 'Energy charge' refers to a charge levied on the consumer based on the quantity of electricity (units in kWh or kVAh as per tariff) supplied.
- (z) 'Extra High Voltage' means the voltage, which exceeds 33,000 volts subject, however, to the percentage variation allowed under this Code.
- (aa) 'Financial Institution' means :
- (i) 'banking company' within the meaning assigned to it in clause(c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
- (ii) a public financial institution within the meaning of section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (iii) any institution specified by the Central Government under sub-clause (ii) of clause (h) of section 2 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);
- (iv) the International Finance Corporation established under the International Finance Corporation (Status, Immunities and Privileges) Act, 1958 (42 of 1958)
- (v) any other institution or non-banking financial company as defined in clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), which the Central Government may, by notification, specify as financial institution for the purposes of this Act."
- (bb) 'Fixed Charge' for a billing period means a charge levied on the consumer based on the contract demand or maximum demand and shall be calculated as per the procedure provided in the Tariff Order, approved by the Commission.
- (cc) "Group user" means Cooperative Group Housing Society registered under the M.P. Cooperative Societies Act or a person representing his employees.
- (dd) "Harmonics" means a component of a periodic wave having frequency that is an integral multiple of the fundamental power line frequency of 50 Hz causing distortion to pure sinusoidal waveform of voltage or current, and as governed by IEEE STD 519-1992, namely " IEEE

Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems” and corresponding standard as may be specified in accordance with clause (c) of subsection (2) of section 185 of the Act.

- (ee) ‘High Voltage (HV)’ means the voltage higher than 650 volts but not exceeding 33,000 volts 50 cycles under normal conditions subject, however, to the percentage variation allowed under this Code.
- (ff) ‘Initial period of agreement’ means the period starting from the date of commencement of supply to the end of the month for which agreement is executed.
- (gg) ‘Installation’ means any composite electrical unit used for the purpose of generating, transforming, transmitting, converting, distributing or utilizing energy.
- (hh) ‘Licensed Electrical Contractor’ means a contractor licensed under Regulations 29 of the CEA (Measures relating to safety & electricity supply) Regulations, 2010.
- (ii) ‘Low Voltage (LV)’ means the voltage, which does not exceed 650 volts 50 cycles under normal conditions subject, however, to the percentage variation allowed under this Code.
- (jj) ‘Maximum Demand’ for a category of consumer shall be calculated as per the procedure provided in the Distribution and Retail Supply Tariff Order.
- (kk) ‘Meter’ means an equipment used for measuring electrical quantities like energy in KWh or KVAh, maximum demand in KW or KVA, reactive energy in KVAR hours etc. including associated equipments like Current Transformers (CT) and Potential Transformers (PT), including cables, where used in conjunction with such meter and any enclosure used for housing or fixing such meter or its associated equipments and any devices like switches or MCB/ load limiter or fuses used for protection and testing purposes.
- (ll) ‘Occupier’ means the owner or person in occupation of the premises where electrical energy is used or proposed to be used.
- (mm) ‘Overhead line’ means any electric line, which is placed above ground and in the open air but excluding live rails of traction system.
- (nn) ‘Person’ means any person or persons or occupier or possessor of the premises or place and may or may not be consumer and shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person.
- (oo) ‘Power Factor’ means the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month; the ratio being rounded off to two decimal figures, 5 or above in the third place of decimal being rounded off to the next higher place in the second. In

case kWh or kVAh reading is not available then power factor shall be calculated on the basis of kVARh reading, if the meter has KVARh recording feature .

- (pp) 'Service-line' means any electric supply-line through which energy is, or is intended to be, supplied
- (i) to a single consumer either from a distribution main or immediately from the supplier's premises, or
- (ii) from a distribution main to a group of consumers on the same premises or on adjoining premises supplied from the same point of the distribution main.
- (qq) 'System' means an electrical system in which all the conductors and apparatus are electrically connected to a common source of electric supply.
- (rr) "Theft of Electricity" has the meaning assigned to it under Section 135 of the Act.

2.2 All other expressions used herein although not specifically defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other expressions used herein but not specifically defined in this Code or in the Act but defined under any law passed by the Parliament applicable to electricity industry in the State or stated in the tariff order shall have the meaning assigned to them in such law.

CHAPTER 3: SYSTEM OF SUPPLY AND CLASSIFICATION OF CONSUMERS

System of Supply

- 3.1 The declared frequency of the Alternating Current (AC) shall be 50 cycles per second.
- 3.2 The declared voltage of the AC supply is as follows:
- (a) Low Tension (LT) or Low Voltage (LV) -
 - (i) Single Phase: 230 volts between phases and neutral.
 - (ii) Three Phase: 400 volts between phases.
 - (b) High Tension (HT) or High Voltage (HV)- Three Phase: 11 kV or 33 kV between phases.
 - (c) Extra High Tension (EHT) or Extra High Voltage (EHV) - Three Phase: More than 33 kV between phases.

For Railway Traction two-phase supply may be given.

- 3.3 The licensee shall design and operate a distribution system in conjunction with the transmission system. The licensee shall not permit the voltage at the point of supply to the consumer to vary from the declared voltage which is:
- (a) In the case of low voltage -- by more than 6% on either side.
 - (b) In the case of high voltage up to 33 kV -- by more than 6% on the higher side or by more than 9% on the lower side
 - (c) In the case of extra high voltage --by more than 10% on the higher side or by more than 12.5% on the lower side.

Voltage of Supply to consumers

- 3.4 The supply voltage for different contract demands shall normally be as follows:

Supply Voltage	Minimum Connected Load	Maximum Connected Load or Contract demand
230 volts	---	3 kW

Supply Voltage	Minimum Connected Load	Maximum Connected Load or Contract demand
400 volts	Above 2 KW	(i)Demand based tariff: * 150 HP (112 kW) contract demand with no ceiling on connected load subject to payment of supply affording charges based on connected load. (ii)Connected load based tariff: 150 HP connected load.

* Note: Supply affording charges shall not be payable for enhancement of contract demand up to 150 HP limited to the connected load for which supply affording charges have already been paid.

Supply Voltage	Minimum demand	Contract	Maximum demand	Contract
11 kV	50 kVA		300 kVA	
33 kV	100 kVA		10000 kVA	
132 kV	5000 kVA		50000 kVA	
220 kV or more	40000 kVA		----	

Provided that if the licensee is satisfied that there are sufficient grounds for deviation in the norms above stated and such deviation is technically feasible, it may grant the same for reasons to be recorded in writing.

Classification of Consumers

- 3.5 The classification of consumers, tariff and conditions of supply applicable to each category shall be as fixed by the Commission from time to time in the tariff order or otherwise.

NEW POWER SUPPLY

Licensee's Obligation to Supply

- 4.1 The Licensee shall, on an application by the owner or occupier of any premises located in his area of supply, give supply of electricity to such premises within the time specified in this Code provided
- the supply of power is technically feasible,
 - the consumer has observed the procedure specified in this Code, and
 - the consumer agrees to bear the cost of supply and services as specified.

Licensee's obligation to extend the Distribution System and Consumer's share in the Cost

- 4.2 The Licensee shall normally meet the cost for strengthening / upgradation of the system to meet the growth in demand of the existing consumers through its annual revenues or funds arranged by the licensee and this cost shall be recovered from the consumers through tariff.
- 4.3 The cost of extension of distribution mains and/or extension /upgradation of the system up to the point of supply for meeting demand of new consumers along with supply affording charges etc. shall be payable by the consumer as per the provisions made in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009.
- 4.4 The infrastructure laid up to the point of supply for giving supply to the consumer which may be within/outside the premises of the consumer up to the metering point, notwithstanding that cost of which has been paid for by the consumer to the licensee, shall be the property of the licensee for all purposes. The licensee shall maintain it and shall also have the right to use the same for supply of energy to any other person by extending or tapping it or augmenting its capacity. Provided that such extension or tapping or augmentation does not adversely affect the reliability and quality of supply or quality of service to the existing consumers.
- 4.5 When the licensee completes the work of extension of distribution mains and is ready to give supply, the licensee shall serve a notice on the consumer to take power supply within a stipulated period as mentioned in the agreement. If the consumer fails to avail supply within the notice period, the agreement shall come into force from the day following the end of the notice period, and thereafter the consumer shall be liable to pay all charges due from him as per the agreement.

Service connection/ extension work got done by consumers

- 4.6 The consumer can get the work of drawing of service line from the licensee's distribution mains up to his premises as per the estimates and layout approved by the licensee through a 'C' or higher-class licensed electrical contractor within stipulated time and the work of extension of EHT and HT line, distribution or HT substation and LT line through an 'A' class contractor as per the estimates and layout approved by the licensee. In such case the consumer himself shall procure the materials. The material should, conform to relevant BIS specification or its equivalent and should bear ISI mark wherever applicable. The licensee may ask for documentary evidence to verify the quality of materials used. The consumer shall be required to pay the supervision charges as specified in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009.
- 4.7 If the consumer fails to get the work done within the stipulated timeframe, the licensee may, on giving fifteen days notice treat the requisition for supply as cancelled and the consumer has to apply afresh.

Requisition for Supply

- 4.8 Requisition for a new supply or an additional supply of electrical energy must be made in duplicate in the specified form, copies of which shall be available at a cost from the local office of the licensee (Annexure 1&2). Photocopies of a blank form or form downloaded from the website of the licensee may also be used by the consumer and shall be accepted by the Licensee.
- 4.9 The occupier of the premises, for which supply is required, shall make the requisition and shall indicate his full name and address with telephone number (if available) where the supply is required and also the name and address of the Licensed Electrical Contractor through whom the wiring will be carried out; but it is not necessary that requisition should be made through the Licensed Electrical Contractor. Any assistance or information required in filling up the form should be given by the licensee's representative to the consumer at the local office of the licensee.
- 4.10 The consumer shall also furnish desired documents as per list attached with the requisition form. The licensee may ask for the original documents from the consumer for verification. The consumer shall also intimate whether the service line and extensions, if any, shall be laid by the consumer or the licensee.

- 4.11 For availing of a new connection for Domestic and single-phase Non-domestic categories, in case, the applicant is unable to provide the proof of legal occupation of the premises, the Officer in charge of the concerned distribution circle may waive such requirement and record, in writing, the reasons thereof. However, in such cases, the security deposit to be paid by the consumers shall be equal to the cost of ninety days of average consumption to be determined by the licensee's local office. The serving of connection to such premises shall not be used as a proof of legal rights on the premises or for any other legal use. If in future, it is found that the consumer has illegally occupied the premises, the connection shall immediately be disconnected permanently.
- 4.12 If the consumer, in respect of an earlier agreement executed in his name or in the name of a firm or company with which he was associated either as a partner, director or managing director or as occupier and/or owner of the premises, has any arrears of electricity dues or other dues for the premises where the new connection is applied for and such dues are payable to the licensee, the requisition for supply may not be entertained by the licensee until the dues are paid in full. However, release of new connections shall not be refused by the Distribution Licensee in following cases:
- (i) If the lease deed is cancelled by the State Government on account of any reason and allocated to a new party/consumer, then the new party/consumer shall not be required to pay the energy dues of erstwhile consumer.
 - (ii) If the property is attached and sold by the Income Tax Department/Commercial Tax Department or such other Government Departments for recovery of their dues, then the new purchaser shall not be required to pay the energy dues of erstwhile consumer.
 - (iii) If the Financial Institutions created under the State Act/Central Act attach and sale the property for recovery of their dues, then the purchaser shall not be required to pay the energy dues of erstwhile consumer.
 - (iv) On vacation of Government quarter /flat on transfer of an employee leaving arrears of energy charges, new occupant shall not be required to pay the energy dues of erstwhile consumer.
 - (v) If there is a specific order from a Court for non-recovery of arrears outstanding on the premises.
- 4.13 For the purpose of terms and conditions of supply, the premises shall include any land, building or structure for which the Distribution Licensee has agreed to supply electricity to the consumer as per agreement executed. However, the premises will be deemed to be separate premises and each separate premises will be given separate point of supply, if they are
- (a) having distinct set up and staff, or
 - (b) owned or leased by different persons, or
 - (c) covered by different licenses or registrations under any law where such procedures are applicable or having relevant document from local

authorities, identifying the premises (for domestic category households) as separate:

Supply to different categories of consumers

An application is to be made by the consumer to the licensee complete in all respects in the specified form, as required by the distribution licensee, along with necessary specified documents.

(A) Supply at LT

- 4.14 The Licensee shall verify the application and the enclosed documents at the time of receipt of application. A written acknowledgement shall be issued on the spot. If the application is found incomplete, the shortcomings in the form shall be intimated to the applicant in writing within 3 working days and after complete application in such case is received from the consumer, the licensee shall issue a written acknowledgement to the consumer immediately. Within 2 working days of receipt of the completed application form, the licensee shall intimate the consumer the proposed date of inspection, which should be within the next 5 working days in urban areas and 10 working days in rural areas.
- 4.15 The applicant along with the licensed contractor or his representative shall be present during the inspection. During the inspection, the Licensee shall:
- (i) Fix the point of supply and the place where meter and the cut-out/ MCB shall be fixed.
 - (ii) Fix the layout of the proposed lines and substation and estimate the distance between the point of supply and the nearest Distribution mains from where supply could be given.
 - (iii) Determine if the supply line is to go over any property belonging to a third party.
 - (iv) Verify other particulars mentioned in the application form, as required.
- 4.16 When the consumer's premises has no frontage on a street and the service line from the licensee's mains has to go upon, over or under the adjoining premises of any other person (whether or not the adjoining premises be owned jointly by the consumer and such other person), or in any other cases the consumer shall bring at his own expense any necessary way-leave, license or sanction for extension of distribution mains and service line and furnish to the licensee. The licensee shall not arrange supply of power until the way-leave, license or sanction is received. Any extra expense incurred in placing the supply line in accordance with the terms of the way-leave, license or sanction shall be borne by the consumer. In the event of the way-leave, license or sanction being cancelled or withdrawn, the consumer shall, at his own cost arrange for, or in case the work is carried out by the licensee at the consumer's request, pay full cost of, any diversion of the service line or the provision of any new service line thus rendered necessary.

- 4.17 It shall be incumbent on the consumer to ascertain the validity or adequacy of way-leave, license or sanction obtained by him.
- 4.18 In case it is possible to extend supply from the existing mains, the licensee, within 7 days of inspection, will forward to the consumer, an advice for the charges for laying the service line, the amount of security deposit and any other charges as applicable for payment. The licensee will also intimate to consumer to execute the agreement. The work will be taken up after completion of all formalities by the consumer.
- 4.19 In case it is necessary to extend distribution mains or augmentation of sub-station capacity for giving supply to the consumer, the licensee will forward to the consumer, within 15 days in urban areas and within 30 days in rural areas, an advice containing the charges for extension of the distribution main, laying the service line, the amount of security deposit, any other charges as applicable and will also intimate if any additional formalities are required to be carried out by the consumer. In cases where the consumer has to lay the service line and extension of mains, the consumer shall pay the supervision charges on cost of extension of the distribution mains and laying the service line in addition to payment of other charges as may be applicable. The licensee will also intimate to consumer to execute the agreement. The work will be taken up after completion of all formalities by the consumer. The licensee will also intimate the consumer to furnish test report in the prescribed form.
- 4.20 In case the consumer fails to complete the formalities within stipulated time, the licensee shall give him notice to complete the formalities within the next 15 days failing which, his requisition for supply shall be cancelled. Thereafter, the consumer shall have to apply afresh for supply or additional supply as the case may be.
- 4.21 On completion of all formalities by the consumer and intimation that the service line and extension work have been completed, the licensee shall intimate the consumer, within 3 days, the date of testing of the consumer's installation. The consumer shall ensure that the licensed electrical contractor, who has carried out the wiring, should remain present during the testing.
- 4.22 On testing the consumer's installation, if the licensee is satisfied with the test results, the licensee shall arrange to install the meter with the cut-out or MCB, seal the meter in presence of the consumer and provide supply. If the Licensee is not satisfied, he shall intimate the consumer the shortcomings in the wiring, in writing. The applicant shall be required to get the defects rectified. On payment of the prescribed fee, testing shall again be conducted.

(B) LT Supply to Multi-Consumer Complex including Commercial Complexes:

- 4.23 For the purpose of providing new power supply to a building or a group of buildings having more than one connection and the total load of 50 kW or more, the same shall be considered as a multi-consumer complex.

- 4.24 For supply to a multi-consumer complex the cost of required extension shall be borne by the developer/ builder/ society/ consumers as specified in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009.
- 4.25 The developer/ builder/ society/ consumer includes any agency whether Government, local body or private that constructs the Multi-Consumer Complex.
- 4.26 Meters shall normally be provided at the ground floor in accordance with the specified procedure in this Code. The land/room required for housing the transformer substation and meters shall be provided by the developer /builder/ society/ consumers free of cost for which rent or premium shall not be paid by the licensee. Transformers should preferably be placed in open areas. All safety measures as per statutory rules and regulations should be ensured by the developer /builder/ society/ consumers at their cost.
- 4.27 Connections for common facilities like lift, water pumps etc. shall be given in the name of the builder/developer/society. If requisitions for supply to individual flats are not received from the flat owners, connections may be given in the name of the builder/developer/society. Such connections may subsequently be transferred to the individual flat owner/occupier of the flat after completing the necessary formalities specified in this regard. The agreement for such individual connection shall be executed accordingly.
- 4.28 For the purpose of development of infrastructure for extension of distribution mains, the load of the multi-consumer complex shall be calculated on the following basis (Area represents built-up area of individual unit):

<u>AREA</u>	<u>LOAD</u>
(a) Upto 500 sq. ft.	2 kW
(b) For every additional 500 sq. ft. or part thereof over 500 sq. ft. of built up area, 0.5 kW of load should be added.	

The load of the common facilities like lift, water pump, parking lights etc shall be taken as declared by the developer/builder/society/ consumer. If, subsequently, the builder/ developer/ society/ consumer construct houses or buildings for sale, the load will be reassessed as per aforesaid specified guidelines and the builder/ developer/ society/ consumer shall be liable to pay applicable supply affording charges or any other applicable charges from time to time based on reassessed load deducting the charges paid earlier, if any, on this account.

The aforesaid procedure for estimation of load is for the purpose of bringing about uniformity in the assessment of the load of the multi-consumer complex for recovery of supply affording charges or any other applicable charges from time to time. However, security deposit shall be worked out on the basis of the load as declared by the consumer and supported by the test report at the time of providing connection to individual consumer. The multi-consumer complexes developed by the Government of M.P. in rural areas for rehabilitation/resettlement purpose shall be exempted from the provisions

made above for estimation of load calculations. The load of such multi-consumer complexes shall be considered on the basis of load applied for by the applicant

- 4.29 On receipt of requisition from the builder/developer/ society/ consumer for supply of electricity to multi-consumer or commercial complexes, the licensee shall take action for extending the supply as per specified procedure given above for supply at LT.

(C) LT Supply to housing colonies:

- 4.30 The developer/ builder/ society/ consumers of a housing colony shall bear the cost of extension as specified in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009. The developer/builder/society/consumer includes any agency whether Government, local body or private that constructs the building / colony.
- 4.31 For the purpose of development of infrastructure for extension of distribution mains, the load of the housing colony shall be calculated on the following basis (area represents plot area):

<u>AREA</u>	<u>LOAD</u>
(a) Upto 500 sq. ft.	2 kW
(b) For every additional 500 sq. ft. or part thereof over 500 sq. ft. of plot area, 1 kW of load should be added.	
(c) Plot or house for EWS	1.0 kW
(d) Informal sector (reserved slum area)	0.5 kW per connection

The load of the common facilities like water pump, parking lights, street lights etc. may be taken as declared by the developer/builder/society/ consumer. If, subsequently, the builder/ developer/ society/ consumer construct houses or buildings for sale, instead of sale of plots, the load will be reassessed as per specified guidelines given in clause 4.28 and the builder/ developer/ society/ consumer shall be liable to pay applicable supply affording charges or any other applicable charges from time to time based on reassessed load deducting the charges paid earlier, if any, on this account.

The aforesaid procedure for estimation of load is for the purpose of deciding the number and capacity of distribution transformers, the length of HT/ LT line required and supply affording charges or any other applicable charges from time to time. However, the security deposit shall be worked out on the basis of the load as declared by the consumer and supported by the test report at the time of serving connection to individual consumer. The colonies developed by the Government of M.P. in rural areas for rehabilitation/resettlement purpose shall be exempted from the provisions made above for estimation of load calculations. The load of such colonies shall be considered on the basis of load applied for by the applicant.

- 4.32 On receipt of requisition from the builder/developer/ society/ consumers for supply to housing colony, the licensee shall take action for extending the supply as per specified procedure.

(D) LT Supply for agriculture/irrigation pump sets:

- 4.33 The procedure as specified for supply at LT shall be followed for giving supply to agriculture/irrigation pump sets where extension of distributing mains and /or augmentation of distribution transformer is not required.
- 4.34 Supply for agriculture/irrigation pump set, at one point, may also be given to a registered co-operative society or to a group of farmers recognized by the licensee.
- 4.35 If on inspection of the premises it is found that extension of distributing mains and/or augmentation of distribution transformer capacity is required, the possibility of taking up the work from financial assistance available from the Government or financial institution like Rural Electrification Corporation etc. shall be examined. If extension of line is not required, the consumer shall be intimated within 10 days and if extension is required, the consumer shall be informed within 30 days of inspection, whether the licensee can take up the work from funds available with the licensee from other sources or whether the work can be taken up only after the full cost of the works is deposited by the consumer. In case the work can be taken up only after the consumer deposits the estimated expenses, the licensee shall specify the amount along with the intimation. The work of electrification of such pump set(s), for which the full cost of the work is deposited by the consumer(s), will be taken up after depositing the amount by the consumer(s) if extension work is involved. The work on new connection shall be taken up on the broad principle of first-come first serve basis as far as possible. Within 3 working days of completion of work, the licensee shall intimate the date of testing of the installation of the consumer and request the consumer(s) to furnish the test report. In case the licensee is satisfied with the test report and the wiring in the premises of the consumer, the connection shall be served within 3 working days of the inspection.
- 4.36 An agricultural consumer, if he so desires, may shift the location within his premises of his connection, with approval of the licensee after payment of charges as applicable.

(E) LT Supply to Public Street Lightings:

- 4.37 Requisition for power supply to new or additional public street lights shall be submitted in the prescribed format to the local office of the licensee by the Municipal Corporation or Municipality or Municipal Board or Gram Panchayat or Local Body or the Government Department or any other organization made responsible by the Government to maintain public street lights (in context of public street lights herein after called 'local body').

- 4.38 The requisition for public street lights shall be accompanied by resolution of the local body and the sketch indicating the number of poles, existing or new, where streetlights are required.
- 4.39 The fittings, brackets or any special fittings shall be in accordance with the relevant BIS specifications or its equivalent and shall maintain required clearances as per prevailing rules and regulations. The local body shall bear the full cost of arranging power supply to public streetlights including complete fittings and brackets. In case, any special fittings are to be provided, the local body shall arrange for it.
- 4.40 The licensee shall intimate the cost of extension in writing, within 15 days in urban areas and within 30 days in rural areas from the date of inspection of the site. The work shall be taken up only after deposit of the amount and execution of agreement by the local body.
- 4.41 A suitable double compartment weatherproof metal box to house the energy meter and streetlight switch/ M.C.B./ timers shall be provided by the licensee at the cost of local body.
- 4.42 The licensee shall carryout the maintenance of street light poles and electrical lines on payment basis and shall arrange to switch on fifteen minutes before sunset and switch off the streetlights fifteen minutes after sunrise as per local sunset/ sunrise timings. The licensee shall also carry out replacement of fixtures/ bulbs (of same wattage) etc. on the poles on request by the streetlight consumers. The fixtures, bulbs etc. shall be supplied by the consumers and replaced by the licensee within 7 days of receipt. All such services shall be chargeable as per MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009.

(F) Temporary Power Supply

- 4.43 Any person requiring power supply for purpose that is temporary in nature, for a period of less than two years may apply for temporary power supply in the specified form (Annex- 1 or 2). The period of temporary connection can be extended up to five years for construction of buildings/power plants and for the purpose of setting up of industrial units. Requisition for temporary supply shall normally be given 7 days before the day when supply is required for loads up to 10 kW and 30 days before for higher loads.
- 4.44 The consumer shall furnish the proof of occupation or permission from the local authority or from the owner of the premises, as the case may be, where temporary connection is required. In case temporary supply is required in premises/ place where 100 or more persons are likely to assemble, the consumers shall comply with the provisions of section 54 of the Act. If available, the licensee shall provide pre-paid meters.

- 4.45 If the supply is feasible, the licensee shall intimate the consumer the charges to be paid for the cost of laying and dismantling the extension work, service line, meter, cut-out/ MCB etc, together with the charges for the estimated consumption during the period of supply applied for and the rental of equipment & material. All the charges shall be payable in advance.
- 4.46 The consumer shall have the option either to receive the material used for temporary connection or receive credit, in the final bill, as per prevailing rules, for materials dismantled and returned to stores in good condition, after disconnection of supply.
- 4.47 In case temporary supply is required for a period more than 90 days, the licensee may permit the consumer to pay charges for estimated consumption for 90 days and serve the bills for monthly consumption. In case the consumer fails to pay the bills in time and the advance with the licensee does not cover the charges for the balance period, the supply is liable for disconnection.
- 4.48 If an agricultural consumer wishes, he may seek temporary connections for agricultural use. In such case the consumer shall pay the entire amount of bill for charges payable for the period of proposed connection as advance. All charges and other conditions as applicable to temporary connections as per tariff order shall be applicable. In case a consumer defaults in clearing any dues under this provision, he shall not be provided new connection till previous dues are cleared. The licensee shall have the right to remove any equipment specifically installed for providing supply under this provision, after the period of supply is over.
- 4.49 The licensee shall release the supply within 3 days of payment of charges and compliance of other requirements by the consumer for loads up to 10 KW and within 7 days in other cases. The line extension work is required to be executed by the consumer through appropriate licensed contractor.
- 4.50 The readings of the meter may be taken during the period of the temporary connection to ensure that the charges for actual consumption does not exceed the advance payment received.
- 4.51 After the period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the licensee shall prepare the final bill and send it to the consumer within 30 days from the date of disconnection of supply and return the balance amount, if any, within 30 days of surrender of original money receipt or submission of indemnity bond by the consumer. On any delay beyond the said time limit, the licensee will be liable to pay an interest @ 1% per month on the amount of refund outstanding for the number of days proportionately beyond the last date of payment, as specified above. In case the consumer does not make the payment of balance amount, if any, within 30 days of issue of bill, he shall be liable to pay surcharge as provided in Distribution and retail supply tariff order.

(G) Tatkal Yojana

- 4.52 The licensee may give temporary supply on a notice of 24 hours under Tatkal Yojna, if it is technically feasible, on payment of an additional fee as specified in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009.

(H) Supply at H.T.

- 4.53 After receipt of the requisition for supply of energy at H.T. in the specified format along with required documents, the licensee shall intimate the consumer within 15 days in writing the date of inspection of the site to examine the feasibility. The consumer or his authorized representative shall remain present at the time of inspection. The licensee shall check the feasibility of supply and if found feasible, shall fix the point of supply. The consumer has to install transformer sub-station of required capacity within his premises at his cost. In case of conversion of LT to HT connection, the consumer has to install a separate transformer of required capacity within his premises and the existing transformer / LT & HT lines within the premises of the consumer shall be removed at the cost of consumer without claim for such property. The licensee may insist on use of 'Aerial Bunched Cable' at the cost of consumer, wherever considered appropriate, for the last span.
- 4.54 Supply to HT industrial consumers shall normally be given through HT feeder exclusively meant for industries. The extension of supply through a separate feeder from the nearest 33/11 kV or EHT substation in case of consumers with continuous process industry would be preferred.
- 4.55 Normally, the supply to new HT consumer (both at 11 kV or 33 kV) shall not be extended from the rural feeder. If for any technical reason, the supply is given from a rural feeder, the consumer shall be informed that the supply shall be restricted and regulated in accordance with the restrictions imposed on the rural feeders as per grid conditions. Such consumer may be required to furnish a declaration to the licensee indemnifying the licensee for the restrictions in supply. Also, this should be mentioned in the agreement under special clause.
- 4.56 The licensee shall intimate the consumer within 15 days of inspection, the charges required to be paid for the cost of extension, if any, and the amount of security deposit and other charges if any. A copy of the draft agreement shall also be forwarded simultaneously.
- 4.57 After the payment of charges including security deposit, cost of extension, if any, and execution of the agreement, the licensee shall take up the work of extension of mains. If the consumer wishes, he may execute the job on his own through an appropriate class licensed contractor after payment of due supervision charges to the licensee. The work shall be completed within stipulated time. The licensee shall issue 3 months' notice of availability of supply immediately after installation of meter/metering equipment. The consumer shall furnish to the licensee the permission from the Electrical Inspector to energize the installation. In case of mines, the permission from the Inspector of Mines shall have to be furnished. On receipt of the required permission(s), the licensee shall seal the meter after due testing in the presence of the consumer and serve the connection.

(I) Supply at Extra High Tension:

- 4.58 After receipt of the requisition in the specified format for supply of energy at E.H.T., the licensee shall intimate within 15 days the consumer and the Transmission licensee in writing the date of inspection to check the feasibility of supply. The licensee and the Transmission Licensee shall carry out the inspection jointly. The consumer or his authorized representative shall remain present at the time of inspection. The two licensees shall check the feasibility of supply and if found feasible shall fix the point of supply.
- 4.59 The licensee shall intimate the consumer the charges required to be paid for the cost of extension, if any, and the amount of security deposit and other charges, if any. Copy of the draft agreement shall also be forwarded simultaneously.
- 4.60 After the payment of charges including security deposit and execution of the agreement, the licensee shall request the Transmission licensee to take up the work of extension required to give supply. If the consumer wishes he may execute the job on his own after payment of due supervision charges to the licensee.
- 4.61 The licensee shall issue 3 months' notice of availability of supply immediately after installation of meter/metering equipment. Similarly, after the consumer executes his internal electrical works, he shall furnish to the licensee the permission from the Electrical Inspector to energize the installation. In case of mines, the permission from the Inspector of Mines shall have to be furnished. On receipt of the reports, the licensee shall seal the meter after due testing in the presence of the consumer and serve the connection.

Time limits for providing connections to consumers

- 4.62 In cases, where no extension is required, the distribution licensee shall ensure to supply the electricity within one month (subject to Force Majeure conditions) as specified in sub-section (1) of Section 43 of the Electricity Act, 2003 on receipt of application complete in all respect in the specified form as required by the distribution licensee, along with documents showing payment of necessary charges and other compliances.
- 4.63 In cases where extension of line or sub-station or installation of plant or installation of transformer or enhancement in transformation capacity of sub-station or enhancement of capacity of lines is required, the connection shall be served within the following time limits (subject to Force Majeure conditions) after receipt of application complete in all respects and payment of necessary charges and completion of all formalities such as execution of agreement etc.:

Type of Service connection	Time limit for providing service connection to the consumer
<u>LT connection</u>	
(a) All connections excluding agriculture	(a) 60 days of receipt of application

Type of Service connection	Time limit for providing service connection to the consumer
(b) Agricultural connection during season when clear access to fields is available	(b) 90 days of receipt of application
(c) Agricultural connection during season when no clear access is available	(c) 90 days from the date access is made available to the licensee.
HT connection	90 days from the date access is made available to the licensee
EHT connection	180 days from the date access is made available to the licensee

4.64 The Commission may for reasons to be recorded, direct deviations from the above time limits if in the opinion of the Commission the circumstances warrant such deviation. The Commission may issue such direction by an order to the licensee on filing of petition by the licensee. If a distribution licensee fails to supply the electricity within the stipulated time, he shall be liable to a penalty under section 43(3) of the Act.

4.65 Terms and conditions of supply to Group user :

Eligibility of any Group user: The Group users shall be eligible for supply by a distribution licensee at a single point for residential purposes.

4.66 The supply shall primarily be used for residential purpose including the loads of common amenities for the group user like lift, pumps for pumping water supply and lighting of common area. The Group user shall inform the details of connected loads of the common amenities to the licensee at the time of seeking connection or at the time of enhancement in contract demand. The licensee may undertake physical checking of above load. In case the use for non-residential activity is observed for a load which was not permitted by the licensee, it shall be treated as unauthorised use and action as per relevant Section of the Electricity Act, 2003 may be taken by the appropriate authority.

4.67 On receipt of requisition in specified form from the applicant group user, the licensee shall verify the application and the enclosed documents at the time of receipt of application. In case of a Cooperative Group Housing Society, a certified copy of the registration of the applicant Cooperative Group Housing Society shall also be annexed along with the application requiring supply at single point.

4.68 The manner to process the application for single point HT supply to Group user shall be the same as for other HT consumer.

System of supply and metering

- 4.69 The system of supply shall be either HT or EHT according to the range of contract demand as specified in this Code.
- 4.70 The HT or EHT metering shall be installed at the point of supply to the Group user for the purpose of recording of units sold by the licensee and billing to the Group user.
- (a) The Distribution sub-station and other required infrastructure like LT lines, cables, feeder pillars, metering panels for individual meters and service lines etc. shall be laid by the applicant Group user at its cost and the Group user shall retain the ownership of all such assets.
- (b) The Group user shall be fully responsible for maintenance of complete infrastructure network after the point of supply. The Group user shall also be responsible for maintaining all construction and safety standards in respect of all assets and works being retained and executed by the Group user.
- 4.71 The Group user shall be fully responsible for various commercial and technical activities related to distribution of electricity.
- 4.72 The extension of lines and up-gradation of licensee's system up to the point of supply of the Group user, notwithstanding that it has been paid for by the Group user, shall be the property of the licensee. The licensee shall maintain it and shall also have the right to use the same for extension for supply of energy to any other person but such extension or service connection shall not adversely affect the supply to the Group user who paid for the extension of the distribution supply network.
- 4.73 The Group user can execute the work of extension of his own distribution network from the point of supply to the individual premises through an appropriate class licensed electrical contractor, and the work of extension of HT line and / or HT sub-station and LT lines through an 'A' class contractor. In such cases, the Group user itself shall procure the material.
- 4.74 The land/ accommodation required for installation of metering at supply point shall be provided by the Group user to the licensee free of cost for which rent or premium shall not be paid by the licensee.
- 4.75 For the purpose of considering the criteria of a Group user, for development of infrastructure and for the sake of load calculations for recovering charges by the licensee, if any, the load of the housing colony/ multi user complex shall be calculated as specified in this Code for LT supply to housing colonies multi user complex.
- 4.76 The electrical energy supply to the Group user shall not be utilized by the Group user in any manner pre-judicial to the licensee and all usage must be in accordance with the provisions of the agreement and the Acts as applicable.
- 4.77 The Group user shall not divert the use of energy for the purpose other than mentioned in the agreement. The Group user shall not extend the supply beyond its premises other than that for which it was sanctioned by the licensee, until and unless prior sanction of the licensee is obtained for such diversion or extension.

AGREEMENT

- 4.78 The maps clearly indicating the plots/ buildings and the electrical distribution network with indexing on each pole and transformer or any other equipment shall be submitted by the Group user, agreed upon and signed by both the Group user and the licensee shall form a part of the agreement.
- 4.79 If there is a need to modify/ amend the agreement signed between the licensee and the Group user, it will be done by a supplementary agreement.
- 4.80 All other conditions of this Code shall also be applicable to Group user.

Tariff applicable:

- 4.81 The licensee shall raise the electricity bills at the applicable tariff to the Group user.

Demand of supply from the licensee of the area by any person residing in the housing unit sold or leased by the Cooperative Group Housing Society:

- 4.82 The provisions of this Code for Group Users shall not in any way affect the right of a person residing in the housing unit sold or leased by Cooperative Group Housing Society to demand supply of electricity directly from the distribution licensee of the area on the following terms and conditions:

(i) The Cooperative Group Housing Society must permit any person of the society to avail supply of electricity from the Distribution licensee directly. The Cooperative Group Housing Society shall have no objection in respect of the following:

- (a) The electricity supply by the licensee to such person shall be served from the licensee's distribution network.
- (b) Extension of adequate distribution network by the licensee to release the supply to such person shall be at the cost of group user.
- (c) Providing access for the licensee's representative to approach at any point of time to network of licensee in the premises of the group user including the point of supply to such consumer to discharge service obligations without any resistance.

(ii) The meter shall be installed by the licensee at the appropriate place of the premises of such consumer and the reading and billing of electricity to such person shall be executed by the licensee.

(iii) The licensee shall recover the charges for the electricity consumed by such person at applicable domestic tariff.

CHAPTER 5: POINT OF SUPPLY AND LICENSEE'S EQUIPMENT IN PREMISES

Point of Supply:

- 5.1 Unless otherwise agreed to, the point of supply shall be at the out-going terminals of Licensee's
- (a) cut-outs in the case of LT consumers and
 - (b) control switchgear that may be installed in the licensee's or consumers premises as agreed to mutually in the case of HT or EHT consumers
- 5.2 Supply to the consumer shall be given at a single point in the premises at the incoming terminals of the licensee's cut-outs/ MCB/ control switchgear. Separate premises shall have separate connection. However, as a special case in case of coal mines the licensee may provide supply at more than one point in the installation of the consumer having regard to the physical layout of the installation and the specific requirements of the consumer.
- 5.3 In case of HT/EHT consumers, the point of supply should be such that meter/metering equipment should be visible and easily accessible from road side.

Dedicated Feeder

- 5.4 If a consumer is or has been provided a separate feeder at his request in addition to the feeder from which supply is provided to the consumer by the distribution licensee, such additional separate feeder shall be termed as "Dedicated feeder". On receipt of such request, the licensee will check the feasibility based on merit of providing a dedicated feeder to the consumer's premises. If found feasible, the consumer will be provided with a dedicated feeder and the consumer will be liable to pay additional charges as indicated in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009. The dedicated feeder shall be extended from the power substation to the consumer's point of supply.

Licensee's Equipment in Consumer's Premises

- 5.5 The consumer shall provide free of cost to the licensee necessary land belonging to the consumer and afford all reasonable facilities for bringing in not only the direct cables or overhead lines from the licensee's system for servicing the consumer, but also cables or overhead lines connecting licensee's other consumers and shall permit the licensee to install all requisite switchgears and connections thereto on the above premises and to extend supply to such other consumers through the cables and terminals situated on the consumer's premises, provided supply to the existing consumer in the opinion of the licensee is not thereby unduly affected.

- 5.6 The meter, cut-out/ MCB, service mains and other equipment belonging to the licensee, shall be handled or removed by an authorized employee/representative of the licensee only. The seals, which are fixed on the meters /metering equipments, load limiters and the licensee's apparatus, shall not be tampered, damaged and broken. The responsibility for the safe custody of licensee's equipments and seals on the meters/metering equipments within the consumer's premises shall be on the consumer.
- 5.7 In the event of any damage caused to the licensee's equipments in the consumer's premises by reason of any act, neglect or default of the consumer or his employees/representatives, the cost thereof as claimed by the licensee shall be payable by the consumer. If the consumer fails to do so on demand, it shall be treated as a contravention of the terms and conditions of supply agreement and the supply shall be liable to be disconnected after due notice. The consumer shall however be liable to pay the charges for the balance initial period of the agreement.
- 5.8 The licensee shall maintain the meters and equipments, installed at consumer's premises from where the electricity is supplied to the consumer.

Failure of fuse / supply:

- 5.9 Should the licensee's service fuse or fuses fail, at any time, notice thereof should be sent to the licensee's local office. Only authorized employees possessing the photo-identity card of the licensee are permitted to replace these fuses in the licensee's cut-outs. Consumers are not allowed to replace these fuses. The licensee should not allow its employees to carry out any repairs in the consumer's installations.
- 5.10 The licensee shall take all reasonable precautions to ensure continuity of supply of electrical energy to the consumer but shall not be responsible for or be liable to the consumer for any loss to him or damage to his plant and equipment due to interruptions in supply of electrical energy due to Force Majeure Conditions.
- 5.11 The licensee shall always be entitled to temporarily discontinue the supply for such period as may be necessary for maintenance or for any other reasons, subject to reasonable advance notice being given in this behalf, with the object of causing minimum inconvenience to the consumer.

CHAPTER 6: WIRING AND APPARATUS IN CONSUMER PREMISES

Wiring in Consumer's Premises

- 6.1 For the protection of the consumer and the public in general, it is necessary that the wiring on the consumer's premises should conform to CEA(Measures relating to safety & electricity supply) Regulations, 2010 as amended from time to time and other safety rules and be carried out by a Licensed Electrical Contractor. The materials used for wiring shall conform to the relevant specifications of the Bureau of Indian Standards or its equivalent. Wherever applicable, the materials used shall bear ISI mark. As soon as the consumer's installation is completed in all respects and tested by the consumer's contractor, the consumer should submit to the licensee, the contractor's test report. The test report form for this purpose shall be submitted to the local office of the licensee.
- 6.2 As required by CEA(Measures relating to safety & electricity supply) Regulations, 2010 no electrical installation work, including addition, alteration, repair and adjustment to existing installation - except the replacement of lamps, fans, fuses, switches and other component parts of the installations - which in no way alter the capacity or character of the installation, shall be carried out in the premises on behalf of any consumer or owner for the purpose of supply of energy to such consumer or owner, except by an electrical contractor licensed by the State Government in this behalf and under the direct supervision of a person holding a certificate of competency or by a person holding a permit issued or recognized by the State Government.
- 6.3 The provisions of CEA (Measures relating to safety & electricity supply) Regulations, 2010 should be complied with in respect of consumer's installation. No cut-out, link or switch other than a linked switch arranged to operate the earthed and live conductors simultaneously, shall be inserted in the conductor of the consumer's installation to be connected to the neutral conductor of the licensee's system.

General Wiring Conditions:

Mains:

- 6.4 The consumer's mains shall, in all cases, be brought back to the licensee's point of supply and sufficient cable shall be provided for connecting up with the licensee's apparatus.

Switches and Fuses:

- 6.5 The consumer shall provide proper linked quick-break main switches of requisite capacity to carry and break current in each conductor near the point of commencement of supply. The switches in the consumer's premises shall be on the live wire and the neutral conductor shall be marked for identification where it leaves the consumer's main switch for connecting up to the meter. No single pole switch or cut-out should remain inserted in any neutral conductor.

Balancing of load:

6.6 The consumer taking three-phase supply shall balance his load between the phases.

Earthing:

6.7 Gas and water pipes shall not be used for earthing purposes. All wiring shall be kept as far as possible away from gas and water pipes.

Domestic appliances:

6.8 For the safety of the wiring at the consumer's premises, separate circuit for the equipments other than lighting and fan load like heaters, geysers, air-conditioners, oven, etc. shall be run with adequate size of wire from the main distribution board of the consumer. Wall plugs used on the circuits for domestic appliances shall be of the three-pin type, the third pin being connected to "earth". Two pin plugs shall not be allowed. All appliances used in any damp location must be effectively earthed.

Plugs:

6.9 All plugs shall be provided with switches on the live wire and not on the neutral.

Apparatus interfering with licensee's system

6.10 The licensee may discontinue the supply, if the consumer installs any instrument, apparatus that are likely to affect adversely, the supply to other consumers. Supply shall be restored on taking appropriate remedial action by the consumer to the satisfaction of the licensee.

A.C. motor installations:

6.11 The motor shall be provided with control gear so that the starting current of consumer's installation does not in any case exceed the limit given in the following schedule:

Nature of supply	Size of installation	Limit of starting current
Single Phase.	Up to and including 1 BHP	Six times full load current
Three phase.	Above 1 BHP and upto and including 10 BHP	Three times full load current
	Above 10 BHP and up to and including 15 BHP	Twice full load current.

Nature of supply	Size of installation	Limit of starting current
	Above 15 BHP	one and a half times full load current.

Failure to comply with these Regulations will render the consumer liable for disconnection forthwith.

Consumer's Apparatus

6.12 The apparatus/ appliances/ gadgets used by consumers should conform to the standards and specifications prescribed by the Bureau of Indian Standards or equivalent.

Power Factor of Apparatus:

Welding Transformers:

6.13 All LT installations where the connected load of welding transformers exceeds 25% of the total connected load will be required to have suitable capacitor(s) installed so as to ensure power factor of not less than 80%. Consumers shall be liable to pay penalty as specified by the Commission, from time to time, on account of poor power factor. No connection shall be provided unless capacitor of adequate capacity is installed.

Low Tension Shunt Capacitor:

6.14 Every L.T consumer, including irrigation pump set consumer, whose connected load includes induction motor(s) of capacity of 3 BHP and above, shall arrange to install Low Tension Shunt Capacitors of appropriate capacity at his cost across the terminals of his motor(s). The consumer on whose LT connection, the meter provided by the Licensee does not have the power factor recording feature, shall at least ensure installation of capacitors as per ratings indicated in the following table for guidance and shall maintain these capacitors in working condition. However, the installation of capacitors of capacity as indicated in the table does not entitle the consumer to ensure fulfilment of minimum average power factor of 0.8.

Sr No	Rating of Individual Induction Motor	kVAR Rating of LT Capacitors
1	3 BHP and above up to 5 BHP	1
2	Above 5 BHP up to 7.5 BHP	2
3	Above 7.5 BHP up to 10 BHP	3
4	Above 10 BHP up to 15 BHP	4

5	Above 15 BHP up to 20 BHP	5
6	Above 20 BHP up to 30 BHP	6
7	Above 30 BHP up to 40 BHP	7
8	Above 40 BHP up to 50 BHP	8
9	Above 50 BHP up to 100 BHP	9

The consumer on whose L.T. connection, the meter provided by the Licensee has the power factor recording feature, shall ensure that the capacitors installed by him maintain a power factor of 80% and above.

Supply to LT installations with induction motor/s of capacity of 3 BHP and above will not be given unless suitable capacitors to improve power factor are installed.

- 6.15 All LT consumers other than those covered above with load of 50 kW or above or as mentioned in the Distribution and Retail supply tariff Order from time to time shall install capacitor of appropriate capacity so as to ensure power factor of 80% and above. Consumers shall be liable to pay penalty as specified by the Commission, from time to time, on account of poor power factor.
- 6.16 LT consumer, in whose case the meter installed does not have power factor recording feature and who fails to provide LT capacitors as specified hereinbefore and fails to maintain these capacitors in working condition, would be liable to pay a surcharge as may be specified in the tariff order from time to time. LT consumer in whose case the meter installed has power factor recording feature and who fails to maintain power factor as per specified limits, as recorded by meter, by installing appropriate capacitors, would be liable to pay a surcharge as may be specified in the tariff order from time to time.
- 6.17 The licensee may discontinue supply, after due notice of 15 days, to any installation where the average power factor is less than 70% without prejudice to the right of the licensee to levy demand/ minimum charges as applicable during the period of disconnection.

Other conditions for HT/ EHT Consumers

- 6.18 The protections shall be installed by the HT/ EHT consumers as per the provisions of clause 35(2) of CEA(Measures relating to safety & electricity supply) Regulations, 2010.

- 6.19 All transformers, switch-gears and other electrical equipments in the installation of the consumer and also those directly connected to the feeders or lines of the licensee shall be of suitable design and be maintained by the consumer to the reasonable satisfaction of the licensee. The setting of fuses and relays on the consumer's control gear, as well as the rupturing capacity of any of his circuit breakers, shall be adequate for safe and efficient operation of equipment subject to the approval of the licensee.
- 6.20 Notwithstanding any provisions in this Code, it is necessary that the consumer should obtain prior approval of the Electrical Inspector about the suitability of protective devices or circuit breakers in accordance with the provisions of the prevailing laws, rules and regulations.
- 6.21 The consumer shall maintain a minimum average power factor as specified by the Commission in its retail supply tariff order. The consumer shall be liable to pay penalty or receive incentive as the case may be as specified by the Commission from time to time, on account of variation from specified power factor. The licensee may discontinue supply, (except Railway Traction and Coal Mines connections) after due notice of 15 days, to any installation where the average power factor is less than 70% without prejudice to the right of the licensee to levy demand/ minimum charges as applicable during the period of disconnection.

Inspection and Testing of Consumer's Installation

- 6.22 Before any wiring or apparatus in the case of low-tension consumer, and any transformer, switchgear or other electrical equipment in the case of high-tension consumer is connected to the system, it shall be subject to inspection and approval of the licensee and no connection shall be made without the licensee's approval. In addition, all high-tension installations will have to be approved by the Electrical Inspector and all electrical installations in mines will have to be approved by the Inspector of Mines.
- 6.23 Upon receipt of the test report, the licensee will notify to the consumer the time and day when the licensee proposes to inspect and test the installation. The consumer shall ensure that the Licensed Electrical Contractor or his representative, technically qualified, employed by him is present at the time of inspection to furnish to the licensee any information concerning the installation required by him. The licensee shall provide a copy of the inspection report to the consumer and obtain the acknowledgement of the consumer.
- 6.24 Manufacturer's test certificate in respect of all HT or EHT apparatus shall be produced, if required.
- 6.25 The licensee shall not connect the conductors and fittings on the consumer's premises with its works unless it is reasonably satisfied that the connection will not at the time of making connection cause a leakage from the installation or apparatus of a magnitude detrimental to safety.

- 6.26 If the consumer's installation is found to be not safe for connection, the licensee shall advise the consumer in writing specifying the defects to be rectified. On receipt of intimation of rectification of defects, the licensee shall retest the installation.
- 6.27 The licensee shall levy no charge for the first test. Subsequent tests, necessitated due to faults found at the initial test shall be charged for in accordance with the rates approved by the Commission. The licensee will not accept any responsibility with regard to the maintenance or testing of wiring on the consumer's premises.

Extensions and Alterations:

- 6.28 No electrical installation work, including additions, alterations, repairs and adjustments to existing installations, except such replacement of lamps, fans, fuses, switches, low voltage domestic appliances and fittings as in no way alters its capacity or character, shall be carried out upon the premises of or on behalf of any consumer, for the purpose of supply to such consumer except by an electrical contractor licensed in this behalf and under the direct supervision of a person holding a certificate of competency. Extension or alteration of load to all high-tension installations will have to be approved by the Electrical Inspector and similarly for all extensions and alterations of electrical installation in mines will have to be approved by Inspector of Mines.
- 6.29 If as a result of such proposed extensions and alterations, there is possibility of an increase in connected load or contract demand over sanctioned connected load or contract demand, the consumer shall take steps to submit requisition for additional supply. Failure to regularize the increase in connected load or contract demand may not only result in billing at the penal rates, as provided for under the rules, but may also result in disconnection of supply after due notice.

Access to Consumer's Premises for inspection of Consumer's Installation

- 6.30 The authorized persons of the licensee are entitled, at any reasonable time and on informing the occupier of their intention, may enter the premises of the consumer to which energy is supplied, for the purpose of inspecting and reading meters on the consumer's premises, for disconnecting supply, for removing the licensee's apparatus, for testing, repairs, replacing, altering and maintenance of its property or for doing all things necessary or incidental to proper continuance and maintenance of supply to the consumer. All such persons visiting consumer's premises must carry photo-identity cards issued by the licensee and shall produce the same to the consumer or the occupier before entering the premises. The consumer should immediately check with the licensee if the credentials of representatives are in question.
- 6.31 The Licensee or his authorized person shall be entitled to enter the premises immediately after informing the consumer, for checking unauthorised use of energy, unauthorized additions and alterations to equipment, theft and misappropriation of energy, diversion of power, by-passing or tampering of the meter, or for general inspection and testing. On detection of unauthorised use of energy, unauthorized additions and alterations to equipment, theft and misappropriation of energy, diversion of power or bypassing or tampering of the meter the licensee may take actions as per prevailing laws.

- 6.32 Provided that no inspection, testing or checking of any domestic place or domestic premises shall be carried out between sunset and sunrise except in the presence of an adult male member occupying such premises.
- 6.33 If the consumer does not provide reasonable facility to the licensee to enter the premises for the reasons stated above, the licensee may give a 24 hours notice in writing to the consumer, of its intention to discontinue the supply. If the consumer still does not provide access, the licensee shall be entitled to discontinue supply to the consumer.
- 6.34 If the insulation resistance of the consumer's installation is found to be so low as to prevent safe use of energy, the licensee or his authorized representative after giving 48 hours' notice shall, without prejudice to other actions as per law, disconnect the supply of power to the premises till the defects are removed, in accordance with CEA (Measures relating to safety & electricity supply) Regulations, 2010.

Rating of Installations:

- 6.35 The connected load of domestic category of consumers shall be determined as per the load details of the equipments. If the licensee has reasons to believe that a particular domestic connection or a group of domestic connections might be involved in unauthorised abstraction of power, the Officer in-charge may conduct a survey of the consumer's premises.
- 6.36 The licensee shall be at liberty to inspect such premises and carry out assessment of load and intimate the consumer accordingly. In case the load is found increased than the contract demand/connected load, then the licensee shall take further steps as per Rules and Regulations.
- 6.37 The connected load of all categories other than Domestic category of consumers shall be the aggregate of the manufacturer's rating of all energy consuming devices, in the consumer's premises, which can be used simultaneously. This shall be expressed in kW, kVA or HP. During the process of determination of connected load, if the manufacturer's rating is not available, the licensee may use suitable apparatus to determine the load of the item. If, both air-conditioner and room heater are found in the same premises, the load of the item with higher rating shall be taken into account. Items stocked for the purpose of sale/ repair or genuinely as spare shall not be considered for the purpose of determination of connected load. The licensee shall carry out periodic survey of streetlights and record the type of lamps being used along with their load.
- 6.38 All installations other than those of Domestic category are subject to rating/re-rating by the licensee at its discretion. If the consumer is not satisfied with the rating determined by the licensee, he may get his apparatus rated by one of the Government Engineering Institutes. Both the consumer and the licensee may appoint their respective representatives to be present during the process of determination of load at the institute. The final report issued by the institute shall be accompanied with the details of test(s) conducted. The rating determined by the said Institute shall be final and acceptable to both the consumer and the licensee.
- 6.39 Where for any reason, it is not possible to determine the maximum demand, power factor or any other electrical quantity in respect of an installation, the licensee shall determine such quantities periodically by rating/re-rating, which shall be binding on the consumer.

Generator in the Consumer's Installation and Parallel Operation with the Supply System of the Licensee

- 6.40 Operations of the generator in the consumer's installation run parallel with the licensee's system is permissible only with the written consent of the Licensee. The Licensee may levy parallel operation charges with the approval of the Commission.
- 6.41 Where no such consent has been given, the consumer shall arrange the plant, machinery and apparatus of his generating units, including an extension of or addition to the same, to operate in an isolated mode and the generator, in no case, should get connected to the licensee's system. The licensee, on intimating the consumer, can enter the premises and inspect the arrangement to ensure that at no time the generator gets connected to its system.
- 6.42 Where consent has been given for parallel operation, the consumer shall arrange his installation to protect it from disturbances in the licensee's system. The consumer should also ensure that his supply does not get incorrectly connected to the licensee's system. The licensee shall not be liable for any damage caused to the consumer's plant, machinery and apparatus on account of such parallel operation, or any adverse consequence arising thereof. For parallel operation with the grid, the consumer shall have to follow the provisions of the MP Electricity Grid Code and other relevant regulations. The actual operations shall be carried out in coordination with both the State Transmission Utility and the licensee.
- 6.43 In case the consumer's supply gets extended to the licensee's system from a generator or inverter or from any other source, without appropriate approval from the licensee, causing damage to the licensee's apparatus or to human life, the consumer shall be liable for the same and shall duly compensate the licensee for all losses caused to the licensee or to the licensee's other consumers.

Harmonics

- 6.44 If the licensee detects and proves to the consumer that the consumer's system is generating harmonics, the licensee shall request the consumer to install appropriate harmonic filter. The consumer shall install such filters within a period of six months, failing which the Licensee may levy penalty on the consumer as decided by the Commission besides disconnection.

CHAPTER 7: CONTRACT DEMAND AND, AGREEMENT

Contract Demand

LT Consumers without Maximum Demand (MD) based (two part) tariff

- 7.1 The Contract Demand for LT consumers without MD based (two part) tariff will be the connected load of the premises as per the agreement entered into between the consumer and the Licensee.

LT Consumers with MD based tariff and all HT and EHT consumers

- 7.2 The Contract Demand shall be as per the agreement entered into between the consumer and the Licensee. However, in case of LT connections with demand based tariff, the licensee has to indicate the connected load and contract demand both in the agreement.

Procedure for Enhancement of Contract Demand/Connected load

- 7.3 Applications for enhancement of load shall be submitted in duplicate to the licensee in the specified form (attached as Annex 1 & 2) along with Registration fee as specified in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009.
- 7.4 Within thirty days, the licensee shall examine the feasibility of supply of the enhanced load and intimate the consumer:
- (a) Whether the additional power can be supplied at the existing voltage or at a higher voltage.
 - (b) Addition or alterations, if any, required to be made to the system and the cost to be borne by the consumer.
 - (c) Amount of additional security deposit, cost of additional infrastructure and the system strengthening charges or capacity building charges, if any, to be deposited.
 - (d) Change in the classification of consumer, if required.
- 7.5 The application for enhancement of the contract demand will not be accepted if the consumer is in arrears of payment of the licensee's dues. However, the application may be accepted if the payment of arrears due from the consumer has been stayed by a Court of law.
- 7.6 If the supply of enhanced load is feasible, the consumer shall:

- (a) Furnish work completion certificate of consumer's installation and Test report from a Licensed Electrical contractor where alteration of installation is involved.
 - (b) Furnish Letter of approval for the electrical installation of the consumer from the Electrical Inspector in case of HT/EHT connection, if required. Similarly approval from Inspector of Mines shall be provided for additional load to be provided for electrical installation for mines.
 - (c) Pay additional security deposit, cost of addition or alteration required to be made to the system, if any, and the other applicable charges.
 - (d) Execute a supplementary agreement.
 - (e) In cases where LT demand based tariff is applicable and the consumer desires to enhance his connected load without any change in contract demand, he shall make an application to the licensee along with the details of load of existing equipments and equipments that are proposed to be connected,. The licensee shall inspect the premises of the consumer and shall verify the connected load within 15 days and inform the consumer as to whether the connected load is within the ceiling prescribed. In case any change is required in the applicability of tariff, the licensee shall inform the consumer in writing within 30 days of receipt of application. The licensee & consumer shall enter into agreement for enhancement of connected load, if contract demand and applicability of the tariff is not required to be changed and the list of equipment giving details of connected load shall form a part of the agreement. The consumer shall not be required to pay any additional security deposit in such case. However, necessary charges towards Supply Affording Charges as per MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009 shall be payable.
- 7.7 If no addition or alteration to the system including new/ alternate metering arrangement is required, the enhanced load will be released immediately after completion of the requisite formalities. If the system needs any alteration or addition, the procedure as given for a new connection shall be followed.
- 7.8 In case where the consumer either desires to enhance the contract demand beyond the maximum permissible limit as specified in this Code he shall be required to switch over to higher voltage level or desires to switch over to higher voltage having existing contract demand eligible for higher voltage load limits , the supply affording charges and other charges as specified in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009 for that higher voltage, shall be payable.

- 7.9 In case of 'Railway Traction', the consumer may be provided such additional supply in excess of contract demand as may be agreed between the licensee and the consumer after the latter has given advance notice of six weeks in writing of his desire to have the contract demand altered. However, the effective date of enhancement of contract demand shall not be earlier to the date of completion of formalities by the Railways such as execution of agreement, payment of necessary charges etc.

Procedure for Reduction of Contract Demand

- 7.10 If the consumer so desires, one time reduction in the contract demand shall be allowed within the initial period of agreement. The reduction in contract demand shall be limited to 50% of the contract demand as per agreement in force at the time of making application provided the requested reduction in contract demand shall not be less than the specified minimum contract demand for a particular voltage class as specified in Chapter 3 of this Code. Supply Affording Charges and other applicable charges once paid shall not be refundable.
- 7.11 Application for reduction in Contract Demand shall be submitted in duplicate to the Licensee in the specified format. A Test report from a competent Licensed Electrical Contractor shall be submitted by the consumer before reduction in Contract Demand is allowed by the Licensee. .
- 7.12 On receipt of application for reduction in contract demand, the licensee shall take the following steps:
- (a) The licensee shall consider the grounds stated in the application and allow the application or convey the reasons for non-consideration in writing within a period of 15 clear days.
 - (b) If the application is not decided by the licensee within above-mentioned period of 15 clear days, the consumer may, by a written notice to the licensee, draw its attention to the matter and if no decision is still communicated to him within the period of further 15 clear days, the permission of reduction of contract demand shall be deemed to have been granted with effect from the next working day after expiry of such notice period.
 - (c) In case the reduction in contract demand is allowed, the same shall take effect from the first day of the month following the month in which the decision for reduction in contract demand is communicated.
- 7.13 After the expiry of the initial period of agreement, the consumer will be entitled to reduce contract demand of his connection limited to the minimum contract demand for a particular voltage class as specified in this Code and such request when made to licensee shall come into effect from the date of completion of formalities such as execution of agreement etc. Any subsequent request for reduction in contract demand can also be made to the licensee after expiry of at least one year from the date of effect of such reduction in contract demand.

- 7.14 When reduction of contract demand is agreed to, the consumer shall execute a supplementary agreement. The effect of reduction in contract demand shall be passed on to the consumer after finalisation of agreement by the licensee.
- 7.15 The request of the consumer for reduction in contract demand of his connection shall not be refused by the licensee on the ground that there are dues payable to the licensee against the connection.
- 7.16 The consumer shall not be entitled to get refund of new connection charges/supply affording charges on account of such reduction in contract demand. However, if the consumer subsequently after reduction in contract demand requires enhancing the contract demand again, he shall be required to pay supply affording charges etc. as applicable at the time of such request.

Agreement

- 7.17 An agreement, in the standard format, shall be executed by the applicant on the stamp paper of a prescribed value, for getting a new connection and for change in the agreed parameters like contract demand etc. In case of any special circumstances, special clauses may be added to the agreement, if agreed to between the licensee and the consumer, provided such clauses do not contravene the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003), and other rules and regulations/codes in force. These special clauses shall form a part of the agreement. A copy of the agreement shall be given to the consumer after finalisation. The plan (map) agreed upon and signed by both the consumer and the licensee shall form a part of the agreement.
- 7.18 The standard format of agreement for LT consumers shall be as per Annexure – 3 and for HT/EHT consumers shall be as per Annexure – 4, as appended with this code. The initial period of agreement in case of both HT and LT consumers shall be of two years except LT domestic and LT single phase non-domestic consumers for which there is no initial period of agreement.
- 7.19 No consumer shall sell electrical energy supplied to him by the Licensee to any other person.
- 7.20 In case of breakdowns in electricity supply system of the licensee, the supply of electricity to the consumer may be curtailed, staggered or cut-off as may be warranted according to the situation. The licensee may also curtail, stagger or cut-off electricity supply to consumers on account of periodical maintenance of electricity supply system also, after giving due notice to the consumers.

- 7.21 The electrical energy supplied to the consumer shall/not be utilized by the consumer in any manner prejudicial to the licensee and all usage must be in accordance with the provisions of the agreement and the Electricity Act, 2003, as applicable.
- 7.22 No consumer shall divert the use of energy to any other purpose, other than that mentioned in the agreement or extend the line beyond its premises other than that for which it was sanctioned by the licensee, until and unless prior sanction of the licensee is obtained for such diversion or extension.
- 7.23 If there is a need to modify/ amend the agreement signed between the licensee and consumer, it will be done by a supplementary agreement.
- 7.24 Where the consumer's installation is disconnected from the licensee's supply as per direction of the Government or the Electrical Inspector, the supply shall be reconnected on payment of specified reconnection fee with the approval of the Government or the Electrical Inspector or other appropriate authority, as necessary. During the period of temporary disconnection the consumer shall be liable to pay the fixed/ minimum charges except when the disconnection is done on the orders of the District Collector.
- 7.25 Any amendment for the purpose of change of name, shifting of premises, change in connected load or change of tariff category shall be done if both the consumer and the licensee agree to these amendments and the same shall be incorporated in the agreement by execution of a supplementary agreement. The supplementary agreement has no agreement period.
- 7.26 In case the consumer is found consuming electricity in excess of the sanctioned and connected load, such consumer shall be billed as per the procedure detailed in the tariff order.

Termination of Agreement

- 7.27 If power supply to a consumer remains disconnected for a continuous period of sixty days for non-payment of charges or dues or non-compliance of any direction issued under this Code, the licensee shall issue a fifteen days' notice to the consumer for termination of the agreement. In case no effective steps are taken by the consumer for removing the cause of disconnection and for restoration of power supply, the agreement of the licensee with the consumer for power supply shall be terminated on expiry of the period of notice, provided the initial period of the agreement is over. The connection shall also be disconnected permanently and remove supply network for that particular connection without affecting supply to other consumers. During temporary disconnection within the initial period of agreement, the consumer shall be liable to pay the fixed charges or minimum charges as per applicable tariff order. In such cases, the connection be disconnected permanently and agreement may be terminated after the completion of initial period of agreement.

- 7.28 Domestic and single-phase Non-domestic category of consumers may terminate the agreement after giving a 15 days' notice. Consumers other than domestic and single-phase non-domestic category can terminate the agreement after the expiry of the initial period of two years on giving one month's notice. The licensee shall arrange for special meter reading, at a mutually acceptable date, to facilitate preparation of the final bill of the consumer. The agreement shall be terminated on the last day of the billing month and the licensee shall raise the final bill accordingly.
- 7.29 On termination of the agreement, the licensee shall be entitled to remove the service line and other equipment of the licensee for supply of power from the premises of the consumer. After permanent disconnection, if the consumer wishes to revive the connection, then it would be treated as an application for new connection and would be entertained only after all outstanding dues have been cleared.

Rephasing/Rescheduling of contract demand

- 7.30 In case the consumer has executed agreement for contract demand in phases and requests for rephasing/rescheduling of contract demand, the consumer may be permitted provided that such rephasing/rescheduling of contract demand shall not result in reduction of contract demand.
- 7.31 The consumer is required to apply for rephasing/rescheduling of contract demand at least one month prior to the date of commencement of contract demand to be rescheduled.
- 7.32 This facility shall be allowed to the consumer only once during the initial period of agreement.

Merger/Amalgamation of connections

- 7.33 In case the consumer opts for merger of separate connections existing on contiguous land and satisfying the following terms and conditions, he may be allowed to do so after submission of required documents and finalising the fresh agreement to this effect, provided the total contract demand shall not exceed the specified maximum limit at a particular voltage under clause 3.4:
- (a) having the same set up and staff.
 - (b) owned or leased by the same person/company.
 - (c) covered by single license/registration under any applicable law/statute.
 - (d) common point of supply after merger at one location only.
 - (e) No dues are outstanding on any of the existing connections.
- 7.34 In such cases, the consumer shall not be required to pay supply affording charges {as specified in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009} afresh up to the total contract demand of existing connections as per agreements.

CHAPTER 8: METERING & BILLING

Requirement of Meters

- 8.1 No new connection shall be given without a meter and cut-out or a Miniature Circuit Breaker (MCB) or Circuit Breaker (CB) of appropriate specification complying with relevant standards. The Licensee should procure sufficient quantity of suitable meters/metering equipments for new service connections, providing meters for un-metered connections and replacement of stopped/defective meters/ metering equipments.
- 8.2 All consumers shall have to accept the installation of an appropriate metering device, load-limiter, tamper proof boxes or other apparatus when the licensee approaches them to install one, and the consumer shall be required to provide appropriate and suitable site for placement of meter and related equipments to the satisfaction of the licensee.
- 8.3 In case of HT supply, if HT metering cannot be readily provided, LT metering may be provided on the LT side of the consumer's transformer. In such cases, electrical quantities for billing purposes shall be computed by adding three percent to the quantities registered by the LT meter towards transformation loss. This arrangement shall not continue for more than three months and the licensee shall arrange to install a meter on the HT side of the transformer within the said period.
- 8.4 If supply to an HT or EHT consumer is given on an independent feeder for his exclusive use, the metering arrangement may be installed either at the consumer's premises or, if mutually agreed, at the Licensee's Sub- station.
- 8.5 The licensee is authorised to review the status of the meters already installed in the context of upgraded technology becoming available and suitability of the site where meter is placed in the consumer's premises. The licensee may install remote metering device in the consumer premises as per the technical requirements of the specific device and in such cases the consumers shall provide access to the meter through his telephone line. The licensee may also install maximum demand (MD) meter having MD recording feature or such additional features in the consumer's premises. The licensee is also authorised to install 'check meter' at one consumer's location or for a group of consumers. In case the difference in consumption recorded by the 'check meter' and the 'billing meter' is found to be more than permissible limits, the licensee shall be free to install the billing meter on electricity pole or pillar boxes after giving due intimation in writing to the consumer.

Supply and Installation of Meters and Cut-outs/ MCBs / CBs

- 8.6 The licensee shall supply the meter and metering equipments, cut-out/ MCB/ CB/ load limiter to consumers at the time of serving new service connection or at any other time as required. The licensee shall keep the meter in proper working condition and the consumer shall pay the metering charges for the meter and metering equipments as specified in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-1) Regulations, 2009
- 8.7 Meter should ordinarily be fixed outside the building & inside the boundary wall of the premises in such a manner that it is protected from the elements (weather etc.) and can be read from outside without the need of meter reader to get the premises unlocked or opened for this purpose. In special situation, the licensee may permit the meter to be fixed at a place different from the one indicated above and this permission shall be accorded in writing by the concerned Officer not below the rank of Assistant Engineer. The consumer shall run his wiring from such point of supply. The meter box shall normally be mounted at such a height that meter reading counter/ display window is at eye level. In case of LT consumers meter and the cut-out/ MCB or, in case of HT /EHT consumers, meter, circuit breakers and its associated equipment including cables shall be installed by the Licensee at the point of supply.
- 8.8 All new meters should be installed in a tamper-proof meter box.
- 8.9 In case of semi-permanent (kuchha) houses the licensee shall ensure that the meter is properly fixed on a wall and is accessible to the meter reader. In case the consumer does not provide a wall for fixing the meter, the licensee shall be free to fix the meter on the electric pole or in a pillar-box to be provided by the licensee at its cost. The licensee shall also ensure that the earthing of the installation is proper.
- 8.10 In case the meter is installed inside the premises, the meter and other equipments of the licensee shall be placed very near to the point of entry of supplier's line, so that the metering unit is visible from outside the premises and independent/ unobstructed entry to the meter or metering cubical can be provided. Wherever required the consumer shall provide and maintain at his expense a locked and weatherproof enclosure of a design to be approved by the licensee for the purpose of housing the licensee's terminal high tension switchgear and equipment.
- 8.11 Whenever new meter/ metering equipment is installed (as a replacement or for a new connection), the meter shall be properly sealed on behalf of and in the presence of representatives of both the parties. Both the representatives, witness to the sealing shall affix their signatures on the specified documents mentioning their full name. The seal, name plates and distinguishing numbers or marks affixed on the meter and metering equipment shall not be broken, erased, altered or in any way interfered with by either party except in the presence of a duly authorised representative of the other party.
- 8.12 The consumer shall be responsible for safe custody of Meter(s), cut-outs/ MCB/ CB etc., except in cases where such meter(s), cut-outs/ MCB/ CB etc. are installed in the premises of the licensee.
- 8.13 The licensee shall submit a list of all the types of meters installed in its area of operation, to the Commission annually. The information shall include the specification of each type of meter and the total number of units of each type in use and in stock with the licensee.

Testing of Meters

- 8.14 It shall be the responsibility of the licensee to satisfy himself regarding the accuracy of the meter before it is installed and may test them for this purpose.
- 8.15 The licensee shall also conduct periodical inspection/testing of the meters as per the following schedule:
- (a) Single phase /three phase meters : at least once in every five years.
 - (b) HT meters : at least once in a year.

The CT and PT wherever installed, shall also be tested along with meters.

If required, the licensee may remove the existing meter for the purpose of testing. The representatives of the licensee must, however, produce an authenticated notice to this effect and sign the document, mentioning his full name and designation, as a receipt, before removing the meter. The consumer shall not object to such removal.

Defective Meters

- 8.16 The Licensee shall have the right to test any meter and related apparatus if there is a reasonable doubt about the accuracy of the meter, and the consumer shall provide the licensee necessary assistance in conduct of the test. The consumer shall be allowed to be present during the testing.
- 8.17 A consumer may request the licensee to test the meter, if he doubts its accuracy, by applying to the licensee along with the requisite testing fee. The licensee shall test the meter within 15 days of the receipt of the application and fee. Preliminary testing of electronic meters can be carried out in the premises of the consumers through electronic testing equipment.
- 8.18 In all cases of testing of a meter in the laboratory, the consumer shall be informed of the proposed date of testing at least 7 days in advance, so that he may be present at the time of testing, personally or through an authorized representative. The signature of the consumer or his authorized representative, if present, shall be obtained on the Test Result Sheet.
- 8.19 If a consumer is desirous of getting his meter tested at own cost through an independent laboratory instead of laboratory of licensee, he may get it tested at the laboratory approved by the Commission on payment of necessary charges.

Meter (Including Maximum Demand Indicator) Not Recording

- 8.20 The consumer is expected to intimate the licensee in writing, as soon as he notices that meter has stopped/ is not recording if the situation comes to his notice. The licensee shall acknowledge the intimation given by the consumer.
- 8.21 If during periodic or other inspection by the licensee, any meter is found to be not recording, or a consumer makes a complaint in this regard, the licensee shall arrange to test the meter within 7 days. In case of LT consumers the meter should be repaired/ replaced within 15 days in urban areas, and within 30 days in rural areas. In case of HT consumers, meter should be repaired/ replaced within 7 days.

- 8.22 No metering charges towards meter/metering equipment shall be payable during the month in which meter/metering equipment remained defective for more than 15 days in urban area and more than 30 days in rural area.

Installation of Meters

- 8.23 The meter to be installed in the consumers' premises shall be of appropriate capacity commensurate with the contract demand of the connection and shall conform to the relevant IS specifications. The class of accuracy of the meters shall be as per the specifications laid down in the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and as amended from time to time. The Distribution licensee shall ensure due testing of meters as per relevant ISS before supply of meters to the licensee's stores. Before installation of meters to the consumers' premises, the Distribution licensee shall ensure due routine testing of all meters and follow other provisions as per relevant Indian Standards and CEA Regulations.

Meter Reading, Bill Generation and Bill Distribution

- 8.24 In respect of domestic consumers meter should be read only during daylight hours. The periodicity of the meter reading for various categories of consumers is given below. The licensee may, however, improve upon the schedule if it finds that necessary or useful.

Consumer Category	Meter Reading
Domestic – Rural	Once in three months
Domestic – Urban (Municipal corporation towns, municipalities above one lakh population as per prevailing census and district head quarter towns)	Monthly
Other Domestic Urban	Once in two months
Non-Domestic <10kW – Rural	Once in three months
Non-Domestic – Others (Urban & Rural)	Monthly
LT Industrial	Monthly
Agriculture – Rural	Once in three months
Agriculture –Urban	Once in two months
Street light, Waterworks, X-Ray Plants, Electric Crematorium	Monthly
HT	Monthly

- 8.25 The meter reader shall carry the photo identity cards provided by the licensee which shall be pinned up on dress so that it is visible during the course of meter reading.

- 8.26 The licensee may use hand held instruments, meter reading instrument (MRI) or wireless equipment for recording meter readings and for the generation of bills on the spot. If bills are prepared on the basis of MRI downloads or if meter reading is taken on the basis of remote meter-reading and the consumer wishes to have a record of the reading taken, he shall be allowed so by the officer/ personnel taking the meter reading.
- 8.27 In case, during spot billing procedure, the licensee's representative could not take meter reading due to the absence of the consumer, the representative may leave a note and request the consumer to inform the meter reading over telephone. The consumer may thereafter take the delivery of the bill on any convenient date. However this procedure of receiving meter reading over telephone shall not extend beyond one meter reading cycle at a stretch.
- 8.28 It shall be the licensee's obligation to assign a unique consumer number for each consumer and communicate the same to the concerned consumer.
- 8.29 It shall be open to the licensee to adopt a scheme for prepayment of energy charges for such consumers who are getting unmetered supply and the details of such prepayment scheme shall be got approved by the licensee from the Commission and shall be implemented after ensuring adequate publicity.
- 8.30 Bills shall be prepared for each category on the basis of the information provided in the prevailing tariff order.
- 8.31 When supply to a new consumer is commenced in the middle of a month the Fixed Charges shall be charged as per actual in the first billing month. However, other charges such as Minimum charges etc. shall be levied on prorata basis for the number of days for which supply is given. The units to be charged under various blocks or slabs shall also be accordingly prorated. For the purpose of this sub-clause, the month shall be computed as 30 days.
- 8.32 The licensee shall arrange to get the name of the bill distributor rubber-stamped and the bill distributor shall write down the delivery date of the bill on the body of the bill before it is handed over to the consumer
- 8.33 Whenever bills are to be issued for Audit Recovery or by Vigilance and for other recoveries etc. except demand for additional security deposit, such bills should be issued monthly and accompanied with the written details of basis of billing, period of billing etc. In case of non-payment of above bills in full within the stipulated time (not less than 15 clear days), the balance amount due shall be added in the ensuing current bills of the consumer continuously till either full bill is paid or settled otherwise. The licensee shall endeavour to take monthly Meter Reading Instrument (MRI) download for all connections where meters with MRI download facility are installed.

8.34 If for any reason, meter is not accessible for reading, the licensee shall send a notice in writing to the consumer to keep the meter available for reading at the time and date given in the notice. If after the notice being given as described, the consumer still does not give access to the meter for reading, the licensee shall be free to send a provisional bill together with a surcharge. The rate of surcharge shall be as provided in the prevailing tariff orders. The provisional bill shall be prepared on the basis of average monthly consumption of the previous financial year.

The amount thus billed shall be adjusted against the bill raised on the basis of actual meter reading during subsequent billing cycle. Such provisional billing shall not continue for more than two meter reading cycles at a stretch. If the meter remains inaccessible even for the next cycle, the consumer will be served with a notice, to open his premises for reading of the meter at a fixed time and date. If the meter is not accessible at the time fixed in the notice, the supply will liable to be disconnected after serving a 24-hour notice under section 163 (3) of the Electricity Act, 2003.

8.35 The billing for the duration when the meter remains dysfunctional may be done in the following manner :

(a) In case a check-meter is available, the readings of the same may be used for assessment of consumption.

(b) In case, if during the period when the main meter is defective, the check meter is not installed or is also found defective, the quantity of electricity supplied shall be determined on the basis of average monthly consumption of previous three meter reading cycles. However, if the meter is found defective within three months of the date of connection, the quantity of electricity may be assessed on the basis of average monthly consumption of three meter reading cycles recorded by new meter ; provided that if in the opinion of the licensee, the conditions in the consumer's installation during the month in question were such as to render billing on such average consumption not equitable either to the consumer or to the licensee, the electricity supplied during such period shall be determined by the in charge of the (local area circle in case of EHT/HT consumers and incharge of the distribution centre in case of LT consumer) licensee. In the event of the consumer not being satisfied with such determination, he may appeal to the in charge of the local Region in case of EHT/HT consumers and incharge of the Sub-Division in case of LT consumer whose decision shall be final.

(c) The licensee, in absence of proper assessment immediately, may issue bill on provisional basis to the consumer on the basis of average monthly consumption of previous three meter reading cycles subject to revision at a later date.

- 8.36 The licensee shall develop a detailed document describing systems, procedure and accountability regarding replacement of defective meters.
- 8.37 The Licensee may send bills to consumers by hand or by post. On a written request from a consumer the licensee shall send it by registered post and the expenses of such delivery of bill shall be recoverable from the consumer.
- 8.38 The licensee shall ensure distribution of bills to the consumers not less than seven days before the due date for cash payment.

Special Reading of Meters in cases of Change of Occupancy / Vacation of Premises for Domestic Consumers

- 8.39 It shall be the responsibility of the owner of the connection to get a special reading done by the licensee at the time of change of occupancy or on the premises falling vacant.
- 8.40 The owner/user of the connection may request in writing to the licensee for special reading at least 15 days in advance of the said vacancy of the premises by the existing user or change of the occupancy, as the case may be.
- 8.41 The Licensee shall arrange a special reading to be done and deliver the final bill, including all arrears till the date of billing, at least 7 days before the vacancy of the premises. The final bill shall also include payment for the period between the date of special reading and date of vacancy of premises on prorata basis. The charges towards special reading shall be recovered from consumer as per MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009.
- 8.42 The bill for metered connections shall have details of consumer, reading, consumption, arrears (if any), date of bill, due date for payment etc. The bill may contain additional information, if any, as per the directions of the Commission .The Licensee from time to time may also provide further additional information as may be required.

CHAPTER 9: PAYMENT AND DISCONNECTION

Payment

- 9.1 The consumers are required to make payment of the bills issued to them regularly within due dates.
- 9.2 The licensee shall ensure adequate publicity of the addresses/ locations and working hours of the collection centres including those of banks where consumers can make payments. The licensee shall provide a choice of maximum alternative modes of payment to the consumers like payment through cash, local cheque, bank draft, banker's cheque, Electronic Clearing System (ECS), credit card, drop boxes etc.
- 9.3 During the days when there is rush on the collection window, separate queuing arrangement should be made for senior citizens, women and physically handicapped persons and they should be attended on priority.
- 9.4 The due date of payment for all consumers shall normally be fifteen days from the date of issue of bill. If due date of payment mentioned in the bill is a public holiday, the succeeding working day shall be treated as the due date.
- 9.5 In the event of non-realisation of cheque, the licensee shall have the right to initiate any action as per law besides recovery towards charges for dishonoured cheque as per MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009.
- 9.6 In case of non-receipt of bill within the specified period the consumer may contact the bill issuing office to collect the duplicate bill and arrange payment of the bill. In case the licensee is not in a position to provide duplicate bill, the consumer shall pay on the basis of past average bill amount. The licensee shall investigate the cause of non-receipt of bill and take suitable steps to ensure that the consumer receives his electricity bills promptly thereafter.
- 9.7 Every consumer shall be issued a receipt in token of having received the payment.
- 9.8 The consumer may also be allowed to make advance payment of future bills, which shall be adjusted in the succeeding months. However, only the regular bill amount shall be adjusted from the advance payment. Before adjusting any other amount, the consent of the consumer shall be sought.
- 9.9 All categories of consumers committing default in the payment of the billed amount shall be liable to pay delayed payment surcharge, on the amount outstanding, at rates as per applicable retail supply tariff order.

9.10 All payments made by the consumer will be adjusted in the following order of priority:

- (a) Electricity Duty and Cess on the current consumption
- (b) Arrears of Electricity Duty plus arrears of Cess.
- (c) Delayed payment surcharge
- (d) Balance of arrears
- (e) Balance of current bill amount

9.11 Disputed/Erroneous Bills

- (a) In the event of any objection in respect of the billed amount, the consumer may make a representation before the concerned officer as mentioned in the energy bill. The supply of electricity shall not be cut off if such person deposits, under protest,
 - (i) an amount equal to the sum claimed from him, or
 - (ii) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months, whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licensee.
- (b) The representation may be made on plain paper along with the following details:
 - (i) Name and address of the consumer mentioning telephone number, if any
 - (ii) Service connection number
 - (iii) Category of connection
 - (iv) Facts and relief sought in brief

The designated officer shall resolve the dispute within a maximum period of seven days from the date of receipt of such written representation.
- (c) If the Licensee finds the bill to be erroneous, a revised corrected bill shall be furnished to the consumer indicating the revised due date not less than seven days of the date of delivery of revised bill. Excess amount paid by the consumer, if any, shall be adjusted in the subsequent bill(s).
- (d) In the event that the original bill was correct, the consumer shall be intimated accordingly to pay the balance, if any, with surcharge as applicable as per original bill within 7 days.

(e) In case the consumer is not satisfied with the decision of the licensee or otherwise, he may approach to Electricity Consumer Grievance Redressal Forum established by the licensee.

- 9.12 In case of death of a consumer the legal heir shall be liable to pay the dues of such consumer. The legal heir should also take steps to get the connection changed in his name within a period of three months.

Disconnection

- 9.13 It shall be the responsibility of the licensee to ensure that no default in payment is continued beyond a reasonable period subject to a maximum of three months without action for temporary disconnection. The authorised official of the licensee will ensure that all the cases pertaining to default in payment are monitored regularly and timely action is initiated for temporary or permanent disconnection.
- 9.14 If a consumer fails in payment of any bill in full, without the approval of the authorised Officer, by the due date, the service connection of the consumer will be liable to be disconnected on temporary basis after giving not less than fifteen clear days' notice in writing to such consumer. Effort should be made that before disconnecting a domestic connection; an adult member of the family should be informed. If the proof of removal of the cause for disconnection is produced to the satisfaction of the Licensee's employee deputed for the purpose, the supply shall not be disconnected.
- 9.15 After temporary disconnection, the supply shall be restored only after the consumer pays the outstanding charges/dues/ amount of instalment fixed along with disconnection-reconnection charges.
- 9.16 The consumer shall be required to make a written request to the office of the licensee if the consumer wishes to get his connection temporarily disconnected for a period up to six months. For duration of temporary disconnection the consumer shall be liable to pay in advance all the monthly charges that are fixed in nature like fixed charge, minimum charge, metering charges etc. The consumer shall also be liable to pay disconnection / reconnection charges to avail the facility of temporary disconnection. The period of 'disconnection on request' can be extended on receipt of a request in writing and on necessary charges being deposited in advance.

CHAPTER 10 - Theft of Electricity

10. 1. Introduction

10 1.1 The Ministry of Power, Govt. of India vide order no. S.O.790 (E) dated 8th June'2005 with title "The Electricity (Removal of Difficulties) order 2005" has directed State Commission for inclusion of measures to control theft in Electricity Supply Code as per details given below:

(1) The Electricity Supply Code as specified by the State Commission under section 50 of the Act shall also include following, namely: -

(i) method of assessment of the electricity charges payable in case of theft of electricity pending adjudication by the appropriate court;

(ii) disconnection of supply of electricity and removing the meter, electric line, electric plant and other apparatus in case of theft or unauthorized use of electricity: and

(iii) measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tampering , distress or damage to electrical plant, electric lines or meter.

(2) The above provisions in Electricity Supply Code shall be without prejudice to other rights of the Licensee under the Act or any other applicable law to recover sum due and to protect the assets and interests of the Licensee.

10 1.2 The detailed guidelines to be followed in making assessment in case of theft of energy are as under :--

10 2. Method of assessment of charges in case of theft of electricity by EHT/HT and LT consumers

10 2.1 Issue of assessment order for theft of electricity

10 2.2 When a case of theft of energy is detected, the Authorized Officer shall assess, in accordance with the formula/procedure laid down in this chapter hereafter, the energy consumption for the entire period during which such theft of electricity has been detected or for a period of 12 (twelve) months immediately preceding the date of inspection, whichever is less. The Authorized Officer shall prepare assessment order on two times the rates (which comprises of fixed charges , energy charges and other applicable charges) as per applicable tariff and serve on the person under proper receipt.

In case of a regular connection, where a case of theft of electricity is detected, assessment of the theft of energy shall be made as under :-

- (i) In case no change of category/purpose is detected and the assessed consumption is more than the minimum consumption/actual recorded consumption, after giving due credit for consumption already billed, balance consumption shall be billed at twice the tariff.
- (ii) In case change of category/purpose is detected and the assessed consumption is more than the minimum consumption/actual recorded consumption, the assessment may first be done at twice the normal tariff and credit of amount already paid may be given.
- (iii) Duty and cess or any other applicable charges/ taxes levied by Government shall be billed on normal rate for all the units assessed giving due credit for already billed amount on this account.
- (iv) In addition to the charges of assessment for theft as provided above, penalties as provided in the tariff Order that become due on such assessment shall also be levied. However any increase in incentive on account of the assessed consumption of theft shall not be allowed.

10 2.3 The assessment formula for working out the consumption due to theft of electricity shall be as follows:-

10 2.3.1 **Units assessed = L x D x H x F**, where

L is load (Connected load found in the consumer's premises during the course of inspection) in kW,

D is number of working days per month and shall be taken for different categories of use as below:

a) Continuous Process Industry	30 days
b) Non-continuous Process Industry	25 days
c) Domestic use	30 days
d) Agriculture	30 days
e) Non-Domestic (continuous)	30 days

Viz. Hospitals, Hotels and Restaurants,

Guest houses, Petrol pumps etc.

f) Non-Domestic (general) i.e. other than e)	25 days
--	---------

g) Water works & Street Lights 30 days

H is use of supply hours per day, which shall be taken for different categories of use as below:

a) Single shift working industry	8 hrs.
b) Two shift working industry	16 hrs.
c) Continuous process industry	24 hrs.
d) (i) Non-domestic including restaurants	12hrs.
(ii) Hotels, hospitals, guest-houses, Petrol pumps etc.	20 hrs
e) Domestic	8 hrs.
f) Agriculture	6 hrs.
g) Water works	8 hrs
h) Street light	12 hrs

F is load factor, which shall be taken for different categories of use as below:

a) Industrial	60%
b) Non-domestic	60%
c) Domestic	40%
d) Agriculture	100%
e) Water works	100%
h) Street light	100%
i) Direct theft	(i) Domestic category 50%
	(ii) All consumers
	other than domestic 100%

- 10 2.3.2 In cases where the meter is found tampered and the meter working is found slow after its due testing at the laboratory, the assessment of consumption of units in such cases shall be carried out based on the extent to which the meter has been found recording slow as per testing results subject to the condition that such assessment does not exceed one and one half times (1.5 times) the units assessed as per specified formula. In cases where the meter is found tampered but it is not possible to establish that the meter is slow or the exact percentage by which it is recording less consumption but external device(s) found inserted or tampering with the meter parts/wiring is found, the assessment of consumption shall be done at one and one half times (1.5 times) of the units assessed in accordance with the specified formula.
- 10 2.3.3 The working hours for the purpose of assessment of units consumed in the cases of theft of electricity for bonafide domestic use for operating domestic water pump, microwave ovens, washing machines, mixer, electric press, small domestic flour mill, vacuum cleaner, toaster, water purifier and petty domestic appliances excluding lights, fans, TV and refrigerator etc. shall not be considered for more than one hour working per day on 100% load factor. The duration of use in case of Air Conditioners, coolers and the Geysers shall be taken as six months during the year for all categories of users with the working hours per day and the load factor specified for that category.

10 2.3.4 Assessment of energy in case of theft of electricity for temporary connections

In the case of temporary connection, the assessment of units consumed for theft of electricity shall be done as per the following formula:

Units assessed = $L \times D \times H$, where

L = Load (load found connected at the time of inspection) in kW,

D = No. of days for which supply is used, and

H = 6 hours for agriculture connections and 12 hours for others.

- 10 2.4 Upon detection of theft of electricity, the authorized officer of the licensee or supplier, as the case may be, may immediately disconnect the supply of electricity to such premises.
- 10 2.5 The Licensee or supplier, as the case may be, on payment of the assessed amount or electricity charges in accordance with the provision of Regulations stipulated in this Code, shall, without prejudice to the obligation to lodge the complaint and restore the supply line of electricity within forty eight hours of such payment.

- 10 2.6 If the person does not make payment within the stipulated time, the Licensee or Supplier may proceed to recover its dues against assessment order and take such further action as is permitted under the relevant Acts.
- 10 2.7 The assessment order of charges for theft of electricity issued by the authorised officer shall be pending adjudication by Appropriate Court. In all cases where theft of electricity has been detected, the Licensee or Supplier shall file the case with Appropriate Court for decision in the matter unless the offence is compounded under Section 152 of the Act.
- 10 2.8 Levy of interest for delayed payment - In case of default by the person in payment of assessed amount, the person, in addition to the assessed amount, shall be liable to pay, on expiry of thirty days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of sixteen per cent per annum compounded every six months pending adjudication by Appropriate Court.
- 10 2.9 In the premises where the theft of electricity has been detected, the Licensee or Supplier shall remove the cause of theft immediately by making seizure by removing line / cable/ plant or any other item/ equipment or meter up-to the distribution mains, which are found being used or likely to have been used for the purposes of theft of electricity. The Licensee or Supplier may subsequently further remove or divert or convert his line, cable or electrical plant or devices to prevent further theft of electricity provided that such action shall not result into any inconvenience in affording quality supply or disruption of supply, to other consumers.

10 3 Measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter.

In order to reduce and prevent the menace of theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter, it is necessary to initiate following preventive measures:

- 10 3.1 The Licensee or Supplier shall arrange periodic inspection/ testing of meters.
- 10 3.2 The Licensee or Supplier shall arrange to provide tamper proof meter boxes on meters so as to ensure that meters installed at all the consumers' premises have tamper proof meter boxes. The Licensee or Supplier shall simultaneously also review the status of service lines to ensure that it is in good working condition & well insulated. Wherever required, service lines should be replaced to prevent theft.
- 10 3.3 The Licensee or Supplier should intensify the efforts for regular inspection of premises of consumers and other persons to ensure prevention of theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter. Priority should be given for detection of direct theft cases by the vigilance teams of the Licensee or Supplier, particularly in theft prone areas.

- 10 3.4 The Licensee or Supplier shall evolve a system for carrying out regular monthly monitoring of consumption of high value consumers, which shall include all the HT connections and LT connections having contract demand of 50 HP & above. Variations in the consumption should be carefully analyzed. The Licensee or Supplier should arrange prompt inspection in doubtful cases.
- 10 3.5 The Licensee or Supplier shall arrange to ensure that 33KV & 11 KV feeder wise and 33/11 KV sub-station wise losses are worked out. The Licensee or Supplier shall take suitable steps for reduction of losses in the pockets identified by working out losses in the above manner.
- 10 3.6 The Licensee or Supplier shall install meters on all distribution transformers and carry out energy audit so as to identify localized high loss pockets and take further suitable action for reduction of losses in such pockets.
- 10 3.7 The Licensee or Supplier shall endeavour to install remote metering devices on all HT/EHT connections on priority for the purpose of monitoring of consumption and prevention of theft of electricity. The Licensee or Supplier shall further endeavour to install remote metering devices on high value LT connections.
- 10 3.8 The Licensee or Supplier shall arrange to give due publicity through the media, TV and newspaper to bring the awareness about the level of commercial losses, its implication on the honest consumers and seek the cooperation for prevention of theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter. The Licensee or Supplier shall also display boards containing the information about the above at its offices.
- 10 3.9 The Licensee or Supplier shall arrange to provide requisite security force to the Authorised Officers for their safety and expenses on such account shall be pass-through in ARR (Aggregate Revenue Requirement). Such security squads shall have to invariably accompany the Authorised Officers in order to ensure their safety.
- 10 3.10 The Licensee or Supplier may replace overhead bare conductors with cables in theft prone areas, wherever necessary, to prevent theft by direct hooking with the Licensee's lines and expenditure this account shall be a pass-through in the ARR.
- 10 3.11 The Licensee or Supplier may provide HV distribution system (LT less system) in theft prone areas using small capacity distribution transformers, wherever necessary, to prevent theft by direct hooking and expenditure this account shall be a pass-through in the ARR.
- 10 3.12 The Licensee or Supplier is authorized to relocate the meters of existing consumers to an appropriate location but within the boundary wall so that it is clearly visible and the meters are easily accessible for reading, inspection/ testing and other related works. In case of doubtful cases where continuous vigil is not possible, the Licensee or Supplier

may install check meters on its poles / feeder pillars. Where theft of electricity is detected, for the period subsequent to detection of theft, the Licensee or Supplier may install billing meters for such connections on its poles/ feeder pillars.

10 3.13 The Licensee or the Supplier shall take all precautions to prevent damage or distress to their lines/ plants, meters or other such equipments by providing adequate protection and security. The Licensee or the Supplier shall take prompt appropriate action as per the provisions of the Electricity Act, 2003 if any damage or distress is caused to their lines/ plants, meters or other such equipments so as to deter/curb such practices.

CHAPTER 11 : MISCELLANEOUS

Force Majeure:

- 11.1 The licensee shall not be liable for any claim by the consumer for loss, damage or compensation whatsoever arising out of failure of supply when such failure of supply is due, either directly or indirectly, to war, mutiny, civil commotion, riot, terrorist attack, flood, fire, strike, lockout, cyclone, tempest, lightning, earthquake or act of God or act of Central/State Government.
- 11.2 If at any time during the continuance of the agreement between the licensee and the consumer, if the use of electricity is not possible fully or partially by the consumer due to Force Majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot, terrorist attack, flood, fire, strike (subject to certification by Labour Commissioner), lockout (subject to certification by Labour Commissioner), cyclone, tempest, lightning, earthquake, act of God, act of Central/State Government, etc. which are beyond the control of the consumer, he may, on giving 7 clear days notice in writing to the licensee, about such a situation, take a reduced supply of power as may be necessary and feasible within permissible limits of contract demand at relevant voltage levels. In all cases where the consumer claims Force Majeure conditions, the licensee's authorised representative shall verify the same. Such a facility shall be available to the consumer only if the period of reduced supply is for a minimum continuous period of 10 days and up to a maximum of six months. The aforesaid period of reduced supply shall not be counted towards the initial period specified in the agreement and the initial period of agreement shall be extended for a further period equal to the period of reduced supply. There is no restriction on number of times of such facility availed by the consumer subject to maximum period of total six months of all such occasions.
- 11.3 In case the licensee is unable to supply power to a consumer who is not otherwise a defaulter, for a continuous period of 10 days (each day shall consist of power cut from 00 hours to 24 hours) or more in a calendar month, the licensee shall charge the consumer in the following manner:
- (a) Energy charges shall be on the basis of actual meter reading recorded in the energy meter.
 - (b) Other charges (excluding electricity duty and cess) shall be prorated on the basis of the number of days, power was provided to the consumer.

This facility will be provided to consumers with metered connections only.

Tampering, distress or damage to electrical plant, lines or meter

- 11.4 If the electrical plant, lines or meter or any other equipment, of the licensee placed in the consumer premises is found tampered, distressed/damaged, the licensee shall be entitled to recover the expenses incurred for restoration of such plant, line, meter or equipment, without prejudice to his right to take action under appropriate provisions of the Act, including disconnection of supply for non-payment of the cost for replacement/rectification, action for theft or assessment for unauthorized use as the case may be. The use of energy by artificial means (like use of phase splitters) to convert a supply to three-phase supply will be treated as unauthorised use of energy.

Authorisation of Franchisees

- 11.5 The licensee may authorise a franchisee to distribute electricity on its behalf in a particular area within the Licensee's area of supply as per the provisions of the Act. However, the bills shall be issued to the consumer in the name and title of the Licensee only.

Other Codes and Regulations

- 11.6 Consumers shall ensure that new buildings, structures, additions, modifications and any other construction projects keep the minimum clearances required from existing supply lines of the licensee. These minimum clearances are specified in the CEA(Measures relating to safety & electricity supply) Regulations, 2010.

Service of Notice

- 11.7 Any letter, order or document addressed by the licensee to the consumer shall be deemed to be duly given, if served in writing addressed to the consumer and delivered by hand at, or sent by post/ courier, to the address specified in the consumer's requisition or in the agreement with the consumer if entered into or as subsequently notified to the licensee. In case there is no person on the premises to whom the notice can with reasonable diligence be delivered, the notice may be served by affixing it on some conspicuous part of the premises.
- 11.8 The licensee may serve any general notice like message regarding load regulatory measures, applicability of new tariff or change in due date of payment etc. in a widely circulated local newspaper.
- 11.9 All communications to the licensee shall be addressed to:
- (a) The Secretary of the licensee's Company at the Corporate Office of the licensee or to any other officer authorised or designated in this behalf in case of H.T./ E.H.T. consumers.
 - (b) The licensee's Executive Engineer or any other officer authorised or designated in this behalf in the case of L.T. consumers.

Unforeseen Circumstances

- 11.10 If any circumstances not envisaged by the provisions of this Code arise, the licensee shall, to the extent reasonably practicable in the circumstances, consult promptly and in good faith with all affected parties in an effort to reach an agreement as to what should be done. If agreement between the licensee and those parties cannot be reached to a conclusion, the licensee shall determine it in the manner best to its ability.
- 11.11 Wherever the licensee makes such a determination, it shall do so having regard, wherever possible, to the views expressed by the affected parties and, in any event, to what is reasonable in the circumstances. Each party shall comply with all instructions given to it by the licensee following such a determination, provided that the instructions are consistent with the prevailing Codes, Regulations and Act. The licensee shall promptly refer all such unforeseen circumstances, and any such determination to the Commission for consideration.

Interpretation:

- 11.12 These conditions shall be read and construed as being subject, in all respects, to the provisions of the Electricity Act 2003 (No 36 of 2003), the CEA(Measures relating to safety & electricity supply) Regulations, 2010 and the M.P. Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No 4 of 2001) in force and as amended from time to time and the Rules made therein and to the provisions of any other law relating to the supply of electricity for the time being in force; and nothing contained in this Code shall abridge or prejudice the rights of the licensee and the consumer under any Central Act or State Act or Rules made thereunder.
- 11.13 In case of any dispute in meaning or scope or interpretation of this Code, the interpretation of the Commission shall be final and binding on all concerned.

Power to remove difficulties:

- 11.14 If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Code, the matter may be referred to the Commission who after consulting the parties affected, may pass any general or special order, not inconsistent with the provisions of the Act or any other enactment relating to supply of electricity for the time being in force, which appears necessary or expedient, for the purpose of removing the difficulty.

Jurisdiction of Court:

- 11.15 All proceedings arising out of this Code and the agreement made there under shall be filed only in the Court under whose jurisdiction the agreement was executed, subject to the overall jurisdiction of the High Court of Madhya Pradesh.

Repeal and Savings

- 11.16 The Code namely “ Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2004 (G-1 of 2004) which were notified on 16.04.2004 and read with all amendments thereto, as applicable to the subject matter of this Code is hereby repealed.
- 11.17 Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice to meet or to prevent abuses of the process of the Commission.
- 11.18 Nothing in this Code shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of this Code, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 11.19 Nothing in this Code shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Codes have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secretary.

ANNEXURE -1

**APPLICATION FORM –FOR DOMESTIC/NON-DOMESTIC
LOW TENSION SERVICE CONNECTION**

New Connection/Shifting of Premises/Change in Contract

Demand/Change of Tariff Category/Change of Name of Consumer etc.

(Please strike-off the purpose that is not applicable)

To,

Affix Pass Port

Size Photo

Sir,

I/We request you to supply electricity to my/our premises. The requisite information is furnished below :-

1. Consumer –

(a) Name of the person/organization :

(b) Name of father/husband/Director/ :

Partner/Trustee

(c) Full Address of the premises (with PIN)

Where a new connection is being applied
for/the existing connection is proposed to
be shifted

Telephone No. :

(i) Factory / Premises :

(ii) Registered Office (alongwith
Postal address) :

(iii) Residence (Postal address) :

E-mail :

Bank A/C No. and name of Bank
(optional) :

Existing sanctioned load/contract

Demand if any, :

Service connection no.
(For existing connection) :

2. Built-up area of the premises/plot area :

3. Category of supply :

4. Purpose of supply :

5. Type of Supply : Permanent/Temporary

(Please strike-off type not applicable and tick the type applicable)

If temporary specify period – From : To :

6. Proposed Load –

(a) For domestic connection : Watts

Please fill-up and attach format for determination of connected load.

(b) For Non-domestic category please fill up the following table

(Attach duly signed separate list if required)

Item	Connected Load per item (Watts)	No.	Total Connected Load (Watts)

(c) If opted for two part tariff, then Contract Demand = _____ KVA.

w.e.f. _____ in case supply is required in phasing.

7. Any electricity dues outstanding in the licensee's area of operation in the consumer's name Yes/No
8. Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for : Yes/No
9. Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm/company with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director Yes/No
(For serial nos. 7, 8 & 9 if answer is 'Yes' in any case please provide details)
10. Whether the boundary within which electricity shall be consumed is clearly shown in the Plan (Map) of the premises. Yes/No
11. I/We hereby declare that –
- (a) The information provided in the form above is true to my knowledge.
- (b) I/We have read the Madhya Pradesh Electricity Supply Code and agree to abide by the condition mentioned therein.
- (c) I/We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
- (d) I/We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.
- (e) I/We enclose all necessary documents as per list with the application form. (If 'No', please provide details with reasons).

Signature of the Consumer/Authorized Signatory

Date :

Place :

Note : Following documents may be attached with the application form :-

For domestic and non-domestic connections in urban area:

1. Application registration fee
2. Passport size photo of applicant

3. Photocopy of document related to House/Premises (In case of tenant rent deed agreement/rent receipt/affidavit related to tenancy of applicant)
4. Plan Map of House (duly certified by applicant).
5. No Objection Certificate from local statutory authority, etc. (Secretary/ Gram Panchayat/Nagar Panchayat/ Authorised Officer of Municipal Corporation/Municipality).
6. Below Poverty Line Ration Card for domestic connection/Registration Certificate of list of Below Poverty Line (If applicant is in Below Poverty Line and wants exemption in Service Connection Charges).
7. Registration Certificate of SC and ST candidate under Below Poverty Line. (If applicant wants exemption in energy charges).

For domestic and non-domestic connections in rural area:

1. Application registration fee
2. Passport size photo of applicant
3. No Objection Certificate of Sarpanch/ Panchayat Secretary (only for non-domestic connection)
4. Below Poverty Line Ration Card for domestic connection/Registration Certificate of list of Below Poverty Line (If applicant is in Below Poverty Line and wants exemption in Service Connection Charges).
5. Registration Certificate of SC and ST candidate under Below Poverty Line. (If applicant wants exemption in Energy Charges).

ANNEXURE -2**APPLICATION FORM –FOR EXTRA HIGH TENSION/HIGH TENSION/
OTHER LOW TENSION SERVICE CONNECTION****New Connection/Shifting of Premises/Change in Contract****Demand/Change of Tariff Category/Change of Name of Consumer etc.***(Please strike-off the purpose that is not applicable)*

To,

Affix Pass Port

Size Photo

Sir,

I/We request you to supply electricity to my/our premises. The requisite information is furnished below :-

1. Consumer –

(a) Name of the person/organization :

(b) Name of father/husband/Director/ :

Partner/Trustee

(c) Full Address of the premises (with PIN)

Where a new connection is being applied
for/the existing connection is proposed to
be shifted

Telephone No. :

(i) Factory / Premises :

(ii) Registered Office (alongwith
Postal address) :

(iii) Residence (Postal address) :

E-mail :

Bank A/C No. and name of Bank :

Existing sanctioned load/contract

Demand if any, :

.....(EHT/HT/LT)

Service connection no.

(For existing connection) :

LT Supply :

2. Built-up area of the premises/plot area :

3. Category of supply :

4. Purpose of supply :

5. Type of Supply : Permanent/Temporary

(Please strike-off type not applicable and tick the type applicable)

If temporary specify period – From : To :

6. Proposed Load *(fill up the following)* –

(a) *(Attach duly signed separate list, if required)*

Item	Connected Load per item (Watts)	No.	Total Connected Load (Watts)

(b) If opted for two part tariff, then Contract Demand = _____ KVA.

w.e.f. _____ in case supply is required in phasing.

EHT/HT Supply

7. Voltage at which supply is required (KV) :

11 KV	33 KV	132 KV	220 KV
-------	-------	--------	--------

8. Type of supply : Temporary/Permanent/standby/synchronization of CPPs or Generators with Grid
(Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)

For other than permanent supply, specify period – From : To :

9. Steps taken by the consumer so far to set-up the installation

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

10. Basis of projection of Contract Demand required –

- (a) Diversity factor assumed :
- (b) Total Connected Load :

Attach List of Machines

11. Whether connection is required in phases :

12. Phasing of contract demand (CD) :

Sl.No.	CD required (KVA)	Tentative Date From which required	Remarks

Note: The tentative dates of phasings should not be beyond the date of expiry of initial period of agreement.

13. Purpose of installation :
14. Category of tariff opted for :
(as per tariff order)
15. Probable date of production :
16. Category of Industry : SSI/MSI/LSI
(Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)
17. Status of land acquisition :
.....
(Please provide proof of ownership and statutory clearances)
18. Expected date by which finance would be available :
19. Whether the requisite consent/NOC (where applicable according to the list of Pollution Control Board) has been obtained from M.P. State Prevention and Control of Water Pollution Boards, Bhopal as per statutory requirements
(If yes, a copy should be furnished) :

FOR ALL CONSUMERS

20. Any electricity dues outstanding in the licensee's area of operation in the consumer's name Yes/No
21. Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for : Yes/No
22. Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm/company with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director Yes/No
(For serial nos. 20, 21 & 22 if answer is 'Yes' in any case please provide details)
23. Whether the boundary within which electricity shall be consumed is clearly shown in the Plan (Map) of the premises. Yes/No
24. I/We hereby declare that –
(a) The information provided in the form above is true to my knowledge.

- (b) I/We have read the Madhya Pradesh Electricity Supply Code as amended and agree to abide by the condition mentioned therein.
- (c) I/We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
- (d) I/We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.
- (e) I/We enclose all necessary documents as per list with the application form. (If 'No', please provide details with reasons).

Signature of the Consumer/Authorized Signatory

Date :

Place :

Note : Following documents may be attached with the application form :-

1. Proof of ownership/legal occupancy of the premises.
2. A map indicating therein in the proposed location of the plant/office and the point where supply is required. The map should normally be of the scale of 1 cm representing 1200 cm for EHT/HT connection.
3. Licensee/NOC from statutory authority, if required or a declaration by the applicant is that his connection does not fall under the requirement of NOC under any statute.
4. In case of a proprietary firm, an affidavit to be submitted stating that the applicant is the sole proprietor of the firm.
5. In case of partnership firm, a certified copy of partnership deed.
6. In case of Limited Company, Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation.
7. In case of agricultural consumer, copy of Khasra/Bahi be attached.
8. Proof of permanent residential address of the consumer and PAN Number, if any. If there is any change at a later date, the same shall be intimated by the consumer to the Licensee immediately.
9. Letter of intent for production/enhancement in production for industrial connection.

10. List of equipment proposed to be installed along with their connected load.
11. Resolution for authorization in respect of where connection required in name of firm, limited/Pvt. Ltd. firm, company etc.
12. Registration from Industries Department wherever applicable.
13. Extract of project report relevant to power and process requirement (in case of industries).
14. Copy of the relevant section of the current tariff order that provides details of the tariff category opted by the consumer and duly signed by him. This will be appended with agreement after completion of formalities.

Annexure 3

Standard Agreement Form for Supply of Electrical Energy to Low Tension Consumers

THIS AGREEMENT made on the day of Two thousand and between(Name of the Licensee) (hereinafter called "the Licensee" which expression, unless repugnant to the subject or context, shall include its successors and assigns) of the ONE PART And (name of the consumer and the address in detail should be mentioned. In the case of Registered partnership firm, besides the name and address of the firm the name and address of the Managing Partner or the Partner executing the agreement on its behalf should be mentioned. In the case of a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, the address of the registered office of the Company and the name of the Managing Director or the Officer of the Company duly authorised to execute the agreement should be stated) (hereinafter called "the consumer" which expression, unless repugnant to the subject or context, shall include his heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and assigns) of the OTHER PART.

WHEREAS the consumer has requested the licensee to supply electrical energy to the premises (map* enclosed) of the consumer situated at in the district of and which, for greater clearness, delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured, for the purpose of and the licensee has agreed to supply the same on terms and conditions stipulated hereunder.

NOW THESE PRESENTS WITNESS that in consideration of the payment to be made by the consumer as herein after contained, it is hereby MUTUALLY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO as follows:

1 Duration of Agreement: This agreement shall commence from the date of supply or the day immediately following the expiry of thirty days' notice of intimation served by the licensee on the consumer that supply of electrical energy is available under this agreement, whichever is earlier. This Agreement shall continue to be in force until the expiry of TWO years from the date of commencement of agreement and thereafter shall be deemed to be continued from year to year unless the agreement is terminated as per clause 4 of this agreement. *For domestic and single phase non-domestic consumer, there shall be no initial period of agreement.*

2 Electricity Supply Code: The consumer has obtained and perused a copy of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013 including amendments & addendums made to it from time to time and has understood its contents, and undertakes to observe and abide by all the terms and conditions stipulated therein to the extent they are applicable to him. The said Code as modified from time to time, to the extent they are applicable, shall be deemed to form part of this Agreement. Any regulation framed by the Commission in regard to supply of electricity shall also be deemed to form part of this agreement.

The Licensee has supplied and the consumer has understood the provisions of other applicable regulations prescribed by MP Electricity Regulatory Commission (herein after

referred as Commission) and any modification as may be applicable from time to time and has agreed to abide by all such terms & conditions provided therein.

3 **Quantum of Supply:** Subject to the provisions hereinafter contained and during the continuance of this Agreement, the licensee shall supply the consumer and the consumer shall take from the licensee, by any other course as permitted under law, a supply up to but not exceeding a contract demand ofkVA/ kW/ HP from.....kVA/ kW/ HP from.....

4 **Type of Supply:** The aforesaid supply shall be from a 50 Hz alternating current system at a normal pressure of..... Volts at phase. The frequency and pressure of the supply at the point of supply shall be subject to fluctuations that are incidental to generation and transmission of electrical energy. But such fluctuations shall not, except for reasons beyond the control of the licensee, exceed the limits provided in IE Rules 1956 and any other applicable rules & regulations

5 **Security Deposit:** The consumer shall pay 'Security Deposit' as prescribed under regulations issued by the Commission. The consumer undertakes to make any additional security deposit, as and when called upon by the licensee under regulations issued by the Commission. Failure to pay the deficient security deposit will entitle the licensee to disconnect the supply after serving 15 clear days notice to comply with the deficiency.

6 **Metering:** For the purpose of registering the electrical energy taken by the Consumer under this Agreement, a suitable meter and metering equipment shall be provided and maintained by the licensee.

7 **Charges to be paid by the consumer:** The consumer shall pay to the licensee, for power demanded and electrical energy supplied under this agreement, charges in accordance with the Tariff, including other terms and conditions as applicable to the category of service and also as per the 'Schedule of Miscellaneous Charges' as in force from time to time. After the commencement of the agreement no further option in the selection of alternative tariffs (within the same category) will be allowed except once in initial agreement period of two years in addition to any option that may be specified in Tariff Order issued by the Commission from time to time.

Provided that the consumer shall pay electricity duty, cess or such other levy, tax or duty as may be prescribed under any other law in addition to the charges payable under the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, Tariff, Schedule of Miscellaneous Charges and other charges as approved by the Commission from time to time.

8 **Disconnection:** In the event of the consumer failing to comply with the terms & conditions of this agreement or any of them, then the licensee is free to discontinue the supply of energy to the consumer, as per the applicable rules and regulations and the licensee shall not be liable for any compensation or damages, if any, so suffered by consumer without prejudice to the right of the licensee to recover the outstanding dues and the applicable demand/ minimum charges during the period of such disconnection.

9 Termination of the agreement either by the licensee or the consumer: Domestic and single-phase Non-domestic category of consumers may terminate the agreement after giving a 15 days' notice. Other consumers can terminate the agreement after the expiry of the initial period of two years on giving one-month's notice. The licensee may also terminate the agreement by providing similar notice to the consumer and stating the reasons of such termination in writing. Provided that if power supply remains disconnected for a period of sixty days for non-payment of dues or non-compliance of the directions issued under the Madhya Pradesh Electricity Supply Code'2013, and even after issue of a show cause notice by the licensee, no effective steps are taken by the consumer for removing the cause of disconnection and for restoration of power supply within the period specified in the notice, the agreement of the licensee with the consumer for power supply shall be deemed to have been terminated on expiry of the period specified in the notice. The period of the show cause notice shall be seven days.

However, if the agreement is to be terminated, for categories other than Domestic and Single phase non-domestic light & fan and power, before completion of the initial period of agreement, the consumer shall be liable to pay charges as per tariff for the balance period of the agreement.

10 Special clause(s): (see note given at the end of form)

11 Correspondence:

- (a) Any letter, order or document addressed to the consumer shall be served by post or left at the address given in the preamble to this agreement in the manner prescribed in Section 171 of the Electricity Act, 2003.
- (b) All communication to the licensee shall be addressed to or to any other office authorised or designated in this behalf.

12. Stamp Duty: The consumer agrees to bear the cost of the stamp duty and all costs incidental to the execution of this Agreement in full.

13. Disputes: This agreement shall be deemed to be entered into at the location of registered office of the licensee and all disputes and claim, if any, in respect of this contract are to be settled at such locations as mentioned in the Guidelines for Redressal of Consumer Grievances or be triable only in any competent court situated within the area of operation of the licensee.

In WITNESSES WHEREOF the parties hereto have put their hands and seals this the day of20

Signature of the consumer, name & address	Signature of Authorized Signatory of Licensee name

Signature of witness to the execution by the consumer, name & address	Signature of witness to the execution by the person of the licensee, name & address
1.	1.
2.	2.

The Common seal was hereunto affixed in the presence of (applicable for limited companies)

1.

2.

Note:

* The map of premises attached with the application form by the applicant and verified by the licensee, indicating point of supply thereon, shall become a part of the agreement and both the parties shall be signatory on this map.

** Any other condition(s) that may be mutually agreed between the licensee and the consumer and that is (are) in accordance with the prevailing Rules/Regulations.

Annexure 4

Madhya Pradesh Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited,

Agreement for Extra High Tension/ High Tension Supply

THIS AGREEMENT made this _____ day of _____ 20__ between the Madhya Pradesh Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, a company incorporated under section _____ of Companies Act, 1956 and is a Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act 1956 (which expression shall where the context so admits include its successors in office and assigns) of the one part and _____ (hereinafter called the Consumer which expression where the context so admits shall include his heirs executors, administrators, legal representatives, successors in business and assigns) of the other part.

WHEREAS the Consumer has requested the Madhya Pradesh Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, (Hereinafter referred to as the Discom) to supply him with electrical energy in bulk at the Consumer's premises Situated at _____ and which for greater clearness is delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured, for the purpose of _____ and the Discom has agreed to supply to the Consumer such energy upon the terms and conditions hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY DECLARED AND AGREED AS FOLLOWS:-

1 (a) Subject to the provisions hereinafter contained and during the continuance of this Agreement, the Discom shall supply to the Consumer and the Consumer shall take from the Discom all such electrical energy as the Consumer shall require for the purpose of his own use and for the above mentioned purpose at his premises referred to above, up to a maximum of:—

KVA from

KVA from

KVA from

(Hereinafter called the contract demand) subject to provisions of clause 13 hereof.

(b) The consumer shall not sell **or transfer or redistribute** the electrical energy taken under sub-clause (a) without obtaining the sanction in writing of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter called MPERC) under the Electricity Act, 2003.

2. (a) Commencement of this Agreement shall date either from the actual date on which the Consumer has begun to take electrical energy under this Agreement or the day immediately following the expiry of specified notice period of intimation of ----- days as per Electricity Supply Code, 2013 as in force **and as amended** from time to time served by the Discom's Executive Engineer of the area on the Consumer that Supply of electrical energy is available under this Agreement, whichever is earlier.

(b) Subject to the foregoing sub-clause (a) the Consumer shall commence to take electrical energy under the conditions of this Agreement within the specified notice period from the date of notice of the intimation referred to in sub-clause (a) foregoing ; and shall further complete the electrification of his premises within a reasonable time. **In the event of non availing the supply by the consumer as per the above terms , he/it shall be liable to pay minimum charges as specified in the tariff as in force from time to time.**

3. (a) The Discom agrees to provide the necessary volts supply line; from the..... Discom's mains to the premises of the Consumer up to the point of supply required to supply power to the Consumer under this Agreement and the fuses, isolators or oil circuit breakers as may be necessary at the point of supply as per standard practice of the Discom and the Consumer shall pay to the Discom the cost of supply line and plant(s) as may be specified by the Discom in accordance with the relevant Regulations notified by MPERC. Rent on metering equipment and/or any equipment installed by the Discom at the Consumer's request will be charged in accordance with the regulations/orders issued by the MPERC **and amendments from time to time.**

(b) Notwithstanding that cost of the supply line and plant(s) is paid for by the Consumer, the ownership of the entire supply line and plant(s) paid for by the Consumer shall vest in the..... Discom and will be maintained by the Discom at its cost.

4. The energy supplied to the Consumer by the..... Discom shall be on 3 phase, 50 cycles, alternating current system at a normal pressure of ___ volts. The frequency and pressure of the electrical energy at the point of supply to the feeders of the Consumer shall be subject to the fluctuations that are ordinary, usual and incidental to the generation and transmission of electrical energy, but such fluctuations shall not, except for reasons beyond the control of the Discom, be more than 3 percent on the frequency and (i) 6 percent on the higher side or 9 percent on the lower side in the case of high voltage ; or (ii) 10 percent on the higher side or 12.5 percent on the lower side in case of extra high voltage. The Consumer agrees to ensure that all his ___ volts step down transformers shall be delta connected on the high voltage side, **but any deviation resulting due to reasons beyond the control of DISCOM shall not entitle the consumer to claim any damages.**

5. (a) The Consumer shall provide and maintain at his expense a locked and weather proof enclosure of a design to be approved by the Discom for purpose of housing the Discom's terminal high tension switchgear and equipment.

(b) The Consumer shall further provide free of cost to the Discom necessary land belonging to the Consumer and afford all reasonable facilities for bringing in not only the direct cables or overhead lines from the Discom's system for servicing the Consumer, but also cables or overhead lines connecting Discom's other consumers, and shall permit the Discom to provide all requisite switchgear and connections thereto on the above premises and to furnish supply to such other Consumers through cables and terminals situated on the Consumer's premises provided supply to the Consumer in the opinion of the Discom is not thereby unduly affected.

(c) The Consumer may with the written permission of the Discom house his own H.T. Switchgear and other apparatus connected with a supply of energy to him under this Agreement and as must necessarily be placed therein; but such enclosure shall not be used for any other purpose.

(d) The representative, servants, subordinates and workmen of the Discom with or without tools shall have access at all times to the said enclosure or premises and to the incoming or outgoing cables or overhead lines laid under, over or across his lands under sub-provision (b) above for purposes of inspection, testing, repairs and maintenance of its property.

6 The point of supply shall be at the outgoing terminals of the Discom's CUT OUTS that shall be installed under clause 3 or inside the premises provided by the Consumer under clauses 5 of this Agreement; and supply shall be taken to the point designated.

7 (a) For the purpose of registering the electrical energy taken by the Consumer under this Agreement there shall be provided one ___ volt metering equipment (hereinafter referred to as the main meter) on the feeder of the Consumer which shall be the property of and be kept in good condition, repaired and calibrated by the Discom.

(b) Where metering is done on the low voltage side of supply either on grounds of economy or on account of non-availability of high voltage metering equipment or such other reason, the quantity of electricity consumed in any month on the high voltage for billing purposes will be computed by adding 3% (three percent) extra on account of transformation losses as specified in Electricity Supply Code 2013 or in Tariff Order as in force from time to time, to the total monthly quantity as registered by the meter on the low voltage side.

8 The Consumer may at his own expense install check-meters in his feeders at his premises. Nevertheless, the quantity of electrical energy and demand as recorded by the main meter installed by the Discom under clause 7 here-of shall be taken at all times (subject to the provisions of clause 14 hereof) as the quantity of electrical energy actually supplied and the demand actually made from the Discom's system.

9 The meters shall be properly sealed on behalf of both parties and shall not be interfered with by either party except in the presence of a duly authorised representative of the other party.

10. All transformers, switch-gear and other electrical equipments in the installation of the Consumer and also those directly connected to the feeders or lines of the Discom shall be of suitable design and be maintained to the reasonable satisfaction of the Discom. The setting of fuses and relays on the Consumer's control-gear as well as the rupturing capacity of any of his circuit breakers shall be subject to the approval of the Discom. The starting current of motors shall not exceed the limits specified in the MPERC's "Electricity Supply Code 2013 as in force from time to time".

11. Save as provided herein the supply shall be available continuously except in cases of *force majeure as provided in Electricity Supply Code 2013 as in force from time to time, or* any cause over which the Discom has no control and in any such case the Discom shall not be responsible for any loss or damages for such discontinuance of the energy but shall recommence the supply as soon as it reasonably can.

12. (a) The Consumer agrees to restrict or regulate consumption of electrical energy supplied to him under this Agreement during peak hours as may be directed by the Area Engineer of the Discom in writing and at any other hours if so required to do, if any power position or any other emergency in the power system warrants such a course of action.

(b) The Consumer agrees to the supply of electricity under this agreement being curtailed, staggered or cut-off altogether by the Discom, if the power position or any other emergency in the power system warrants such a course of action.

13. (a) The Consumer may be permitted such additional supply if available in excess of the contract demand as may be agreed upon by the Discom and the Consumer has given due notice in writing of his desire to have the contract demand altered.

(b) In the event of the Discom agreeing to make such additional supply available, the Consumer shall pay such contribution towards the cost of making such additional supply available as may be intimated by the Discom.

(c) If such additional supply is made available by the Discom the contract demand specified in clause 1 (a) hereof shall be increased to the same extent.

(d) After completion of initial period of agreement, the consumer shall be entitled for reduction in contract demand in accordance with the provisions contained in Electricity Supply Code 2013 as in force from time to time. Such reduction in the contract demand shall not effect the consumer's liability to pay the amount of the minimum guarantee, mentioned in clause 21 (a) hereof.

14. The readings/MRI of the meter referred to in clause 7 hereof shall be taken by the authorised representative of the Consumer and the Discom as specified in Electricity Supply Code 2013 as in force from time to time and the reading so taken shall be binding and conclusive between the Consumer, and the Discom as to the amount of electrical energy supplied to the Consumer. In the event of the main meter or the ancillary equipment forming a part thereof being found defective the quantity of electricity supplied will be determined in accordance with the reading of the check-meter installed by DISCOM. However if during the period when the main meter is defective and the check-meter is not installed or is found also defective, the quantity of electricity supplied shall be determined by taking the average consumption for the previous three months or otherwise as provided by MPERC in its Relevant regulations ; provided that if in opinion of the Superintending Engineer of the Discom the conditions in the Consumer's

installation during the month in question were such as to render billing on such average consumption not equitable either to the Consumer or to the Discom. The electricity supplied during such period shall be determined by the Superintending Engineer and in the event of the Consumer not being satisfied with such determination he may appeal to the Discom's Chief Engineer concerned whose decision in the matter shall be final.

15. The Consumer shall at all times allow the officer or servant of the Discom generally or specially authorised by the Chief Engineer in this behalf to inspect the electrical equipment of the Consumer for all or any of the purposes connected with the supply of electrical energy to the Consumer under this Agreement.

16. The meters shall be recalibrated and standardised if so desired, by either party, by means of standard instruments by the Discom in the presence of the Consumer or his representative; provided however that the Discom may; conduct test-checks of the metering equipments at intervals of six months or such other period as specified in the Electricity Supply Code 2013 as in force from time to time.

17. The Consumer shall be entitled on application to the Discom or its authorised representative in this behalf to have a special test of the meters carried out at any time and the expense of such test shall be borne by the Discom or the Consumer according as the meters are found to be defective or correct as a result of such a test, such meters shall be deemed to be correct if the limits of error do not exceed those laid down in the Indian Electricity Rules, 1956, as amended from time to time.

18. For the purpose of this Agreement the maximum demand of the supply to Consumer in each month shall be equal to four times the largest amount of Kwh/kvah delivered at the point of supply of the consumer in the premises during any consecutive fifteen minutes in that month as per sliding window principle of measurement of demand.

19. The Consumer shall pay to the Discom every month, charges for the electrical energy supplied to the Consumer during the preceding month at the Discom's tariff applicable to the class of service and in force from time to time. A copy of the current H.T. Tariff order no. _____ dated _____ issued by MPERC as amended applicable to the Consumer is set out in the Schedule attached to this Agreement.

20. (a) The tariff is subject to the variable cost adjustment charge if any detailed therein.

(b) The incidence of the variable cost adjustment charge shall be levied in addition to any minimum charges specified under the tariff in clause 19 or any minimum of special guarantee referred to in clauses 21 hereof.

21. **Special conditions and/or charges.**

a.

b.

22. (a) If at any time during the continuance of the agreement between the licensee and the consumer, the use of electricity is not possible fully or partially by the consumer due to force majeure conditions mentioned in Supply Code 2013, as in force from time to time, the consumer may, on giving 7 days notice in writing to the Discom, about such a situation **with requisite thereof** be permitted a reduced supply of power as may be necessary and feasible. In all cases where the consumer claims Force Majeure conditions, Discom's authorised representative shall verify the same. Such a facility shall be available to the consumer only if the period of reduced supply is for a minimum period of 30 days and upto a maximum of six months as specified in Supply Code 2013. The aforesaid period of reduced supply shall not be counted towards the initial period specified in the agreement and the period of agreement shall be extended for a further period equal to the period of reduced supply.

Provided nevertheless on the expiration of period of Agreement referred to in clause 27 hereof this Agreement shall continue to remain in force for a further period equal in length to the period during which the reduced supply under this clause shall have continued and provided also that the Consumer shall pay for the said reduced supply at such rate as under the Discom's tariff in force for the Consumer category.

(b) The Discom or the consumer shall not be liable for any claim for loss, damage or compensation whatsoever arising out of failure of supply when such failure of supply is due to, either directly or indirectly, to war, mutiny, civil commotion, riot, terrorist attack, flood, fire, strike (subject to certification by Labour Commissioner), lockout (subject to certification by Labour Commissioner), cyclone, tempest, lightning, earthquake or act of God. But in such event the Consumer shall not be liable to pay for any energy not actually supplied by the Discom nor shall the Period of discontinuance be added to the said period of the Agreement.

23. The average monthly power factor of the Consumer's installation shall not be less than 90 percent. Should it, however, fall below 90 per cent or as may be specified in tariff the Consumer shall pay such additional charges as may be specified in the tariff. Should the average power factor fall below 70 percent, the Discom may, without prejudice to its right to recover the minimum charges under the Agreement, disconnect the Consumer's installation till the arrangements are made to raise to 90% or above. This is however, without prejudice to the levy of additional charge for low power factor in the event of supply not being disconnected. The consumer also shall have the option to ask the Discom to disconnect his installation in case the average power factor of his installation falls below 70 percent and the Discom shall, when so required by the Consumer disconnect his installation. Any such disconnection will not relieve the Consumer from the obligation to pay the minimum charges under the Agreement.

24. (a) The Discom will as far as possible within fifteen days after the expiration of each calendar month or after the date of reading deliver to the Consumer a bill of charges stating the number of units supplied to the consumer by the Discom in accordance with the reading of the said meters and the amount payable thereof according to the tariff applicable together with other charges payable by the Consumer to the Discom and the Consumer shall pay the same within fifteen days from the date of issue of the bill. The fuel cost adjustment charges as applicable under the tariff will be calculated and incorporated as a part of the bill as may be fixed by the MPERC from time to time.

(b) The amount to be billed for each month shall be either the charges enumerated in clause 24 (a) above or one-twelfth (1/12) of the guaranteed annual minimum under clauses 21 whichever is higher, subject to monthly necessary adjustment without prejudice to clause 20.

25. (a) In the event of any dispute or difference as to the correctness of any bill or bills specified under the terms hereof the Consumer shall nevertheless pay such bill or bills or a sum equivalent to average of preceding six months average bills, as specified in Supply Code,2013 within the aforesaid period of fifteen days. Any adjustment necessary due to incorrectness of such bill or bills shall be made by the Discom in accordance with and within the time limit stipulated in Supply Code,2013 after the settlement of said dispute or difference.

(b) If the Consumer fails to pay any bills as provided in clause 24 he shall be liable to pay a surcharge as specified in the tariff order in force from time to time from the date of the bill if the bill is not paid within fifteen days of the date of the bill, the Discom shall give the Consumer fifteen clear days' notice of intention to discontinue the supply of electrical energy and at the expiry of such period if full payment has not been made, may forthwith disconnect the supply until full payment for all dues outstanding including surcharge and the charges for the work of disconnection and reconnection has been made.

26. (a) The Consumer shall be required to deposit when demanded in cash and or any other form as may be specified by MPERC to the Discom a sum corresponding to not less than one and half months consumption as security for purpose next hereinafter mentioned, and shall on the like requisition from time to time replenish such security in the event of the same becoming exhausted or insufficient or otherwise considered inadequate in accordance with the Security Deposit Regulations, 2009 notified by the MPERC and as amended from time to time. The Discom will pay interest on the amount deposited in cash at such rate as specified by MPERC in its Security Deposit Regulations 2009 as in force from time to time. The Discom shall be at liberty at any time and from time to time to appropriate and apply any security so deposited as aforesaid in or towards payment or satisfaction of all or any moneys which shall become due or owing by the Consumer to the Discom in respect of supply of energy or otherwise under this agreement, but the provision in this clause contained, shall not prejudice any other remedy to which the Discom may be entitled for the recovery of such moneys.

(b) If the Consumer fails within thirty days or such other period of notice as may be specified in writing in each case to comply with the terms of any notice requiring him to give any security including additional security or to renew or replenish any security mentioned in sub-clause (a) foregoing which may have become exhausted or insufficient, the Discom may without prejudice to any other remedy to which the Discom is entitled, refuse or discontinue the supply so long as such failure continues.

27. (a) This Agreement shall remain in force for a period of TWO years certain from the date of its commencement under clause 2 above. This period shall not be affected by anything stated hereinafter in this clause.

(b) After the period of two years mentioned in sub-clause (a) above, this Agreement shall unless terminated as hereinafter provided be deemed to continue upon the same terms and conditions from year to year provided that after the period of years stated in sub-clause (a) above the Agreement shall be terminable by either party giving at least one months' notice in writing (expiring at the end of any calendar month) before the termination of such period.

(c) Upon the expiry of such a notice, this Agreement shall terminate without prejudice to the rights which may have accrued hereunder to either party.

28. (a) The rates and other charges set out in the Schedule referred to in clause 19 hereof and the miscellaneous charges as specified by MPERC from time to time are those in force at the time of executing/commencement of the Agreement. The consumer shall be eligible for whatever reduction in or rebate from these rates/or in charges is granted by the MPERC and will be liable for whatsoever surcharge or increases upon them as may from time to time be fixed by MPERC or be liable to pay any new rate or tariff amount which the MPERC may fix in lieu of the payment fixed under this Agreement.

(b) The Tariff set out in the Schedule does not include any tax, duty or other charges on electrical energy that may be payable in accordance with any law in force. Such charges will be payable by the Consumer in addition to tariff charges.

29. Where more than one method of charging of the electricity consumed exist in the tariffs applicable to the class of service, the consumer shall exercise his option for one of them at the time of commencement of this Agreement as defined in clause 2 (a) hereof. After the commencement of the Agreement no further option in the selection of alternative tariffs will be allowed except twice during the period the Agreement remain in force. Any automatic change in category that may be forced by such changes in tariff shall not be treated as option exercised by the consumer.

30. The Consumer shall not without the previous consent in writing of the Discom assign, transfer or part with the benefit of this Agreement either wholly or partially in favour of any person.

31. In the event of the Consumer failing to comply with the terms of this Agreement or any of them then in addition to the powers conferred on the Discom by the Acts, Rules and Regulations referred to in clause 36 hereof, it shall be lawful for the Discom after giving due notice in writing to the Consumer to discontinue the supply of energy to the Consumer or even disconnect supply forthwith where permitted under law, rules & regulations. The Discom shall however on the cessation of the act which entitled it to discontinue the supply and on payment by the Consumer the amount of charges for the electrical energy already supplied and all other moneys then payable under this Agreement together with the expenses incurred by the Discom in cutting off and reconnecting the supply restore the supply with all reasonable speed. Further it is hereby expressly agreed and declared that such discontinuance of supply shall not absolve the Consumer of his liability to pay the minimum charges or the minimum guarantee whichever is greater payable under the terms of this Agreement for the unexpired period of the Agreement inclusive of the period during which supply remained disconnected as above.

32. In the event of the supply of energy being discontinued by the Discom in consequence of any breach or default on the part of the consumer entitling the Discom so to do under the provisions of the Acts, Rules and Regulations referred to in clause 38 hereof, the amount of charges for the electrical energy already supplied and all other moneys then payable under this Agreement shall become due and recoverable forthwith; Provided always and it is hereby expressly agreed and declared that during the period of such discontinuance the Consumer shall continue to pay the minimum charges or minimum guarantee whichever is greater, payable hereunder. The Discom shall, however, on the cessation of the act which entitled it to disconnect the supply and on payment by the consumer of all charges reconnect the supply with all reasonable speed.

33. If at any time during the continuance of this Agreement the Consumer shall—

(a) being a limited Company pass a resolution for winding up or be ordered to

be wound up by a court of competent jurisdiction and being an individual or individuals commit any act of insolvency or be adjudged insolvent.

(b) execute or create any mortgage charge, or other encumbrance on any property or asset of the Consumer so as to prejudicially affect the Discom's rights and interests in electric meters, plant, apparatus and equipment at the Consumer's premise or any part thereof or any right exercisable by the Discom in connection with said electric plant, apparatus and equipment; the Discom shall be at liberty to terminate the Agreement by giving seven day's notice in writing to the Consumer and upon such termination the Consumer shall forthwith pay to the Discom all the moneys then due and payable under this Agreement together with a further sum equal to the amount of the tariff minimum or special guarantee whichever is greater for the unexpired minimum agreement period of supply as and by way of liquidated damages.

34. This Agreement for supply of electrical energy supersedes all previous contracts for supply of energy to the premises entered into and executed by the Discom and the Consumer namely:-

- i) Agreement dated
- ii) Agreement dated
- iii) Agreement dated

The settlement of disputes and / or liabilities for the period prior to commencement of this agreement shall be done on the basis of terms and conditions of agreements mentioned above.

35. Notwithstanding that the Discom may not have taken advantage of some previous breach, defaults or event of like nature on the part of the Consumer, it shall be lawful for the Discom to enforce the terms and conditions of these presents in the event of a subsequent breach, default or event of like nature.

36. (a) The Consumer shall conform to conditions of supply specified by the MPERC from time to time in its Regulations/Codes and also the provisions of the Electricity Act, 2003, and any modification or re-enactment thereof, for the time being in force **or that may be enforced from time to time** and to the Rules and Regulations framed there under for time being in force **or that may be enforced from time to time** in so far as the same respectively may be applicable. A copy of the Regulations on "Electricity Supply Code, 2013" has been supplied by the Discom to the Consumer and the Consumer hereby acknowledges the receipt thereof.

(b) Nothing contained in this Agreement or any amendment thereon shall restrict any rights, obligations and discretions which the Discom or the Consumer has derived under the law and also Discom may derive under any legislation relating to supply and consumption of electricity enacted during the period of this Agreement.

37. (a) Any letter, order or document addressed to the Consumer shall be served by post or left at the address given in the preamble to this Agreement in the manner specified in Section 53 of the Electricity Act, 2003.

(b) All communications to the Discom shall be addressed to the Secretary of the Discom at the Corporate Office of the Discom or to any other office authorised or designated in this behalf.

38. Where any expression used in this Agreement is not defined in it or the Electricity Act, 2003, *Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010*, *MP Vidyut Sudhar Adhiniyam 2000* and Regulations framed thereunder or in General Clause Act, 1897, such expression shall have the meaning generally assigned to it in the Electricity Supply Industry.

39. This Agreement shall be deemed to be entered into at and all disputes and claim, if any out of and in respect of this contract are to be settled at or be triable only in any competent court situated at

IN WITNESS, WHEREOF _____ The Chief Engineer
(_____ Region/Commercial), Madhya Pradesh Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited
by order and direction of and on behalf of Madhya Pradesh Kshetra Vidyut Vitaran
Company limited and the Consumer

.....
have hereunto set their signatures and the common seals the day, month and year first written above.

Signed by the above named in the
presence of

(1) (Name and address)-

(2) (Name and address) -

Signature of Authorized Signatory of

Madhya PradeshKshetra Vidyut Vitaran Company Limited,.....

The common seal was hereunto affixed in the presence of

(1) (Name and address) —

(2) (Name and address) —

Seal of the Discom

Signed by the above named in the presence of

(1) (Name and address)—

(2) (Name and address) —
Consumer

Signature of authorized signatory of

The common seal was hereunto affixed in the presence of

(1) (Name and address) —

(2) (Name and address)—

(Rubber/Common Seal of the Consumer}

in case of limited company

SCHEDULE

(Reference Clause 19)

Note: Relevant portions of applicable prevailing Tariff Order at the time of execution of the agreement should be treated as above schedule. The schedule and the map of premises attached with the application form by the applicant and verified by the licensee, indicating the premises and point of supply thereon, should be signed by both parties and attached with the agreement which shall form a part of the agreement.